वार्षिक-रिपोर्ट
2017-18

Hkkjr ljdkj

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विषय सूची

अध्याय/खंड	**शीर्षक**	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1-2
2.	सिंहावलोकन	3-4
3.	सांविधिक संरचना	5-8
4.	दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गम	9
5.	राष्ट्रीय नीति, 2016, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और एशिया और प्रशांत क्षेत्रों दिव्यांगजनों के लिए ''अधिकारों को साकार करने के लिए'' इनचयोन कार्यनीति	10-13
6.	सांविधिक निकाय एवं उनकी गतिविधियां	14-30
6.1	मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त	14
6.2	राष्ट्रीय न्यास	15
6.3	भारतीय पुनर्वास परिषद	25
7.	विभाग की विभिन्न योजनाएं	31-61
8.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	62-72
8.1	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	62
8.2	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)	68
9.	राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रिय केन्द्र	73-106
10.	विभाग की नयी पहले और विशेष उपलब्धियां	107-126
11.	दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	127-128

अनुलग्नक

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को आवंटित कार्य	129-130
2.	जनगणना 2011 के अनुसार दिव्यांगजनों की राज्यवार जनसंख्या	131-132
3.	अगस्त, 2017 की स्थिति के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गम की नवीनतम राज्य वार स्थिति (उपलब्ध सूचना के अनुसार)	133-134
4	एडिप योजना के अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा वर्ष 2014–15 से वर्ष 2017–18 (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) के दौरान आयोजित शिविरों, उपयोग की गयी निधियों और शामिल लाभार्थियों की संख्या का राज्यवार विवरण	135-136
5.	एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान क्रियान्वयन एजेंसियों/राष्ट्रीय संस्थानों/एलिम्को को जारी निधियों को दर्शाने वाला विवरण (दिनांक31.12.2017तक)	137-138
6.	एडिप योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान (दिनांक 31.12.2017 तक) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में आयोजित विशेष शिविरों का विवरण	139-140
7	सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान बाधामुक्त परिवेश के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की गयी अनुदान सहायता	141-142
8.	सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान बाधामुक्त परिवेश के लिए संस्थाओं/संगठनों को जारी की गयी अनुदान सहायता	
	क. सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए जारी की गयी अनुदान सहायता	143
	ख. सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान डीडीआरसी परियोजना के लिए जारी की गयी अनुदान सहायता	143
	ग. सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान यूडीआईडी परियोजना के लिए जारी की गयी अनुदान सहायता	144
	घ. सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान एआईसी के लिए जारी की गयी अनुदान सहायता	145
	ङ. सिपडा योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान प्रकीर्ण गतिविधियों लिए जारी की गयी अनुदान सहायता	146-149
9.	डीडीआरएस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017–18 (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) के दौरान गैर सरकारी संगठनों को जारी की गयी अनुदान सहायता विवरण	152-199

10.	डीडीआरएस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) के दौरान जारी की गयी अनुदान सहायता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता प्राप्त संगठनों का राज्य वार विवरण	200-201
11	डीडीआरएस के तहत गैर सरकारी संगठनों को दी गयी अनुदान सहायता के राज्य वार विवरण का सार	202-203
12	वर्ष 2017–18 (दिनांक 19.01.2018 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सिपडा/डीडीआर के अंतर्गत डीडीआरसी को जारी किए गए अनुदान	204-205
13	राष्ट्रीय संस्थानों/संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा संचालित दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों (एक वर्ष या अधिक की अवधि के) के विवरण	206-211
14	ब्रेल प्रेस की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता वर्द्धन में सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जारी की गयी निधियों का विवरण	212
15	वर्ष 2017 के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं की सूची	213-216
	संक्षेपण	217
	दिशानिर्देश	218

1 अध्याय

प्रस्तावना

1-1 i"BHkfe

दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण पर लक्षित विभिन्न नीतिगत मसलों पर ध्यान केन्द्रित करने और संबंधित गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए 12 मई 2012 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक पृथक डिसैबिलिटी कार्य विभाग बनाया गया था। दिनांक 08.12.2014 को इस विभाग का नाम बदलकर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया। यह विभाग विभिन्न पणधारकों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, गैर सरकारी संगठनों इत्याादि के बीच प्रभावी करीबी समन्वयन सहित दिव्यांगजनों एवं विकलांगता से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

1-2 foHkkx dh vkcfVr dk;Z

1.2.1 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली के अनुसार विभाग के लिए आबंटित कार्य अनुबंध–1 में दिए गए हैं। विभाग को मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

1.2.2 विजनः एक ऐसा समावेशी समाज बनाना जिसमें विकलांग व्यक्तियों की उन्नति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें।

1.2.3 मिशनः अपने विभिन्न अधिनियमों /संस्थाओं /संगठनों तथा पुनर्वास की योजनाओं के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त करना और एक ऐसा समर्थकारी वातावरण सृजित करना जो ऐसे व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और उनके अधिकारों का संरक्षण प्रदान करे और उन्हें समाज के स्वतंत्र एवं उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए सक्षम बनाए।

1.2.4 अपने विजन को पूरा करने एवं मिशन को सफल बनाने के लिए, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए प्रयास करता है–

(क) पुनर्वास के लिए नीचे उल्लिखित उपाय करना–

(i) शारीरिक पुनर्वास, जिसमें जल्दी पता लगाना तथा शीघ्र हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास तथा विकलांगताओं के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्ता सहायक तंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता शामिल है:

(पप) व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक पुनर्वास

(पपप) आर्थिक पुनर्वास और सामाजिक सशक्तिकरण

(ख) पुनर्वास व्यावसायिकों / कर्मियों को तैयार करना।

(ग) आंतरिक कार्य–दक्षता / प्रतिक्रियाशीलता / सेवा प्रदायगी में सुधार।

(घ) समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता सृजन के माध्यम से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का समर्थन।

1-3 y{; l eg% fn0;kx t u

दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2006 (RPWDअधिनियम) के अनुसार, ''दिव्यांग से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो दीर्घावधि तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा ग्राहय संबंधी अशक्तता का शिकार रहा है और जो बाधाओं और रूकावटों के रूप में समाज के साथ उसकी पूर्ण सहभागिता को प्रभावित करती है। (दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम 2016, अध्याय–1, खंड–2, उप खंड (खंडों) उप खंड (ग) का संदर्भ लें)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, ''बेंचमार्क अशक्तता के साथ व्यक्ति'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी विकलांगता से न्यूनतम 40 प्रतिशत पीड़ित हो जहां पर विनिर्दिष्ट विकलांगता को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया हो और प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की विशिष्ट विकलांगता को सही रूप से परिभाषित किया है। (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, अध्याय–1, खंड–2, उप खंड (द) का संदर्भ लें)

2 अध्याय

सिंहावलोकन

2.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। कुल दिव्यांगजनों में से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ स्त्रियां हैं। इनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, चलन बाधित, मानसिक रोगी, मानसिक मंदता, बहु निःशक्तता तथा अन्य निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं।

जबकि जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार, दिव्यांगजनों की राज्यवार संख्या का विवरण अनुलग्नक 2पर दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार विकलांगता के प्रकार के अनुसार, उनकी संख्या का विवरण निम्नवत है–

fn0;kx tuk dh J.kh&okj l[;k tux.kuk 2011 d vuqlkj			
निशक्तता के प्रकार	व्यक्ति और प्रतिशत	पुरुष	स्त्री
	1	2	3
देखने में	50,33,431	26,39,028	23,94,403
सुनने में	50,72,914	26,78,584	23,94,330
बोलने में	19,98,692	11,22,987	8,75,705
चलने में	54,36,826	33,70,501	20,66,325
मानसिक मंदता	15,05,964	8,70,898	6,35,066
मानसिक रोगी	7,22,880	4,15,758	3,07,122
कोई अन्य	49,27,589	27,28,125	21,99,464
बहु विकलांगता	21,16,698	11,62,712	9,53,986
d|y	2,68,14,994	1,49,885,93 (55.89)	1,18,264,01 (44.11)

vkokl Hkkjr] 2011 }kjk fu'kDr tu tul[;k			
आवास	व्यक्ति	पुरूष	महिला
कुल	26,810,557	14,986,202	11,824,355
ग्रामीण	18,631,921 (69.49%)	10,408,168	8,223,753
शहरी	8,178,636 (30.51%)	4,578,034	3,600,602

*स्त्रोत : भारत के महापंजीयक एवं सांख्यिकी आयुक्त

2.2 सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जुलाई 2018 से दिसम्बर 2018 तक चलने वाले अपने 76वें एनएमएस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण में दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम, 2016 में उल्लिखित कार्यक्रमों की श्रेणियों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए नमूना सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है।

3 अध्याय सांविधिक ढांचा

3-1 lc) lo/kkfud çko/kku

भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना के माध्यम से अन्य बातों के साथ साथ अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करता है।

संविधान का भाग –III सभी नागरिकों (और कुछ मामलों में गैर नागरिकों के लिए भी) के लिए छः मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इनमें शामिल हैंः समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दिव्यांगजनों के लिए भी उपलब्ध हैं, तथापि संविधान के इस भाग में ऐसे व्यक्तियों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

संविधान के भाग–IV में राज्य की नीति के निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं। यद्यपि ये गैर न्यायाधीन हैं, इन्हें देश के शासन में मौलिक घोषित किया गया है। इन सिद्धांतों का राज्य की नीति का अनिवार्य आधार होना आशयित है। ये वास्तव में भविष्य के विधायकों और कार्यपालकों के मार्गदर्शन के लिए उन्हें दिए गए अनुदेशों स्वरूप हैं।

^^vuPNn 41% dN n'kkvk e dke] f'k{kk vkj ykd lgk;rk iku dk vf/kdkj

''राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।'' इसके अलावा, अनुच्छेद 243–छ की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243–ब की 12वीं अनुसूची, जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित क्रमशः पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित हैं, में समाज के अन्य कमजोर वर्गों में दिव्यांगजनों का कल्याण और उनके हितों का संरक्षण शामिल है। उक्त अनुसूचियों के संबंधित उद्धरण नीचे प्रस्तुत हैः

vuPNn 243 N dh 11oh vul ph: '''विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण''' (प्रविष्टि सं 26)।

vuPNn&243c dh 12oh vul ph%* ''विकलांग और मानसिक रूप मंद व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण'' '(प्रविष्टि सं 09)।

विभाग विकलांगता के विभिन्नि पहलुओं और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण एवं सशक्तिकरण को शासित करने वाले निम्नललिखित विधानों का कार्यान्वयन करता है :–

1. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम,1992
2. स्वलीनता, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999.
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

3-2 Hkkjrh; iquokZl ifj"kn vf/kfu;e] 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद को आर सी आई अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था। परिषद पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसको मॉनीटर करता है और पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है।

इस परिषद को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :

(i) शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना।

(ii) भारत में पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों हेतु विश्वविद्यालयों इत्यादि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना।

(iii) भारत के बाहर के संस्थानों की अर्हताओं के संबंध में विभाग को सिफारिशें करना

(iv) परीक्षाओं में निरीक्षण करना।

(v) पुनर्वास व्यावसायिकों/अन्य कार्मिकों का पंजीकरण।

(vi) पंजीकृत व्यक्तियों के विशेषाधिकारों और व्यावसायिक आचार को निर्धारित करना।

3-3 v,fVTe] çefLr"d vax?kkr] ekufld eanrk vkSj cgqfodykaxrkvksa bR;kfn ls xzLr O;fDr;ksa ds dY;k.kkFkZ jk"Vªh; U;kl vf/kfu;e] 1999

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद के वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) विकलांग व्यक्तियों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने में पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्द्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर करना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्यकरण जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

3-4 fn0;kx tuvf/kdkj vf/kfu;e] 2016

3-4-1 दिव्यांगजन (समान अवसर, संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों और बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके, उन्हें सुचारू बनाने के दो उद्देश्यों के साथ, सरकार ने राज्यसभा में 07.02.2014 को दिव्यांगजन अधिकार, विधेयक, 2014 को प्रस्तुत किया। संसद द्वारा दिसम्बर, 2016 में आधिकारिक संशोधनों के साथ विधेयक को पास कर दिया गया और तदनुसार 28.12.2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिसूचित कर दिया गया। नए कानून में दिव्यांगजनों के लिए विविध अधिकारों और भत्तों की व्यवस्था दी गई है। इन अधिकारों और भत्तों में समानता और भेदभाव–रहित, समाजिक जीवन, अव्यवहार और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, न्याय तक पहुंच, विधिक क्षमता आदि शामिल हैं। अधिनियम दिव्यांगजनों के प्रभावी सशक्तीकरण और उनके समावेशन के लिए उपयुक्त सरकारों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, मनोरंजन, कौशल विकास आदि के क्षेत्र में योजनाओं को बनाने के लिए अधिदेशित करता है। अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दण्डात्मक प्रावधान भी किया गया है।

3-4-2 दिसम्बर, 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के लागू करने के बाद, केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) केन्द्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम को 19.04.2017 से प्रभावी बना दिया।

(ii) इसने उक्त अधिनियम की धारा 100 अनुसरण में 15.06.2017 को दिव्यांगजन अधिकारी नियम, 2017 को अधिसूचित किया। इन नियमों में ये शामिल हैं :–

(क) उनको उपयुक्तमाहौल उपलब्ध करवाने के लिए मानक, यात्री बस यातायात और वेबसाइट और सामग्री को वेबसाइट पर डालना।

(ख) विकलांगता प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन और अनुदान की प्रक्रिया।

(ग) दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध मे समान अवसर नीति और रिकार्ड के रख–रखाव को प्रकाशित करने की विधि।

(घ) अशक्तता के आधार पर भेदभाव रहित प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए तंत्र।

(ड़) राष्ट्रीय निधि के उपयोग और प्रबंधन का तरीका।

(iii) दिव्यांजन अधिनियम, 2016 की धारा 56 के अनुसरण में, विशिष्ट विकलांगता को बढ़ाने के आकलन के संबंध में दिशा–निर्देशों को 04.01.2018 को अधिसूचित कर दिया गया है। ये दिशा–निर्देश चिकित्सा प्राधिकारी के गठन सहित ऑटिजम के अलावा अधिनियम में उल्लिखित सभी विशिष्ट अपगंताओं के आकलन और प्रमाणन की प्रक्रिया प्रदान करते हैं। राज्य सामाजिक कल्याण विभाग के साथ–साथ राज्य स्वास्थ्य विभागों को 12.01.2018 के पत्र द्वारा इन दिशा–निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। राज्यों को विभाग द्वारा 25.04.2016 को अधिसूचित किए गए ऑटिजम के लिए दिशा–निर्देशों को पालन करने की भी सलाह दी गई है।

(iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 15.01.2018 को केन्द्र सरकार की नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करने और रिक्तियों की गणना करने के तरीकों के संबंध मे आदेश जारी किया है।

(v) सरकार ने माननीय मंत्री (सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण) की अध्यक्षता में निशक्तता पर एक केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है।

(vi) विशेष डीजी (अब डीजी) डीजीएसएस की अध्यक्षता में उक्त अधिनियम की धारा 38 के तहत यथा अपेक्षित उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के आकलन के लिए नियमों को शामिल करने के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया।

(vii) केन्द्र सरकार में दिव्यांगजनों के लिए पदों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(viii) नए अधिनियम के प्रावधानों के बारें में राज्यों को जागरूक बनाने और उनके द्वारा कार्य किए जाने के बारे में देश में 5 स्थानों पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई।

(ix) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का जहां तक संबंध है, अधिनियम की धारा 101 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार एक मात्र मसौदा नियमावली राज्यों को 13.06.2017 को परिचालित की गई।

(x) माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से दिनांक 16.01.2017 के पत्र द्वारा दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतया पालन करने का अनुरोध किया है।

4 अध्याय

निसषक्तता प्रमाणपत्रों का मुद्दा

दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 उन दिव्यांगजनों के लिए कुछ लाभों की व्यवस्था करता है जो, एक चिकित्सा प्रभारी द्वारा प्रमाणित किए अनुसार, 40 प्रतिशत से कम किसी प्रकार की निशक्तता से प्रभावित नहीं हैं। इस प्रकार, एक निशक्तता वाला ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम के तहत लाभांश लेने की कामना करता है को उद्देश्य हेतु अधिसूचित चिकित्सा प्रभारी से एक निशक्तता प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता हैं। प्रमाणपत्र दिव्यांगजन विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

निशक्तजनों से प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। अगस्त 2017 को जनगणना 2011 की तुलना में निशक्तता प्रमाणपत्रों को जारी करने की तुलनात्मक राज्यवार स्थिति अनुबंध–3 पर दी गई है। अगस्त 2017 को दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त के कार्यालय से उपलब्ध डाटा के अनुसार 57.98 प्रतिशत दिव्यांगजनों को 2011 जनगणना के अनुसार निशक्तता प्रमाणपत्र जारी किए गए है।

5 अध्याय

दिव्यांगजन के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) और राष्ट्रीय नीति, 2006, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए "वास्तविकता को धरातल पर उतारने" की इनचयोन कूटनीति

5-1 fn0;kx tuk d fy, jk"Vh; uhfr] 2006

यह मानते हुए कि दिव्यांगजन देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं और यदि उन्हें समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास उपाय उपलब्ध हों तो उनमें से अधिकांश व्यक्ति बेहतर गुणवत्तार वाली जिंदगी जी सकते हैं, सरकार ने, उनके लिए ऐसा वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, जो उन्हें समान अवसर, उनके अधिकारों का संरक्षण और समाज में उनकी पूरी भागीदारी प्रदान कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार और प्रकाशित की है।

विकलांगता रोकथाम और पुनर्वास उपायों पर केन्द्रित इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

I. विकलांगता रोकथाम

II. पुनर्वास उपाय

क. शारीरिक पुनर्वास रणनीति:

- जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप करना
- परामर्श एवं चिकित्सा पुनर्वास
- सहायक उपकरण
- पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास

ख. दिव्यांगजनों की शिक्षा

ग. दिव्यांगजनों का आर्थिक पुनर्वास

- सरकारी प्रतिष्ठानों में नियोजन
- निजी क्षेत्र में पारिश्रमिक आधारित रोजगार
- स्व–रोजगार

III. विकलांग महिलाओं के लिए प्रावधान

IV. विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान

V. बाधामुक्त परिवेश

VI. विकलांगता प्रमाणपत्र का निर्गम

VII. सामाजिक सुरक्षा

VIII. गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रोत्साहन

IX. दिव्यांगजनों से संबंधित नियमित सूचनाओं का संकलन

X. अनुसंधान

XI. खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन

XII. दिव्यांगजनों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों में संशोधन

तदनुसार, इस नीति के अंतर्गत हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र हैं: रोकथाम, जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप, पुनर्वास कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास, दिव्यांगजनों की शिक्षा, नियोजन, बाधारहित परिवेश, सामाजिक संरक्षण, अनुसंधान, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियां।

राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं :

1. इस नीति के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों का समन्वय करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग है।

2. पणधारकों के प्रतिनिधित्व वाली केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का समन्वय करती है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह की समितिहोती है।

3. इस नीति के कार्यान्वयन के लिए गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, युवा कार्य एवं खेलकूद, रेलवे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, श्रम, पंचायती राज और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों और प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, लोक उद्यम, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभागों की भी पहचान की गयी है।

4. पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों के कार्यकरण से संबद्ध हैं। स्थानीय स्तर के मामलों के निराकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन में इनसे अहम भूमिका निभाया जाना अपेक्षित है।

5. दिव्यांगजनों के लिए, केन्द्र स्तर पर मुख्य आयुक्त एवं राज्य स्तर पर राज्य आयुक्त, अपनी सांविधिक जिम्मेवारियों के अलावा राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वायन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

5-2 fn0;kxu tk d vf/kdkjk ij l;Dr jk"V l?k lEeyu] 2006

यह संधिपत्र 13 दिसंबर 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और 30 मार्च 2007 को राष्ट्र पक्षों द्वारा हस्ताक्षर हेतु रखा गया। इस संधिपत्र के अंगीकरण ने दिव्यांगजनों को पूरे विश्व में अपने अधिकारों की मांग करने और अपने अधिकारों का लाभ उठाने के लिए राज्य, निजी और नागरिक समाज की एजेंसियों को जवाबदेह बनाने में वास्तव में सशक्त किया है।

भारत कुछ चुनिंदे प्रथम राष्ट्रों में से एक है, जिसने इस संधिपत्र की अभिपुष्टि की है। 30 मार्च 2007 को भारत द्व ारा संधिपत्र पर हस्ताक्षर किए जाने और बाद में इसकी अभिपुष्टि किए जाने के परिणामस्वरूप देश में यह कानून 3 मई 2008 से प्रभावी हो गया। यह संधिपत्र प्रत्येक राष्ट्र पक्ष को निम्नलिखित तीन दायित्व देता है:

क. संधिपत्र के प्रावधानों का क्रियान्वयन,

ख. देश के कानूनों को संधिपत्र के अनुकूल बनाना और

ग. राष्ट्र रिपोर्ट तैयार करना

सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण ने न्यूयार्क में जून, 2017 में आयोजित दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक में भाग लिया। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में की गई प्रगति से संयुक्त राष्ट्र निकाय को सूचित कर दिया गया था।

5-3 buPk;ku dVuhfr

चीन सरकार के सहयोग से, यूएनईएससीपीसचिवालय द्वारा आयोजित एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दिव्यांगजनों का दशक, 2013–2022 की मध्यावधि समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर सरकार बैठक बीजिंग में 22 नवंबर–01 दिसम्बर, 2017 तक आयोजित की गई। माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी उक्त बैठक में भाग लिए। बैठक को यूनेस्कॉप के विभिन्न सदस्य और सहयोगी सदस्य देशों अर्थात, आस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, दारूसलाम, कंबोडिया, चीन, फिजी, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, किर्गिस्तान, लाओस, म्यांमार, नौरू, न्यू कैलेडोनिया, पाकिस्तान, फिलिपिन, दक्षिण कोरिया, रूस संघ, समोआ, सिंगापुर, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैड, तिमोर–लेस्ते और तुर्की द्वारा भाग लिया गया। बैठक ने इनचियोन कूटनीति को कार्यान्वित करने में एशिया और प्रशांत दशक के प्रथम पूर्वार्द्ध में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा की गई क्षेत्रीय उन्नति की समीक्षा की और उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए ''वास्तविकता को धरातल पर उतारने'' की इनचयोन कूटनीति के परिणामों को लैवरजिंग द्वारा राष्ट्रीय अपंगता–समावेशी विकास पर फोकस और काम करते हुए भविष्य के लिए एक रोड मैप की भी समीक्षा की।

डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री जी ने बीजिंग में 27 नवंबर, 2017 को आयोजित एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दिव्यांगजनों का दशक, 2013–2022 की मध्यावधि समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर सरकार बैठक की शोभा बढ़ाई।

डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बीजिंग में 27 नवंबर, 2017 को आयोजित एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों के दिव्यांगजनों का दशक, 2013–2022 की मध्यावधि समीक्षा पर उच्च स्तरीय अंतर सरकार बैठक में इनचयोन कूटनीति ''वास्तविकता को धरातल पर उतारने'' पर भाषण देते हुए।

6 अध्याय सांविधिक निकाय एवं उनकी गतिविधियां

6-1 fn0;kxtu e[; vk;qDRk ¼lhlhihMh½

6-1-1 flgkoykdu

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, दिव्यांगजन की स्थापना, पूर्ववर्ती निशक्त (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57(1) के अंतर्गत की गयी है और यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 47 के तहत कार्य कर रहा है। मुख्य आयुक्त को दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य का समन्वय, केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोग पर निगरानी और दिव्यांगों के अधिकारों तथा उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के संरक्षण के लिए उपाय करने के कार्य सौंपे गए हैं।

मुख्य आयुक्त अपनी स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर अथवा अन्यथा दिव्यांगजनों के अधिकारों के हरण अथवा दिव्यांगजनों के कल्याण और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए या जारी किए गए नियमों, उप नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशानिर्देशों या अनुदेशों इत्यादि के कार्यान्वयन नहीं करने से संबंधी शिकायतों की जांच करते हैं और संबंधित प्राधिकारियों से मामले को उठाते हैं। दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त इस तरह की किसी भी गैर अनुपालन की अपनी ओर से भी नोटिस ले सकते हैं और संबंधित प्राधिकारी से मामले को उठा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को अपना कार्य प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए एक सिविल कोर्ट की कतिपय शक्तियां दी गयी हैं।

आयुक्त का कार्यालय दिव्यांगजनों के विवादों का निपटारा करने के लिए एक सुलभ और उपयुक्त स्थान है। मुख्य आयुक्त के सामने अधिकतर कार्रवाई रोजगार, पदोन्नति अथवा सेवा से संबंधित मामलों के होते हैं। याचिकाकर्ताओं को जो राहत प्रदान की जाती है उसमें उनके नौकरियों में पुनः वापसी के दिशा–निर्देश और उनके अधिष्ठापनों को यह सलाह दी जाती है कि दिव्यांगजनों के विरूद्ध भेदभाव न किया जाए, शामिल हैं। 2017–18 के दौरान दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त कार्यालय मे 35,255 मामलों को पंजीकृत किया गया और दिसम्बर 2017 के अंत तक 33,526 मामलों का निपटारा कर दिया गया। 1729 मामले प्रक्रियाधीन हैं।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन ने 17–18 मई 2017 में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें राज्यों के दिव्यांगजन विभागों ने भाग लिया। उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विविध प्रावधानों और केन्द्रीय स्कीमों और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। राज्य आयोगों से यह अनुरोध किया गया कि वे दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण और उनके संवर्धन के लिए कार्य करें और राज्य के विभिन्न विभागों की निगरानी करें।

17–18 मई, 2017 को सीसीपीडी के कार्यालय द्वारा आयोजित राज्य आयुक्तों की 15वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ने किया।

6-2 v,fVTe] çefLr"d vix?kkr] ekufld enrk vkj cgfodykxrkvk l xLr O;fDRk;k d dY;k.kkFk jk"Vh; U;kl

6-2-1 çLrkouk%

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो मूलभूत कर्तव्यों– विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण कर्तव्य स्कीमों के माध्यम से निभाएं जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा आश्रय, देख–रेख प्रदान करना एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजन को समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

6-2-1-1 lxBuk dk ithdj.k&

राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के संघ और दिव्यांगजनों के माता–पिता के संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। नई स्कीम प्रबंधन प्रणाली में देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 682 पंजीकृत संगठन हैं।

6-2-1-2 LFkkuh; Lrj lfefr

राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के अंतर्गत, एक स्थानीय स्तर समिति देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए

अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं हो।
- राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित दिव्यांगजन

स्थानीय स्तर समिति का कार्य विधिक संरक्षकों की जांच, नियुक्ति और निगरानी करना है। स्थानीय स्तर समिति जागरूकता सृजन, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है। अभी तक, देश के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हुए 680 स्थानीय स्तर समितियां गठित की जा चुकी है।

6-2-1-3 fof/kd lajf{kdk dh fu;qfDr

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले संरक्षण की व्याख्या करती है। संरक्षण एक आवश्यकता आधारित समर्थकारी प्रावधान है। संरक्षण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है–

1. अनुरक्षण और आवासीय देखभाल
2. अचल संपत्ति का प्रबंधन
3. चल संपत्ति का प्रबंधन
4. कोई अन्य

6--2-1-4 jkT; uksMy ,tsalh dsUæ ¼,l,u,lh½

राज्य स्तर पर इस स्कीम की प्रभावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित एनजीओ को राज्य नोडल अभिकरण केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में 34 एसएनएसी हैं और इसकी सूची हमारे वेबसाइट लिंक http://www.thenationaltrust.gov.in/content/registered_organization.php पर दी गई है। राष्ट्रीय न्यास, संस्थातगत गतिवधियां चलाने, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत संगठनों के साथ बैठक करने, अन्य, एनजीओ के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों इत्यादि के साथ बैठक, के लिए निधि प्रदान करता है।

वर्ष 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 40,64,312/– रूपए की राशि एसएनएसी को जारी की गई है।

6-2-1-5 jkT; Lrj leUo; lfefr ¼,l,y lh lh½

राष्ट्रीय न्यास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय

समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। विकलांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं। अबतक 26 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन कर दिया गया है।

6-2-2 jk"Vh; U;kl dh fofHkUu Ldhek ,o dk;Øek d vrxr e[; xfrfof/k;k %&

(i) दिशा (शीघ्र हस्तक्षेप और 0–10 वर्ष के लिए विद्यालय तैयारी स्कीम)– यह राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत शामिल चार निःशक्तताओं वाले 0–10 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक शीघ्र हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी स्कीम है और इसका उद्देश्य उपचारों, प्रशिक्षणों के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप हेतु दिशा केन्द्रों की स्थापना करना और उनके परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करना है। आरओ द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 4 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) दिव्यांगजनों के लिए दिवस–देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र में देखभालकर्ता और आयाओं के अलावा दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष शिक्षक या शीघ्र हस्तक्षेप उपचारकर्ता, फीजियोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और परामर्शदाता होने चाहिए।स्कीम के तहत एककालिक स्थापना निधि अनुदान 1.55 लाख रूपए और मासिक अनुदान 45 हजार रूपए प्रति दिव्यांग है तथा अधिकतम एक हजार रूपए तक मासिक यातायात भत्तों के साथ प्रति पात्र लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है।

इसमें 115 दिशा केन्द्र हैं जिनमें 6,74,69,663/–रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 20 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 3,11,41,611/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

o"k	fn'kk ¼'kh?k gLr{ki vkj 0&10 o"k d fy, fo|ky; r;kjh Ldhe½			
	(लाख रूपए में)			
	vkjbl	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	45.00	51.15	45.00	51.15
2016-17	354.40	312.13	354.40	312.13
2017-18 (31-12-17 तक)	500.00	311.41	500.00	311.41
dy	899.40	674.69	899.40	674.69

(ii) fodkl ¼fnol&n[kHkky½ – यह दिव्यांगजनों के लिए, जब कि वे उच्चतर आयु वर्गों में शामिल होने की स्थिति में हों, अंतर्वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशलों को बढ़ाने हेतु मुख्यतया उन्हें उपलब्ध अवसरों के दायरे को बढ़ाने के लिए एक दिवस–देखभाल स्कीम है। जिस समय के दौरान दिव्यांगजन विकास केन्द्र में होंगे, केन्द्र उन्हें दिवस–देखभाल सहायता भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों को अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए दिन के दौरान कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी मदद करता है। परियोजना धारक द्वारा आयु विशिष्ट गतिविधियों के साथ–साथ दिन में कम से कम 6 घंटे (पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 6 बजे के बीच) दिव्यांगजनों के लिए दिवस–देखभाल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। दिवस–देखभाल सुविधा एक माह में कम से कम 21 दिन खुली होनी चाहिए। स्कीम के

तहत एककालिक स्थापना निधि का अनुदान 1.95 लाख रूपए और मासिक अनुदान 3850/–रूपए प्रति दिव्यांग है तथा अधिकतम एक हजार रूपए तक मासिक यातायात भत्तों के साथ प्रति पात्र लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है।

इसमें 124 केन्द्र हैं जिनमें 10,93,99,881/–रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 17 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 4,14,10,650/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

o"kZ	fodkl ¼10+o"kZ dh fy, fnol ns[kHkky Ldhe½			
	(लाख रूपए में)			
	vkjbZ	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	35.00	52.65	35.00	52.65
2016-17	678.80	627.24	678.80	627.24
2017-18 (31-12-17 तक)	900.00	414.10	900.00	414.10
dqy	1613.80	1093.99	1613.80	1093.99

(iii) leFkZ ¼jkgr ns[kHkky½– समर्थ स्कीम का उद्देश्य अनाथों या परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा साथ ही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों समेत गरीबी रेखा से नीचे के एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित दिव्यांगोंको राहत गृह प्रदान करना है। यह परिवार के सदस्यों के लिए भी अवसरों के सृजन का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें अन्य जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए राहत समय मिल सके। यह स्कीम सभी आयु वर्गों के लिए, पेशेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली सामूहिक गृह सुविधा प्रदान करने हेतु समर्थ केन्द्रों की स्थापना करने का भी उद्देश्य रखती है।कार्यकेन्द्र का भी प्रावधान है। प्रति लाभार्थी मासिक अनुवर्ती अनुदान 7,000/–रूपए है।

इसमें 45 समर्थ केन्द्र हैं जिनमें 5,62,32,414/–रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 11 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 2,72,97,935/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

o"kZ	leFkZ ¼jkgr vkoklh; ns[kHkky Ldhe½			
	(लाख रूपए में)			
	vkjbZ	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	50.00	40.60	50.00	40.60
2016-17	254.01	248.74	254.01	248.74
2017-18 (31-12-17 तक)	500.00	272.98	500.00	272.98
dqy	804.01	562.32	804.01	562.32

(iv) ?kjkSank ¼O;Ldk gsrq lkefgd x`g½ – घरौंदा स्कीम का उद्देश्य ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को एक सुनिश्चित गृह और पेशेवर चिकित्सकों द्वारा मूलभूत चिकित्सा देखभाल के उपबंध समेत स्वीकार्य जीवन स्तरों के साथ पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा वाली न्यूनतम देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। घरौंदा केन्द्र द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां, पूर्व–व्यावसायिक गतिविधियां और आगे प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

इसके अलावा, 2.90 लाख रूपये की एककालिक स्थापना निधि के अलावा 10 हजार प्रति दिव्यांगजन की मासिक अनुवर्ती अनुदान, 10 लाख रूपये की संकट निधि और 25,000 से 1,00,000 रूपये तक की कार्य केन्द्र स्थापना हेतु निधि होगी।

इसमें 50 घरौंदा केन्द्र हैं जिनमें 7,55,21,999/– रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 14 केन्द्रों की स्वीकृति और 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 3,54,21,999/–रूपए की निर्मुक्ति शामिल है।

o"kZ	?kjkSank ¼O;Ldk gsrq lkefgd x`g½			
	(लाख रूपए में)			
	vkjbZ	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	30.00	34.80	30.00	34.80
2016-17	309.00	366.20	309.00	366.20
2017-18 (31-12-17 तक)	600.00	354.21	600.00	354.21
dqy	939.00	755.21	939.00	755.21

(v) fujke;* LokLF; chek Ldhe– यह स्कीम ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले व्यक्तियों को वहनीय स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए है। नामांकित लाभार्थी मामूली शुल्क अदा करके एक लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करते हैं। प्रगति का विवरण निम्नानुसर हैः–

o"kZ	fujke;* LokLF; chek Ldhe			
	(लाख रूपए में)			
	vkjbZ	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	508.00	574.43	508.00	574.43
2016-17	507.23	463.31	507.23	463.31
2017-18 (31-12-17 तक)	600.00	461.62	600.00	461.62
dqy	1615.23	1499.36	1615.23	1499.36

vi) lg;kxh ¼n[kHkky drkZ çf'k{k.k Ldhe½–इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है, पर्याप्त और पोषक देखभाल प्रदान करने के लिए देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने और एक इनका एक कौशलयुक्त कार्यबल बनाने हेतु देखभालकर्ता प्रकोष्ठों (सीजीसी) की स्थापना करना है। यह माता–पिताओं को, यदि वे चाहें, देखभाल करने के कार्य में प्रशिक्षित होने का अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करता है। यह स्कीम ऐसे देखभालकर्ताओं को बनाने के लिए, जो दिव्यांगजनों के परिवारों तथा दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने वाली अन्य संस्थाओं (गैर–सरकारी संगठनों, कार्य केन्द्रों इत्यादि) दोनों के साथ कार्य कर सकने लायक हों, प्राथमिक और उच्च दो स्तर के पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प प्रदान करेगी।

प्राथमिक पाठ्यक्रम के लिए 4,200 प्रति प्रशिक्षक की और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 8,000 रूपये की प्रशिक्षण लागत का प्रावधान है। साथ ही, इस स्कीम में प्राथमिक के लिए 5000 रूपये और उच्च पाठ्यक्रम के लिए 10,000 रूपये की दर से प्रशिक्षुओं हेतु अध्येतावृत्ति को भी लागू किया गया है।

इसमें 56 सहयोगी केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं और 1,41,57,750/–रूपए की राशि जारी की गई है। इसमें 17 केन्द्रों की संस्तुति और 31.12.2017 तक 2017–18 के दौरान 94,75,750/–रूपए की जारी राशि शामिल है। प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

o"kZ	lg;kxh ¼n[kHkky drkZ çf'k{k.k Ldhe½			
	(लाख रूपए में)			
	vkjbZ	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	2.00	0	2.00	0
2016-17	55.00	46.82	55.00	46.82
2017-18 (31-12-17 तक)	100.00	94.75	100.00	94.75
dqy	157.00	141.57	157.00	141.57

vii) ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)– ज्ञान प्रभा स्कीम ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगताओं वाले लोगों को स्नातक पाठ्यक्रमों, पेशेवर पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक प्रशिक्षणों का, जिनसे रोजगार या स्वरोजगार मिलता है, अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजन को प्रति पाठ्यक्रम एक विशिष्ट धनराशि प्रदान करेगा जिसके अंतर्गत सामान्यतया शुल्क, परिवहन, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च (ओपीई) इत्यादि आएंगे।

इस स्कीम के तहत बहुत से पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। स्कीम में पाठ्यक्रम शुल्क परिवहन, पुस्तकें, स्वयं वहनीय खर्च सहित विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए नियत आवर्ती राशि होगी। इसके अतिरिक्त, 20,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति की उच्चतम सीमा तक परिवहन भत्ता होगा।

इस स्कीम के तहत 12 दिव्यांगजनों को 5,38,435/– रूपए की निर्मुक्ति किए गए हैं। इसमें 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक 4 दिव्यांगजनों को दी गई 3,34,906/–रूपए की राशि शामिल है। प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

o"k	Kku çHkk ¼'kf{kd lgk;rk½			
				(लाख रूपए में)
	vkjb	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	1.00	0.30	1.00	0.30
2016-17	2.13	1.73	2.13	1.73
2017-18 (31-12-17 तक)	10.00	3.35	10.00	3.35
dy	13.13	5.38	13.13	5.38

viii) çj.kk (विपणन सहायता) – प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता स्कीम है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य और व्यापक चौनलों का सृजन करना है। यह स्कीम दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए प्रदर्शनियों, मेलों, इत्यादि जैसे आयोजनों में भाग लेने के लिए निधियां प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। यह स्कीम दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और सेवाओं के विपणन और विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्शनियों, इत्यादि जैसे राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के आयोजनों में आरओ की प्रतिभागिता के लिए निधियां प्रदान करेगा। किंतु, इन कार्य केन्द्रों के कम से कम 51 प्रतिशत कर्मचारी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजन होने चाहिए।

योजना को 6 पंजीकृत संगठनों के लिए स्वीकृत किया गया है। इसमें 2017–18 के दौरान 31.12.2017 तक स्वीकृत किए गए 4 पंजीकृत संगठन शामिल हैं।

ix) lEHkko (सहायक यंत्र और सहायक डिवाइसें)– यह युक्तियों के प्रदर्शन के प्रावधान के साथ विकसित सहायताओं, सॉफ्टवेयर तथा अन्य प्रकार की सहायक युक्तियों की तुलना और संग्रहण करने के लिए 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) देश के प्रत्येक नगर में एक–एक अतिरिक्त संसाधन केन्द्र स्थापित करने की स्कीम है। इस स्कीम में, राष्ट्रीय न्यास के वेबसाइट पर, संभव केन्द्र पर उपलब्ध सहायताओं और सहायक युक्तियों से संबंधित सूचनाओं का रखरखाव किया जाना भी शामिल है। इन केन्द्रों का लक्ष्य राष्ट्रीय न्यास की निःशक्तताओं वाले दिव्यांगजनों की खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए सूचनाएं प्रदान करना और युक्तियों, उपकरणों, सहायताओं, सॉफ्टवेयर इत्यादि को आसानी से उपलब्ध कराना है। पूर्व में, दिल्ली में एक गैर–सरकारी संगठन को संभव केन्द्र चलाने के लिए पहचाना गया था। अब, इसे स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है।

अभी कुछ समय पहले दिल्ली में एक एनजीओ सम्भाव केन्द्र चलाने के लिए अभिज्ञात किया गया था। अब यह स्कीम में परिवर्तितकिया गया है।

x) c<+r dne (जागरूकता और सामुदायिक विचार–विमर्श)– यह स्कीम राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को ऐसी गतिविधियां करने में मदद करेगी जो राष्ट्रीय न्यास विकलांगताओं के संबंध में जागरूकता बढ़ाने पर केन्द्रित हों। स्कीम का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना, संवेदीकरण, दिव्यांगजनों का सामाजिक एकीकरण और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। राष्ट्रीय न्यास प्रति वर्ष प्रत्येक आरओ के लिए अधिकतम 4 आयोजन को

प्रायोजित कर सकता है। स्कीम दिव्यांगों के बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए लाभदायक किसी नूतन परियोजना की भी शुरूआत को भी सहायता प्रदान करती है।

इसमें 124 आरओ स्कीम में पंजीकृत किए गए है जिसमें कुल व्यय 79,34,434/— रूपए जारी किए गए हैं। इसमें 21 आरओ को प्रदान की गई स्वीकृति शामिल है और 2017—18 से 31.12.2017 तक जारी की गई 10,06,341/— रूपए की जारी राशि शामिल है। प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः—

o"kZ	c<rh dne ¼tkx:drk vkj lkeqnkf;d fopkj&foe'kZ½			
				(लाख रूपए में)
	vkjbZ	0;;	Yk{;	miyfC/k
2015-16	10.00	5.35	10.00	5.35
2016-17	73.60	63.93	73.60	63.93
2017-18 (31-12-17 तक)	100.00	10.06	100.00	10.06
dqy	183.60	79.34	183.60	79.34

vU; xfrfof/k;ka

(i) **vkWfVTke ij jk"Vªh; lEesyu** :—ऑटिजम से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन के विविध क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करते हैं। अतः कई देशों में लोगों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (एएसडी) के बारे में शिक्षित करने और ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने के बड़े स्तर पर पहलें की गई है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस (डब्ल्यूएडी) घोषित किया और 2008 से 2 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में ऑटिजम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि आम लोगों में ऑटिजम के प्रति जागरूकता पैदा हो सके।

सम्मेलन को मनाने के लिए, राष्ट्रीय न्यास ने विज्ञान भवन के प्लीनरी हॉल, नई दिल्ली में 03.04.2017 को ऑटिज्म पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्री रामदास अठावले और श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वरिष्ठ केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों और ऑटिजम से ग्रस्त व्यक्तियों के माता—पिता की उपस्थिति में किया। 1200 से अधिक लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर ऑटिजम पर जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय न्यास और रोटरी कल्ब के बीच में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान—प्रदान किया गया और राष्ट्रीय न्यास के तीन प्रकाशनों—''ए विन्डो टू ऑटिजम'', ''ऑटिजम—द फैक्ट्स'' और ''नेशलन ट्रस्ट्स स्कीम बुक'' विमोचित की गई।

¼ii½ **jk"Vªh; U;kl dh ^^lekos'kh Hkkjr igy^^ dh 'kq:vkr**

राष्ट्रीय न्यास की ''समावेशी भारत पहल'' को 06 जून, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शुरू किया गया। दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के लक्ष्यों के साथ पहल का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों, सामुदायिक

डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्री रामदास अठावले और श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 03.04.2017 को ऑटिज्म पर पुस्तकों का विमोचन।

डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा श्री राजीव प्रताप रूड़ी, तात्कालिक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्री विजय गोयल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभारी), युवा मामले और खेल मंत्रालय और श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग की उपस्थिति में समावेशी भारत पहल के विजन दस्तावेज का विमोचन।

स्थलों और कार्यस्थलों पर ऑटिजम, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मन्दता और बहु अपंगता से ग्रस्त व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करवाना है। समावेशी भारत स्कीम में चुने गए 03 तत्व हैं : समावेशी शिक्षा, समावेशी रोजगार और समावेशी सामुदायिक जीवन।

देश में समावेशी भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और वर्कशॉप्स आयोजित किए जा रहे है, जिनमें शामिल हैं,

क. देश के 18 स्थानों नामतः दिल्ली, बैगलुरू, गुनतुर, जोरहट, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, कन्याकुमारी, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, पटना, रायगढ़, अहमदाबाद, उदयपुर, धनबाद, भोपाल, भुवनेश्वर और होशियारपुर में 13.08.2017 को समावेशी स्वतंत्रता दिवस का आयोजन।

डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, सांसद, नई दिल्ली और श्री के.के.शर्मा, महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, नेहरू पार्क, नई दिल्ली में समावेशी स्वतंत्रता दिवस आयोजन में।

ख. समवावेशी भारत समिट विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 12 सितम्बर 2017 को आयोजित किया गया जिसमें डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीया मंत्री, सूचना और प्रसारण और वस्त्र, श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री विनय सहस्त्राबुद्धे, माननीय सांसद, राज्यसभा और सुश्री ईरा सिंघल, 2014 की यूपीएससी की टॉपर और इस

विभाग की बांड अम्बेस्डर ने शिरकत की :श्री विवेक ऑबराय, सिने अभिनेता, श्री यूरी अफनासिएव, यूएन रेजिडेंट को–ऑर्डिनेटर, श्रीमती दीपा मलिक 2016 की पैरा ओलम्पिक चैम्पियन, श्री शेखर नाईक, भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट टीम, श्री मुजफ्फर अली, भारतीय फिल्म मेकर और कवि ने भाग लिया।

डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रीमती स्मृति ईरानी, माननीया मंत्री, सूचना और प्रसारण और वस्त्र, श्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय, श्री विनय सहस्त्राबुद्धे, माननीय सांसद, राज्यसभा 12 सितम्बर 2017 को समावेशी भारत समिट के दौरान।

6-3 Hkkjrh; iqukl ifj"kn ¼vkj lhvkb½

भारतीय पुनर्वास परिषद को शुरु में 31 जुलाई, 1986 के संकल्प संख्या 22–17/83 –एच डब्ल्यू–III के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संसद में पारित एक अधिनियम नामतः भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992(1992 की सं. 34) दिनांक 1 सितंबर, 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्ष 2000 में (2000 का सं. 38) इस अधिनियम को अधिक व्यापक आधार वाला बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिकों व कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मॉनीटर करने एवं पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टरर के रखखाव के लिए जिम्मेवार है।

ifj"kn dh çeq[k xfrfof/k;k

I. (क) वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए पाठ्यक्रमों को अनुमोदित और शुरू किया गया :–

(क). बीपीओ कन्डेंस्ड पाठ्यक्रम (दो वर्ष की अवधि के साथ अंशकालिक)

(ख). 6 माह की अवधि के ब्रीज पाठ्यक्रम (प्रोस्थेटीक और ऑर्थोटीक्स)

(ग). बी. एड स्पेशल एजुकेशन और एम. एड स्पेशल एजुकेशन–(समेकित) (विशेष अधिगम अशक्तता)

(घ). बी. एड स्पेशल एजुकेशन और एम. एड स्पेशल एजुकेशन – (समेकित) (बौद्धिक अशक्तता)

(ड़) मास्टर डिग्री कार्यक्रम, नामतः एम.एस.सी. (स्पीच लैग्वेज पैथोलॉजी)

(ख) परिषद ने इंडियन साईन लैग्वेज कोर्स और स्मार्ट केयर गिवर कोर्स के लिए विशेषज्ञ समिति में बदलाव किया है। डीआईएसएलआई ओर डीटीआईएसएल के विकास के लिए बैठक 22 दिसम्बर 2017 को आयोजित की गई।

(ग) फिलहाल रेगुलर मोड के माध्यम से 60 कोर्स चलाए जा रहे हैं जो आर सी आई को आवंटित व्यवसायिकों/कार्मिकों की 16 श्रेणियों को शामिल करते हैं।

II. 680 संस्थानों और 14 राज्य खुले/खुले विश्वविद्यालयों को आरसीआई से अनुमोदित पाठ्यक्रमों को चलाने का अनुमोदन प्राप्त हुआ है जिसमें सार्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, एम.फिल और सायको. डी. स्तर शामिल है। वर्ष के दौरान 57 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया।

III. केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) में 4990 व्यवसायिकों और 4851 कार्मिकों को पंजीकृत किया गया और सीआरआर में संचयी कुल 31.12.2017 को 1,26,737 पहुंच गया है।

IV. 580 सतत पुनर्वास शिक्षा (सीआरई) कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई और 232 सेमिनारों/वर्कशॉप्स को सीआरई स्तर प्रदान किया गया है। इसके अलावा, दिव्यांगजन विभाग के तहत कार्य कर रहे राष्ट्रीस संस्थानों को 123 लघु अवधि वाले कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

V. नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर एमपावरमेंट ऑफ परसंस विद मल्टीपल डिस्एबलीटिज, चेन्नई, अली याबर जंग नेशलन इंस्टीच्यूट फॉर स्पीच एण्ड हियरिंग डिस्एबलीटिज, मुंबई, नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर एमपावरमेंट ऑफ परसंस विद विजुअल डिस्एबलीटिज, देहरादून और नेशनल इस्टीच्यूट फॉर लोकोमोटर डिस्एबलीटिज, कोलकाता जैसे संस्थानों ने डिपार्टमेंट ऑफ एमपावरमेंट ऑफ परसंस विद डिस्एबलिटिज, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय के तहत अकादमिक सत्र 2017–18 के लिए पुनर्वास में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीईआर) ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। 9739 अभ्यर्थियों की एक सूची जो कि सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स के लिए प्राप्त हुई है को पंजीकरण संख्या जारी करने के लिए संबंधित नेशनल इंस्टीच्यूट में परिषद के द्वारा भेज दी गई है।

VI. केन्द्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदनशीलता के लिए केन्द्रीय सेक्टर प्लान योजना।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने दिनांक 29.12.2014 के पत्र संख्या 16–07/2013/डीडी–III के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन अपनीयोजनगत स्कीम नामतः ''केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदनशीलता'' के कार्यान्वयन हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद को नोडल एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशाला के माध्यम से विकलांगता संबंधी मामलों पर केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा अन्या सेवा प्रदाताओं को नियमित आधार पर कर्मचारियों एवं सहकर्मियों में जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में कार्यस्थल पर एक समवेशी वातावरण बनाने हेतु प्रशिक्षित करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है।

इस वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित करने के लिए परिषद

द्वारा हिंदी भाषा में ई–प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में 6 दिसम्बर 2017 को डीईपीडब्ल्यूडी की 5वीं निधि मंजूरी प्राधिकाण (एफएसए) की बैठक आयोजित की गई थी। वह आरपीडी अधिनियम 2016 के अनुसार अपनी अवधि, प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में चल रही योजना की समीक्षा करना चाहती है, जिसके लिए परिषद द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

परिषद ने अपनी प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए चल रही योजना का प्रभावी आकलन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

VII. दूरस्थ शिक्षा केन्द्रः विशेष शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए परिषद द्वारा वर्ष 2001 में दूरस्थ शिक्षा सैल स्थापित किया गया था। प्रथम समझौता ज्ञापन आरसीआई एवं मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (एमपीबीओयू), भोपाल के बीच हस्ताक्षर किया गया था। जिससे कि दूरस्थ पद्धति के माध्यम से बीएड–एसईडीई पाठयक्रम संचालित किए जा सकें और आज दूरस्थ पद्धति के माध्यम से पाठयक्रम कराने हेतु निम्नलिखित 12 विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं।

vkjlhvkbl d lg;kx e eDr ,o njLFk f'k{kk i.kkyh d ek/;e l dUnh;@jkT;@jkT; eDr@jkT; futh fo'ofo|ky;k }kjk iLrkfor dk;de				
d- l-	fo'ofo|ky;	dk;de	fodykxrk fo'k"kKrk	Hkk"kk
1.	मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राजा भोज मार्ग, कोलार रोड, भोपाल	बी.एड. स्पे. एजु. – ओडीएल एफसीएसईडीई	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	हिन्दी एवं अंग्रेजी
2.	उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, शांतिपुरम आवास योजना (सेक्टर–एफ) फुफामऊ, इलाहाबाद	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर	हिन्दी
3.	नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, कोलकाता	बी.एड. स्पे. एजु.– ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	बंगाली एवं अंग्रेजी
4.	डा. बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद	बी.एड. स्पे. एजु.– ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	गुजराती
5.	पूर्वोत्तर पर्वतीय यूनिवर्सिटी शिलांग	बी.एड. स्पे. एजु– ओडीएल एफसीएसईडीई	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	अंग्रेजी
6.	तमिलनाडू ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	तमिल एवं अंग्रेजी
7.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर	तेलगू एवं अंग्रेजी
8.	यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर	मराठी एवं अंग्रेजी

vkj lhvkbl d lg;kx e eDr ,o njLFk f'k{kk i.kkyh d ek/;e l dUnh;@jkT;@jkT; eDr@jkT; fuh fo'ofo|ky;k }kjk iLrkfor dk;dze				
d- l-	fo'ofo|ky;	dk;dze	fodyxrk fo'k"kKrk	Hkk"kk
9	वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	हिन्दी एवं अंग्रेजी
10	उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी (नैनीताल)	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	हिन्दी एवं अंग्रेजी
11	डॉ. शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, लखनऊ	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, वीआईए एमआर, एलडी	हिन्दी एवं अंग्रेजी
12	अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, जिला नमोसाई	बी.एड. स्पे. एजु..–ओडीएल	एमआर	अंग्रेजी
13	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, त्रिपुरा	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, VI	अंग्रेजी
14	कृष्णाकांत हांडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी	बी.एड. स्पे. एजु.–ओडीएल	एचआई, VI, एमआर	अंग्रेजी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर पर्वतीय यूनिवर्सिटी शिलांग के साथ समझौता ज्ञापन को विस्तारित किया गया है और सदस्य सचिव, आरसीआई द्वारा राज्य निजी विश्वविद्यालयों आईसीएफएआई, त्रिपुरा और अरूणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज के साथ 27 मार्च 2017 को डॉ. कमलेश कुमार पाण्डेय, अध्यक्ष, आरसीआई और सीसीपीडी की उपस्थिति में एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आरसीआई के अधिकारियों के साथ सभी तीन विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी भी समारोह के दौरान उपस्थित थे।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, परिषद ने बी.एड. की शुरूआत करने के लिए असम में कृष्णकांत हांडिक राज्य ओपन विश्वविद्यालय के साथ 19 मई 2017 को असम राज्य में बी.एड. स्पे. एजुकेशन, ओडीएल पाठ्यक्रम की शुरूआत के लिएसमझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- leko'kh f'k{kk e mUur lkfVfQdV dkl ¼dkl fMl,fcfyVh½ ij iLrkoksa dh fLFkfr

  पाठ्यक्रम की मंजूरी के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कोर कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई और निर्णय लिया गया कि पहले बैच के लिए 15 जून 2017 तक प्राप्त किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। तदनुसार, जांच समिति का गठन किया गया था और 43 प्रस्ताओं (संस्थान) को अनुमोदन जारी किया गया। 15 जून 1917 के बाद प्राप्त आवेदनों के बारे में, 15 नवंबर 2017 तक प्राप्त प्रस्तावों पर वियार करने और जांच के बाद पात्र संस्थानों को अनुमोदन जारी करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 34 संस्थानों पर विचार किया गया और दूसरे बैच को स्वीकृत किया गया।

- o"kZ d nkjku vk;kftr eDr fo’fo|ky;ksa dh cBdsa %

  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक और आरसीआई, नई दिल्ली की शीर्ष सलाहकार

समिति की बैठक क्रमशः मुम्बई और नासिक में 12 जनवरी, 2017 और 30 अक्तूबर, 2017 को हुई थी। तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई और आरसीआई, नई दिल्ली की शीर्ष सलाहकार समिति की बैठक 17 जनवरी, 2017 को चेन्नई में आयोजित की गई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय अहमदाबाद, की शीर्ष सलाहकार समिति की बैठक 22 और 23 मई, 2017 को अहमदाबाद में हुई थी।

,llh] ,lVh vkSj iwoksZRrj dss fy, fo'ks"k ?kVd ;kstuk %&

वर्ष के दौरान, परिषद ने एससी, एसटी और पूर्वोत्तर के लिए विशेष घटक योजना के अधीन निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की है :–

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकलांगता पुनर्वास और विशेष शिक्षा में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता योजना।
2. आरसीआई अनुमोदित संगठनों में पूर्वोत्तर के तहत विशेष घटक योजना के कार्यान्वयन की योजना।
3. पूर्वोत्तर उप घटक योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास पेशेवरों की क्षमता निर्माण पर संगोष्ठी आयोजित करने की योजना।
4. आरसीआई अनुमोदित संस्थानों में नामांकित अनुसूचित जाति (एससी)और अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित छात्रों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) जैसे ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति के कार्यान्वयन की योजना।
5. संस्थानों / छात्रों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वित्तीय सहायता निधि की उपलब्धता के आधार पर मार्च, 2018 के अंत तक जारी कर दी जाएगी
6. क्षेत्रीय समन्वय समितियां

30 नवंबर 2015 को आयोजित अपनी 38वीं बैठक में जनरल परिषद, आरसीआई ने मौजूदा 7 क्षेत्रीय समन्वय समितियों (जेडसीसी) सहित 14 राज्य खंडों को खोलने के लिए परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। तदनुसार, मौजूदा 7 जेडसीसी से 14 जेडसीसी के विस्तार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रशासनिक अनुमोदन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को भेजा गया था। डीईपीडब्ल्यूडी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, पूरे देश को कवर करने हेतु, 14 जेडसीसी के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू कर की गई है, जैसा नीचे दिया गया है:

d-l-	{ks=	Hkkxksfyd doj t
1.	पूर्वोत्तर–।	असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम
2.	पूर्वोत्तर–।।	अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम
3.	पूर्वी–।	पश्चिम बंगाल, ओडिशा
4.	पूर्वी–।।	बिहार, झारखंड
5.	मध्य –।	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
6.	मध्य –।।	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
7.	उत्तरी–।	चंडीगढ़, पजाब

d-l-	{k=	Hkkxkfyd dojt
8.	उत्तरी–।।	हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर
9.	उत्तरी–।।।	हरियाणा, दिल्ली
10.	पश्चिमी–।	गुजरात, राजस्थान, दमन और दीव
11.	पश्चिमी–।।	महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली
12.	दक्षिणि–।	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
13.	दक्षिणि–।।	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप
14	दक्षिणि–।।।	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- jtr t;arh LFkkiuk fnol lekjkg%

  परिषद ने 20 सितम्बर 2017 को रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस शुभ अवसर पर माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुख्य अतिथि थे।

माननीय डॉ. थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को आरसीइआई, नई दिल्ली पर भारतीय पुनर्वास परिषद की रजत जयंती समारोह के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए। डा0 कमलेश कुमार पाण्डेय, सीसीपीडी एवं अध्यक्ष, आरसीआई और श्री एस. के. श्रीवास्तव, सदस्य सचिव, आरसीआई भी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं।

7 अध्याय — विभाग की विभिन्न स्कीमें

7-1 flgkoykdu

विभाग दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडीएस) के सशक्तीकरण और पुनर्वास के लिए विभिन्न स्कीमें संचालित कर रहा है। स्कीम के उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बढ़ाने तथा साथ ही उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में समर्थ बनाने के लिए भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास को प्रोत्साहन देना तथा विकास करना है। दिव्यांगजनों के पुनर्वास की प्रमुख स्कीमें हैं :

1. दिव्यांगजनों को साधनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता की स्कीम (एडीआईपी)
2. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन की स्कीम (एसआईपीडीए)
3. दीनदयाल विकलांगता पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस)

7-2 dsnh; {ks= dh Ldhesa

7-2-1 lk/kuks@midj.kksa dh [kjhn@fQfVax gsrq fnO;kaxtuksa dks lgk;rk ¼,fMi½

स्कीम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (राष्ट्रीय संस्थाओं/संयुक्त क्षेत्रीय केंद्रों/भारत के कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एएलआईएमसीओ)/राज्य विकलांग विकास निगम/अन्य स्थानीय निकाय/एनजीओ) को सहायतानुदान प्रदान करना है ताकि दिव्यांगजनों की अक्षमताओं के प्रभाव को घटाने तथा उसी वक्त उनकी आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने के माध्यम से उनकी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक साधनों तथा उपकरणों की प्राप्ति में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करने की स्थिति में हो सके। दिव्यांगजनों को उनके स्वतंत्र कार्य करने में सुधार करने और अक्षमता को रोकने तथा माध्यमिक अक्षमता होने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें सहायक उपकरण दिए जाते हैं। स्कीम के अंतर्गत दिए गए साधन तथा उपकरण का विधिवत प्रमाणन होना चाहिए। स्कीम में जब कभी आवश्यक हो, सहायक उपकरण देने से पूर्व सही शल्य चिकित्साओं के आयोजन की भी परिकल्पना की गई है।

ykHk dh fy, ik= 0;fDr

- 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- सभी स्रोतों से मासिक आय 100 प्रतिशत रियायत के लिए 15000 रू0 प्रतिमाह और 50 प्रतिशत रियायत के लिए 15001 से 20000 रू0 प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए।?
- नए सहायक उपकरण केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 03 वर्ष के बाद उपलब्ध कराई जाएगी।
- तथापि, 12 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए आपूर्ति 01 वर्ष बाद की जा सकती है।
- अनाथालयों एवं हाफ–वे होमस में रहने वाले लाभार्थियों के आय प्रमाणपत्र जिला क्लैक्टर या संबंधित संगठन के मुखिया के प्रमाणन पर स्वीकार किए जा सकते हैं।

lgk;d ;=@midj.k dh vf/kdre ykxr lhek

- सहायक यंत्र एवं उपकरण 10000 रू0 से अधिक की लागत के नहीं होने चाहिए।
- दिव्यांग छात्र के मामले में, नवी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी के लिए सीमा 12000 रू0 है।
- बहु निशक्ता के मामले में, एक से अधिक सहायक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने के मामले में सीमा व्यक्तिगत मद पर अलग से लागू होगी।
- आय सीमा के अधीन, स्कीम के तहत सहायता के लिए पात्र, 20,000 रू0 से ऊपर महंगी लागत वाली मदें, विभाग द्वारा अलग से सूचीबद्ध की जाएंगी। भारत सरकार लागत का 50 प्रतिशत वहन करेगी और शेष राशि पर या तो राज्य सरकार द्वारा या एनजीओ या अन्य किसी अन्य एजेंसी या लाभार्थी द्वारा, मामला दर मामला आधार पर, मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ योगदान दिया जाएगा।

  स्कीम के तहत, जिलावार दिव्यांगता कैंप आयोजित किए जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से, कैंप आयोजित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रस्ताव की सिफारिश करते समय, यह भी अपेक्षा की जाती है कि बिना पहुँच किए जाने योग्य एवं बिना सेवित क्षेत्रों की कवरेज पर केन्द्रित करें।

  वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन 150.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 142.56 करोड़ रुपए का व्यय दिनांक 31.12.2017 तक स्कीम के अंतर्गत किया गया है। एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत निधि निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई है :

¼d½ ,fMi& ,l,l, f'kfoj vk;kftr djus gsrq

सहायक साधन तथा उपकरण 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सर्वशिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों को वितरित किए गए। मंत्रालय के साथ करार के अनुसार, एएलआईएमसीओ, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा व्यय की 40 प्रतिशत राशि तथा एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के माध्यम से व्यय की 60 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) स्कीम हेतु एडीआईपी – एसएसए प्रबंधन की तर्ज पर लागत शेयरिंग आधार पर 9–12 कक्षाओं (14–18 आयु वर्ग) में अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियों को साधन और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने संबंधी मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

स्कीम के तहत, विगत 03 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान सम्पूर्ण देश में प्राथमिक स्कूलों में एडिप–सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत 3771 कैंपों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले 2.76 लाख दिव्यांग बच्चों (डीसीडब्ल्यूडीएसएम) बच्चों को लगभग 118.83 करोड़ रू0 की लागत के सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए गए।

¼[k½ f'kfoj fØ;kdykiksa gsrq

उभरती आवश्यकताओं के अनुसार समय–समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं।

¼x½ eq[;ky; fØ;kdykiksa gsrq

(i) राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/एएलआईएमसीओ संस्थान अथवा उनके संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों में प्रस्ताव देने वाले पात्र लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए एडीआईपी अनुदान देता है।

(ii) कुछ प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों के केंद्र/उप–केंद्र हैं जो दिव्यांगजनों के ओपीडी क्रियाकलाप निष्पादित करते हैं तथा सही शल्य चिकित्सा संबंधी आप्रेशन करते हैं। बहुत से दिव्यांगजन सहायता साधनों तथा उपकरणों के लिए अपने केंद्रों/उपकेंद्रों में जाते हैं। अतः, एडीआईपी अनुदान उनके संबंधित मुख्यालय क्रियाकलापों के लिए जारी किए जाते हैं।

(iii) एडिप स्कीम के तहत, विगत 03 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान लगभग 9.35 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुँचाते हुए 6073 कैंपों के माध्यम से 541.40 करोड़ रू0 की अनुदान सहायता निर्मुक्त एवं प्रयुक्त की गई ।

एडिप स्कीम के तहत, विगत 03 वर्षो और चालु वर्ष के दौरान लगभग 3.01 लाख दिव्यांग लाभार्थियों को लाभ पहुँचाते हुए लगभग 237.67 करोड़ रू0 की लागत के सहायक यंत्र एवं सहायक उपकरणों के वितरण हेतु 27 राज्यों को कवर करते हुए 275 मेगा कैंप/विशेष कैंप आयोजित किए गए।

वर्ष 2017–18 (दिनांक 31.12.2017 तक) के दौरान विभिन्न कार्यकलापों हेतु निधि की निर्मुक्ति और विवरण नीचे दिया गया है :–

,fMi Ldhe ds rgr 2017&18 ds nkSjku dk;kZUo;u ,tsfUl;ksa@jk"Vªh; laLFkkuksa@,fyEdks dks fuf/k;ksa dh fueqZfDr n'kkZrs gq, fooj.k ¼31-12-2017 rd½			
Ø-la-	,tsalh dk izdkj	,tsfl;ksa dh la[;k	fueqZDr jkf'k ¼:0 yk[k esa½
1	एनजीओ/आईआरसीएस/ डीडीआरसी	-	-
2	राज्य सरकार के निगम	-	-
3	राष्ट्रीय संस्थान/समेकित क्षेत्रीय केन्द्र	5	2205.00
4	एलिमको	1	12051.00
	dqy	**6**	**14256.00**

Ldhe d vrxr 31-12-2017 dh fLFkfr d vuqlkj foxr rhu foÙkh; o"kk rFkk orZeku o"kZ dh foÙkh; rFkk okLrfod miyfC/k;k fuEukuqlkj g %

o"kZ	c-v- vkcVu djkM e	l-v- vkcVu djkM e	fueqDr jkf'k jkf'k djkM e	ykHkkfFk;k dh l[;k
2014-15	110.00	110.00	101.28	265,602
2015-16	125.50	151.40	151.16	245,584
2016-17	130.00	170.00	170.00	290,295
2017-18 (31.12.2017 तक)	150.00	-	142.56	134,102

स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 14 वीं वित्त आयोग की अवधी के दौरान स्कीम को जारी रखने के लिए स्कीम का मूल्यांकन और अनुमोदन किया है। विगत 02 वर्षो और चालू वर्ष के दौरान आयोजित किए गए राज्यवार कैंपों की संख्या, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त निधियां और कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या अनुबंध–4 पर है। वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान एडिप स्कीम के अंतर्गत कैंप/मुख्यालय गतिविधियों के लिए गैर–सरकारी संगठनों/डीडीआरसी/आईआरसीएस/डीआरसी/राज्य निगमों को जारी अनुदान सहायता के एजेंसिवार ब्यौरें अनुबंध–5 पर है। वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) के दौरान एनआई/एलिमको/सीआरसी को जारी अनुदान सहायता अनुबंध–6 पर हैं।

- ekuhVfjax r=

स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है :

1. विभाग की विकलांगता संबंधित स्कीमों (विशेषकर एडीआईपी, डीडीआरएस तथा डीडीआरसी) के कार्यान्वयन की निगरानी के उद्देश्य से विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में निगरानी समिति का गठन।
2. दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग में अधिकारियों को तथा मंत्रालय की विकलांगता संबंधी स्कीमों के अंतर्गत गारंटी संगठनों को निरीक्षण, प्रबोधन तथा मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का आवंटन।
3. एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत, किसी विशेष कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति पर संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसाओं पर अनुदान जारी किया जाता है। अनुशंसाकर्ता प्राधिकरण संगठन को पिछले अनुदान से सहायताप्राप्त लाभार्थियों की 10 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत की जांच/प्रतिदर्श जांच भी आयोजित करता है।
4. संगठन को उन्हें पिछले अनुदान (नों) के संबंध में लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजना भी अपेक्षित है।
5. 01.04.2014 से संशोधित एडिप स्कीम के तहत, कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को एक व्यवसायिक कायम रखनी चाहिए और प्राप्त, प्रयुक्त अनुदानों के और फोटो एवं राशन कार्ड संख्या/वोटर आईडी संख्या/आधार संख्या, जो भी मामला हो, के साथ–साथ लाभार्थियों की सूची के ब्यौरें अपलोड किए जाएं।

6. ई–अनुदान पोर्टल एजीओ के प्रस्ताव को ऑनलाइन प्रस्तुत और प्रक्रियाबद्ध करना।

7. नीति आयोग पोर्टल पर एजीओ का आवश्यक पंजीकरण करना।

8. जागरूकता पैदा करना, आकलन और फोलाअप कैंप के लिए प्रशासनिक/ओवरहेड खर्चो के अनुदान सह सहायता के 5 प्रतिशत का प्रयोग कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां करेंगी। मैगा कैंपों के लिए जहां पर लाभार्थियों की संख्या 1000 या इससे अधिक है और इन कैंपो में केबिनेट/राज्य मंत्रियों (एसजे एवं ई)/मुख्य मंत्रियों द्वारा शिरकत की जाती है, 5 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय इस स्कीम के तहत उपलब्ध होगा।

एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत, विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए समकालीन साधन तथा सहायक उपकरणों की अक्षमतावार सूची अधिसूचित की है, जो इस प्रकार है :–

¼i½ nf"V ckf/kr

(क) सहायक डिवाइसें जैसे कि स्मार्ट केन, ब्रेल घड़ी, क्वाडर्ज ब्रेल घड़ी (महिला एवं पुरुष) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्क्रीन–पठन साफ्टवेयर सहित स्मार्ट फोन, स्मार्ट फोन अथवा टेबलेट के लिए पाकेट साइज एक्सट्रनल की–बोर्ड, माउस–कम–वीडियों मेगनिफायर, हैंड हैल्ड इलैक्ट्रानिक वीडियों मैगनिफायर, व्यक्तिगत डिवाइसों के टेबलेट, डेजी ंप्लेयर (आधुनिक मॉडल), रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्पले, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर, स्क्रीन मैगनीफिकेशन सॉफ्टवेयर सहित स्क्रीन रिडिंग सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप, क्यूबेरीथम, रेडियों. सीडी प्लेयर, टाकिंग ग्लूकोमीटर, टाकिंग ब्लड–प्रैशर मॉनीटर, आडियों लैबलर (17)

(ख) (i) कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल छात्रों के लिए किटें, जिसमें सम्मिलित मुख्य मदें जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट दो सटाइलस सहित, पैकिंग बाक्स सहित अर्थमैटिक टाइप (250 ग्राम), वाले टेलर फ्रेम, ड्राइंग बोर्ड 20 शीटों सहित, पजल्स (इन्कलूसिव डिजाइन), प्रमुख स्मारकों की टेक्साइल ड्राइंग बुक, लम्बे पेड़ों के आकार, घरों, पुलों, डेम आदि के प्रकार, डिस्क सहित एक एडेपटिड बोर्ड गेम, क्यूबेरीथम, टाकिंग कलाई घड़ी एवं किट बैग सहायक डिवाइसों के लिए विशेष रुप से डिजाइन किए स्कूल बैग (12)

(ii) कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल छात्रों के लिए किटें, जिसमें सम्मिलित मुख्य मदें जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट, अलजेबरा प्रकारों सहित बडे टेलर फ्रेम, (250ग्राम) पैकिंग बाक्स सहित, 20 रेजिंग शीटों सहित टेक्टाइल ज्योमैटरी किट, 20 रेजिंग शीटों सहित ड्राइंग बोर्ड, टेक्सटाइल ड्रॉथ बोर्ड (इन्क्लूसिव डिजाइन), टेक्टाइल शतरंज बोर्ड (इन्क्लूसिव डिजाइन), एक सुगम्य बोर्ड गेम, विज्ञान शिक्षा के लिए टेक्टाइल डायग्राम सेट, ऑडियों लेबलर (इन्क्लूसिव डिजाइन) रुपया चेकर एवं वालेट सहित सिग्नेचर गाइड, ब्रेल कलाई घड़ी, सफेद फोल्डिंग केन, परिमापन किट (इंच टेप, नीडल थ्रेडर, छोटा ब्रेल स्केल, लिक्विड इंडिकेटर, परिमापन कप), टाकिंग टेबल घडी, पैकिंग बॉक्स (16)

(iii) कक्षा 9 से 10 तक के स्कूली छात्रों के लिए किटों में मुख्य मदें, जैसे इंटरलाइन ब्रेल स्लेट दो स्टाइलस सहित, छोटी सफेद फोल्डिंग केन (पांच फोल्ड पैकिंग सहित), टाकिंग कैलकुलेटर, टेबलेट कम्प्यूटर, रुपया चेकर वालेट सहित, पैकिंग बॉक्स (6)

(iv) कक्षा 11 से 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए किटों में मुख्य मदें जैसे स्मार्ट केन एंड डेजी प्लेयर जिसमें दृष्टिहीन के लिए एक स्पीकर तथा कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए किटें जिसमें कम दृष्टि छात्रों के लिए

माउस कम वीडियों मैगनीफायर एवं आवश्कतानुसार आधरित आप्टीकल और पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित किए अनुसार नॉन ऑप्टीकल डिवाइसें (3)

(v) कॉलेज छात्रों के लिए किटें, जिसमें दृष्टिहीन छात्रों के लिए स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर वाला स्मार्टफोन एवं स्माटफोन अथवा टेबलेट के लिए पॉकेट साइज का ब्लूटूथ की–बोर्ड, तथा कम दृष्टि छात्रों के लिए स्मार्टफोन मेगनिफायर ऐप सहित तथा आवश्कता पर आधारित आप्टीकल एवं जैसा भी पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए अनुसार नॉन आप्टीकल डिवाइसें (3)

(vi) प्रौढ व्यक्तियों के लिए एडीएल किटें जैसे सिग्नेचर गाइड के साथ रुपए चैकर प्लास्टिक तथा रुपए चैकर फ्लैक्सिबल विद वॉलेट, स्मार्ट केन, टाकिंग बांडी थर्मामीटर, टाकिंग कलाई घडी, लिक्विड लेवल इंडीकेटर, पिल डिसपेंसर, टाकिंग टेबल क्लाक जिसमें चार अलार्म एवं स्टाफ वाच हो, ओडियों लेबलर, टाकिंग कैलकुलैटर, परिमापन किट एवं पैकिंग बॉक्स (10)

(vii) सामान्य निम्न दृष्टि डिवाइसों की सूची जैस टेलीस्कोपिक ग्लास, ऑप्टीकल मैगनिफायर, माउस कम वीडियों मैगनिफायर, 5 इंच तक के हस्त सम्भलाई इलैक्ट्रोनिक विडियों मेगनिफायर, कम दृष्टि वालों के लिए मैगानिफायर एप वाले स्मार्टफोन (5)

(viii) हाई–एंड डिवाइसें जैसे ब्रेलर (अपर प्राइमेरी एवं उससे ऊपर के लिए), लेपटॉप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एवं भारतीय भाषा और भारतीय अग्रेजी टीटीएस सहित, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिसप्ले (40 सैल अथवा अधिक) ब्रेल इंपुट की सहित, डेजी प्लेयर एडवांस मॉडल, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर (दृष्टिहीन) स्क्रीन मैगानिफिकेशन साफ्टवेयर (निम्नदृष्टि) (6)

(ix) अन्य सामान्य डिवाइसें जैसे ब्रेलर (अपर प्राइमरी एवं उससे ऊपर के लिए),लेपटॉप स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एवं भारतीय भाषा और भारतीय अग्रेजी टीटीएस सहित, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिसप्ले (40 सैल अथवा अधिक) ब्रेल इंपुट की सहित, डेजी प्लेयर एडवांस मॉडल, स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर (दृष्टिहीन) स्क्रीन मैगानिफिकेशन साफ्टवेयर (निम्नदृष्टि) (6)

कुल :–84

(ii) d"B iHkkfor%

एडीएल किट जिसमें यूनिवर्सल कफ, नेल कटिग डिवाइस, साबुन होल्डर, बटन हुक, जीपर पुल, राइटिंग एड अथवा अडेपटिड पेन पोजिशनिंग स्पिलिंट के साथ, रबड़ के दस्ताने, इन्सुलेटिड कैंची, इन्सुलेटिड टम्बलर अथवा अडेप्टिड ग्लास होल्डर, बाइडर ब्लिम प्लेट, लॉग हैडेलंड लीवर टेप, सैल फोन शामिल हैं। (12)

व्यक्तिगत डिवाइसें (आवश्कता के अनुसार विकल्प है) जैसे अडेप्टिड स्पून, बिल्ड अप स्पून, एन्जलड स्पून, ग्रिप ऐड, लैटेक्स प्रोसथिसिस, गटर स्पलिन्ट, एक्सटेंशन आउटरिगर–छोटा, विस्तारित आउटरिगर–लम्बा, अगूंठा स्पाइका, वोलर/डोरसल कांक–अप, फिंगर लूपस, नुक्कल बेन्डर, एमसीपी ब्लॉक ओपोनेन्स स्ट्रेप, यूजर फ्रेंडली स्पून, बिल्ड–अप स्क्रू ड्राइवर, फुट डाप स्ट्रेप, फारमिंग ग्लवस, पेडिड सेंड डिगर, एंटी कला पोजिशनिंग डिवाइस/नुक्कल बेडंर स्पलिन्ट, फिक्सड एनकल ब्रास, पेटलर टेंडन वियरिंग ब्रास (आधुनिक), पैटलर टेंडन बियरिंग ब्रास (मोल्डिड), फुट आर्थोसिस मोल्डिड इन्सोल, अस्थायी घुटने की नीचे की प्रोसथिसिस, स्थायी घुटने के नीचे की प्रोसथिसिस, पैटलर टेंडन बियरिंग ओर्थोसिस, फुट ड्राप स्प्रिंग, पैटलर टेंडन बियरिंग ओर्थोसिस वेरियेन्ट, मोल्डिड सैन्डल, एमसीआर सैन्डल, कस्टम मेड साइनस प्रोसथिसिस, एनकल फुट आर्थोसिस (एएफओ)/फिक्सड एनकल

ब्रेस (एफएबी), एकोमोडेटिव फुट ओर्थोसिस(34)

कुलः 46

¼iii½ ckf)d ,oa fodkl kRed fn0;kxrk

आयु–वर्ग 0–3 वर्षों के लिए किट (अरली इन्टरवेंशन ग्रुप) जिसमें रैटल 3 प्रकार के, टीथर, एडीएल किटें (4 प्रकार की), पाल्म ग्रिप (चार प्रकार की), संवेदी फुटस्टैप, क्रिब खिलौने, पैरामिड रिंगस, लकडी के ब्लॉक, (6), संवेदी मेट, स्टीमुलेटिड खिलौने (3) अन्य सुरक्षित खिलौने (3) संगीतमय पुस्तक, किट बैग आदि शामिल हैं(13)

आयु वर्ग 0–3 वर्ष के लिए बहु निःशक्तता के लिए टीएलएम किट जैसे रीसोनेंस बोर्ड, बाटर प्ले सेट, भिन्न टेक्सचर दस्तानें एवं मौजे, प्रि–ब्रेल पुस्तक(आकार) विजुअल/आडिटेरी/ओलफैक्टरी स्टीमुलेशन किट, प्रि–केन आदि, (6)

आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के (प्राइमरी पूर्व समूह) के लिए किट जैसे नम्बर पिक्चर ट्रे, बिल्डिंग ब्लाकस, फाइन मोटर स्किल नेट, पेग बोर्ड, गुडिया (महिला एवं पुरुष), रेजू शेप ट्रे, पजल्स काउन्ट एवं मैच, संवेदी पुस्तकें, शब्द क्यूब, फेस पजलस, किट बैग आदि (12)

आयु वर्ग 7 से 11 वर्ष के (प्राइमरी समूह) के किट, जिसमें पिक्चर पजल, पिक्चर एवं शब्द कार्ड, असेम्बलिंग किट, नम्बर कार्डस, पाउण्ड खिलौने, जिगसा पजल्स, टेलिंग टाइम किट, काउण्ट एवं मैच, एलाफाबेट वार्म, बीडस, फंक्शनल लिटरेसी फिलप चार्ट, किट बैग आदि शामिल हों(12)

12–15 और 16–18 वर्ष के आयु समूह के लिए किट (माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक) जिसमें लकड़ी ब्लॉक के अक्षर युक्त, सुई काम किट अक्षर–लकड़ी क्यूब्स शब्द, फिटिंग और संयोजन किट, संख्यात्मक टायलें, माप सेट, समान्य भारत (चित्र कार्ड, शब्द कार्ड और जय हिन्द खेल, मोबाइल फोन, संख्यात्मक क्यूब्स, गुणात्मक टेकटाइल बार्ड, किट बेग आदि शामिल हैं) 12

बहु–दिव्यांगों हेतु टीएलएम किट(आयु समूह 3–6 वर्ष के लिए) जिसमें संकेत भाषा अध्यापक सेट, प्रि–ब्रेल किताब या टाइपो स्कोप पढ़ाई और लिखित डिवाइस, उभरी हुई तस्वीर पुस्तक, मूर्त चिन्ह और केलेन्डर प्रणाली तथा ट्रेम्पोलाइन शामिल हैं (4)

बहु–दिव्यांगों हेतु टीएलएम किट(आयु समूह 6–10 वर्ष और अधिक के लिए) जिसमें संकेत भाषा अध्यापक सेट प्रि–ब्रेल बुक या टाइपो स्कोप पढ़ना और लिखित उपकरण, उभरी हुई तस्वीर पुस्तक, मूर्त चिन्ह और केलेन्डर प्रणाली तथा ट्रेम्पोलाइन एवं एंड्रोइड टेबलेट इत्यादि शामिल हैं (5)।

एलिम्को मोडल संवेदी किट : बहु संवेदी समावेशी शिक्षा विकास (एमएसआईइडी) किट जिसमें आँख, हाथ समनवय लूप/अनंत लूप युक्त, आरंभिक प्रयास मालिश गेंद लकड़ी, जेतून मालिश गेंद, निचोड़ना, हवा तकिया, मेअुयल उपयोग और किट बेग शामिल हैं (8)

कुलः–72

¼iv½ Jo.k ckf/kr

(क) सहायक डिवाइसें जैसे शरीर स्तर श्रवण सहायक यंत्र, एनालॉग/गैर–कार्यक्रम योग्य–(कान के पीछे (बीटीई), कान में (आईटीई), कनल में (आईटीसी), कनल में पूरी तरह से (सीआइसी); डिज़टल/कार्यक्रम योग्य– (कान के पीछे (बीटीई), कान में (आईटीई), कनल में (आईटीसी), कनल में पूरी तरह से (सीआइसी); निजी एफएम श्रवण यंत्र ब्लूटूथ नेकलूप श्रवण यंत्र, कंपन एलार्म, बच्चे के रोने के कंपन वायरलेस उपकरण, दरवाज़े घण्टी संकेत,

आग धुआ एलार्म, दूरभाष संकेत, प्रवर्धित दूरभाष, दूरभाष प्रवर्धी, श्रवण इंडक्सन लूप, अवरक्त प्रणाली, हड्डी कंपन श्रवण यंत्र, शेक्षिक किट भाषा (शब्दावली) किताब, युक्त, अभिव्यक्ति ड्रिल किताब, कहानी की किताब, अन्य साम्रगी (परिवार हस्त कठपुतलियां 5 पहेली, मोंटेसरी उपकरण/खिलौना, आकृति सॉर्टर घड़ी, शोर निर्माताओं का एक सेट, ब्लॉक सॉर्टर बक्से, क्रिया कार्डो के सेट, 5 मुलायम खिलौने (32)

¼[k½ dkdfy;j bi;kV : प्रति यूनिट 6.00 लाख रू की अधिकतम सीमा के साथ दृष्टि बाधिता वाले 500 बच्चों के लिए कोकलियर इंपलांट का प्रावधान है। इसकी परिणति 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए जीवन भर राहत प्रदान करने में होगी।

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुम्बई मामले में सहायता उपलब्ध कराने के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारत संस्करण और अपनी वेबसाइट www.adipcochlearimplant.in में विज्ञापनों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों को एवाईजेएनआईएसएचडी, मुम्बई को वेबसाइट पर विज्ञापन/ब्यौरे के आधार पर आवेदन करना पड़ता है। कोकलियर इंपलांट भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर और नामांकित अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए अनुसार खरीदा जाएगा। सर्जरी अभिज्ञात सरकारी/राज्य सरकार अनुमोदित अस्पतालों में कराई जाएगी। कोकलियर इंपलांट सर्जरी कराने के लिए, मंत्रालय में 172 अस्पतालों (दोनों सरकारी एवं निजी) को अनुमोदित किया है। 31.12.2017 कि स्थिति अनुसार, देश में 1011 (एडिप स्कीम के तहत 829 और सीएसआर के तहत 182) कोकलियर इंपलांट सर्जरियां सफलता पूर्वक पूरी की गई है।

कुलः—32

¼v½ vfLFk ckf/kr %

¼d½ fupyk fljk ikLFkfl l %& ¼17½

(i)	ट्रांस—टाइबैल प्रॉस्थेसिस (घुटने के नीचे)	:— 7 प्रकार
(ii)	घुटने प्रॉस्थेसिस के माध्यम से (टीके)	:— 2 प्रकार
(iii)	ट्रांस—फेमोरल (घुटने के ऊपर) प्रॉस्थेसिस	:— 6 प्रकार
(iv)	हिप विच्छेद प्रॉस्थेसिस	:— 1 प्रकार
(v)	स्यामे प्रॉस्थेसिस	:— 1 प्रकार

¼[k½ Åijh fljk ikLFkfl l %& ¼9½

प्रत्येक सिलिकॉन अंगूली प्रॉस्थेसिस

प्रत्येक सिलिकॉन अंगूठा प्रॉस्थेसिस

प्रत्येक सिलिकॉन आंशिक हाथ प्रॉस्थेसिस

ट्रांस रेडियल या कोहनी से नीचे/कलाई विच्छेद निष्क्रिय प्रॉस्थेसिस

शरीर शक्ति प्रॉस्थेसिस (ट्रांस रेडियल या कोहनी से नीचे/कलाई विच्छेद) इसके घटक ट्रांस रेडियल किट और सॉकेट शामिल है

ट्रांस हुमेरियल या कोहनी के ऊपर/कोहनी विच्छेद निष्क्रिय प्रॉस्थेसिस

शरीर शक्ति प्रॉस्थेसिस (ट्रांस हुमेरियल या कोहनी के ऊपर/कोहनी विच्छेद)

कंधा विच्छेद निष्क्रिय प्रॉस्थेसिस

कंधा विच्छेद शरीर शक्ति प्रॉस्थेसिस

¼x½ ÅPp bM Åijh fljk ikLFkfll %& ¼2½

बाह्य शक्ति कोहनी के नीचे या ट्रांस रेडियल/कलाई विच्छेद प्रॉस्थेसिस

बाह्य शक्ति ट्रांस हुमेरियल/कोहनी विच्छेद प्रॉस्थेसिस

¼?k½ uhpyk fljk vkFkkfll %& ¼2½

घूमकर चाल ओर्थोसिस

बंद लोडर घुटने ओर्थोसिस (इकाई मूल्य)

¼3½ bLikbuy vkFkkfll %& ¼1½

(i) हेलो ब्रास

¼p½ xfr'khy ;= %& ¼3½

मोटर युक्त व्हील चेयर

(i) ठोडी और सिर के नियंत्रण की चार पहियों वाली व्हील चेयर

(ii) जॉय सटिक चार पहियों वाली व्हील चेयर

(iii) मोटर युक्त व्हील चेयर (हेंडल द्वारा चालित)

कुल : 34

कुल योग : 268

fVIi.kh %

(i) वित्तीय सहायता की सीमा प्रत्येक विकलांगता के लिए 10,000 रू तक और दिव्यांग छात्रों के लिए 20000 रू की लागत की डिवाइस के संबंध में 12,000 रू तक सीमित होगी। 20000 रू0 की लागत से ऊपर की सभी महंगी मदों के लिए सरकार इन मदों की लागत का 50 प्रतिशत वहन करेंगी और शेष या तो राज्य सरकार या गैर सरकारी संगठन या किसी अन्य एजैन्सी या इस योजना के अन्तर्गत बजट के 20 प्रतिशत तक सीमित मामला दर मामला आधार पर मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के अधीन संबंधित लाभार्थी द्वारा योगदान किया जाएगा।

(ii) जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में प्रावधान किया गया है कि दिव्यांगता की संख्या को 7 से बढ़ा कर 21 कर दिया गया है। विभाग ने सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की सूची बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

- ,fMi Ldhe d vrxr ekVj;Dr frifg;k rFkk ifg;knkj dlh dk forj.k

  गंभीर रूप से अक्षम तथा लोकोमोटर अक्षमताओं जैसे कि क्वाड्रिपलेजिक (एससीआई), मांसपेशीय विकृति, आघात, प्रमास्तिष्कीय पक्षाघात, अर्धांगता और अन्य प्रकार की इसी तरह की स्थितियों जिनमें तीन/चार अंग अथवा शरीर का आधा भाग गंभीर रूप से विकृत हो, के लिए मोटरयुक्त तिपहिया तथा पहियादार कुर्सियों के लिए रियायत 25,000 रुपए है। यह रियायत 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 10 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराई जाती है।

  गंभीर रूप से दिव्यांगजन जो मानसिक रूप से अक्षम हैं, वे मोटरयुक्त तिपहिया व पहियादार कुर्सी के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें इससे गंभीर दुर्घटनाओं/शारीरिक हानि की जोखिम होती है।

विभाग और एलिम्को द्वारा राजकोट में 2 गिनीजबुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड किया गया था :–

माननीय प्रधान मंत्री 29 जून, 2017 को राजकोट, गुजरात में आयोजित किए गए मेगा कैंप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए।

दिनांक 29.06.2017 को राजकोट, गुजरात में आयोजित किए गए सबसे बड़े सामाजिक अधिकारिता दिवस 17589 दिव्यांग लाभार्थियों को 11.19 करोड़ रू. के सहायक उपकरण वितरित किए गए। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई।

(i) हमारे राष्ट्रीयगान को गाते समय 1445 बधिर व्यक्तियों द्वारा संकेतात्मक भाषा द्वारा अब तक की गई सबसे अधिक सहभागिता। पहले 978 बधिर व्यक्तियों द्वारा इस तरह के रिकार्ड को ताइवान (चीन) में प्राप्त किया गया था।

(ii) एक दिन में 781 मोबिलिटि कमी से ग्रस्त व्यक्तियों को ऑर्थोसेस (कैलीपर्स) में द्वितीय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया।

7-2-2 fu%'kDr tu vf/kdkj vf/kfu;e] 1995 d s dk;kZUo;u grq Ldhe dk dk;kZUo;u ¼fliMk½

स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई हैः

(i) दिव्यांगजनों को इन स्थानों पर सुगम्य माहोल उपलब्ध करवाने के लिए जिसमें विद्यालयों, महा विद्यालयों, आकादमिक और प्रशिक्षण संस्थानों, कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों, मनोरंजन संबंधी क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पताल आदि शामिल है। ऐसी कार्यकलापों जिनके लिए सहायतानुदान बाधा मुक्त अभिगम के संबंध में उपलब्ध कराया जाता है, व्यापक है, जिनमें रैम्पस, रेल, लिफ्टें, व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए टॉयलेट प्रयोग करने में आसानी, ब्रेल चिन्ह, दृश्य संबंधी चिन्ह, टेकटाईल प्लोरिंग, कर्बकटस और स्लोक्स जिन्हें रास्तो में बनाया जाना चाहिए जिससे व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए आसानी रहे, जेबरा क्रोसिंग की सतह पर दृष्टि बाधित अथव कम दृष्टि वाले लोगों के लिए स्पर्शीय पथ दृष्टि बाधित अथव कम दृष्टि वाले लोगों के लिए रेलवे प्लेटफार्म किनारों पर स्पर्शीय पथ, और दिव्यांगता के लिए उपयुक्त चिन्हों को तैयार करना।

(ii) भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (एआर एवं पीजी विभाग) द्वारा जारी भारतीय सरकार के वेबसाइटें, जो उनकी वेबसाइट "http://darpg.nic.in" पर उपलब्ध हैं हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य तथा जिला स्तरों पर पीडब्ल्युडी, सुलभ सरकारी वैबसाइटें बनाना।

(iii) दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम पेश करना।

iv) एक अच्छे माहोल की सुगम्यता के लिए परिवहन व्यवस्था और सूचना और संचार इको–सिस्टम तक पहुंच बढ़ाना। विभाग ने सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान) की अवधारणा की है, जिससे विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त करने और स्वतंत्र रूप से रहने और जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सकता है। एक समावेशी समाज इस अभियान में पहुंच–योग्यता ऑडिट का संचालन शामिल होगा और सार्वजनिक स्थानों पर आधारभूत परिवेश, परिवहन, पर्यावरण–व्यवस्था और आईसीटी ईको–सिस्टम में पूरी तरह से पहुंच के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण होगा।

v) समेकित पुनर्वास केंद्रों (सीआरसी)/क्षेत्रीय केंद्रों/आउटरीच केंद्रों और जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्रों (डीडीआरसी) को सहायता प्रदान करने के लिए और जब भी आवश्यक हो, नए सीआरसी और डीडीआरसी को स्थापित करने के लिए।

vi) दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के कैंपों को आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना। दिव्यांगजनों की पहचान और सर्वेक्षण/सार्वभौमिक आईडी।

vii) विभिन्न हितधारकों और अन्य सूचना शिक्षा संचार के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम तैयार करना। जागरूकता जनरेशन और प्रचार योजना का कार्यान्वयन।

viii) विकलांगता संबंधी मुद्दों, परामर्श और सहायता सेवाओं को प्रदान करने के बारे में जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संसाधन केंद्र स्थापित/समर्थन करना।

ix) पुस्तकालयों, भौतिक और डिजिटल दोनों और अन्य ज्ञान केंद्रों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए।

x) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। 'दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान' का कार्यान्वयन।

xi) सरकारी मैडिकल कॉलेजों वाले जिला मुख्यालयों/अन्य स्थानों में शीघ्र निदान और हस्तक्षेप केन्द्र स्थापित करना जिसका उद्देश्य दृष्टि बाधित, शारीरिक दिव्यांग, श्रवण बाधित, मानसिक दिव्यांग शिशुओं और युवा बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

xii) दिव्यांगजनों हेतु राज्य आयुक्तों के कार्यालयों को अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को अनुदान ।

xiii) दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों के निमाणार्थ जहां उपयुक्त सरकारों/ स्थानीय प्राधिकरणों के पास स्वयं की भूमि है।

xiv) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेल आयोजनों को सहायता प्रदान करना।

xv) दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने के लिए साइट विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सहायता।

xvi) केंद्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सेवा प्रशिक्षण और उन्हें जागरूक करने के लिए।

xvii) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन। गअपपप) अधि ानियम में विनिर्दिष्ट किसी भी अन्य गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता जिसके लिए वित्तीय सहायता विभाग की मौजूदा मेस के द्वारा प्रदान/शामिल नहीं की गई है।

सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम के लिए योजना के ट्रस्ट से सुगम्य भारत अभियान 03.12.2015 को शुरू किया गया।

वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्राक्कलन 207.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से दिनांक 05.01.2018 तक इस स्कीम के तहत 207.00 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वर्ष 2017–18 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान सहायता के ब्यौरें अनुलग्नक–7 पर दिए गए है। वर्ष 2017–18 के दौरान सिपडा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी अनुदान सहायता अनुलग्नक–8, 8क, 8ख, 8ग, 8घ और 8ङ पर दी गई है।

4. पिछले दो वर्षो और चालू वित्त वर्ष के दौरान बजट आवंटन और व्यय

रू. करोड़ में

Ø- l-	o"k	chb vkoVu	Tkkjh dh xb jkf'k
1.	2015-16	135.00	69.42
2.	2016-17	193.00	186.83

7-2-3 nhun;ky fodykx iuokl Ldhe ¼MhMhvkj,l½

विभाग की दीनदयाल विकलांग पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) एक केंद्रीय स्कीम सेक्टर स्कीम है जिसमें दिव्यांगजनों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने की परियोजना शामिल है। स्कीम व्यक्तियों को सशक्तिकरण के लिए परियोजनाएं प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सहायता के जरिए गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन देकर और माहौल का सृजन करके निःशक्तजन अधिनियम (पीडब्ल्यूडी), 1995 के कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में परिचालित की गई।

MhMhvkj,l fn'kkfun'k

वर्ष 2009 में संशोधित लागत मानकों के साथ दिनांक 1.4.2003 से लागू डीडीआरएस दिशानिर्देशों में स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त क्षेत्र सेवाओं सहित, 18 मॉडल परियोजनाएं हैं जिन्हें सहायतानुदान के माध्यम से सहायता दी जा सकती है। इन सेवाओं में शामिल हैं :

1. स्कूल–पूर्व तथा प्रारंभिक इंटरवेंशन हेतु कार्यक्रम
2. विशेष शिक्षा
3. व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट

4. सामुदायिक आधारित पुनर्वास
5. जनशक्ति विकास
6. मानसिक रूग्णता वाले व्यक्तियों का मनो–सामाजिक पुनर्वास तथा
7. कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्तियों का पुनर्वास आदि।

इस स्कीम के अंतर्गत सहायता–प्राप्त विभिन्न 18 प्रकार की मॉडल परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. स्कूल–पूर्व और प्रारंभिक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण हेतु परियोजना
2. विशेष स्कूल
3. प्रमस्तिष्क घात बच्चों हेतु परियोजना
4. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
5. आश्रय कार्यशालाएं
6. कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्तियों के पुनर्वास की परियोजना
7. उपचारित तथा नियंत्रित मानसिक रोगी के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास हेतु हॉफ वे होम
8. सर्वेक्षण, पहचान, जागरूकता तथा संचेतना से संबंधित परियोजना
9. गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम/गृह प्रबंधित कार्यक्रम
10. समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना
11. निम्न दृष्टि केंद्रों की परियोजना
12. मानव संसाधन विकास की परियोजनाएं
13. संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/ग्रामीण शिविर
14. दिव्यांगों के लिए पर्यावरण अनुकूल तथा पारिस्थितिकी उन्नयक परियोजनाएं
15. कम्प्यूटर हेतु अनुदान
16. भवन का निर्माण
17. कानूनी परामर्श, कानूनी सहायता और विश्लेषण तथा मौजूदा कानूनों के मूल्यांकन सहित कानूनी साक्षरता हेतु परियोजना
18. जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र।

स्कीम के लागत मानक तथा दिशानिर्देश सरकार द्वारा संशोधित किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2009 से लागू हैं। संशोधन में मानदेय, आवर्ती मदों और व्यय की अनावर्ती मदों के संशोधित लागत मानक शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न मॉडल परियोजनाओं में जनशक्ति श्रेणियों की बुद्धिसंगत व्याख्या और विलयन किया गया है। मौलिक स्कीम

80 श्रेणियों के विरूद्ध, संशोधित सूची में 56 जनशक्ति श्रेणियां शामिल हैं। कम्प्यूटर अनुप्रयोगों और प्रोग्रामिंग, वैब डिजाइनिंग, इंटरनेट प्रबंधन, मोबाइल मरम्मत आदि जैसे नए कौशल के लिए उभरती मांगों को समझते हुए वीटीसी में प्रस्तुत किए जा सकने वाले कुल 14 नए ट्रेडों को इसमें शामिल किया जा सकता है। विभाग द्वारा स्थापित जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र भी इस स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित हैं, बाद में जिन्हें पांच वर्ष की अवधि के लिए (जम्मू एवं कश्मीर अथवा पूर्वोत्तर में स्थापित केंद्रों हेतु) तथा बाकी देश में तीन वर्षों हेतु चलाया गया। इसके उपरांत, ये केंद्र आगे सतत रूप से जारी रखने तथा रखरखाव हेतु जिले के प्रख्यात गैर–सरकारी संगठन को सौंप दिए गए हैं।

डीडीआरएस स्कीम के अंतर्गत 2014–15 से 2017–18 तक वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(i) foÙkh;

रू. करोड़ में

o"k	c tV vuqeku	0;;
2014-15	90.00	50.08
2015-16	60.00	50.19
2016-17	45.00	45.00
2017-18	60.00	37.87 (1.12.2017 rd)

(ii) okLrfod

o"k	ykHkkfFkZ;ksa dh l[;k ¼yk[k e½		ifr'kr miyfC/k
	y{;	miyfC/k	
2014-15	40000	36159	90.39
2015-16	38000	35461	93.31
2016-17	38000	32298	84399
2017-18	40000	24598	61.49 (31.12.2017 rd)

वर्ष 2016–17 के दौरान डीडीआरएस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की सूची अनुलग्नक–9 पर दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2017–18 में डीडीआरएस के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों और संगठनों को जारी की गई अनुदान सह सहायता के राज्य–वार विवरण का लेखा–जोखा अनुलग्नक–10 पर दिया गया है। वर्ष 2017–18 के दौरान गैर–सरकारी संगठनों को जारी सहायतानुदान का राज्यवार ब्योरा का सार अनुलग्नक–11पर दिया गया है।

स्कीम को संशोधित किया गया है। संशोधित स्कीम को 1.04.2018 से प्रभावी होगी।

7-3- vU; dnh; {k=h; Ldhe

7-3-1 fn0;kx tuk d fy, jk"Vh; Qykf'ki

Ldhe d mÌ'; rFkk lf{kIr fooj.k%

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय में एम.फिल तथा पीएच.डी जैसी डिग्रियों से संबंधित उच्च शिक्षा के अनुवर्तन हेतु अक्षम छात्रों के अवसरों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति की स्कीम चलाई गई थी।

1. स्कीम के अंतर्गत दिव्यांग छात्रों को प्रति वर्ष 200 शिक्षावृत्तियां (जूनियर रिसर्च फेलोज, जेआरएफ) दी जाती हैं। दिव्यांग छात्रों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, किसी वर्ष के दौरान प्राप्त न की गई शिक्षावृत्तियों की संख्या अगले शैक्षिणिक सत्र में अग्रेषित की जाएंगी।

2. यदि, उपलब्ध पुरस्कारों की संख्या अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक हो, यूजीसी उनकी स्नातकोत्तर परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता पर आधारित अभ्यर्थियों का चयन करता है।

Qykf'ki dh izek=k %

1. जेआरएफ और एसआरएफ की फैलोशिप की दरें यूजीसी फैलोशिप के समकक्ष होंगी। इस समय ये दरें निम्नानुसार है :

Qykf'ki	l'kkf/kr nj ¼izfr ekg½
प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान – कनिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप	रू. 25,000/-
शेष हुए तीन वर्षों के दौरान – वरिष्ठ अनुसंधान फैलोशिप	रू. 28,000/-

(ii) मकान किराया भत्ता (एचआर) यूजीसी पैटर्न पर होगा तथा उन छात्रों को देय होगा जिन्हें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा ऑफर किए गए होस्टल आवास से इन्कार किया जाता है, तो छात्र को एचआरए का अपना दावा छोड़ना होगा। चिकित्सा सुविधाएं, प्रसूति अवकाश सहित अवकाश सुविधाओं जैसी अन्य सुविधाएं उनकी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के मामले में यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार शासित की जाएंगी।

Qykf'ki dh ik=rk

1. किसी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था में एम.फिल/पीएचडी डिग्री में प्रवेश प्राप्त कोई अक्षम छात्र।

2. दो वर्ष उपरांत, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अनुसंधान कार्य की प्रगति संतोषजनक पाई जाती है, तो उसके/उसकी कार्यकाल को सीनियर रिसर्च फैलोशिप (एसआरएफ) के रूप में आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्य समिति द्वारा अनुसंधान कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। जेआरएफ और एसआरएफ के पुरस्कार की कुल अवधि पांच वर्ष की अवधि से अधिक होगी।

vof/k

ikB;Øe dk uke	vf/kdre vof/k	tsvkj,Q vkj ,lvkj,Q dh vuqes;rk	
		tsvkj,Q	,lvkj,Q
एम.फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पीएच.डी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एम फिल. पीएचडी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

ykHkkfFk;ksa dh la[;k rFkk vc rd tkjh jkf'k %

o"kZ	ykHkkfFk;ksa dh la[;k	tkjh jkf'k ¼djksM+ #i,½	vH;qfDr
2012-13	176	Nil	आगामी वर्ष में जारी राशि
2013-14	178	0.86	वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 दोनों वर्षों के अभ्यर्थी हेतु
2014-15	300	13.24	विगत वर्षों तथा 2014–15 के लाभार्थियों हेतु
2015-16	200	19.97	विगत वर्षों तथा 2014–15 के लाभार्थियों हेतु
2016-17	200	11.72	विगत वर्षों तथा 2015–16 के लाभार्थियों हेतु
2017-18 (31 दिसम्बर 2017 तक)	-	20.75	विगत वर्षों तथा 2016–17 के लाभार्थियों हेतु
dqy	1054	66.54	

7-3-2 fn0;kax Nk=ksa ds fy, fiz&eSfVªd vkSj iksLV&eSfVªd Nk=ofÙk;ka

Ldhe ds mÌs’; rFkk lfa{kIr fooj.k%

- स्कीम का उद्देश्य प्रि–मैट्रिक स्तर (कक्षा 9 तथा 10) तथा पोस्ट–मैट्रिक स्तर (कक्षा 11, 12 तथा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तर तक) में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता देना है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा में दो स्कीमें चलाई गई हैं।
- वित्तीय सहायता में छात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान, एस्कोर्ट/रीडर भत्ता आदि शामिल हैं।
- प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियां प्रि–मैट्रिक स्तर के लिए 46,000 तथा पोस्ट–मैट्रिक स्तर हेतु 16,650 हैं।
- इन दो छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुशंसा के उपरांत मेरिट के आधार पर किया जाता है।

- ये स्कीमें वर्ष 2015–16 से इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित एक वैब पोर्टल राष्ट्रीय ई–छात्रवृत्ति पोर्टल'' (www.scholarship.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जा रही हैं।

Nk=ofÙk;k dk eY; &

1- fi&efV'd Nk=ofÙk%

प्रि–मैट्रिक छात्रवृत्ति को मूल्य में पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) छात्रवृत्ति तथा अन्य अनुदान;

(ii) भत्ते, और

(i) छात्रवृत्ति और अनुदान की दरें:

en%	fnol Ldkyj	Nk=kokl
शैक्षणिक वर्ष में 10 माह हेतु देय छात्रवृत्ति (प्रतिमाह रुपए में) की दर	350	600
पुस्तक तथा तदर्थ अनुदान (वार्षिक रुपए में)	1000	1,000

(ii) भत्ते:

HkÙk		jkf'k ¼#i, e½
a)	अंधता छात्रों हेतु मासिक रीडर भत्ते मासिक परिवहन भत्ता, यदि ऐसे छात्र होस्टल जो शैक्षणिक संस्था के परिसर के भीतर हेतु, में नहीं रहते हैं	160
b)	गंभीर रूप से दिव्यांग (अर्थात 80 प्रतिशत अथवा उच्च दिव्यांगता वाले) दिवस स्कालर/ अत्यधिक अल्प दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए मासिक एस्कोर्ट भत्ता	160
c)	शैक्षणिक संस्था के होस्टल में रहने वाले गंभीर रूप से अस्थि विकृत दिव्यांग छात्र जिसे सहायक की जरूरत है, को सहायता देने के इच्छुक होस्टल के किसी कर्मचारी को अनुमेय मासिक सहायक भत्ता	160
d)	मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता के छात्रों को मासिक कोचिंग भत्ता	240

2 ikLV&efV'd Nk=ofÙk%

पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के मूल्य में पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) रखरखाव व भत्ता

(ii) पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए दिव्यांग छात्रों हेतु अतिरिक्त भत्ता, तथा

(iii) अनिवार्य गैर–प्रत्यर्पणीय फीस की प्रतिपूर्ति (1.50 लाख रू. तक),

(iv) सभी छात्रों को पुस्तक भत्तो के लिए प्रतिवर्ष 1,500/– रू.

ब्यौरा निम्नानुसार है :

1- j[kj[kko HkÙkk

leg	j[kj[kko HkÙkk dh nj ¼ifrekg #i, eas½	
	gkLVy	fnol Ldkyj
leg I किसी क्षेत्र में यूसीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त पीजी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम। चिकित्सा (एलोपैथिक, चिकित्सा की भारतीय और अन्य मान्यता प्राप्त प्रणालियां), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन प्रौद्योगिकी, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग	1200	550
leg II फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडकिल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/मेजबान प्रबंधन, आंतरिक सास–सज्जा, पोषण एवं आहार विज्ञान, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जिसके लिए प्रवेश अर्हता कम से कम वरिष्ठ माध्यमिक (10+2)है जैसे क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम	820	530
leg III स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम समूह I तथा II अर्थात बीए/बीएससी/बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते	700	500
leg IV समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा ग) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम दोनों, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि हैं।	450	400

2- Nk=ksa dh fnO;kaxrk ij fuHkZj djrs gq, vfrfjDr HkÙks

इसके अलावा, यह स्कीम अध्ययन भ्रमण प्रभार, पुस्तक भत्ता, पुस्तक बैंक, टंकण और मुद्रण प्रभार, रीडर भत्ता, एस्कोर्ट भत्ता, कोचिंग भत्ता और विशेष भत्ता आदि।

(iii) vfuok;Z xSj&iR;kiZ.kh; Qhl dh izfriwfrZ

स्कॉलरों को प्रवेश/पंजीकरण ट्यूशन, खेलों, यूनियन, पुस्तकालय, मैगनीज, चिकित्सा परीक्षा देय होगी तथा ऐसी अन्य फीस स्कालर द्वारा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड को प्रतिवर्ष अधिकतम 1.50 लाख रू. की सीमा

तक अनिवार्य रूप से देय होगी। तथापि, कॉशन मनी, सुरक्षा जमाराशि जैसी प्रत्यार्पणीय जमाराशि को बाहर रखा जाएगा।

dSls vkosnu djsa%

वर्ष 2015–16 से आगे के लिए : स्कीम इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकीय विभाग द्वारा विकसित राष्ट्रीय ई–स्कालरशिप पोर्टल (www.scholarships.gov.in) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। अभ्यर्थी उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

vkosnu vkSj p;u dh izfØ;k

क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्कीम के विवरण की घोषणा करेगा तथा प्रमुख समाचार पत्रों तथा वैबसाइटों और अन्य मीडिया आउटफिट में विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रयोजनार्थ विकसित ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम www.scholarships.gov.in राष्ट्रीय ई–स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवदेन मांगे जाएंगे।

ख) आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना चाहिए।

ग) स्कूल/संस्थान जिसमें वह (पुरुष)/वह (स्त्री) अध्ययनरत है, आयु, जन्म–तिथि, पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम की मान्यता, प्राप्त फीस आदि जैसे आवेदन में विहित तथ्यों के आवश्यक सत्यापन करने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा/दिव्यांगता कल्याण विभाग के पोर्टल के माध्यम से आवेदन अग्रेषित करेगा। राज्य शिक्षा/दिव्यांगता कल्याण विभाग संबंधित स्कूल/संस्थान की पहचान सहित आवश्यक समझदारी जांच का कार्यान्वयन करेगा तथा डीईपीडब्ल्यूडी को अपनी सिफारिश के साथ आवेदन भेजेगा।

घ) अन्य बातों के साथ–साथ उस विशेष राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए राज्य सरकार की अनुशंसाओं के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। किसी राज्य को उपलब्ध स्लाटों की संख्या भारत की कुल पीडब्ल्यूडी आबादी की तुलना में उस राज्य की पीडब्ल्यूडी आबादी के प्रतिशत के आधार पर निर्णीत है।

ड.) यदि कोई अभ्यर्थी एक राज्य का स्थाई निवासी है परंतु अन्य राज्य में अध्ययन कर रहा है, उसके आवेदन पर उसके गृह राज्य के स्लाट के अंतर्गत विचार किया जाएगा तथा उसके आवेदन पर जिस राज्य का वह स्थायी निवासी है उस राज्य की शिक्षा विभाग की अनुंशसा आवश्यक है।

च) चयन का मेरिट मापदंड : निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

1. स्कीमें यथा प्रदत्त पात्रता स्थितियों को पूरा करना
2. राज्य शिक्षा विभाग की संस्तुति
3. राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या
4. अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के संबंध में अभ्यर्थी की मेरिट

5. अंको की प्रतिशता के मामले में, दिव्यांगता प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात उच्च प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि यहां तक भी समान है तो आयु पर विचार किया जाएगा अर्थात वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।

7-3-3 fn0;kx Nk=k d: fy, mPp f'k{kk Nk=ofÙk

mÌ'; o doj:t

- स्कीम का उद्देश्य अक्षम छात्रों को पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा मान्यता देना है।
- किसी क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के स्तर पर अध्ययन करने की स्कीम दिव्यांग छात्रों को कवर करेंगी।
- स्कीम, श्रेष्ठ संस्था के रूप में, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 240 संस्थानों में प्रचालित की जाएगी।

1- ik=rk dh 'krs

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता रखने वाला दिव्यांगजन हो तथा किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो।

(ग) संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के स्तर पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु किन्हीं अधिसूचित संस्थाओं में चयन किया गया हो और प्रवेश पाया हो। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति किसी भी स्ट्रीम में डिस्टेंस लर्निंग/ अंशकालिक/साप्ताहिक पाठ्यक्रमों को करने हेतु अनुमेय नहीं होगी।

(घ) अभ्यर्थी भारत सरकार की किसी स्कीम के अंतर्गत कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(ड.) माता–पिता/अभिभावकों की आय–सीमा : अभ्यर्थी के सभी स्रोतों तथा/अथवा उसके माता–पिता/अभिभावकों की कुल आय प्रतिवर्ष 6,00,000 से अधिक न हो (ऐसे भत्ते जिसे आयकर के प्रयोजनार्थ कुल आय के भाग के रूप में नहीं समझा जाता है, को छोड़कर)। नवीनतम कर–मूल्य निर्धारण तथा नियोक्ता से नवीनतम मासिक वेतन पर्ची की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किए जाने की अपेक्षा है।

(च) किसी परिवार में दो बच्चे – एक ही माता–पिता/अभिभावक में दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे तथा इसके लिए अभ्यर्थी का स्व–प्रमाणन अपेक्षित होगा। बशर्ते, यदि दूसरा/तीसरा बच्चा जुड़वां हैं तो एक ही माता–पिता के दो से अधिक बच्चों को अनुमति दी जा सकती है।

(छ) एक बार पुरस्कार, पुरस्कार प्राप्तकर्ता पर दूसरी बार (अथवा उसके बाद के लिए विचार नहीं किया जा सकता) क्योंकि व्यक्ति को ''एक बार ही पुरस्कार दिया जा सकता है।

2- foÙkh; lgk;rk dh izek=k

छात्रवृत्ति में निम्नलिखित शामिल होगा :

Nk=ofÙk dk dkjd		izfr iqjLdkj izkIrdrk
क)	संस्थान को देय/भुगतान किए जाने वाले गैर–प्रत्यार्पणिय तथा ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	2.00 लाख रुपए तक – प्रतिवर्ष (वास्तविक राशि के अध्यधीन)
ख)	रखरखाव भत्ता	छात्रावास में रहने वाले को प्रतिमाह 3000/– रुपए दिवस छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिए प्रतिमाह 1500/–रुपए
ग)	विशेष भत्ता/रीडर भत्ता, मार्गरक्षी भत्ता, सहायक भत्ता आदि जैसे अक्षमता की प्रकारों से संबंधित	प्रतिमाह 2000 रुपए
घ)	पुस्तकें एवं लेखन सामग्री	प्रतिमाह 5,000/–रुपए
ड.)	कंप्यूटर उपकरण की खरीद के लिए व्ययों की प्रतिपूर्ति	पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 30,000/–रुपए
च.	चयनित अभ्यर्थी की विशेष अक्षमता से संबंधित आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सहायक भत्ता तथा सहायक उपकरणों की खरीद हेतु व्ययों की प्रतिपूर्ति	पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रति पुरस्कार प्राप्तकर्ता, 30,000/–रुपए

साधन तथा सहायक उपकरणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :–

अंधता/निम्न दृष्टि के लिए–

1. ब्रेल/ब्रेलर टाइपराइटर
2. स्क्रीन रीडिंग साफ्टवेयर वाला लेपटॉप
3. स्क्रीन आवर्धन सॉफ्टवेयर वाला लेपटॉप
4. मोबाइल फोन सुलभता वाला साफ्टवेयर
5. डेजी रिकार्डर तथा प्लेयर

श्रवण शक्ति का ह्मस के लिए–

1. बटन सैलों के प्रावधान वाले द्विकर्णी डिजिटल कार्यक्रम के श्रवण सहायक यंत्र

2. एसएमएस सिम कार्ड वाले सेलफोन

3. वाई फाई (बल्यू टूथ) सुविधा वाले लेपटॉप

3- vkonu vkj p;u dh ifØ;k

क) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्कीम के ब्योरे की घोषणा करेगा तथा प्रमुख समाचारपत्रों में तथा वेबसाइट और अन्य मीडिया आउटफिट के माध्यम से विज्ञापन जारी करके आवेदन आमंत्रित करेगा। इस प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किए जा रहे ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ई–छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन मांगे जाएंगे।

ख) आवेदकों को अपने आवेदन, आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिएं।

ग) वह संस्थान जिसमें वह (पुरुष/स्त्री) अध्ययरत हो, आयु, जन्म–तिथि दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम की मान्यता, प्राप्त फीस आदि जैसे आवेदन में विहित तथ्यों का आवश्यक सत्यापन कराने के उपरांत संबंधित राज्य सराकर के शिक्षा विभाग को पोर्टल के माध्यम से आवेदन अग्रेषित किया जाएगा। राज्य शिक्षा विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अपनी अनुशंसा से आवेदन अग्रेषित करने तथा संबंधित संस्थान की मान्यता सहित आवश्यक बुद्धिमत्तापूर्ण जांच करेगा।

घ) अन्य बातों के साथ–साथ उस विशेष राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या पर विचार करते हुए, राज्य शिक्षा विभाग की अनुशंसा के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के आधार पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल पीडब्ल्यूडी आबादी की तुलना में उस राज्य की पीडब्ल्यूडी प्रतिशतता के आधार पर किसी राज्य में उपलब्ध स्लाटों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा।

ड.) यदि कोई अभ्यर्थी एक राज्य का स्थायी निवासी है परंतु किसी अन्य राज्य में अध्ययनरत है, उसके आवेदन पर उसके गृह राज्य के स्लाट में विचार किया जाएगा तथा उसके आवेदन को राज्य के शिक्षा विभाग, जिसका वह स्थायी निवासी है, की अनुशंसा की जरूरत होगी।

च) चयन का मेरिट मापदंड : निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा :

1. स्कीम में यथा प्रदत्त पात्रता शर्तों को पूरा करना

2. राज्य शिक्षा विभाग की अनुशंसा

3. राज्य को उपलब्ध स्लाटों की संख्या

4. अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के विषय में अभ्यर्थी की मेरिट

5. अंकों का प्रतिशत बराबर–बराबर होने पर, पैतृक आय सीमा पर विचार किया जाएगा अर्थात निम्न पैतृक आय सीमा वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी

6. यदि यहां भी टाई होता है, अक्षमता के प्रतिशत पर विचार किया जाएगा अर्थात अधिक अक्षमता प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

छ) चयन समिति : यदि आवेदक अनुमेय छात्रवृत्ति की संख्या से अधिक हैं तो पात्रता पर आधारित अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव के अनुमोदन से एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

4- d l ; vkonu dj%

इलैक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किए गए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल ;ऐबीवसंतीपचेण्हवअण पदद्ध के माध्यम से योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभ्यर्थी उपर्युक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

7-3-4 fn0;kx Nk=k d fy, jk"Vh; lemnikjh; Nk=ofÙk

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति की स्कीम मास्टर डिग्री तथा पीएचडी स्तर पर विदेश में अध्ययन कर रहे दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्रत्येक वर्ष बीस (20) छात्रवृत्तियां दी जानी होती हैं जिनमें से छह महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। छात्रवृत्ति की राशि में रखरखाव भत्ता, आकस्मिकता भत्ता, ट्यूशन फीस और हवाई यात्रा आदि की लागत शामिल है। पैतृक आय सीमा प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए है।

उक्त के अलावा, प्रतिवर्ष दो दिव्यांग छात्रों को ''पैसेज अनुदान'' का प्रावधान है। केवल वे दिव्यांग छात्र जिन्होंने किसी विदेशी सरकार/संगठन से स्नातकोत्तर अध्ययन, विदेश में अनुसंधान अथवा प्रशिक्षण (संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, कांफ्रेंस में भाग लेने को छोड़कर) मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त की हैं अथवा अन्य किसी स्कीम, जिसमें पैसेज की लागत नहीं दी गई हो, पात्र होंगे। पैसेज अनुदान में एयर इंडिया के माध्यम से इकॉनामी क्लास में गृह नगर से विदेशी संस्थान तक आने–जाने का किराया शामिल है।

U;ure vgrk %

पीएचडी के लिए : प्रासंगिक मास्टर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। मास्टर डिग्री के लिए : प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड।

आयु : स्कीम के विज्ञापन के माह के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

आय सीमा : प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपए

परिवार में अधिकतम दो बच्चे : एक ही माता–पिता/संरक्षकों के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे पात्र नहीं होंगे।

foÙkh; lgk;rk dh ieek=k%

	HkÙk dh idkj	jkf'k
1.	वार्षिकी रखरखाव भत्ता	यू.के. हेतु – जीबीपी 9,900/–
		अन्य देशों हेतु – 15,400/– अमरीकी डालर
2.	वार्षिक आकस्मिक भत्ता	यू.के. हेतु – जीबीपी 1,100/–
		अन्य देशों हेतु – 1,500/– अमरीकी डालर
3.	प्रासंगिक यात्रा भत्ता	अन्य देशों हेतु – 20/–अमरीकी डालर
4.	उपकरण भत्ता	1500/–रुपए
5.	ट्यूशन फीस, एयर पैसेज की लागत, स्थानीय यात्रा, पोल कर, वीजा फीस, चिकित्सा बीमा लाभांश	वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी

vokM dh vof/k &¼d½ ih,pMh grq & 4 o"kZ ¼[k½ ekLVj fMxzh grq & 3 o"kZ

dSls vkosnu djs%

स्कीम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। समाचार पत्रों और विभाग की वैबसाइट में विज्ञापनों का प्रकाशन करके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विभाग को प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है तथा चयन की प्रक्रिया जारी है।

7-3-5- fnO;kax Nk=ksa ds fy, fu%'kqYd dksfpax

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की योजना हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की है।

2. योजना का उद्देश्य कम से कम 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाले आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के सक्षम बनाने और सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में एक उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सक्षम हो जाने हेतु कोचिंग मुहैया कराना है।

3. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के लिए दिव्यांग छात्रों को कोचिंग प्रदान की जाएगीः–

   (i) संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित किये जाने वाली समूह 'क' और 'ख' की परीक्षायें।

   (ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली समूह 'क' और 'ख' की परीक्षायें।

(iii) इसके अंतर्गत अधिकारी स्तर पदो ंके लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाएं।

(iv) (क) इंजीनियरिंग (अर्थात आई.आई.टी.–जेईई एवं एआईईई), (ख) मेडिकल (अर्थात एआईपीएमटी), (ग) व्यावसायिक कोर्सों–जैसे प्रबंध (अर्थात कैट) और लॉ (अर्थात कलाट) और (घ) ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनका मंत्रालय द्वारा समय–समय पर निर्धारण किया जायेगा, प्रवेश हेतु प्रमुख प्रवेश परीक्षायें।

4. योजना प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। दिव्यांग छात्र, जिनकी सभी स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये अथवा इससे कम होगी, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।

5. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार योजना की नियम व शर्तो के अनुसार और संबंधित कोचिंग संस्थान के साथ किए गए समझौतें के तहत चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए गए कोचिंग के पूरे खर्च की निधियों का भुगतान किया जाएगा। कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने हेतु स्थानीय छात्रों को 2500/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार से बाहरी छात्रों को 5000/– रूपये प्रति छात्र की दर से मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। रीडर भत्ते, एस्कोर्ट भत्ते, सहायक भत्ते आदि हेतु 2000/– रूपये प्रति छात्र की दर से प्रतिमाह विशेष भत्ता प्रदान किया जायेगा।

7-3-6 fn0;kx tuk dk jkt xkj miyC/k djku gr futh lDVj fu;kDrkvk dk ikRlkgu

Ldhe d mÌ'; rFkk lkjk'k %

स्कीम का उद्देश्य निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों के रोजगार को प्रोत्साहित करना है।

स्कीम के अंतर्गत घटक :

योजना में ईपीएफ और ईएसआई को नियोक्ता के अंशदान का भुगतान सरकार द्वारा किए जाने की परिकल्पना है।

नियोक्ता को अपने दिव्यांग कर्मचारियों के ईपीएफ/ईएसआई के अंशदन को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। नियोक्ताओं को ईपीएफओ/ईएसआईसी को मात्र उनके द्वारा की गई नियुक्तियों के संबंध में सूचित करने और कर्मचारियों के अंशदान को प्रस्तुत करने की जरूरत है। ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा नियोक्ता के अंशदान को दिव्यांग कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा कर दिया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अग्रिम रूप में ईपीएफओ/ईएसआईसी को भुगतान करेगा।

योजना निजी क्षेत्र में वेतन/मजदूरी की अधिकतम सीमा को अनदेखा करते हुए नियुक्त किए गए सभी दिव्यांगजनों पर लागू है ।

ईपीएफ/ईएसआई के अंशदान पर वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा जमा कराया जा रहा उचित प्रशासनिक प्रभार (मौजूदा दर पर) डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा वहन किया जाएगा।

सरकार द्वारा ईपीएफ और ईएसआई को 10 वर्षों तक नियोक्ता के अंशदान का भुगतान किया जाना है ।

ग्रेच्युटी अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत नियोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली दिव्यांग कर्मचारियों को देय और स्वीकार्य अपेक्षित ग्रेच्युटी की एक तिहाई राशि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वहन की जाएगी।

इस संबंध में योजना में एक प्रावधान है कि यदि कोई निजी नियोक्ता पीडब्ल्यूडी को किसी विशेष शिल्प में प्रशिक्षु के रूप में रखता है और प्रशिक्षु अवधि के पूरा होने पर उन्हें नियुक्त करता है, प्रशिक्षुता अवधि के दौरान पीडब्ल्यूडी को देय वजीफा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

7-3-7 fn0;kaxtuksa esa dkS'ky izf'k{k.kkFkhZ jk"Vªh; dk;Z ;kstuk ¼,u,ih½

राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपी) की योजना केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, पीएसयू तथा निजी क्षेत्र जैसे सभी मुख्य हितधारकों को एक मंच पर लाने की है। एनएपी में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे।

1. राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय सहायता सिपडा (निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम) के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

2. एमएसडीई के सहयोग से डीईपीडब्ल्यूडी में एक परियोजना प्रबोधन इकाई गठित की गई है। डीईपीडब्ल्यूडी और एमएसडीई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों सहित सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण साझेदारों की अगुवाई में कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के नेटवर्क द्वारा व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पद्रान किया जाएगा।

4. एमएसडीई के सहयोग से पीडब्ल्यूडी के लिए एक पृथक क्षेत्र कौशल परिषद स्थापित की गई।

5. ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण कलस्टर हेतु, उनके निजी क्षेत्रीय संगठन तथा पीएसयू नक्शा तैयार करेंगे, जो उन्हें सीएसआर निधि और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा तथा नियोक्ता से जोड़ेगा।

6. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ डीईपीडब्ल्यूडी इन प्रशिक्षण प्रदाताओं की रोजगार संपर्क कराने तथा सीएसआर सहायता प्राप्त कराने हेतु उन्हें विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों तथा पीएसयू से जोड़कर मदद करेगा।

7. दिव्यांगो के कौशल विकास की योजना के तहत, वित्तीय सहायता ईटीपी (एम्पेनलड ट्रैनिंग पार्टनर्स) को प्रदान की जाती है। ईटीपी के लिए देय राशि में प्रशिक्षण लागत शामिल है जो कि व्यापार, प्रशिक्षण घंटे और प्रति घंटा की दर पर आधारित है, जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों के ईटीपी को 10 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। दिव्यांगजनों के लिए प्लेसमेंट गतिविधियों को को बढ़ावा देने के लिए 'आउटरीच गतिविधि लागत' जैसे नौकरी मेलों का आयोजन करके प्रति उम्मीदवार 5000 रू. प्रति प्रशिक्षण भागीदारों को भी प्रदान किए जाते है।

8. दिव्यांगों से कोई प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि उन्हें निम्न चीजे प्रदान की जाती है।
   - बोर्डिंग और लॉजिंग कॉस्ट (हॉस्टलर्स के मामले में)
   - वाहन लागत (गैर–हॉस्टेलर्स के मामले में)
   - निजी सहायक सहायता के लिए प्रति उम्मीदवार 5000 रू.।

9. विभाग दिव्यांगजनों के प्लेसमेंट के बाद उनका ख्याल रखता है और साथ ही उन्हें पोस्ट प्लेसमेंट सहायता के रूप में 3000 रू. प्रति माह 2 से 6 माह के लिए प्लेसमेंट की जगह के आधार पर प्रदान करता है। महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण हैं।

10. 2014–15 से 2016–17 तक 81,318 दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए 65.30 करोड़ रुपये जारी किए गए। 2017–18 के दौरान 9895 दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण के लिए 14.32 करोड़ रू. जारी किए गए। 31.01.2018 तक दिव्यांगजनों के कौशल विकास के उद्देश्य के लिए 237 प्रशिक्षण साझेदारों (25 सरकारी, 212 एनजीओ) का पैनल तैयार किया गया है।

7-3-8 tkx:drk l`tu rFkk ipkj Ldhe ¼,th ,M ih Ldhe½

जागरूकता सृजन एवं प्रचार स्कीम सितम्बर, 2014 में चलाई गई तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 से आगे के लिए प्रचालित है। इस स्कीम को बेहतर और कारगर परिणामों हेतु कार्यान्वयन के व्यापक आधार के लिए सरल बनाने तथा इसके कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, पात्रता आदि को बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में संशोधित किया गया।

स्कीम के तहत सहायता निम्न को प्रदान की जाएगी, दिव्यांगजनों के ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन, विषय वस्तु का विकास प्रकाशन और समाचार मीडिया, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना अंतर्राष्ट्रीय पहलों सहभागिता अथवा एजीओं अथवा स्वयं सहायता समूहो द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों की सहायता करना, वाणिजिक प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए स्वयं सेवा और आउटरीच कार्यक्रम, मनौरंजन एवं पर्यटन, सामुदायिक रेडियों में सहभागिता, मीडिया गतिविधियां, जॉब मेलों सहित दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास एवं रोजगार विकास हेतु जागरूकता अभियान में सहायता करना;दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं पर नियोक्ताओं में संचेतना पैदा करना; जिसमें सुगम्य भवन, सुलभ परिवहन, सुलभ वेबसाइटें शामिल हैं, का सृजन करके तथा सुगम्य लेखापरीक्षा करके सार्वभौमिक सुलभता के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायता करना; सक्षमता सेक्टर के क्षेत्र में पृथक–पृथक श्रेष्ठता को बढ़ाना; दिव्यांगजनों जिनकी कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से सहायता की जानी है, में प्रतिभा और कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए खेलकूद तथा एबीलिम्पिंग क्रियाकलाप करना है।

Ldhe d vrxr miyC/k lgk;rk

(क) अल्पावधि परियोजनाएं (एकबारगी के कार्यक्रम) अथवा परियोजनाएं 6 माह की अवधि से ज्यादा के नहीं होने चाहिएं); वितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा :

75 प्रतिशत – अनुमोदन, स्वीकृति पर, आवश्यक बांड आदि के निष्पादन पर

25 प्रतिशत – मदवार व्यय के साथ लेखा की लेखापरीक्षा विवरण, प्रथम किस्त के लिए अंतिम रिपोर्ट और यूसी की प्राप्ति पर

(ख) दीर्घावधि परियोजनाएं (6 माह तथा और अधिक अवधि की परियोजनाएं); अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड के कार्यकाल आदि भेजने पर

40 प्रतिशत – अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति तथा बैंक गारंटी/बांड के कार्यकरण आदि ले जाने पर

40 प्रतिशत – प्रगति समीक्षा, प्रथम किस्त के यूसी की प्राप्ति के बाद

20 प्रतिशत – अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए यूसी; तथा मदवार व्यय के साथ लेखा के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर

जब स्कीम के अंतर्गत एक क्रियाकलाप केंद्र/राज्य सरकार के तहत सीधे ही संस्थाओं द्वारा शुरू किया जाता है, निधि वास्तविक अपेक्षाओं के अनुसार संस्वीकृत तथा जारी की जाएगी।

vuqnku@foÙkh; lgk;rk ds fy, ik= laxBu

1. स्व–सहायता समूह
2. एडवोकेसी तथा सेल्फ – एडवोकेसी संगठन
3. समाज के रवैये में परिवर्तन लाने तथा उसके संघटन हेतु कार्यरत माता–पिता एवं समुदाय
4. मनोवैज्ञानिक तथा भावानात्मक सहायता सेवा
5. समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन
6. पीडब्ल्यूडी की व्यथा निपटान तथा समाज से अलग–अलग रहने का उन्मूलन करके, सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहित अक्षमता सेक्टर के क्षेत्र में कार्यरत संगठन
7. विभागों, विश्वाविद्यालयों, संस्थाओं, कॉलेजों आदि सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में संगठन।

ik=rk ekud

1. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत कोई लोक न्यास, अथवा धर्मार्थ और धर्मदा वृत्तिका अधिनियम, 1920 अथवा कंपनी अधिनियम आदि के धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत कोई निगम अथवा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहित 4(क) के अंतर्गत संगठनों के लिए पंजीकृत संगठन के रूप में कम से कम तीन वर्ष रहा हो।
2. संगठन को गैर–लाभप्रद तथा लाभ के लिए नहीं संगठन अथवा इसमें लाभ यदि कोई हो, अथवा धर्मार्थ को बढ़ावा देने में अन्य आय का उपयोग करना चाहिए।
3. विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, कॉलेजों आदि अथवा कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत किसी निगम अथवा केंद्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत सहित केंद्र/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण की शर्तों से छूट प्राप्त है।
4. संबंधित राज्य सरकार से संस्तुत के किए जाने के लिए अपेक्षित एजीओ के प्रस्तावों को नीति आयोग के पोर्टल पर विशेष आईडी विवरणों के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
5. संगठन को यह प्रमाणित करना होगा कि वह पीएफएमए के अग्रिम व्यय और स्थानन्तरण (ईएटी) मोड्यूल का प्रयोग करते हुए पीएफएमएस पोर्टल पर निधियों को जारी करेगा।

7-4 ftyk fodykax iqujokZl dsUnz ¼MhMhvkjlh½

दिव्यांगजनों को जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे के क्षमता निर्माण सुविधाजनक बनाने के लिए जागरूकता सर्जन पुनर्वास और पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की आउटरीच गतिविधियों के लिए जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) शुरू किया गया था। डीडीआरसी की स्थापना की स्कीम नौंवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी और आज तक जारी है।

MhMhvkjlh dk mÌs';

डीडीआरसी के बृहत उद्देश्य निम्नानुसार है :—

- शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से दिव्यांगजनों का पता लगाना तथा सर्वेक्षण;
- दिव्यांगता के निवारण को प्रोत्साहन देने हेतु जागरूकता विकास;
- शीघ्र हस्तक्षेप; सहायक उपकरणों की जरूरत का मूल्यांकन, सहायक उपकरणों का प्रावधान/फिटमेंट, सहायक उपकरणों का फोलोअप/मरम्मत;
- थेराप्युटिक सेवाएं अर्थात फिजियोथरेपी, व्यवसाय चिकित्सा, वाक चिकित्सा आदि;
- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यूडीआईडी कार्ड, बस पास और अन्य छूट तथा सुविधाएं;
- सरकारी तथा धर्मार्थ संस्थान के माध्यम से चिकित्सीय करेक्शन हेतु रेफरेल और प्रबंधन;
- एनएचएफडीसी के राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों सहित बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से स्व—रोजगार के लिए ऋणों का प्रबंधन;
- दिव्यांगजनों, उनके माता—पिता तथा परिवार के सदस्यों को परामर्श देना;
- बाधामुक्त वातावरण का उन्नयन;
- दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार बढ़ाकर सहायक और पूरक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- अध्यापकों, समुदाय और परिवारों को अभिविन्यास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन तथा प्रारंभिक प्रेरणा हेतु दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;
- स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त व्यवसायों का पता लगाना तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की डिजाइनिंग और उन्हें उपलब्ध कराना तथा उपयुक्त जॉबस का पता लगाना ताकि उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जा सके।
- मौजूदा शैक्षणिक, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक संस्थाओं हेतु रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराना।

अब तक 263 डीडीआरसी की स्थापना की गई है (अर्थात कम से कम एक बार अनुदान सहायता दी गई) चालू वर्ष 2017—18 में उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड, चित्तौरगढ़, राजस्थान और शोलापुर, महाराष्ट्र में नई डीडीआरसी की स्थापना की वर्ष 2017—18 के दौरान (31.12.2017 तक) डीडीआरसी को जारी निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक—12 ।

डीडीआरसी स्कीम को संशोधित किया गया है और यह 1.04.2018 से प्रभावी होगी संशोधित स्कीम के तहत, डीडीआरसी केवल 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (सिपडा) के कार्यान्वयन के लिए स्कीम' के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

Ldhe dh izeq[k fo’ks"krk,¡

1. डीडीआरसी के लिए अनुदान सह सहायता केवल सिपडा योजना के तहत जारी की जाएगी और अनुदान की कोई मांग नहीं होगी।

2. आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय के लिए लागत मानदंडों को संशोधित किया गया है और इसे 01.04.2018 से लागू किया जाएगा। मानदेय और आकस्मिक खर्चों के आवर्ती अवयवों को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। उपकरणों के गैर–आवर्ती घटक को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये कर दिया गया है। हिमालयी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड), उत्तर–पूर्व राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के आसपास के जिलों के विशेष क्षेत्रों में स्थित डीडीआरसी के पेशेवरों को देश के बाकी हिस्सों के लिए निर्धारित दरों तुलना में 20 प्रतिशतः अधिक मानदंड की हकदारी मिलेगी।

MhMhvkjlh dk ykxr ekunaM dk vuqlkj izfro"kZ ¼yk[k :- esa½

fooj.k	ykxr ekunaM ¼izfro’k½	
	lkekU;	fo'ks’k {ks=
मानदेय	23.40	28.08
आक्समिक व्यय	5.25	5.25
उपकरण (केवल प्रथम वर्ष के लिए)	20.00	20.00
जीआईए केवल प्रथम वर्ष के लिए	48.65	53.33
जीआईए केवल दूसरे वर्ष के बाद से	28.65	33.33

3. कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई है। जिला प्रबंधन दल (डीएमटी) द्वारा तय किए गए डीडीआरसी या एक उपयुक्त राज्य सरकार के मौजूदा पेशेवरों में से एक को जिला अपंगता पुनर्वास अधिकारी (डीडीआरओ) के रूप में नामित किया जाएगा, जो डीडीआरसी के समन्वय प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें प्रति माह / 2000 रू.– का मानदेय दिया जाएगा।

4. राज्य सरकारों से डीडीआरसी के कारगर कार्यकरण में और अधिक सक्रिय भूमिका अदा करने की प्रत्याशा है। राज्य/जिला प्रशासन की और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार कारगर ढंग से उनको विभिन्न क्रियाकलापों को शुरू करने हेतु डीडीआरसी की अन्य जरूरतों व मानदेय की उपयुक्त रूप से पूर्ति कर सकती है।

राज्य सरकारें डीडीआरसी स्कीम के बृहत अनुबंध के भीतर धरातलीय सच्चाई पर विचार करते हुए डीडीआरसी के कारगर कार्यों हेतु आशोधन करने के लिए डीएमटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी क्षमता के तहत जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती है।

राज्य सरकारें केंद्रीय फंडों को जारी करने में कार्यविधि के क्षेत्र में कठिनाइयों से पार पाने के लिए उनके डिस्पोजल पर स्थानीय निधि में से अंतरिम अग्रिम राशि देने हेतु भी जिला कलेक्टरों को प्राधिकृत कर सकती हैं।

8 अध्याय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम(सीपीएसईज)

8-1- jk"Vªh; fodykax foÙk vkj fodkl fuxe

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 1997 में की गई थी। यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8) के अधीन एक ''लाभनिरपेक्ष'' कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार द्वारा स्वाधिकृत है तथा इसकी 400 करोड़ रूपए (चार सौ करोड़ रूपए मात्र) की अधिकृत शेयर पूंजी तथा 361.95 करोड़ रूपए की प्रदत्त पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

1- fuxe dk e[; mís'; fuEukuqlkj gS(

1. दिव्यांगजनों के लाभार्थ आर्थिक विकास गतिविधियों तथा स्व–रोजगार उद्यमों को प्रोत्साहन देना।
2. स्व–रोजगार उद्यमों के समुचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए दिव्यांगजनों के उद्यम–कौशल के उन्नयन हेतु ऋण प्रदान करना।
3. दिव्यांगजनों को व्यवसायिकध्तकनीकी शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करना ताकि वे व्यवसायिक पुनर्वास/ स्व–रोजगार हासिल कर सकें।
4. स्व–रोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता प्रदान करना।

2- dk;Zç.kkyh ,oa çfØ;k%

एनएचएफडीसी राज्य सरकार (रों) द्वारा नामित राज्य चौनल एजेन्सियों (एससीएज) और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से दिव्यांगजनों हेतु निधियों के प्रवाह हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

¼d½ ØfMV vk/kkfjr xfrfof/k;k

एनएचएफडीसी 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्राह्यापात्र भारतीय नागरिकों को आय जननकारी इकाई स्थापित करने के लिए सुविधाजनक शर्तों पर रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदता

विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है:

Øe l¡[;k	;kstuk	vf/kdre _.k ¼yk[k :i,½	ykHkkFkh }kjk n;s C;kt nj	_.k p¡dku¡ g¡r¡ vf/kdre vof/k
1	विक्रयध्व्यापार गतिविधि में छोटा व्यवसाय	5.00	5-6%	10 वर्ष
2	सेवा क्षेत्र में लघु व्यवसाय	7.50	5-7%	10 वर्ष
3	वाणिज्यिक वाहनों की खरीद	10.00	5-7%	10 वर्ष
4	विशेष श्रेणी वाणिज्यिक वाहनों की खरीद	25.00	5-8%	10 वर्ष
5	लघु औद्योगिक इकाई	25.00	5-8%	10 वर्ष
6	कृषि गतिविधियां	10.00	5-7%	10 वर्ष
7	मानसिक अवमंदता तथा ऑटिज्म पीड़ितो के लिए स्व–रोजगार	10.00	5-7%	10 वर्ष
8	दिव्यांग युवा पेशेवरों के लिए ऋण	25.00	5-8%	10 वर्ष
9	स्वयं की भूमि पर व्यवसाय परिसर विकसित करने हेतु स्कीम	3.00	5-6%	10 वर्ष
10	सहायक उपकरणां के क्रय हेतु स्कीम	5.00	5-6%	10 वर्ष
11	विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण	20.00	4% (पुरुष) 3.5%(महिला)	7 वर्ष
12	भारत में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण	10.00	4% (पुरुष) 3.5%(महिला)	7 वर्ष
13	व्यवसायिक अध्ययन के लिए ऋण	2.00	5-6%	7 वर्ष
14	मानसिक अवमंदित व्यक्तियां के लिए अभिभावक एसोसियेशन ऋण	5.00	5-6%	10 वर्ष
15	सूक्ष्म क्रेडिट स्कीम (एससीएज के माध्यम से)	10.00 / एनजीओ (रू. 0.50 लाख / लाभार्थी)	Up to 5%	3 वर्ष
16	दिव्यांग सेक्टर में उनकी क्षमता विस्तार के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओज) हेतु योजना	5.00	5-6%	5 वर्ष

दिव्यांग महिलाओं को सभी स्व–रोजगारों में ब्याज पर 1 प्रतिशत और शिक्षा ऋण स्कीम के अधीन ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

वीएच/एचएच/एमआर को सभी स्व–रोजगारों में ब्याज पर 0.5 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

[k xj ØfMV vk/kkfjr xfrfof/k;k¼

एनएचएफडीसी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिव्यांगजनों को निधियां उपलब्ध कराता है तथा उनकी रूचि की विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी करता है। ये हैं:

1. ईडीपी/कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम रू कौशल एवं उद्यमिता विकास की स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण संचालन/प्रायोजन के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

2. प्रचार एवं जागरूकता रू एनएचएफडीसी क्रियान्वन एजेन्सियों को एनएचएफडीसी स्कीमों के विज्ञापन एवं प्रचार के लिए निधियां भी उपलब्ध कराता है।

3 Nk=ofÙk ;kstuk¼

एनएचएफडीसी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की छात्रवृत्ति योजना (ट्रस्ट फंड) कार्यान्वित कर रही है।

4 çn'kZu vkj mifC/k;k¼2017&18½

i) पद्धभौतिक और वित्तीय उपब्धियां

चालू वित्त वर्ष (31.12.2017 तक), ऋण योजनाओं के तहत एनएचएफडीसी की भौतिक और वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है:

Øe l[;k	fooj.k	jkf'k ¼djksM+ :i, e½	ykHkkfFkZ;ksa dh l[;k ¼*½
i)	स्वीकृति	21.62	2097
ii)	संवितरण	21.54	2127

* विमोचित अग्रिम निधि के विरूद्ध औसत ऋण आधार पर लाभार्थियों की अनुमानित संख्या सहित 5 पहलें:

निगम ने आउटरीच का विस्तार करने के लिए हाल ही में कुछ पहल की हैं। ये निम्नानुसार हैं:

क) एनएचएफडीसी की ऋण प्रदाय नीति की प्रभावोत्पादकता एवं पहुंच बढ़ाने के लिए उदारीकरण:

(i) एससीए का प्राधिकरण के प्रतिनिधिमंडल: एससीए के प्राधिकारी ने लाभार्थियों को ऋण प्रत्येक परियोजना 5.0 लाख रू. से 10.00 लाख रू. बढाने को मंजूरी दी है। अब एससीए प्राधिकारी के प्रतिनिधिमंडल के तहत अग्रिम निधियों से 10.00 लाख रू. तक का ऋण मंजूर और जारी कर सकता है।

(ii) एनएचएफडीसी बिक्रीध्सेवा गतिविधि स्कीमों के तहत उच्च ऋण सीमा का सवर्द्धन:–

उच्च ऋण सीमा निम्नलिखित दो श्रेणियों के तहत बढाई गई है:–

		पूर्व	संशोधित
1)	बिक्री और व्यापार क्षेत्र में गतिविधि:	रुपए 3.00 लाख	रुपए 5.00 लाख
2)	सेवा क्षेत्र की गतिविधि:	रुपए 5 लाख	रुपए 7.50 लाख

(iii) सीजीटीएमएसई शर्त में शिथिलता :– अब पार्टनर बैंक स्व–रोजगार के लिए एनएचएफडीसी स्कीम के अधीन दिव्यांगजनों को 25.00 लाख रूपए तक का ऋण रियायती दर पर प्रदान कर सकते हैं भले ही ये गतिविधियां सीजीटीएमएसई के अधीन आवृत्त हैं अथवा नहीं।

(iv) प्रमस्तिष्क घात ('सेरेब्रल पाल्सी') (सीपी) शब्द के रूप में योजना में प्रर्दशित किया गया था, मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्क घात ('सेरेब्रल पाल्सी') अथवा स्वलीनता व्यक्तियों से हटा दिया गया है। प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्त व्यक्ति को अन्य श्रेणियों अर्थात अस्थि विकलांग, श्रवण शक्ति का ह्रास, दृष्टि दिव्यांग की तरह निगम की अन्य सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता करने के लिए अनुमति दी है।

(ख) गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी–सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी–एमएफआई) इत्यादि के साथ भागीदारी

एनएचएफडीसी ने एनबीएफसी–एमएफआई के व्यापक चौनल के माध्यम से दिव्यांगजनों को रियायती क्रेडिट के प्रवाह हेतु एनबीएफसी–एमएफआई के साथ गठबंधन की प्रक्रिया आरंभ की है क्योंकि वहां अंतिम छोर के वित्तपोषक हैं। इससे एनएचएफडीसी को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों तक पहुंचने में सहायता मिलेगी, और अन्य क्षेत्र जहां नियमित चौलेलाइजिंग एजेंसियां काम नहीं कर रही हो।

(ग) दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जॉब पोर्टल:–

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मार्गदर्शन में, एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जॉब पोर्टल (www.disabilityjobs.gov.in) विकसित किया है। जॉब पोर्टल सिंगल प्लेटफार्म से दिव्यांगजनों को जॉब के अवसर, स्वरोजगार ऋण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा ऋण आदि प्रदान कराता है।

घ) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ करार –

एनएचएफडीसी ने स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए एनएचएफडीसी योजनाओं के तहत दिव्यांगजनों को रियायती क्रेडिट के प्रवाह हेतु स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य बैंकों के साथ ऐसे समझौतों के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी प्रणाली:

एनएचएफडीसी के पास अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित आंतरिक तंत्र मौजूद है:

i) ऋण का उपयोग:

क्रियान्वयन एजेन्सियों को उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग निधियां जारी करने की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी राशि के उपयोग के संबंध में ब्यौरें प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ii) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन/कार्यशालाएंः

एनएचएफडीसी इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनध्कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित करता है।एनएचएफडीसी स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में ऐसे सम्मेलन/कार्यशालाओं की समीक्षा की जाती है। संबंधित राज्यों में एनएचएफडीसी स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में अवरोधों/समस्याओं पर विचार–विमर्श एवं मूल्यांकन किया जाता है। उपरोक्त विचार–विमर्श के आधार पर एनएचएफडीसी के उद्देश्यों के दायरे में नीतियों को उचित रूप से संशोधित किया जाता है।

iii) आंतरिक समीक्षा बैठकः

विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एनएचएफडीसी योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है तथा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

6 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि में से वित्त पोषित दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः–

निगम ने वर्ष 2011–12 से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए न्यास निधि में से वित्त पोषित दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

वर्ष 2011–12 से चालू वित्त वर्ष (31.12.2017 तक) के दौरान दिव्यांग छात्रों (न्यास निधि) को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों से संबंधित ब्यौरें निम्नानुसार हैंः–

Øe la[;k	'kSf{kd o"kZ	çnku dh xbZ Nk=ofÙk	Nk=ofÙk jkf'k ¼:i, esa½ ¼uohuhdj.k Nk=ofÙk lfgr½
1	2011-12	1000	5,76,49,796
2	2012-13	1000 नई (216 नवीकरण)	7,77,48,872
3	2013-14	2000 नई (293 नवीकरण)	12,80,53,600
4	2014-15	2500 नई (497 नवीकरण)	17,52,17,229
5	2015-16	2500 नई 726 नवीकरण	19,72,79,505
6	2016-17	1864 नई 1122 नवीकरण	16,40,90,436
	कुल	10864 नई और 2854 नवीकरण	80,00,39,438

7 एमओयू मूल्यांकनः– डीपीई (लोक उद्यम विभाग) द्वारा निगम के प्रर्दशनध्उपलब्धियों का वर्ष 2015–16 के विभिंन लक्ष्यों का मूल्यांकन हेतु उचित के रूप में किया गया था।

8 कौशल प्रशिक्षण केंद्रः– एनएचएफडीसी दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण पर बल दे रहा हैं। एनएचएफडीसी अपने फरीदाबाद केन्द्र के साथ–साथ अन्य सरकारीध्प्रतिष्ठित भागीदारों में दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। अन्य क्षेत्रों में इनकी जरुरतों को पूरा करने के लिए, एनएचएफडीसी ने उज्जैन, मध्यप्रदेश में स्वंय का कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है।

9 प्रदर्शनी/जागरूकता शिविर/रोजगार मेले/सम्मेलन/कार्यशालाओं का विवरणः

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान निगम ने दिव्यांगजनों/जनता को अपनी योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/अभियान में भाग लिया;

d½ tkx#drk f'kfoj

1. एनएचएफडीसी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हॉल संख्या 11, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 04 मई, 2017 से 06 मई, 2017 के दौरान आयोजित सीएसआर मेले में भाग लिया। मेले में एनएचएफडीसी की योजनाओं को प्रचारित किया गया ।

2. एनएचएफडीसी ने दिनांक 17.05.2017 को डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला चरण –1, नई दिल्ली में एनएचएफडीसी के नए परिसर के उद्घाटन दिवस पर दिव्यांगजनों को टूल किट और वृत्ति प्रदान किए और दिव्यांगजनों को अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई थी।

3. एनएचएफडीसी के अधिकारियों के साथ–साथ दिव्यांगजन प्रशिक्षुओं (पंजीकृत कार्यालय में दिए जा रहे प्रशिक्षण) ने निगम के पंजीकृत कार्यालय, रेड क्रॉस भवन, सेक्टर 12, फरीदाबाद में 21 जून, 2017 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

4. एनएचएफडीसी ने 09 सितंबर, 2017 को एनएचएफडीसी के क्षेत्रीय सह प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र उज्जैन में प्रशिक्षित 107 दिव्यांगजनों को टूल किट और प्रशिक्षण पूरा करने के प्रमाण पत्र वितरित किए, श्री थावरचन्द गेहलोत, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। दिव्यांगजनों को उनके स्व रोजगार के लिए एनएचएफडीसी की योजनाओं का विवरण भी प्रदान किया गया था।

5. एनएचएफडीसी ने 06 और 07 दिसंबर, 2017 को डायोसेसन सामुदायिक केन्द्र, 1, अशोक प्लेस, गोल डाक खाना, नई दिल्ली में चेतनालय द्वारा क्लेक्टिव एक्शन फॉर बेसिक राइट्स फाउंडेशन (सीबीआरएफ) बेंगलुरु के सहयोग से आयोजित 'समर्थ–2017' में भाग लिया। एनएचएफडीसी अधिकारियों ने उपरोक्त प्रदर्शनी में एनएचएफडीसी की योजनाओं की जानकारी दी।

[k½ çn'kfu;k vkj eyk&

1) एनएचएफडीसी ने मालवा मेले में 10 स्टॉल में 12 लाभार्थियों के साथ भाग लिया है जो कि 02 मई, 2017 से 08 मई, 2017 के दौरान लालबाग प्लेस, इंदौर, मध्यप्रदेश में इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित किया गया था। आगंतुकों को एनएचएफडीसी की योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

2) एनएचएफडीसी ने 17 से 20 अगस्त, 2017 के दौरान दीनबंधु एंड्रयूज कॉलेज ग्राउंड, गरिया, कोलकाता में बंगाल मानव संसाधन विकास फाउंडेशन, कोलकाता द्वारा आयोजित 'भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी–सह–मेला 2017' में भाग लिया। एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने प्रदर्शनी में आगुंतकों को एनएचएफडीसी की योजनाओं की जानकारी दी।

3) एनएचएफडीसी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निदेशानुसार वाराणसी, उत्तर प्रदेश से 08 अक्तूबर, 2017 से 17 अक्तूबर, 2017 के दौरान स्वदेशी मेला, 2017 में भाग लिया। एनएचएफडीसी के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को एनएचएफडीसी की योजनाओं की जानकारी दी।

?k½ lEesyu@dk;Z'kkyk,¡

i) एनएचएफडीसी ने 24 और 25 अक्तूबर, 2017 को इग्नू के सहयोग से एनएचएफडीसी की योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया और इस अवसर पर लोगों को संबोधित किया। आगंतुकों को एनएचएफडीसी की योजनाओं की जानकारी दी गई।

ii) जयपुर में 20.06.2017 को राजस्थान एससी और एसटीएस वित्त और विकास सहकारी निगम (एनएचएफडीसी के एससीए) के सहयोग से एनएचएफडीसी की योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगंतुकों को एनएचएफडीसी की योजनाओं की जानकारी दी गई।

iii) केरल राज्य दिव्यांगजन कल्याण निगम (एनएचएफडीसी के एससीए) ने 19 जुलाई, 2017 को एनएचएफडीसी की योजनाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें एनएचएफडीसी अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में आगंतुकों को एनएचएफडीसी की योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

8-2 Hkkjrh; —f=e vax fuekZ.k fuxe ¼,fyEdks½

fuxfer :ijs[kk

एलिम्को एक अनुसूची "ग" लघुरत्न श्रेणी–प्प केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के लिए नहीं), (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरुप) के अंतर्गत पंजीकृत है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह भारत सरकार का 100 प्रतिशत स्वामित्व वाला केन्द्रीय सावर्जनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसका उद्देश्य देश के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास उपकरणों के संवर्धन, प्रोत्साहन तथा उपलब्धता बढाने, प्रयोग, आपूर्ति तथा वितरण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास उपकरणों के निर्माण द्वारा उन्हें अधिकतम लाभान्वित करना है। निगम का लाभप्रद के संचालन का मकसद नहीं है और इसका मुख्य जोर उचित मुल्य पर बडी संख्या में दिव्यांगजनों को बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र और उपकरण उपलब्ध कराना है। इस निगम ने वर्ष 1976 में कृत्रिम सहायक यंत्रों का निर्माण शुरु किया था। इसके भुवनेश्वर (ओडिशा), जबलपुर (मध्य प्रदेश), बंगलुरु (कर्नाटक), और चानालोन (पंजाब) में स्थित चार आनुशंगिक उत्पादन केन्द्र (एएपीसी) हैं। उज्जैन में एक नई उत्पादन इकाई के लिए आधारशिला रखी गई है , जिसे मोटर ट्राइसाइकिल जैसे आधुनिक सहायक उपकरण के लिए विनिर्माण उत्पाद के लिए बनाया गया है, इसका निर्माण कार्य चल रहा है। निगम के नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में चार विपणन केन्द्र तथा गुवाहाटी में एक आउटरीच केन्द्र है।

निगम एकमात्र विनिर्माण कंपनी है जो पूरे देश में सभी प्रकार की विकलांगताओं की सेवा के लिए एक छत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का उत्पादन करता है।

1 foÙkh; fof'k"Vrk,¡

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, 31.12.2017 तक निगम ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में 240.67 करोड़ रुपए की तुलना में 154.18 करोड़ रुपए (बिक्री के आँकड़े अनंतिम) का कारोबार हासिल किया है ।

2- fuxe dh Hkkfrd dk;Z{kerk fn[kkus okyh ek=kRed vkadM+s

Øe la[;k	Hkkfrd çn'kZu ¼egRoiw.kZ mRikn dk Hkkfrd çn'kZu½	mRiknu ¼la[;k esa½		fcØh ¼la[;k esa½	
		2016&17	2017&18 ¼vufUre vkadM+s 31-12-2017 rd½	2016&17	2017&18 ¼vufUre vkadM+s 31-12-2017 rd½
(i)	ट्राईसाइकिल	92,970	61,603	98,761	53,185
(ii)	व्हील चेयर्स	48,905	28,577	43,216	28,673
(iii)	बैसाखियां	80,779	56,574	74,564	54,687
(iv)	कान की मशीन (श्रवण यंत्र)	1,21,367	47,804	1,14,953	49,804

3 fcØh iSVuZ

निगम का बिक्री पैटर्न निम्नानुसार हैरू

(रुपए करोड़ में)

Øsrk Js.kh	o"kZ 2017&18 ds fcØh vkadM+s ¼vufUre 31-12-2017 rd½	o"kZ 2016&17 dh fcØh ¼ys[kk ijhf{kr vkadM+s½
राष्ट्रीय संस्थान	4.33	7.88
एडीआईपी एंड कोक्लियर	59.66	124.68
एसएसए (60%)	20.03	30.42
एसएसए (40%)	12.70	19.33
राज्य सरकार सीधी खरीद	8.22	6.48
डिलर्स, संरचना	20.30	24.63
सीएसआर निर्यात, बिलाट्रल, स्क्रैप और अन्य	22.85	26.02
राष्ट्रीय वयोश्री योजना	6.06	1.23
कुल	154.15	240.67

fooj.k	o"kZ 2017&18 dk fcØh vkdM+k ¼vuqfre 31-12-2017 rd½	o"kZ 2016&17 dh fcØh ¼ys[kk ijhf{kr vkdM+s½
जीआईए से जुटाए गए संसाधन	77.51	155.10
जीआईए के अलावा जुटाए गए संसाधन	76.64	85.57
कुल	154.15	240.67

4 ,Mhvkbih dSai

निगम ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में 315 कैंपों के माध्यम से एडीआईपी योजना के तहत 1,70,231 लाभार्थियों (उपकरण–वार) की तुलना में वित्त वर्ष 2017–18 में 116 शिविरों (अनंतिम) के माध्यम से एडीआईपी योजना के तहत 31.12.2017 तक 64,916 लाभार्थियों (अनंतिम) को सेवाएं प्रदान की गई हैं।

5 ,Mhvkbih&,l,l, dSai

एडीआईपी–एसएसए योजना के अंतर्गत, निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में 06–14 वर्षों के आयु वर्ग में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए आयोजित 783 शिविरों में 73,392 लाभार्थियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 (31.12.2017 तक) में 06–14 वर्षों के आयु वर्ग में विशेष जरूरतमंद बच्चों के लिए 569 शिविरों (अनंतिम) में 38,981 लाभार्थियों (अनंतिम) को सेवा प्रदान की गई।

9 नवम्बर, 2017 को माननीय केन्द्रीय मंत्री डॉ. थावरचंद गेहलोत, उस समय सचिव, श्रीमती जी लता कृष्णा राव और संयुक्त सचिव श्रीमती डौली चक्रबर्ती के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर लघु फिल्म प्रतिस्पर्धाओं के पुरस्कार विजेता

,fMi f'kfoj rLohjk dh >yd

सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दिनांक 27.08.2017 को एलिम्को द्वारा अहमदाबाद, भारत में दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करने के लिए मेगा वितरण शिविर का आयोजन किया गया।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले और केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री एडिप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिनांक 06.11.2017 को धुले, महाराष्ट्र में सहायक यंत्र और सहायता उपकरणों का वितरण करते हुए।

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे और माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, डॉ. थारवचन्द गेहलोत ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 17.09.2017 को झालावाड़, राजस्थान में बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए ।

9 अध्याय राष्ट्रीय संस्थान और समेकित क्षेत्रिय केंद्र

दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल आठ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। ये राष्ट्रीय संस्थान स्वायत्त निकाय हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थांपित किए गए हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में संलग्न ये संस्थान दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवा प्रदान कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास कार्य कर रहें हैं। ये आठ संस्थान निम्निलिखित हैंः–

(i) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीवीडी), देहरादून

(ii) अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान, (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई

(iii) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता

(iv) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक

(v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली

(vi) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद

(vii) राष्ट्रीय बहु–विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीएमडी), चौन्नई

(viii) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली

इन आठ राष्ट्रीय संस्थानों की कुछ बुनियादी जानकारी नीचे दी गई हैंः –

Ø- l-	jk"Vh; lLFkku	iLFkkiu dk o"k	Ikfjlj {k= (,dM eh)	{k=h; dUn@{k=h; pIVjl] ;fn dkbl gk	jk"Vh; lLFkku dk v/khu lefdr {k=h; dUn] ;fn dkbl gk]
1.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली	1960	1.5	एक क्षेत्रीय केन्द्र (सिकन्दराबाद)	दो (लखनऊ और श्रीनगर)
2.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक	1975	26.66	कोई नहीं	दो (गुवाहटी एवं राजनंदगांव (छत्तीसगढ)
3.	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता	1978	3.0	तीन क्षेत्रीय केन्द्र(देहरादून, आइजोल एवं अरूणाचल प्रदेश)	एक (पटना)
4.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून	1979	43	एक क्षेत्रीय केन्द्र (चेन्नई), दो क्षेत्रीय चेप्टर(कोलकाता एवं सिकन्दराबाद)	एक {सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)}
5.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई।	1983	4.77	चार क्षेत्रीय केन्द्र (कोलकाता, सिकन्दराबाद, नोएडा और भुवनेश्वर)	दो (भोपाल एवं अहमदाबाद)
6.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद	1984	19.33	तीन क्षेत्रीय केन्द्र (नोएडा, मुंबई और कोलकाता)	दो (नेल्लोर और देवनागेर)
7.	राष्ट्रीय बहु–विकलांगता ग्रस्त जन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई	2005	15.2	कोई नहीं	दो (कोझीकोड और नागपुर)
8.	भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी)	2016	-	कोई नहीं	कोई नहीं

1 ifMr nhun;ky mik/;k; jk"Vh; 'kkjhfjd fn0;kxtu lLFkku] ¼ihMh;vkbihihMh½ ub fnYyh

पंडित दीन दयाल दिव्यांगजन राष्ट्रीय संस्थान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत निकाय है। यह गतिविषयक निःशक्तता जैसे पोलियों सुषुंना सूजन, प्रमास्तिष्क घात, अभिघातक विकृतियां, मस्तिष्क–घात मामलें आदि से पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान का नाम वर्ष 2002 में बदल कर प0 दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान कर दिया गया। अब इस संस्थान का नाम दिव्यांगजन प0 दीन दयाल राष्ट्रीय संस्थान हो गया है।

पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा साढ़े चार वर्ष अवधि प्रत्येक के शारीरिक थैरेपी (बीपीटी), व्यवासायिक थैरेपी (बीओटी) में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। संस्थान ने शैक्षिक वर्ष 2017–18 से प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स (एमपीओ) प्रोग्राम में स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी शुरू किया है।

संस्थान मरीजों और अपंग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहा है जो संस्थान को अपनी क्षमताओं को इष्टतम स्तर तक पहुंचाने के लिए देख रहा है। उनका पुनर्वास आवश्यकताओं के लिए मूल्यांकन क्लिनिक में आर्थोपेडिक सर्जन, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ/पुनर्वास विशेषज्ञों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

संस्थान सीआरसी लखनऊ और सीआरसी श्रीनगर के कामकाज की सुविधा दे रहा है। संस्थान ने एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और टोंक, राजस्थान के एक सैटेलाइट केंद्र के परिसर में अपने दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र (एसआरसी) की भी स्थापना की है।

(i) दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 19.09.2016 को इलाहाबाद, यू.पी. में एक मेगा कैम्प का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचन्द गेहलोत मुख्य अतिथि थे तथा इस कैम्प में पीडीयूएनआईपीपीडी के 10 कर्मचारी एवं सीआरसी लखनऊ के 19 कर्मचारी शामिल हुए। संस्थान द्वारा इसकी गतिविधियों के लिए प्रर्दशनी का एक स्टॉल भी लगाया गया। कुल 4773 लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए।

(ii) शाहजहांपुर, कानपुर, पीलीभीत, इटावा, सन्त कबीर, इलाहाबाद, मेनपुर एवं उत्तर प्रदेश में पोलियों निवारक सर्जरी कैम्प का आयोजन किया गया। 321 लाभार्थियों द्वारा 429 अंगों का आपरेशन कराया गया। इन शिविरों का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किया गया।

(iii) विश्व फिजिकल थैरेपी दिवस तथा ओक्यूपेशनल थैरेपी दिवस का आयोजन फिजियोथैरेपी एवं ओक्यूपेशनल थैरेपी दिवस का आयोजन फिजियोथैरेपी एवं ओक्यूपेशनल थैरेपी विभाग के संबंधित विभागों द्वारा किया गया। यह दिन संपूर्ण विश्व के शारीरिक एवं ओक्यूपेशनल थैरेपिस्टों के लिए यह जागरुकता उत्पन्न करने का अवसर है कि व्यक्तियों का स्वस्थ, गतिशील एवं स्वतंत्र बनाये रखने में इस व्यवसाय का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। यह पीटी एवं ओटी विभाग के व्यवसाय के संबंध में जागरुकता एवं स्वास्थ्य संबंधी आंदोलन है।

2 Lokeh foodkuUn jk"Vh; iuokl çf'k{k.k ,o vulk/kku lLFkku ,loh,uvkbvkjVhvkj½] dVd

यह संस्थान मानव संसाधन का विकास करने तथा सेवा प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों, अनुसंधानों और आऊटरीच कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्य करता आ रहा है। यह दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रॉस्थटिस्टों, ऑर्थोटिस्टों, फिजियोथेरेपिस्टों, व्यावसायिक थेरेपिस्टों, बहुउद्देश्य पुनर्वास थेरेपिस्टों जैसे कार्मिकों तथा ऐसे ही अन्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का दायित्व ग्रहण करता है और उसे प्रायोजित एवं समन्वित करता है।

गतिविषयक निःशक्तता के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की लगातार बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए, यह संस्थान फिजयिथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी, प्रॉस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्सि में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है। व्यावसायिकों/गैर–सरकारी संगठनों को अधिकाधिक प्रेरित करने और समुदाय आधारित पुनर्वास के विषय में उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए, यह संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में लघु अभिविन्यास (ओरिएंटेशन) पाठ्यक्रम, लगातार चलने वाले चिकित्सा, शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम, कार्यशालाएं तथा सेमिनार संचालित करता है।

संस्थान शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को प्रत्यक्ष सेवाएं भी प्रदान करता है। इन सेवाओं में शारीरिक विकृतियों का सर्जिकल सुधार, फिजियोथेरेपी, आक्यूपेशनल थेरेपी तथा स्पीच थेरेपी शामिल हैं। इस संस्थान में कृत्रिम अंगों की फिटिंग की जाती है तथा यह अपने यहां और शिविरों के आयोजन द्वारा, न केवल ओडिशा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के दूरस्थ इलाकों में बल्कि जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल, उ.प्र., बिहार, म.प्र., छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में भी व्हील चेयर और तिपहिया साइकिल जैसे चलने में मदद करने वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति करता है।

संस्थान में ग्यारह प्रमुख विभाग/अनुभाग हैं, जैसे प्रशासन, लेखा और वित्त, शिक्षा (एचआरडी), शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, पुस्तकालय और सूचना केंद्र, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य और वाणी एवं श्रवण। संस्थान ने कटक, भुवनेश्वर और धेंकनाल में तीन उप–केंद्र भी स्थापित किए हैं, बलांगीर में एक सैटेलाइट केंद्र और गुवाहाटी एवं राजनांदगांव में 02 सीआरसी स्थापित है।

lexz {ks=h; dsæ] xqokgkVh%

समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), गुवाहाटी, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। केंद्र गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) कैम्पस, भांगगढ़, गुवाहाटी असम –781032 में स्थित है। केंद्र 19 मार्च, 2001 से स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है । सीआरसी गुवाहाटी का उद्देश्य, दिव्यांगजनों को सेवाएं प्रदान करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में दिव्यांगता मानव शक्ति का विकास करना है।

lexz {ks=h; dsæ] jktukanxkao%

सीआरसी, राजनांदगांव, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर) उड़ीसा का विस्तार है। यह एक ही स्थान पर कई और विविध दिव्यांगता हेतु सेवा प्रदान करने के लिए 25 जून, 2016 को स्थापित किया गया था। आज, यह सभी प्रकार की दिव्यांगता के लिए पुनर्वास और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करने के

लिए पूरी तरह से सुसज्जित और कार्यात्मक है। ओल्ड हॉस्पिटल कैंपस राजनांदगांव में अवस्थित, सीआरसी छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों के लिए शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करता है । शैक्षणिक से लेकर नैदानिक सेवाओं के साथ, यह दिव्यांगजनों के कष्ट निवारण के लिए प्रतिबद्ध है । दिव्यांगता के लिए सीआरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में लोकोमोटर दिव्यांगता, अंधत्व, कम दृष्टि, श्रवण बाधा, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, औटिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सभी उम्र के दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं।

श्री विजय सांपला, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार ने 16 अप्रैल, 2017 को स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान)(एसवीएनआईआरटीआर), कटक के दौरे के दौरान लड़कियों के छात्रावास का उद्घाटन किया।

lQyrk dh dgkuh& 01

मास्टर वकार अहमद, (सुपुत्र– श्री मुस्ताक, कंप्यूटर विज्ञान के व्याख्याता, डीपीएस कलिंग, फुलनाखड़ा), प्लॉट नं– 2–बी सांति एंक्लेव, डाकखाना – लक्ष्मीसागर, थाना – लक्ष्मीसागर, भुवनेश्वर, जिला–खुर्दा, राज्य– ओडिशा, पिन– 751006 का रहने वाला है। उसकी आयु– 12 वर्ष है और दिल्ली पब्लिक स्कूल (कलिंग) में कक्षा अ में पढ़ रहा है। वह जन्म से ही शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से दिव्यांग है। उन्होंने डेढ़ वर्ष की उम्र में संस्थान को सूचना दी थी । वास्तव में इस लड़के का समय–समय पर प्रोस्थिसिस के साथ इलाज किया गया और वह स्वयं अपने सभी दैनिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से कर रहा है और अभी हाल ही में संस्थान ने एक विशेष प्रोस्थेटिक डिजाइन विकसित किया है जिसमें जंग विरोधी सामग्री से एक विशेष पैर प्रणाली बनाई गई है जिसकी सहायता से वह घर के अंदर की गतिविधियों के साथ–साथ सभी बाहरी गतिविधियों को भी पूरा कर रहा है।

lQyrk dh dgkuh &02

एक 12 वर्षीय लड़का जन्म से विकृति के कारण स्कूल जाने में सक्षम नहीं है। एक सर्जरी के बाद बच्चा स्वतंत्र रूप से स्कूल जा रहा है।

दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को आरईसीएल और स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीआर), कटक के मध्य संस्थान को 'वकृति सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र'के रूप में स्थापित करने के लिए पुनर्वास सेवा भवन के 100 बेड के उपभवन– II के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इनचोन कार्यनीति

एशिया एवं प्रशांत हेतु यूएन एस्केप

3 jk"Vh; xfr'khy fn0;kxtu lLFkku] ¼,uvkbl,yMh] dkydkrk½

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (एनआईएलडी), लोको मोटर जैसी विकलांगता विशिष्ट क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए देशभर में विकास एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में सेवा देने के प्रयोजन से कोलकाता, प. बंगाल में स्थापित किया गया था। एनआईओएच पुनर्वास प्रबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। इस प्रकार यह लोको मोटर दिव्यांगजनों के लिए निवारक, प्रोत्साहक और पुनर्वास सेवाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति विकसित करता है। एनआईओएच लोको मोटर विकलांग व्यकक्तियों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ समय पर और विशेष शल्यि हस्तओक्षेप और अन्यव उपचारात्मिक सेवाओं के अनुप्रयोग के महत्वेपूर्ण क्षेत्र में जनशक्ति और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने वाला एक शीर्ष संगठन है।

xfrfof/k;k dh ,d >yd

इस संस्थान की गतिविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

1) मानव संसाधन विकास

2) पुनर्वास सेवाएं

3) अनुसंधान और विकास

4) पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना का प्रसार

5) गैर–सरकारी संगठनों की निगरानी

6) जागरूकता

7) छात्रों का नियोजन

8) अन्य गतिविधियां

ekuo l l k/ku fodkl

मूल विचार देश में गतिशील दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और मौजूदा मानव संसाधन के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए उपलब्ध मानव संसाधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, संस्थान को सौंपे गए कार्य के लिए उपयोगिता के इष्टतम मानक के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। सामान्यतया इन्हें दो श्रेणीयों में बांटा जा सकता है:–

क. दीर्घ अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम

iuokl lok,

पुनर्वास सेवाएं अस्पताल भर्ती मरीजों, बहिरंग रोगियों और आम पहुंच से दूर क्षेत्रों के लोगों को संस्थान मुख्यालय, क्षेत्रीय केंद्रों, सीबीआर परियोजनाओं तथा अन्य सहयोगी केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

(क). संस्थान आधारित सेवाएं

(ख) आम पहुंच से दूर क्षेत्रों में सेवाएं

(ग) समुदाय आधारित पुनर्वास सेवाएं (सीबीआरएस) और

(घ) क्षेत्रीय और सहयोगात्मक केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं।

d- lLFkkxr lok,%

ये संस्थागत सेवाएं निम्नलिखित विभागों के माध्यम से प्रदान की जाती हैंरू–

1) चिकित्सा पुनर्वास
2) फिजियोथेरेपी
3) व्यावसायिक थेरेपी
4) प्रोसोपीटिक एवं ऑर्थोटिकस
5) सामाजिक आर्थिक पुनर्वास
6) पुनर्वास नर्सिंग
7) पुनर्वास अभियांत्रिकी।

[k- vkmVjhp lok,%

संस्थान अपने आउटरीच यूनिट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की दिव्यांगजनों को सहायता योजना (एडिप) स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए शिविरों का आयोजन करता है।

x- lenk; vk/kkfjr iuokl lok,

संस्थान के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास विभाग ने समुदाय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तृत पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में सीबीआर परियोजनाएं आयोजित की हैं। इस वर्ष विभाग ने नवीन परियोजना क्षेत्र के रूप में इंफाल वेस्ट, मणिपुर और राजरहाट, पश्चिम बंगाल को शामिल किया है।

?k- lefdr {k=h; dæ] {k=h; vkj lg;kxkRed dUæk d ek/;e l lok,

क. क्षेत्रिय केन्द्र माध्य से निम्नलिखित क्षेत्रीय केन्द्र सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

i. देहरादून, उत्तराखंड
ii. आईजोल, मिजोरम
iii. नाहरलागून, अरूणाचल प्रदेश

ख समेकित क्षेत्रीय केंद्र

i. पटना सीआरसी
ii. त्रिपुरा सीआरसी

ग) एनटीपीसी फाउंडेशन (एक पब्लिक चौरीटेबल ट्रस्ट) के सहयोग से एनटीपीसी फाउंडेशन नेल्ड डिसएबिलिटी रीबैबिलिटेशन सेंटर (एनएफएनडीआरसी) ने एनटीपीसी प्रोजेक्ट साइट के पास शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों की सेवा और सशक्त करने के लिए शुरू किया। एनएफएनडीआरसी का मूल उद्देश्य जिला और आसपास के क्षेत्रों के पीडब्ल्यूडी को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है।

vuqla/kku ifj;kstuk

1. इस वर्ष 'पश्चिम बंगाल में जनजातियों के बीच दिव्यांगता और उनके पुनर्वास के क्षेत्र में व्यापकता' पर एक परियोजना, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास विभाग, कोलकाता, के तहत विश्व भारती (केंद्रीय विश्वविद्यालय) के सहयोग से इस वर्ष आयोजित की जा रही है।

2. आईओएस के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, माइक्रो प्रोसेसर के नियंत्रित, प्रोटोस्टैटिक घुटने के संयुक्त और प्रोस्थेटिक मल्टी अक्षीय फुट टुकड़े के लिए डिजाइन, विकास और मानकीकरण।

एनएफएनडीआरसी, रिहांद में पहचान शिविर में संवेदीकरण कार्यक्रम

4 jk"Vªh; –f"V fnO;kaxtu l'kfDrdj.k laLFkku] ¼,uvkbZbZihohMh½] nsgjknwu

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून एक स्वायतः निकाय है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। दृष्टि बाधितों को सशक्त करना प्राथमिक उद्देश्य है और दृष्टि बाधितों को संपूर्ण सामुदायिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम करने के लिए यह एक प्रमुख संस्थान है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में, संस्थान ने तीन क्षेत्रों नामक एचआरडी और प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास तथा उत्पादन एवं ब्रेल उपकरण और ब्रेल साहित्य के वितरण की गतिविधियों का आयोजन किया है। संस्थान 116 राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड राज्य में स्थित है।

संस्थानका एक क्षेत्रीय केन्द्र, चौन्नई, (तमिलनाडु) में, और दो क्षेत्रीय खंड सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में दृष्टि बाधितों को उनके संबंधित क्षेत्रोंध्राज्यों में पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध प्रदान करते रहे है। यह दिव्यांगजन संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश से भी समन्वय करता है।

विशेष शिक्षा और दिव्यांगता अध्ययन विभाग के माध्यम से संस्थान दृष्टि बाधितों के क्षेत्र में विशेष शिक्षा, शिक्षकों और मोबिलिटी प्रशिक्षकों को योगदान देता है। संस्थान अब तक 12000 विशेष शिक्षा शिक्षकों और मोबिलिटी प्रशिक्षकों का योगदान दिया है।

एनआईईपीवीडी दिव्यांगता मुद्दों पर अनुसंधान निकाय के रूप में उभरा है। यह तीन तंत्र अनुसंधान सलाहकार समिति, भारतीय ब्रेल परिषद और डिजाइन एवं विकास इकाई को बढावा देने और अनुसंधान प्रायोजित करने के लिए है। पिछले 25 वर्षो से, संस्थान ने 140–145 अनुसंधान परियोजनाओं पर काम किया है। इन परियोजनाओं में शिक्षा की गुणवत्ता, पुनर्वास कार्यक्रमों और कौशल प्रशिक्षण पहलों में काफी सुधार हुआ है।

संस्थान की दृष्टि बाधितों के लिए नई और चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी भारी जिम्मेदारी है। इसके देहरादून, चौन्नई और सिकंदराबाद में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न क्षेत्रों के 20 कौशल विकास पाठ्यक्रमों को प्रदान करता है और प्रति वर्ष लगभग 1000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पेशकश करने की क्षमता है।

दृष्टि बाधितों को माडल प्लेसमैंट सेवाओं के क्रम में और उपयुक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, संस्थान ने भी एक प्लेसमैंट सैल बनाए रखा है। वर्ष के दौरान , अभी तक संस्थान ने 198 व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियोजन द्वारा नौकरी प्राप्त करने में मदद की है। एनआईईपीवीडी दृश्य दिव्यांग बच्चों को अपने माडल स्कूलों जो केन्द्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, के माध्यम से प्रि–स्कूल अवस्था से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान कर रहा है। विद्यालय ने लगभग 250 दृष्टि बाधित बच्चों को सेवाएं दी हैं।

संस्थान का राष्ट्रीय पुस्तकालय देश में इस तरह का सबसे बडा पुस्तकालय है। पुस्तकालय इसे प्रिंट, ब्रेल और आडियों बुक सैक्शनों के माध्यम से औसतन लगभग 40000 सदस्यों को वार्षिक सेवा देता है। राष्ट्रीय टाकिंग बुक पुस्तकालय संस्थान द्वारा पेश की गई अन्य पुनर्वास सेवाओं के बीच एक प्रमुख स्थान रखती है। बल्कि हाईटेक पहल के हिस्से के रूप में आडियों पुस्तकें डैसी फार्मेट में दर्ज है। संस्थान मुद्रण ब्रेल पाठ पुस्तक और पत्रिकाओं के लिए भी एक प्रभावशाली बुनियादी सुविधाओं के साथ सुसज्जित हे। केन्द्रीय ब्रेल प्रैस देहरादून में, क्षेत्रीय ब्रेल प्रैस चौन्नई में और तीन छोटे पैमाने ब्रेल मुद्रण इकाई शिलौंग, गुवाहटी और अगरत्तला में बुनियादी ढांचे सहित है। साथ ही पूर्ण 12 भारतीय भाषाओं में ब्रेल पुस्तकों का उत्पादन और औसतन 50,000–60,000 व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान की है।

एनआईईपीवीडी को तीन योजनाओं जैसे कि ''दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता स्कीम (एडिप), ब्रेल प्रैसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम हेतु सहायता और दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम'' के कार्यान्वयन का कार्य सौपा गया है।

lLFkku dh lQyrk dh dgkuh

d lJh lfç;k oekZ dh lQyrk dh dgkuh

सुश्री सुप्रिया वर्मा प्रतिभाशाली, मेहनती, महत्वाकांक्षी और एक महान अचीवर हैं। सुश्री वर्मा का जन्म 12 जून, 1 992 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ग्लूकोमा की वजह से वह 12 वर्ष की आयु में अंधी हो गई। सुश्री सुप्रिया एनआईईपीवीडी के व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की पूर्व प्रशिक्षु हैं। अपनी दृढ़ निष्ठा के साथ उन्होंने उच्च शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में सुश्री सुप्रिया उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, रुद्रपुर में अधिकारी स्केल–1 के रूप में काम कर रही हैं। उन्हें 4 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर श्री यशपाल आर्य, माननीय सामाजिक कल्याण और परिवहन मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा एनआईईपीवीडी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया।

¼[k½ lLFkku d e,My Ldy d Nk=k dh lQyrk dh dgkfu;k

मोहम्मद शाहनावाज आलम ने दृश्य दिव्यांग बच्चों के माडल विद्यालय में कक्षा 12 में पढ़ाई करते हुए, इस वर्ष अपनी बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ 95% अंक हासिल किए और इतिहास में 100% अंक हासिल किए। मोहम्मद शाहनवाज आलम सहरसा, बिहार से हैं और वर्ष 2011 से इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उनकी भविष्य में सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करने की महत्वाकांक्षा है।

jk"Vh; –f"V fn0;kxtu l'kfädj.k lLFkku] dh egRoi.k miyfC/k;k o"k 2017&18

- ^^–f"V ckf/krk & f'k{kdks ds fy, ,d lalk/ku iqLrd ¼fgnh laLdj.k½

शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए संसाधन पुस्तक का हिंदी संस्करण 12 अक्टूबर 2017 को संस्थान के सम्मेलन हॉल में आयोजित एक समारोह में डॉ. थावरचन्द गेहलोत, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। माननीय मंत्री ने संस्थान और विशेष शिक्षा विभाग की नई इमारत और लड़कों के छात्रावास की निर्माणाधीन इमारत का भी दौरा किया। माननीय मंत्री और सभी मेहमानों ने संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्य की सराहना की।

माननीय मंत्री ने कहा कि एनआईईपीवीडी की भूमिका विभिन्न गतिविधियों में अत्यधिक सराहनीय रही है। इस अवसर पर, श्री यशपाल आर्य, मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखंड ने अपने मंत्रालय से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री धनसिंह रावत, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा और सहयोग (उत्तराखंड सरकार) ने राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।

- Hkkjr jRu ckck lkgc Hkhe jko vcsMdj ds iwjs lkfgR; ds v,fM;ks laLdj.k dk foekspu fd;k x;kA

दिनांक 18.4.17 संस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था जब माननीय राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, भारत सरकार और माननीय राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल पाल गुर्जर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरकार भारत ने भारत प्रवास केंद्र में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर के पूरे साहित्य का ऑडियो संस्करण जारी किया। यह बड़ा काम संस्थान द्वारा किया गया था और इसमें 17 खंडों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी जो 14,000 पृष्ठों के बराबर थी।

- Hkkjr dh cy çl e cy vkj VDVkby xkfQDl mRiknu d fy, fMft Vy lkexh d mi;kx ij çf'k{k.k

डीएआईएसवाई कंसोर्टियम, एक्सेसीबल बुक कंसोर्टियम, आईआईटी दिल्ली और बुक शेयर के सहयोग से एनआईईपीवीडी द्वारा 8 जून से 10 जून, 2017 तक टेक्टाइल ग्राफिक्स उत्कृष्टता केंद्र में, असिस्टैक, आईआईटी दिल्ली में 'भारतीय ब्रेल प्रेस में ब्रेल और टेक्टाइल ग्राफिक्स उत्पादन के लिए डिजिटल सामग्री के उपयोग पर प्रशिक्षण' का आयोजन किया गया था। यह संयुक्त रूप से एनआईईपीवीडी, स्किल फाउंडेशन और आईआईटी दिल्ली द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 11 ब्रेल प्रेस से ब्रेल प्रेस मैनेजर और डेटा एंट्री ऑपरेटर सहित 19 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य थे: –

क) ब्रेल प्रेस में क्षमता निर्माण करने के लिएय

ख) ब्रेल उत्पादन के लिए पुस्तकों की सुलभ डिजिटल फाइलों के लिए सुगम्य पुस्तकालय और अन्य संसाधनों में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक फाइलों का उपयोग करनाय

ग) पुस्तकों की सुलभ डिजिटल फाइलों के लिए सुगम्य पुस्तकालय, बुकशेयर और अन्य संसाधनों में उपलब्ध ईपीयुबी और डीएआईएसवाई टैक्स्ट फाइलों के प्रारूपण और मार्कअप का उपयोग करके ब्रेल फाइलों के संपादन में आवश्यक प्रयासों को कम करने के लिए;

- fn0;kxrk vf/kdkj vf/kfu;e] 2016 ij dk;'kkyk

दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 पर प्रथम कार्यशाला 10 जुलाई, 2017 की संस्थान में आयोजित की गई। श्री केवीएस राव, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) ने अप्रैल 2017 में लागू किए गए नए अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संस्थान के विशेष शिक्षा विभाग से 130 अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को

संबोधित किया। इस अवसर पर निदेशक, एनआईईपीवीडी भी उपस्थित थे। कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। भविष्य में ऐसी और अधिक कार्यशालाएं भी आयोजित की जानी हैं।

i|Lrdky; foLrkj lok,a vkj fcØh dkmVj dh LFkkiuk

यह ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2007 तक देश में केवल 14 ब्रेल और टॉकिंग बुक पुस्तकालय थे, संस्थान ने गैर–सेवारत क्षेत्रों में पुस्तकालय विस्तार सेवाएं स्थापित करने का निर्णय लिया।

पिछले 10 वर्षों में, संस्थान ने 97 पुस्तकालय विस्तार सेवाएं और बिक्री काउंटर स्थापित किए हैं । इनमें से, देश के विभिन्न राज्यों में 80 विस्तार ब्रेल पुस्तकालय स्थापित किए गए थे। यह उल्लेखनीय है कि संस्थान के विनिर्माण ब्रेल उपकरण वर्कशॉप के एक्स्टेंशन सेल्स काउंटर की संख्या ने भी पुस्तकालय विस्तार सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखा है। वर्ष 2007 तक, संस्थान द्वारा सभी ब्रेल उपकरणों को केन्द्रीय रूप से देहरादून से बेचा जाता था। आज, संस्थान द्वारा उत्पादित सामग्रियों को देश के 40 विभिन्न स्थानों से खरीदा जा सकता है। दृश्य दिव्यांग व्यक्तियों, उनके सेवा प्रदाताओं और परिवारों द्वारा इस संस्थान के इस मामूली प्रयास की व्यापक सराहना की गई है, जिन्हें ब्रेल पुस्तक या एक ब्रेल उपकरण प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था।

10½ Mh,vkbZ,lokbZ ¼Mst h½ Q,eVs eas fjd,fMax dh vk/kqfud rduhdksa ij çf'k{k.k dk;Øe

संस्थान की राष्ट्रीय टॉकिंग बुक लाइब्रेरी ने 'डेजी प्रारूप में रिकॉर्डिंग की आधुनिक तकनीकों' पर 23 मई से 25 मई, 2017 तक 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण के लिए नामांकित 25 प्रतिभागियों को एक नया संगीत मिश्रण सॉफ्टवेयर ष्एडोब ऑडिशनष भी पेश किया गया था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को रिकॉर्डिंग की नवीनतम तकनीक से अवगत कराना था।

5- vyh ;koj tax jk"Vªh; okd ,oa Jo.k fn0;kaxtu laLFkku] ¼,okbZts,uvkbZ,l,pMh½ eqEcbZ

एवाईजेएनआईएसएचडी (डी), मुम्बई की स्थापना 9 अगस्त, 1983 को की गयी थी। यह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अंगतर्गत एक स्वायतः निकाय है। संस्थान, बान्द्रा, (पश्चिमी), मुम्बई, में 19324 वर्ग मीटर के भूभाग पर स्थित है और इसका प्लिंथ क्षेत्र 6624 वर्ग मीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों में श्रवण हानिध्वाक् भाषा विकार के लिए शीघ्र उपचार एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है।

संस्थान की गतिविधियों में मानव शक्ति विकास, अनुसंधान, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं, आउटरीच और विस्तार सेवा, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास सेवाएं, सामग्री विकास और सूचना का संग्रह, दस्तावेजीकरण और प्रसार शामिल हैं।

संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता (1984), नोएडा (1986), सिकंदराबाद (1986), एक राज्य सहयोगी प्रशिक्षण बत्राकों के शिक्षकों के लिए, जनाला, ओडिशा (1986) और एडल्ट डेफ, हैदराबाद (1986) के प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित किए गए हैं। भोपाल और अहमदाबाद में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समग्र पुनर्वास केंद्र क्रमशः 2006 और 2011 के बाद से एआईजेएनआईएसएचडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य जनशक्ति विकास और सेवाओं के संदर्भ में स्थानीय और क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करना है।

लंबे समय तक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में, संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और

डिप्लोमा पाठ्यक्रम (सुनवाई हानि), भाषण और श्रवण (श्रव्य विज्ञान और भाषण भाषा रोग विज्ञान) का आयोजन करता है। साइन–लैंग्वेज इंटरप्रीटर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा और सुनवाई हानि वाले व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया जा रहा है। संस्थान और उसके क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

संस्थान सुनवाई हानि वाले लोगों को व्यापक नैदानिक, चिकित्सीय, शैक्षिक और व्यावसायिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करता है। अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। एआईजेएनआईएसएचडी ने एआईजेएनआईएचएच जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और एजेजेएनआईएचएच–जर्नल ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट प्रकाशित किया है।

ubZ igy% lgk;d ;a= vkSj midj.kksa dh [kjhn@fQfVax ds fy, fn0;kaxtuksa dh lgk;rk ¼,fMi½ dkdfy;j bEiykaV%

एवाईजेएनएसएचडी (डी) संपूर्ण देश में कोकलियर इम्प्लांट कार्यक्रम को लागू करने की नोडल एजेंसी है। कोकलियर इंप्लांट सर्जरी के लिए पूरे देश में 172 अस्पतालों को पैनल बनाया गया है। कोकलियर इम्प्लांट बधिर व्यक्तियों के लाभ के लिए आधुनिक तकनीक है। सर्जरी के पश्चात बधिर बच्चे सुन पाते है तथा उपयुक्त प्रशिक्षण से वे बोल पाने में भी समर्थ हो जाते हैं। भारत सरकार 15000/–रुपए से कम की मासिक आय वाले माँ–बाप को 6.00 लाख रुपए प्रति बच्चें, की आर्थिक–सहायता उपलब्ध करा रही है।

dqy 1011 lTtjh dh tk pqdh gS ftuesa ,MhvkbZih ds rgr 829 lTtjh vkSj lh,lvkj ds varxZr 182 lTtjh ¼2017&18 esa 238½ 'kkfey gSA

एआईजेएनआईएसएचडी द्वारा भारत में पहली बार एआईजेएनआईएसएचडी – जर्नल ऑफ कोक्लर इम्प्लांट भी प्रकाशित किया गयारू यह जर्नल कोक्लर इम्प्लांट और सर्जरी के बाद पुनर्वास के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है।

एवाईजेएनआईएसएचडी द्वारा अब श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए एडिप योजना के अंतर्गत कान के पीछे लगाए जाने वाला डिजीटल प्रोग्रामेबल हियरिंग उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है।

lQyrk dh dgkuh

re; fcLokl

तन्मय बिस्वास की अपनी स्वंय की सन्नाटे की दुनिया है जहां उनकी श्रव्य दिव्यांगता ने उनको कैरियर बनाने से नहीं रोका। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि चुनौतियों का सामना आत्म–आत्मविश्वास से हो सकता है और जीवन में सब कुछ हासिल किया जा सकता है।

श्री बिस्वास का जन्म 22 अगस्त, 1981 में कृष्णनगर, नाडिया, पश्चिम बंगाल में हुआ था। संपूर्ण बधिरता के बावजूद उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की और बाद में वर्ष 2006 में एवाईजेएनआईएसएचडी के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता से कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स पूरा किया।

अब वह ईएसआईसी, लालबाजार, कोलकाता में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय में सहायक के रूप में काम कर रहा है। उनके वरिष्ठ अधिकारी उन्हें कार्यालय में सरल, मैत्रीपूर्ण, विनम्र और ईमानदार कर्मचारी के रूप में पहचानते हैं। वह खेलों में उत्कृष्ट हैं और उन्हें कई पदकों से सम्मानित किया गया। हाल ही में उन्होंने शादी कर ली और कोलकाता में बस गए। हम उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं।

lQyrk dh dgkuh

th- vuq'kk

सुश्री जी अनुशा, 19 वर्षीय, वर्तमान में एआईजेएनआईएसएचडी, मुंबई में बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी (बीएएसएलपी) कोर्स का अध्ययन कर रही हैं। श्रवण दिव्यांगता के साथ जन्मी सुश्री जी अनुशा का निदान और पुनर्वास एवाईजेएनआईएसएचडी, क्षेत्रीय केंद्र, सिकंदराबाद में हुआ और बाद में कोक्लेयर इम्प्लांट फिट किया गया।

वह पहली व्यक्ति है जो श्रवण दिव्यांगता के साथ ऑडियोलॉजी और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रही है। उन्होंने 59% अंक हासिल करते हुए बीएएसएलपी प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की।

वह दूसरों के लिए आदर्श है जो अपनी दिव्यांगता को पार कर चुके हैं। हम उनके भावी सफल कैरियर के लिए कामना करते हैं।

lQyrk dh dgkuh

ugk ikVdj

कोलाबा, मुंबई से 24 वर्षीय सुश्री नेहा पटकर बाइलेटरल गहन संवेदी श्रवण दिव्यांगता के साथ जन्मी थी। जब वे 12 महीने की थीं, तब उनके माता–पिता को उनकी श्रवण दिव्यांगता का पता चला था और उनकी श्रवण दिव्यांगता का निदान और प्रबंधन एवाईजेएनआईएसएचडी, बांद्रा मुंबई में 1994 में किया गया था। सुश्री नेहा पाटकर के पिता भारतीय सेना में काम कर रहे हैं और मुंबई में तैनात हैं तथा माँ एक ग्रहणी हैं।

उसकी बधिरता के बावजूद उसने 80: के साथ एसएससी बोर्ड में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं। फिर उन्होंने 75.78% के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पूर्ण किया और इसके बाद वह कम्प्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीटेक (4 वर्ष) में इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और 66.78% के साथ पाठ्यक्रम पूरा किया।

अब वह एआईजेएनआईएसएचडी, मुंबई में आयोजित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पाठ्यक्रम के संकाय के रूप में काम कर रही है और अपने परिवार का समर्थन कर रही है।

e[; ckr

1. ऑनलाइन पंजीकरण प्रणालीरू संस्थान ने हमारे नैदानिक सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रदान करने के लिए https://ors.gov.in से पंजीकरण किया है । सभी कार्य दिवसों पर अपॉइंटमेंट 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच उपलब्ध हैं। सभी सेवा स्थानों पर उन ग्राहकों के लिए अलग–अलग कतार बनाई जाएँगी जिन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली है।

2. डिजिटल कैंपसरू डिजिटल इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में, संस्थान मुंबई विश्वविद्यालय के सहयोग से इसे डिजिटल कैंपस बनाने के लिए नवीनतम वाई–फाई सेवाओं को लागू कर रहा है।

3. ऑनलाइन प्रवेश प्रबंधन प्रणालीः दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन प्रवेश और प्रवेश के बाद प्रबंधन प्रणाली चालू शैक्षणिक वर्ष 2017–18 से लागू की गई है। इसने प्रवेश प्रक्रिया को परेशानी मुक्त कर दिया है।

4. टीएएससीः श्रवण दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों के आकलन के लिए उपकरण (टीएएससी) का विकास, मान्यता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहायता प्रदत्त स्कूलों में अनुदान का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

5. आईएसओ प्रमाणनः संस्थान को आईएसओ 9001रू 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त हुआ।

6. बिजली बचतः बिजली बचाने के लिए साइन बोर्ड और स्ट्रीट लाइट्स को 100% एलईडी लाइट में बदल दिया गया है।

7. जर्नल प्रकाशनः संस्थान द्वारा कोक्लेयर प्रत्यारोपण जर्नल 9 अगस्त, 2017 को प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में अपनी तरह का पहला है।

8. संस्थान ने 9 अगस्त, 2017 को संस्थान की उपलब्धियों की बुकलेट प्रकाशित की।

9. यौन उत्पीड़न रोकथाम नीतिः संस्थान द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति का मसौदा तैयार किया गया और कार्यान्वित किया गया है।

10. एसआईयूः स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट रिपोर्ट प्राप्त हुई। अन्य समूह बी पदों सहित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के कुल 25 पदों का मूल्यांकन किया जाता है।

11. सीएसआर गतिविधिः भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने 100 बच्चों को कोक्लेयर इम्प्लांट के लिए एलिम्को के माध्यम से प्रायोजित किया है।

nkj

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल), नई दिल्ली से प्राप्त प्रायोजन से संस्थान ने 100 कोक्लेयर प्रत्यारोपण सर्जरी पूरी की। डॉ. थावरचंद गहलोत, माननीय केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार ने मुंबई में आयोजित प्रेस मीटिंग में का भाग लिया।

6 jk"Vªh; ckSf)d fn0;kaxtu l'kfDrdj.k laLFkku] ¼,uvkbZbZihvkbZMh½ fldanjkckn½

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकंदराबाद, जिसे पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान के रूप में जाना जाता था, एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसे 1984 में एक दिव्यांग संस्थान के रूप में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान एक सर्वोच्च संस्था है जिसे देश में मानसिक मंदता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और सेवाओं के त्रिपक्षीय कार्य सौंपे गए हैं। पिछले 34 वर्षों से, संस्थान बौद्धिक दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए क्षमताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में अपनी विभिन्न गतिविधियों में संगठन की वैश्विक विशेषताओं को दर्शाता है। एनआईईपीआईडी के कार्य–कलाप दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अधिदेशों (यूएनसीआरपीडी), विधायी अधिनियमों तथा दिव्यांगजनों के लिए प्रख्यापित राष्ट्रीय नीति के अनुसार नियोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, (एनआईईपीआईडी) का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में है। इस संस्थान में छह विभाग हैं यथा वयस्क स्वतंत्र जीवन, सामुदायिक पुनर्वास तथा परियोजना प्रबंधन, पुस्तकालय तथा सूचना

सेवाएं, चिकित्सा विज्ञान, पुनर्वास मनोविज्ञान और विशेष शिक्षा। एनआईईपीआईडी के तीन क्षेत्रीय केंद्र नोएडा, कोलकाता और नवी मुंबई, प्रत्येक में एक हैं। एनआईईपीआईडीका एक माडल विशेष शिक्षा केंद्र (एमएसईसी) नोएडा और नई दिल्ली में है। इसका गंगटोक, सिक्किम में एक संसाधन केंद्र है। नेल्लोर में एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र जनवरी 2016 में स्थापित किया गया था और यह उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के परिसर में कार्य कर रहा है। सीआरसी नेल्लोर की स्थायी इमारत का निर्माण कार्य 10 एकड़ जमीन में चल रहा है। एनआईईपीआईडी ने कर्नाटक राज्य में दावणगेरे में सीआरसी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियों को प्रशासनिक अनुभाग से सहयोग प्राप्त होता है।

यह संस्थान मानसिक मंदता, समुदाय–आधारित पुनर्वास, पुनर्वास चिकित्सा विज्ञान, आरंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास मनोविज्ञान के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करता है। विभिन्न स्तरों पर विशेष शिक्षकों की आवश्यकता के मद्देनजर, संस्थान विशेष शिक्षा में बी.एड. कार्यक्रम भी संचालित करता है। यह विशेष शिक्षा (मानसिक मंदता) में एम एड कार्यक्रम भी संचालित करता है जो मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए छात्रों को तैयार करता है। यह एम.फिल. (पुनर्वास मनोविज्ञान) कार्यक्रम से ऐसे व्यावसायिकों को तैयार किया जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों को व्यांपक सेवाएं प्रदान कर सकें।

मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य को आरंभिक हस्तक्षेप सेवाओं के माध्यम से किया जाता है, जैसे–फिजियोथेरेपीध्ऑर्थो, बायोकेमिस्ट्री, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यवहार आशोधन, माता–पिता को परामर्श प्रदान करना तथा व्यावसायिक आकलन–संबंधी सेवाएं आदि। यह संस्थान पुनर्वास एवं देखरेख के लिए मॉडल भी विकसित करता है। संस्थान में एक विशेष शिक्षा केन्द्र (एसईसी) भी है जो संस्थान के मानव संसाधन विकास के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। विशेष शिक्षा केंद्र की स्थापना सेवा–पूर्व और सेवा–कालीन प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक परिदृश्य उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त संस्थान नई दिल्ली में इसी प्रकार का एक मॉडल विशेष शिक्षा केन्द्र भी संचालित करता है जो नोएडा और नई दिल्ली से कार्य करता है। दोनों ही केन्द्र मानसिक मंदता की भिन्न–भिन्न मात्राओं से ग्रस्त बच्चों सहित 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का पंजीकरण करते हैं।

ऐसे बच्चों के अभिभावकों को, जो दूरस्थ स्थानों से आते हैं और संस्थान की सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, संस्थान के परिसर में पारिवारिक कुटीर उपलब्ध कराए जाते हैं जहां गृह–आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शनों के लिए कार्यक्रम योजना प्रदान की जाती है। इन कुटीरों में अपने प्रवास के दौरान, अभिभावकों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपने रोजमर्रा के कामों से दूर रहते हुए बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकें। इसके अतिरिक्त, एनआईईपीआईडीने विभिन्न जांच उपकरणों, जागरूकता सृजन सामग्रियों और प्रबंधन पैकजों को विकसित किया है, जिनका देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

वयस्क स्वतंत्र जीवन विभाग (डीएआईएल) व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार प्लेसमेंट की सेवाओं के माध्यम से मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के पुनर्वास को प्रोत्साहित करती है। मानसिक मंद वयस्कों को जैनेरिक कौशलों तथा विशिष्ट कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और तत्पश्चात ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाएं व्यावसायिक कार्यों, मार्गदर्शन, काउंसलिंग तथा वर्कस्टेशनों के रूप में प्रदान की जाती हैं। वर्कस्टेशन प्रशिक्षण के उत्पादों जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोकॉपिंग, स्टेशनरी उत्पादों (राइटिंग पैड, फाइल पैड आदि) तथा ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग संस्थान द्वारा आंतरिक प्रयोग के लिए किया जाता है। अन्य उत्पादों जैसे ग्रीटिंग कार्ड, ग्लास पेंटिंग, सॉफ्ट टाय, क्राफ्ट वर्क आदि को आगंतुकों और स्टाफ के सदस्यों द्वारा खरीद लिया जाता है। इन लेनदेनों से होने वाली आय को प्रशिक्षु क्लाइंटों को वापस कर दिया जाता है जो कि उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति स्वरूप है।

संस्थान के पास बौद्धिक दिव्यांगता और संबंधित क्षेत्रों में 14000 से अधिक पुस्तकों और जर्नलों के संग्रह वाला एक सुसज्जित पुस्तकालय है। एनआईईपीआईडी ने आज की तिथि तक 98 मौलिक प्रकाशन किए हैं। संस्थान इंटरनेट के माध्यम से जर्नल आट्रिकलों की फोटोकॉपी उपलब्ध कराता है, एनआईईपीआईडी के प्रकाशनों, वीडियो कैसिटों तथा फ्लापियों का वितरण करता है, नैमी पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करता है, तथा इंटरनेट के माध्यम से रीडिंग सूची तथा समाचारपत्रों की क्लिपिंग और सूचना सेवाएं प्रदान करता है।

संस्थान 7 दीर्घकालीन कार्यक्रमों का संचालन करता है और बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर लोगों के लिए 60–70 अल्पकालीन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रति वर्ष सामान्य सेवाओं के अंतर्गत औसतन 10000 से अधिक नए मामलों तथा 45000 हजार अनुवर्ती मामलों को देखा जाता है। प्रत्येक वर्ष इन ग्राहकों को एक लाख से अधिक सहायता सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। संस्थान प्रति वर्ष एक राष्ट्रीय अभिभावक बैठक, 10 क्षेत्रीय अभिभावक बैठकों और एक विशेष कर्मचारी राष्ट्रीय बैठक का आयोजन करता है। एनआईईपीआईडी प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के भागों में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। एनआईईपीआईडी मानसिक मन्दता से ग्रस्त व्यक्तियों एवं अनु.जा./अनु.जन.जा. के पेशेवरों/अभिभावकों के कल्याण के लिए भी गहन कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस कार्यक्रम में शामिल हैं:–

अनु.जा/अनु.जन.जा. से संबंधित मानसिक मन्दाता से ग्रस्त व्यक्तियों को कंप्यूटर सहयोगी निदेश (सीएआई) के साथ निःशुल्क लैपटापों का वितरण।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों को कंप्यूटर सहयोगी निदेश (सीएआई) पैकेज के साथ मुफ्त लैपटॉप का वितरण।
- सीएआई पैकेज पर अनु.जाध्अनु.ज.जा. से संबंधित व्यावसायिकों को प्रशिक्षण।
- अनु.जा/अनु.ज.जा. से संबंधित दीर्घ अवधि के पाठयक्रमों के छात्रों को पाठयक्रम शुल्क, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों तथा लैपटाप की प्रतिपूर्ति।
- मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों को यात्रा भत्ता, अध्यापन शुल्क, यूनिफार्म तथा पुस्तकों की प्रतिपूर्ति।

एनआईईपीआईडी ने संस्थान की गतिविधियों पर एक सीडी विकसित की है, जिसे देश के विभिन्न भागों में एनआईईपीआईडी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया है। उपर्युक्त सीडी के अतिरिक्त, एनआईईपीआईडी ने अनेक सॉफ्टवेयर सीडीध्वीडियो फिल्में भी विकसित की हैं जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक महत्व की हैं। मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन के माध्यम से मानसिक मंदता वाले बच्चों में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान एनआईईपीआईडी द्वारा मल्टी सेंसरी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। एनआईईपीआईडी की वेबसाइट (www.niepid.nic.in) को आशोधित किया गया है ताकि फ्लैश चित्रों के द्वारा उसे नया रूप प्रदान किया जा सके और दिव्यांगजनों को सहिष्णु बनाया जा सके। संस्थान ने हिन्दी में भी अपनी वेबसाइट को विकसित किया है।

çe[k xfrfof/k;k¡

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 17: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा 1 अप्रैल, 2017 को सीवीआर इंजीनियरिंग कॉलेज, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता 'स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 17 के लिए एनआईईपीआईडी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। सम्मेलन छात्रों के लिए अपने तकनीकी कौशल का पता लगाने और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का एक मंच था। सभी तकनीकी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राजकोट में मेगा कैंपरू एनआईईपीआईडी ने 29–06–2017 को राजकोट में आयोजित मेगा शिविर में भाग लिया और

बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों को 3134 शिक्षण और शिक्षण सामग्री (टीएलएम) किट वितरित किए। एनआईईपीआईडी ने अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति कल्याण योजना के तहत दिव्यांगजनों को 73 लैपटॉप भी वितरित किए।

राष्ट्रीय अभिभावक बैठकरू एनआईईपीआईडी ने 11–12 नवंबर, 2017 के दौरान बंगलौर के पालना भवन में परिवार के सहयोग से 25 वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन श्री थावरचन्द गेहलोत माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने किया था । इस आयोजन में अभिभावकों, पेशेवरों, विशेष शिक्षकों और बौद्धिक दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञों सहित 325 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सीआरसी की स्थापना, दावनगेरेः मंत्रालय ने अपने दिनांक 05/05/2016 के पत्र सं– 6–5/2014–एनआई के माध्यम से कर्नाटक के दावनगेरे में समग्र क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। तदनुसार, एनआईईपीआईडी ने कर्नाटक राज्य में दावनगेरे में सीआरसी स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। मंत्रालय ने दावनगेरे में सीआरसी के लिए विभिन्न स्तरों पर 19 नियमित पदों को मंजूरी दे दी थी। संकाय और अन्य कर्मचारियों की भर्ती का कार्य चल रहा है। वर्तमान में सीआरसी कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए बनाई गई जगह में स्थित है। वर्तमान में नैदानिक सेवाएं और शैक्षिक गतिविधियां ग्राहकों को प्रदान की जा रही हैं।

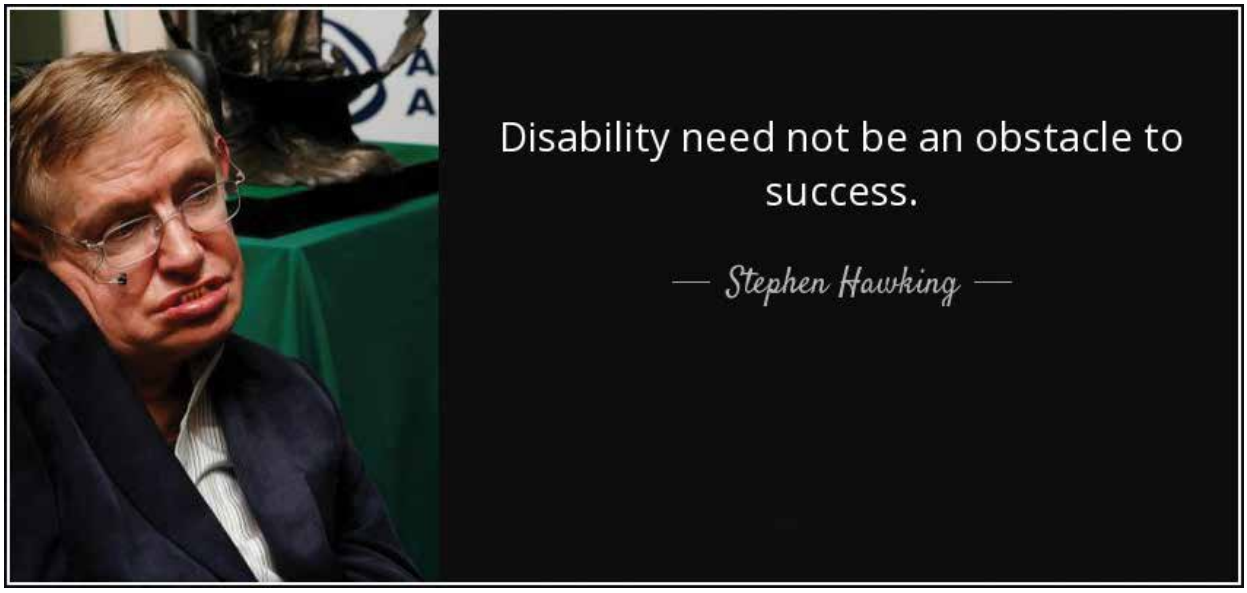

lQyrk dh dgkuh%

रीना कुमारी एक 27 वर्ष की महिला है, जो हल्की मानसिक मंदता से ग्रस्त है। बचपन में उसकी बौद्धिक दिव्यांगता का पता चला था और उसकी माँ ने उन्हें अपने घर के पास एक विशेष स्कूल में भर्ती कराया था। स्कूल के बाद, उसे एनआईईपीआईडी में नौकरी प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में पदोन्नत किया गया था। रीना कुमारी का व्यावसायिक मूल्यांकन कार्यक्रम के साथ मूल्यांकन किया गया था और जेनेरिक कौशल में 80% प्रदर्शन हासिल किया और विशिष्ट नौकरी कौशल प्रशिक्षण में उचित प्रदर्शन हासिल किया था। उसे सिलाई, हेमिंग, मशीन ऑपरेशन, खिलौने बनाने, ग्लास पेंटिंग इत्यादि जैसी संबंधित गतिविधियों का कार्य दिया गया। इस अवधि के दौरान, सहकर्मी समूहों और अन्य पर्यवेक्षकों के साथ उनकी बातचीत में भी सुधार आया।

व्यावसायिक प्रशिक्षक के सहयोग से, उन्हें हस्माथपेट, ओल्ड बोवेनपीली, सिकंदराबाद के पास खुले रोजगार सेटअप में नियोजन मिला था। नियोक्ता ने एक सप्ताह तक उनकी क्षमताओं और नौकरी कौशल को देखा और आरंभिक अवधी में 1500 रुपए वेतन के साथ नौकरी की पेशकश की।

वर्तमान में सुश्री रीना कुमारी बस से नौकरी करने जाती है और अपने काम पर नियमित और समय से पहुँचती है। उसकी नौकरी की प्रकृति में सामान की व्यवस्था करना, संबंधित उपकरण, सामग्री और उपकरणों को अनुक्रमणित करना, कागज चिपकाना, ठीक परिष्करण करना और उचित तरीके से अन्य अनुभाग को प्रेषित करना है। अब वह अपने काम के लिए प्रति माह 5000 रुपये से अधिक कमा रही है। रीना कुमारी के माता–पिता खुश हैं और स्वतंत्र रहने के लिए उनकी सकारात्मक काम की आदत और जीवन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं।

एनआईईपीआईडी द्वारा 11 नवंबर, 2017 को बंगलौर में आयोजित राष्ट्रीय अभिभावक बैठक के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित डॉ. थावरचन्द गेहलोत माननीय केन्द्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति ।

7 jk"Vªh; cgq&fodykaxrk xzLr tu l'kfä dj.k laLFkku] ¼,uvkbZbZih,eMh½ pSUubZ

राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय है। एनआईईपीएमडी की स्थापना मुटुकाडू जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु में वर्ष 2005 में बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इनमें निःशक्तजन अधिनियम,1995 में उल्लिखित सूची (कम दृष्टि, अंधता, लोकोमोटर दिव्यांगता, श्रव्य हानि, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी और कुष्ठ मुक्त व्यक्ति) तथा राष्ट्रीय न्यास (1999) अधिनियम के अनुसार सेरेब्रल पाल्सी और औटिस्म में से एक से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं। कोझीकोड और नागपुर में समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), एनआईईपीएमडी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं।

çnÙk lsok,a

* चिकित्सीय हस्तक्षेप और रेफरल
* सुपर स्पेशलिटी क्लीनिकल सेवाएं
* शीघ्र हस्तक्षेप सेवाएं

* शारीरिक दवा एवं पुनर्वास
* आउट पेशेंट होम्योपैथी क्लिनिक
* फिजियोथेरेपी
* व्यावसायिक थैरेपी
* संवेदी एकीकरण थैरेपी
* विशेष स्कूल
* प्रॉस्थेटिक्स और ओर्थेओइक्स
* इन्क्लूसिव प्रिपेटरी स्कूल
* अभिभावक सशक्तिकरण कार्यक्रम
* ऑडियोलॉजिकल मूल्यांकन
* वाक् एवं भाषा हस्तक्षेप
* मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप
* मार्गदर्शन और परामर्श
* विशेष शिक्षा सेवाएं
* प्रौढ स्वतंत्र जीवन कार्यक्रम
* मोबाइल सेवाएं
* डे–केयर सेंटर
* व्यावसायिक प्रशिक्षण
* समुदाय ध्आउटरीच कार्यक्रम
* सहायक यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण
* परिवार कॉटेज सेवा
* प्रलेखीकरण प्रसार सेवाएं
* राहत देखभाल सेवाएं
* टोल फ्री हेल्प लाइन

,uvkbZbZih,eMh dh xfrfof/k;ksa ds QksVks

राज्यों/संघशासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन – दक्षिण क्षेत्रः 12 मई, 2017 को रेजीडेंसी टावर्स चेन्नई में दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दिव्यांगजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्मेलन।

एनआईईपीएमडी, चेन्नई में 9 मई, 2017 को स्वच्छ भारत वृक्षारोपण कार्यक्रम

,uvkbbih,eMh dh xfrfof/k;k d QkVk

श्री रामदास आठवले, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सरकार भारत ने एनआईईपीएमडी, चेन्नई में 8 सितंबर, 2017 को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का उद्घाटन किया।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 26 दिसम्बर, 2017 को एनआईईपीएमडी का दौरा किया।

दिनांक11–12 दिसंबर 2017 और 13–14 दिसंबर 2017 को एनआईईपीएमडी, चेन्नई में 'विकलांग व्यक्तियों की हैंडलिंग पर सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यशाला'

lQyrk dh dgkuh

uke% lYoh ,l lkorh vpuk

vk;q: 17 o"k] 4 eghu

निदानः

वह मानसिक मंदता के साथ औटिस्म स्पेक्ट्रम विकार से ग्रस्त थी तथा वर्ष 2015 से एनआईईपीएमडी की सेवाएं ले रही है और उनकी व्यवहारिक समस्या है, खराब आवाज की समस्या और समाजीकरण में कठिनाई की समस्या है।

अक्षमता के कारणः

उसने जन्म के समय रोने में देरी की, लंबे समय तक प्रसव प्रक्रिया में रही, बच्चे को एनआईसीयू में रखा गया था।

हस्तक्षेपः वीएपीएस, एफएसीपी, एमडीपीएस मूल्यांकन उपकरण के आधार पर।

उसे ट्रांजिशन इकाई में विशेष स्कूल में नामांकित किया गया है। वह दैनिक जीवन के कार्य स्वतंत्र रूप से कर रही थी। इस दौरान उनको मासिकधर्म चक्र शुरू हो गया और उन दिनों के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए उनको मदद की जरूरत थी। उनके व्यवहार संबंधी मुद्दों, जैसे स्वयं को चोटिल करना, बुरी तरह चिल्लाना, जोर से हंसना, शब्दों और वाक्यों की पुनरावृत्ति, इकोलालिया, जानवरों के नामों से पुकारते हुए अपने दोस्त को चिढ़ाना। उनको एकाग्रता बनाए रखने में कठिनाई होती है, कक्षा शिक्षक के अनुदेशों की अवमानना करना और अनुदेशों का पालन नहीं करती है और दूसरों को या अपनी मां को निर्देश दोहराती है।

हस्तक्षेप के बाद उसने अनुदेशों का पालन करना और सामाजिक संकेतों का पालन करना सीख लिया। जैसे अपने परी की प्रतीक्षा करना, लड़कों के साथ नहीं बैठना, यदि वे स्पर्श करते हैं, तो उन्हें मना करना, वह गतिविधियों में सहयोग करती है, वह भावनाओं का उचित रूप से पालन करती है, वह पर्याप्त समर्थन के साथ अनुकूली व्यवहार करती है। वह पाठ से पढ़ना सीखती है, सामाजिक कहानियों के अनुक्रमों के साथ नम्रता से बोलती है, पढ़ती और लिखती और नकल करती है और वह सुपरमार्केट में खरीदारी के लिए दूसरों के साथ जाती है। उसने सकारात्मक व्यवहार सुधार, टोकन अर्थव्यवस्था और विशेषाधिकार कार्ड के साथ अपने स्वयं को चोटिल करने के व्यवहार को कम कर दिया है। वह दूसरों की बात को समझ कर उचित रूप से संवाद करती हैं और वह बिना दोहराए अपनी बात कहती हैं।

उनकी टाइपिंग कौशल की तरह अतिरिक्त प्रतिभा है। पहले वह एक एक करके अक्षर टाइप करती थी और अब लगातार अभ्यास के बाद वह बिना गलतियों के टाइप करती है, रुपए से चीजें खरीदती है और बचे हुए पैसे लेती है, गणना और भुगतान करना सीखा है, धन की अवधारणा करती है और जोड़, घटा, गुणन, विभाजन आदि गणितीय गणना करना सीख लिया है। उसने साइकिल चलाना सीख लिया है पहले वह मदद के साथ साइकिल को धकेलती थी।

शिक्षक पहले खरीदने की कौशल समझा रहा थाय वह किराने की वस्तुओं के क्रय नामों को जानती थी और वह 2000/– तक रुपए और उसके घटक के बारे में जानती है लेकिन वस्तु के बदले रुपये का आदान–प्रदान और भुगतान के बाद शेष राशि की गणना और पैसा वापस लेना नहीं जानता है। एक्सपोजर विजिट के बाद शिक्षक ने वास्तविक स्थिति में मां के सहयोग से उन्हें सुपर बाजार में सौ रुपये की खरीद करना सिखाया। उसने टोकरी ली और उसमें सत्तर रुपए मूल्य की किराने की वस्तुओं को रखा। उसने दुकानदार को सौ रुपये दिए और वह शेष राशि प्राप्त करने के लिए इंतजार किया, दुकानदार ने शेष राशि तीस रुपए वापस किए और उसने शेष राशि की गणना की । उसने स्वतंत्र रूप से खरीद करना और शेष राशि प्राप्त करना सीख लिया है।

lQyrk dh dgkuh

l¡t ;

आयुः 13 वर्ष /पुरुष

निदानः लोकोमोटर दिव्यांगता के साथ दृश्यता हानि

दिव्यांगता के कारणः

संजय, उम्र 13 वर्ष। उन्हें दृश्यता हानि, घर के साथ–साथ स्कूल और अन्य स्थानों में चलने/गतिशीलता में कठिनाई थी। उन्हें एनआईईपीएमडी मॉडल स्कूल में 17/06/2015 को डीबी यूनिट में नामांकित किया गया था ।

स्कूल आने से पहले वह संकेत, ब्रेल, उचित गतिशीलता के बारे में नहीं जानता। लोगों की पहचान करने में कठिनाई होती है। दृश्य समस्या के कारण वह वस्तुओं और आइटम को नहीं देख सकता था और अधिकतर समय हाथों का उपयोग भी नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त वह पोस्ट एन्सेफलाइटिस से भी प्रभावित था और उसके दाहिने ओर के ऊपरी और निचले लंग को कार्यात्मक रूप से नुकसान पहुंचाया है। उन्हें दिन–प्रतिदिन जीवन की गतिविधियों और शैक्षणिक गतिविधि करने में कठिनाई हो रही है।

हस्तक्षेपः निम्नलिखित मूल्यांकन टूल के आधार परः

- एफएसीपी
- एक साथ बेहतर
- कैलीयर अजूसा
- टीएपीएस

शिक्षण तकनीकों को पढ़ाने और लागू करने के लिए शिक्षक निर्णायकय ब्रेल, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, उनके समग्र कार्यात्मकता में सुधार करने के लिए स्पर्शात्मक विधि। वह ब्रेल के साथ पढ़ना और लिखना सीखता है। वह घर और स्कूल दोनों में चलने और गतिशीलता दोनों के लिए फोल्डिंग छड़ी का उपयोग करता है।

वह लोगों की पहचान करने और उनके साथ संवाद करने के लिए संदर्भ के स्पर्श प्रतीक और वस्तुओं का उपयोग करता है। वह संदर्भों की वस्तुओं के साथ अर्थपूर्ण रूप से बात करना सीखता है। और उन्होंने अपने शैक्षणिक कौशल में सुधार किया, पढ़ने के साथ– साथ ही ब्रेल के रूप में लेखन भी किया। अपने शिक्षक द्वारा निर्देशित वह अपना नाम, शब्द लिखता है। उसने अपने एडीएल कौशल में सुधार किया है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, लेकिन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। उसने 7 वीं कक्षा में पढ़ते हुए मुख्यधारा की शिक्षा में सुधार किया है।

ii. ubl xfrfof/k;k vkj ?kVuk,¡

पहलः समझौता ज्ञापनः

- एनआईईपीएमडी का विस्तार केंद्र खोलने के लिए 13 मई, 2017 को डॉ. एमजीआर मेडिकल विश्वविद्यालय तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन किया।
- एनआईईपीएमडी में आउट पेशेंट क्लिनिक खोलने के लिए 18 अगस्त 2017 को केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), आयुष मंत्रालय, सरकार भारत, नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन किया।
- केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), आयुष मंत्रालय, सरकार भारत, नई दिल्ली ने 12 अक्तूबर, 2017 को एनआईईपीएमडी में ओपीडी सेवाओं का उद्घाटन किया।

ekuo lalk/ku fodkl%

वर्ष 2017–18 के दौरान नए कोर्स लॉन्च किए गएरू

- 1 बैचलर ऑफ फिज्योथैरेपी (बीपीटी)
- 2 बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी (बीएएसएलपी)

एनआईईपीएमडी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के दिव्यांगजनों और उनके परिवार सदस्यों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया:

1) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम –2006 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन
2) एबीलिम्पिक्स
3) खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम
4) अभिभावक बैठक
5) आईसीडीएस बैठक
6) एसएसए/आरएमएसए बैठक
7) संसाधन केंद्र की स्थापना
8) विभिन्न दिव्यांगता और योजनाओं पर जागरूकता सामग्री का विकास।

उपर्युक्त कार्यक्रम सभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एसएसए, आरएमएसए, समाज कल्याण विभागों और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय के साथ आयोजित किए गए थे।

l;ä {k=h; dUæ ¼lhvkj lh½

निशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के लागू होने के परिणामस्वरूप, जो सरकार के ऊपर दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने के लिए कदम उठाने का उत्तरदायित्व देता है, संयुक्त क्षेत्रियां केन्द्रों को स्थापित किए जाने की योजना तैयार की गई। संयुक्त क्षेत्रिय केन्द्रों को स्थापित किये जाने की योजना देशभर में दिव्यांगजनों तक पहुंचने की संपूर्ण नीति का एक भाग है और जागरूकता उत्पन्न करने, पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षण, सेवा सुपुर्दगी इत्यादि के लिए केन्द्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों और निचलें स्तरों पर आवश्यक अवसंरचना और क्षमता निर्माण के सृजन को सुविधाजनक बनाया है। यह सोचा गया कि पुनर्वास सेवाओं को स्थापित किए जाने की प्रक्रिया की गति को बढ़ाने के लिये और राष्ट्रीय संस्थानों, क्षेत्रिय पुनर्वास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों डी.डी.आर.सी. इत्यादि द्वारा विकसित सेवाओं के नवीन माडल का राज्य सरकार से भागीदारी करना और निशक्त लोगों जिन तक नहीं पहुंच पाए तक पुनर्वास सेवाओं को स्थापित, सुदृढ़ एवं प्रोन्नत करने के लिए क्षमता निर्माण करने हेतु भी केन्द्रीय सरकार की पहल आवश्यक है। उन स्थानों पर जहां दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं वर्तमान अवसंरचना में अपर्याप्त थी और जहां ऐसे केन्द्रों को स्थापित किये जाने की अति आवश्यकता थी, वहाँ केन्द्रों को स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था।

py jgs l;ä {kf=; dæ

वर्तमान में, सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार), भोपाल (मध्य प्रदेश), अहमदाबाद (गुजरात) कोझिकोड केरल), राजनांदगांव (छत्तीसगढ़), नेल्लोर (आंध्र प्रदेश), दगेरे (कर्नाटक) और नागपुर (महाराष्ट्र), अगरतला (त्रिपुरा), रांची (झारखंड) नहरलागु (इटानगर), अरुणाचल प्रदेश में 15 सीआरसी काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय संस्थान/समग्र क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा चलाए जा रहे दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (एक या एक से अधिक वर्ष की अवधि) का विवरण अनुबंध–13 में दिया गया है।

8 Hkkjrh; ladr Hkk"kk çf'k{k.k vkj vuqla/kku dUæ dh LFkkiuk ¼vkbZ,l,yvkjVhlh½

सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) को इस विभाग के तत्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस संबंध में आदेश 28 सितंबर 2015 को विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं। केंद्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय सांकेतिक भाषा में शोध, शिक्षण और संचालन करने के लिए मानव शक्ति का विकास करना होगा। वर्तमान में केंद्र ए–91, प्रथम तल, नागपाल बिजनेस टॉवर, ओखला चरण–II, नई दिल्ली –110020 के परिसर में काम कर रहा है।

आईएसएलआरटीसी का पंजीकरण 01.02.2016 को सोसाइटी के रूप में किया गया। 33 पदों के सृजन के लिए आदेश 06.02.2016 को जारी किया गया। केन्द्र के लिए स्वीकृत 33 पदों के मुकाबले, दिनांक 31.08.2017 तक 20 कार्मिकों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय संकेत भाषा व्याख्या में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रथम बैच 15 छात्रों की क्षमता के साथ 28.10.2016 से चालू है। दूसरा बैच 14.12.2016 से शुरू किया गया है और तीसरा बैच 10.04.2017 से शुरू हुआ है। लगभग 6000 शब्दों का संकेत भाषा शब्दकोश बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। आईएसएलआरटीसी ने भारत में आईएसएल ब्याख्याओं की डायरेक्ट्री बनाने की योजना बनाई है।

10 नई पहल और विभाग की विशेष उपलब्धियां

अध्याय

10-1 l|xE; Hkkjr vfHk;ku

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी ने 03 दिसंबर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) प्रारंभ किया जिससे कि भवन वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी (आईसीटी) पर्यावरण प्रणाली में दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता सृजित की जा सके। अभियान दिव्यांगता के इस सामाजिक मॉडल के सिद्धांत पर आधरित है कि दिव्यांगता इस कारण कि समाज को संगठित किया जा सके न कि व्यक्ति की सीमाओं और बाधाओं को। अभियान का विजन एक समावेशी समाज विकसित करना है जिसमें दिव्यांगजनों को वृद्धि एवं विकास के समान अवसरों की व्यवस्था हो ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन की और अग्रसर हो सकें।

उपरोक्त के मद्देनजर एआईसी के तहत बनाए गए उद्देश्यों, लक्ष्य और प्रगति निम्नलिखित हैंः

I fufeZr okrkoj.k dh l|xE;rk%

सुगम्य सरकारी भवनों का अनुपात बढ़ाना

y{;%

चरण–I: चयनित 50 शहरों में 25–50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हे दिसंबर 2017 तक पूर्णत सुगम्य बनाना।

चरण– II: दिसंबर 2018 तक राष्ट्रीय राजधानी और सभी राज्य की राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को पूर्णत सुगम्य बनाना।

चरण–III: चरण (i) और (ii) के लक्ष्यों में कवर न किए गए राज्यों के 10 अति महत्वपूर्ण शहरोंध्कस्बों का सुगम्यता ऑडिट पूरा करना और उन्हे दिसंबर 2019 तक पूर्णत सुगम्य बनाना

ftle s1%

- राज्य सरकारों द्वारा चयनित 1662 इमारतों का सुगम्यता ऑडिट पूरा हो गया है।
- राज्य नोडल अधिकारियों को 1662 सुगम्यता ऑडिट रिपोर्ट सौंपी गईं।

- अनुदान सहायता जारी करने के लिए दिव्यांगता अधिनियम 1995 (एसआईपीडीए) से उत्पन्न होने वाली योजना के तहत 997 भवनों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
- 615 भवनों के लिए 160.53 कोर की मंजूरी जारी की गई है।
- सुगम्यता ऑडिट के लिए ऑडिटरों को लगभग 283 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
- चरण 2 और चरण प्प्, राज्यों ध संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपने स्वयं की निधियों से लागू किया जाना है।

II ifjogu ç.kkyh lqxE;rk%

सुगम्य हवाई अड्डों का अनुपात बढ़ानाः

लक्ष्यः सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को दिसंबर 2016 तक और घरेलू हवाई अड्डों को मार्च 2018 तक पूर्णत सुगम्य बनाना। जिसमे सेः

- सभी 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 48 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्य योग्यता विशेषताओं जैसे रैंप, सुलभ शौचालय, ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों के साथ लिफ्ट प्रदान किए गए हैं।

सुगम्य सार्वजनिक परिवहन का अनुपात बढ़ाना

लक्ष्यः सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन वाहकों का 10ः मार्च 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य होगा। जिसके लिएरू

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों ध एसआरटीयू को निर्देश जारी किए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकार के 10ः स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य हो।
- देश में कुल 61 में से 52 एसआरटीयू में उपलब्ध 1,41,572 बसों में से 12,894 बसों में सुगम्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

सुगम्य रेलवे स्टेशनों का अनुपात बढ़ानाः

लक्ष्यरू रेलवे स्टेशनों की ए 1, ए और बी श्रेणियां को दिसंबर 2016 तक पूरी तरह से सुगम्य बनानी होंगी और सभी रेलवे स्टेशनों का 50% मार्च 2018 तक पूरी तरह से सुगम्य होगा। जिसमे सेः

- 709 ए 1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में से, 653 को अल्पकालिक सुविधाओं में सुगम्य बनाए गए हैं। लघु अवधि की विशेषताएं हैं– (1) मानक रैंप की व्यवस्था; (2) दिव्यांगजनों के लिए दो पार्किंग स्थल निर्धारित करना; (3) स्टेशन बिल्डिंग के लिए पार्किंग से गैर फिसलन वाले मार्ग का प्रावधान; (4) संकेतों का प्रावधान; (5) कम से कम एक सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराना; और (7) क्या मैं आपकी सहायताकर सकता हूं बूथ । दो दीर्घकालिक विशेषताएंः प्लैटफार्म किनारों पर उत्कीर्णन–640 स्टेशनों मेंय ट्रॉली पथ सुविधा–597 स्टेशनों में प्रदान की जाती है।

III& lpuk vkj lpkj ç.kkyh lqxE;rk%

सुगम्य दस्तावेजों और वेबसाइटों के अनुपात को बढ़ाना जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सुगम्यता मानकों को पूरा करते हैं।

लक्ष्यः मार्च 2017 तक कम से कम 50ः केंद्रीय और राज्य सरकार की वेबसाइटें सुगम्य हो जाएंगी। जिसके लिएः

- इसे सुलभ बनाने के लिए राज्यों ६ संघ शासित प्रदेशों की 917 वेबसाइटों की पहचान की गई है। पहले से ही 111 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है और शेष के लिए काम प्रगति पर है।

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 100 सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट फरेमवर्क (सीएमएफ) के एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की शुरुआत की है । जिसमें से 78 वेबसाइटें सुगम्य हो चुकी हैं, 3 वेबसाइटें सुगम्य हो चुकी हैं लेकिन अभी तक लाइव उपलब्ध कराना बाकी है, 2 वेबसाइटें सुगम्य होने की प्रक्रिया में हैं और चार पर अभी काम होना शेष है ।

- इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 28 मई, 2015 को सरकारी अधिसूचनाएं ६ परिपत्रों को सुगम्य बनाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे।

वर्ष 2017–18 के दौरान सुगम्य भारत अभियान के तहत जारी की गई निधियाँ (05.01.2018 तक)

Øe l[;k	jkT;@dUæ 'kkflr çn'kk	jkf'k
1.	छत्तीसगढ़ (रायपुर में 23 भवन)	रु.688.59 लाख
2.	हरियाणा (01 भवन गुरग्राम में और 07 भवन फरीदाबाद में)	रु.300.11 लाख
3.	नागालैंड (कोहिमा में 4 भवन)	रु.78.48 लाख
4.	मध्य प्रदेश (भोपाल में 12 और इंदौर में 2 भवन)	रु.290.00 लाख
5.	मेघालय (शिलांग में 04 भवन)	रु.166.39 लाख
6.	ओडिशा (02 भवन भुवनेश्वर)	रु.60.62 लाख
7.	तमिलनाडु (कोयम्बटूर में 06 भवन)	रु.307.50 लाख
8.	गुजरात (गांधीनगर में 31 और सूरत में 6 भवन)	रु.114.37 लाख
9.	राजस्थान (जयपुर में 90 भवन)	रु.3813.00 लाख
10.	उत्तर प्रदेश (कानपुर, लखनऊ, झाँसी, वाराणसी और आगरा)	रु.3073.29 लाख
11.	भवनों की सुगम्यता ऑडिट के लिए भुगतान	रु.23.82 लाख
	कुल	रु.8892.59 लाख

e[; ckr

- 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। ये कार्यशालाएं 5 क्षेत्रों में आयोजित की गईं अर्थात पूर्वी क्षेत्र 09.05.2017 (दिल्ली), दक्षिणी क्षेत्र 12.05.2017 (चेन्नई) पश्चिमी क्षेत्र 11.05.2017 (मुंबई), उत्तरी क्षेत्र 26.05.2017 (चंडीगढ़), मध्य क्षेत्र 02.06.2017 (भोपाल), में आयोजित की गईं।

- 2 नवंबर, 2017 को युवा छात्रों के लिए सुगम्यता – जागरूकता कार्यक्रम पर ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन।
- 9 नवंबर, 2017 को समारोह और फिल्म स्क्रीनिंग के साथ, 'दिव्यांगजन सशितकरण' पर लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित दिनांक 19.01.2018 को 'सुगम्यता में सुधार पर राष्ट्रीय सम्मेलन' में एआईसी के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की 100 सुगम्य वेबसाइटों को माननीय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने शुरू की।
- एक समर्पित वेबसाइट– www.accessibleindia.gov.in है। जिससे नए अपडेट और घटनाओं तक पहुंचा जा सकता है।

पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों – महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दीव दमन एवं अन्य राज्यों के संबंध में विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए 11.5.2017 को मुंबई में सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

दक्षिणी क्षेत्रीय सम्मेलन में सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी की अध्यक्षता में चेन्नई में 12.5.2017 को दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों/संघ शासित प्रदेशों – तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पांडिचेरी के संबंध में विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय क्षेत्रीय सम्मेलन 02.06.2017 को केन्द्रीय क्षेत्र राज्यों – मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के संबंध में विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए भोपाल में आयोजित किया गया था।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों – असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों के संबंध में विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में 09.06.2017 को आयोजित किया गया था। ।

02.11.2017 को राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में विभाग द्वारा आयोजित ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन

02.11.2017 को राष्ट्रीय बालभवन, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं की प्रशंसा के लिए प्रवासी भारतीय केंद्र में 14.11.2017 को आयोजित समारोह में दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया गया सांस्कृतिक प्रदर्शन।

माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. थावरचंद गहलोत से राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली में 02.11.2017 को आयोजित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं के सम्मान में प्रवासी भारतीय केंद्र में 14.11.2017 को, सम्मान प्राप्त करने वाला दिव्यांग छात्र।

08.12.2017 को फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली में एफआईसीसीआई के सहयोग से 'कार्यस्थल पर पहुंच–योग्यता और समावेशन पर दिव्यांगता अधिनियम, 2016' पर संवेदनशीलता कार्यशाला।

कार्यस्थल पर सुगम्यता और समावेशन पर कार्यशाला में निजी क्षेत्र, दिव्यांगता, गैर–सरकारी संगठनों, प्रवेश लेखा परीक्षक आदि से प्रतिभागीः 08.12.2017 को 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 फेडरेशन हाउस, फिक्की, नई दिल्ली।

डीईपीडब्ल्यूडी ने फिल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर 'दिव्यांजन सशक्तिकरण –2017' पर एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया और सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 09.11.2017 को आयोजित एक समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया गया।

09.11.2017 को सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में पुरस्कार समारोह के दौरान सांस्कृतिक नृत्य प्रदर्शन में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों के साथ डॉ. थावरचंद गेहलोत

डॉ. थावरचंद गेहलोत ने 1 9 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'सुगम्यता में सुधार के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन' के अवसर पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों की 100 सुगम्य वेबसाइटों का शुभारंभ किया।

देश के विभिन्न हिस्सों से राज्य सचिवों, केन्द्रीय सरकारों के प्रतिनिधियों, राज्य दिव्यांगजन आयुक्तों, समाज के प्रतिनिधियों आदि ने 19.01.2018 को विज्ञान भवन में आयोजित अभिगम्यता में सुधार के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

10-2 'kks/k vkSj fodkl

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने जनवरी 2015 में 'दिव्यांगजनों से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों और मुद्दों पर अनुसंधान' पर एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है जिसमें निम्नलिखित उद्देश्यों हैंः

(i) जीवन चक्र की जरूरतों और व्यक्तियों और उनके परिवारों के समग्र विकास के आधार पर सेवा मॉडल और कार्यक्रमों के अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(ii) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम माहौल तैयार करना,

(iii) दिव्यांगता की रोकथाम और प्रसार में अनुसंधान को बढ़ावा देना

(iv) स्वदेशी और उपयुक्त एड्स और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लागू करें।

इस योजना में 2 घटक हैं अर्थात. I. सहायक तकनीक और उत्पाद विकास उपकरणों का अनुसंधान और विकासय और ii. अध्ययन/शोध/सर्वेक्षण/इंटर्नशिप और विकलांगता से संबंधित आंकड़ों के आवधिक संग्रह के लिए योजना राज्य सरकारों, विभाग के तहत राष्ट्रीय संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रस्ताव को इस योजना के अनुसार जमा करें। वर्ष 2017–18 के दौरान, जुलाई में 2017 तक 12 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से दो प्रस्ताव प्रस्तावित थे, तकनीकी मूल्यांकन समिति ने संचालन समिति के विचार के लिए। हालांकि, संचालन समिति के निर्णय के आधार पर, इन दो प्रस्तावों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा, दो चालू परियोजनाओं के संबंध में 9.86 लाख रुपये की दूसरी किस्तय एक एनआईएमएचएएनएस, बैंगलोर और एक वीआईटी विश्वविद्यालय, चेन्नई में एक जारी किया जा रहा है।

10-3 lekos'kh vkSj lkoZHkkSfed fMtkbu ds fy, jk"Vªh; laLFkku ¼,uvkbZvkbZ;Mh½

मंत्रालय ने सार्वभौमिक डिजाइन के समावेशी एजेंडे पर समावेशी और सार्वभौमिक डिजाइन (एनआईआईयूडी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो विकलांग लोगों द्वारा पहुंच के लिए उच्च महत्व देने के माध्यम से, हर किसी के द्वारा पर्यावरण पहुंच पर ध्यान केंद्रित करेगा। का एक परिव्यय 12 वीं योजना अवधि के लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

विभाग ने मानव विभागित डिजाइन, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए संस्थान को एनआईआईयूडी स्थापित करने के लिए इस विभाग के साथ गुरु और सहयोग के लिए पहचाना। कैबिनेट नोट तैयार होने से पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए विदेश मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।

10-4 fn0;kaxrk [ksydwn dsUæ

विभाग द्वारा दिव्यांगता हेतु खेलकूद 3 केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें जीरकपुर, पंजाब राज्य सरकार, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, राज्य सरकार और ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से भूमि प्राप्त कर ली है।

सभी तीन केन्द्रों के लिए साइट विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सलाहकारों को नियुक्त किया गया है। सलाहकार ने डीपीआर का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है, जिसे इस उद्देश्य के लिए विभाग द्वारा गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच की जाएगी।

10-5 jkT; Likbu bat;jh dUæ dh LFkkiuk ij dUæh; {ks=d ;kstuk

विभाग ने राज्य के स्पाइनल चोट केंद्रों की स्थापना की एक योजना बनाई है, जिसके लिए रुपये का एक परिव्यय। 12 वीं योजना अवधि के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं राज्य स्पाइनल चोट केंद्रों का ध्यान मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी की चोटों के व्यापक प्रबंधन पर होगा। इस योजना के अंतर्गत, राज्य की राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र के जिला अस्पताल से समर्पित एक व्यापक पुनर्वास केंद्र को समर्पित 12 बिस्तर स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना को 31.03.2015 को अधिसूचित किया गया है। इस विभाग ने अपने राज्यों में केन्द्र स्थापित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शहितों की अभिव्यक्तिश आमंत्रित की थी। अब तक राजस्थान और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इनमें से प्रत्येक राज्य को एसएमसी मेडिकल कॉलेज, जयपुर (राजस्थान) और केंद्र सरकार में स्थापित करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान की गई है। मेडिकल कॉलेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर) सरकार के प्रस्ताव मेघलय और पुडुचेरी के यूटी का अभी तक प्राप्त हुआ है और यह विभाग में विचाराधीन है।

- 2017–18 के लिए 5.00 करोड़ रूपए की कुल बजटीय आबंटन में से, 02.12.2017 को 2.04 करोड़ रुपए के लिए धन जारी किया गया है।

10-6 lkoZtfud&futh Hkkxhnkjh

दी इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर (आईएसआईसी), नई दिल्ली, एक गैर सरकारी संगठन मेरूदंड की चोट से पीड़ित लोगों को और संबंधित रोगियों को एक पूरी तरह से पुर्नवास की सेवाएं प्रदान करता है। इनमें पुर्नरचना सर्जरी, स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन, फिजिकल पुर्नवास, मनो–सामाजिक पुर्नवास और पेशेवर पुर्नवास सेवाएं शामिल हैं।

केन्द्रीय मंत्रीमंडल के निर्णय के अनुसार, सरकार गरीब मरीजों के उपचार के लिए 25 बेड मुफ्त मे देने का प्रस्ताव करती है। इसके अतिरिक्त केन्द्र गरीब मरीजों को 5 बेड प्रदान करती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईएसआईसी को विभाग द्वारा जारी किया गया अनुदान नीचे दिया गया है।:–

रुपये करोड़ में

foÙkh; o"kZ	ctV vuqeku	tkjh jkf'k
2014-15	2.00	1.80
2015-16	2.00	2.00
2016-17	2.00	2.00
2017-18 (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार)	2.00	-

विभाग ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), नई दिल्ली के आईएसआईसी को निधियों की प्रतिपूर्ति की प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन की योजना के संचालन के लिए अनुबंध प्रदान किया है। एनपीसी ने विभाग को अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। है जिसे विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 14 वीं वित्त आयोग की अवधि यानी 2017–18 से 2019–20 के दौरान योजना की निरंतरता का प्रस्ताव विचाराधीन है।

10.7 ^^czsy çsl dh LFkkiuk@vk/kqfudhdj.k@{kerk lao/kZu ds fy, lgk;rk** dh dsUæh; {ks=d ;kstuk

सरकार ने दृष्टि बाधितों के लाभ के लिए नवंबर, 2014 में ''ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के लिए सहायता'' की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की है।

- ifj;kstuk ds mn~ns'; g%

  (i) 18 नयी ब्रेल प्रेसों की स्थापना

  (ii) संघ राज्य क्षेत्रों में 03 लघु स्तरीय ब्रेल प्रेसों की स्थापना

  (iii) 12 पुरानी ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण

  (iv) 03 आधुनिक ब्रेल प्रिटिंग प्रेसों की ब्रेल प्रिंटिंग क्षमता को बढाना ।

7. सरकार 2014–15 से 2016–17 के दौरान निम्नलिखित ब्रेल प्रेस को मंजूरी दे दी हैः

नयी ब्रेल प्रेसों की स्थापना	–	6 संख्या
वर्तमान ब्रेल प्रेसों का आधुनिकीकरण	–	2 संख्या
ब्रेल प्रेसों की क्षमताओं में वृद्धि	–	3 संख्या

योजना के तहत वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान रु 23,29,31,032/– जारी किया गया था।

इस योजना को 2016–17 से आगे जारी रखने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अब, यह योजना 2017–18 से 201 9–20 के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू की जाएगीः –

(i) 6 नए ब्रेल प्रेस को स्थापित करने के लिए

(ii) संघ राज्य क्षेत्रों में 03 छोटे पैमाने पर ब्रेल मुद्रण इकाइयां स्थापित करने के लिएय

(iii) 1 पुरानी ब्रेल प्रेस का आधुनिकीकरण करना

संशोधित योजना के तहत, सरकार ने 04.01.2018 तक दो नई ब्रेल प्रेस की स्थापना का अनुमोदन किया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए विभाग द्वारा जारी जीआईए निम्नानुसार हैः –

o"kZ	ctV vkoaVu	tkjh vuqnku
2017–18	रु 10 करोड़	रु .6.24 करोड़

2017&18 ¼04-01-2018 rd½ d nkjku tkjh fd, x, vunku

Ø-l-	jkt dh; lLFkku@lxBu dk uke	jkT;	vunku tkjh xj vkorh	vunku tkjh vkorh
	u, cy çl dh LFkkiuk d fy,			
1	शुभम ट्रस्ट, मुजफ्फरपुर	बिहार	रु. 79,61,000	--
2.	जगदगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	रु. 56,35,000	--
3.	डॉ शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रु. 1,12,75,000	--
4.	सीआरसी सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश	--	रु. 9,95,428
	cy çl dh {kerk e of) d fy,			
	cy çl d vk/kfudhdj.k d fy,			
4.	एनआईईपीवीडी क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई	तमिलनाडु	--	रु. 41,97,234
5.	नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड	दिल्ली	रु. 81,48,481	रु. 24,61,707
6.	ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड	दिल्ली	रु. 71,67,141	रु. 15,88,503
	cy çl d vk/kfudhdj.k d fy,			
7.	सेंट्रल ब्रेल प्रेस, देहरादून	उत्तराखंड	--	रु. 51,97,183
8.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर	राजस्थान	--	रु. 9,71,376
9.	रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	--	रु. 12,06,995
10.	मित्रा ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट, बैंगलोर	कर्नाटक	--	रु. 13,96,194
11.	सामाजिक कल्याण निदेशालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ सरकार	छत्तीसगढ़	--	रु. 18,38,682
12.	टीवीसीसी, हैदराबाद	तेलंगाना	--	रु. 13,14,297
13.	अंध राष्ट्रीय एसोसिएशन, अहमदाबाद	गुजरात	रु. 2,50,367	रु. 7,50,064
14.	नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मुंबई	महाराष्ट्र	--	रु. 12,79,542
15.			रु. 4,11,36,989	रु. 2,22,26,022

जारी किए गए निधियों का विवरण (श्रेणी–वार) vuyXud&14 के अनुसार है।

10-8 jk"Vªh; ekufld LokLF; iquokZl lLFkku dh LFkkiuk

मानसिक बीमारी को दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगता के रूप में पहचाना गया है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और उनके परिवारों को आवासीय पुनर्वास सहित सेवाओं का प्रावधान न केवल एक विशेष आवश्यकता है, बल्कि एक कानूनी और वैधानिक दायित्व है। जबकि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के चिकित्सकीय भाग का ध्यान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रखा जाता है, तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा पुनर्वास के पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) की स्थापना की गई है। तदनुसार, विभाग ने भोपाल में एनआईएमएचआर स्थापित करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए भोपाल में 5 एकड़ जमीन पहले ही दे दी है। विभाग ने इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए सीपीडब्ल्यूडी को लगाया है। दिनांक 09.08.2017 को आयोजित अपनी बैठक में व्यय वित्त समिति और व्यय की स्थापना पर समिति ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। विभाग मंत्रिमंडल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।

10-9 vf}rh; fn0;kxrk igpku ¼;MhvkbMh½ ifj;ktuk

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस बनाने के लिए यूडीआईडी प्रोजेक्ट को लागू करने की प्रक्रिया में है और उनमें से प्रत्येक को अद्वितीय आईडी कार्ड जारी करने के लिए भी है। सॉफ्टवेयर एनआईसी बादल पर पहले से ही विकसित और होस्ट किया गया है।

यह परियोजना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन मंच भी प्रदान करेगा। किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र पूरे देश के वेब पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित किए जा सकते हैं। तिथि के अनुसार, जनगणना 2011 द्वारा पहचाने गए 2.68 करोड़ दिव्यांगजन से देशभर में लगभग 1 करोड़ दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यूडीआईडी प्रोजेक्ट यह सुनिश्चित करेगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र सभी दिव्यांगजन के लिए जारी किए गए हैं। यह बाद में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर से कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर लाभ वितरण की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर नजर रखने में मदद करेगा। यह दिव्यांगता वाले लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और आसानी से प्रोत्साहित करेगा।

डेटाबेस व्यक्तिगत विवरण, पहचान विवरण, दिव्यांगता विवरण (प्रकार, क्षेत्र,:, प्रमाण पत्र आदि), शिक्षा विवरण, रोजगार विवरण (स्थिति, व्यवसाय, बीपीएल/एपीएल, आय आदि), दिव्यांगता प्रमाण पत्र विवरण, योजना संबंधित विवरण, मतदाता पहचान पत्र और व्यक्ति/अभिभावक/संरक्षक आदि के अन्य आईडी प्रमाण, और यूडीआईडी नवीकरण/पुनः जारी/कार्ड समर्पण विवरण।

यह परियोजना 2 चरणों में लागू की जाएगी

- परियोजना का पहला चरण जनवरी/फरवरी 2017 में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों ६ संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू होगा।
- परियोजना के चरण–2 में शेष सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित समर्थन प्रदान करती हैः–

mí';	lgk;rk dh jkf'k ¼#i;s esa ¼çfr ftyk½
फील्ड प्रचार	20 लाख से अधिक की जनसंख्या – 2.5 लाख जनसंख्या 10–20 लाख – 2.0 लाख के बीच जनसंख्या 10 लाख से कम है – 1.5 लाख राशि दो किश्तों में जारी की जाती है, 50% अग्रिम और शेष उपयोग पर।
निर्धारित मानक के अनुसार हार्डवेयर (1 कंप्यूटर, 1 प्रिंटर, 1 वेब कैमरा, 5 जैव–मीट्रिक स्कैनर)	1 लाख रु राशि अग्रिम में दी जाएगी और जिला चिकित्सा प्राधिकरणों को उस के लिए मूल बिल जमा करना होगा।
दिव्यांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र के मैनुअल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण	प्रति प्रमाणपत्र 3.64 रु राशि दो किश्तों में जारी की जाएगी, 50% अग्रिम में और 50% उपयोग पर।

परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

Øe la[;k	jkT;@dsUæ 'kkflr çns'k	ftyk@jkT; Lrj ij çf'k{k.k	D;k jkT; leUo;d fu;qä fd;k x;k gk@ugh	doj fd, x, ftys	cuk, x, ;wMhvkbZMh dkMZ dh la[;k
1	चंडीगढ़	हाँ	नहीं	नहीं	0
2	छत्तीसगढ़	हाँ	नहीं	27/27	20248
3	गुजरात	हाँ	हाँ	33/33	18049
4	हरियाणा	हाँ	नहीं	2/11	44
5	झारखंड	हाँ	हाँ	18/24	476
6	केरल	हाँ	हाँ	14/14	34
7	मध्य प्रदेश	हाँ	हाँ	51/51	193861
8	महाराष्ट्र	हाँ	हाँ	34/36	9976
9	ओडिशा	हाँ	हाँ	30/30	46260
10	राजस्थान	हाँ	नहीं	33/33	144926
11	तमिलनाडु	हाँ	हाँ	31/32	9754
12	तेलंगाना	हाँ	नहीं	नहीं	0
13	त्रिपुरा	हाँ	नहीं	नहीं	0
14	उत्तर प्रदेश	हाँ	नहीं	70/75	7284

Øe l[;k	jkT;@dUæ 'kkflr çns'k	ftyk@jkT; Lrj ij çf'k{k.k	D;k jkT; leUo;d fu;qä fd;k x;k gk@ugh	doj fd, x, ftys	cuk, x, ;Mhvkb/Mh dkM/ dh l[;k
15	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हाँ	हाँ	1/3	1
16	अरुणाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	नहीं	0
17	असम	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया	नहीं	नहीं	0
18	आंध्र प्रदेश	नहीं	नहीं	नहीं	0
19	बिहार	हाँ	नहीं	1/38	1
20	दादरा और नगर हवेली	नहीं	नहीं	नहीं	0
21	दमन और दीव	नहीं	नहीं	नहीं	0
22	दिल्ली	नहीं	नहीं	नहीं	0
23	गोवा	नहीं	नहीं	नहीं	0
24	हिमाचल प्रदेश	हाँ	नहीं	नहीं	0
25	जम्मू और कश्मीर	नहीं	नहीं	नहीं	0
26	कर्नाटक	नहीं	नहीं	नहीं	0
27	लक्षद्वीप	नहीं	नहीं	नहीं	0
28	मिजोरम	हाँ	हाँ	नहीं	0
29	मेघालय	हाँ	हाँ	6/11	69
30	मणिपुर	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया	नहीं	नहीं	0
31	नगालैंड	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया	नहीं	नहीं	0
32	पुडुचेरी	नहीं	नहीं	नहीं	0
33	पंजाब	नहीं	हाँ	नहीं	0
34	सिक्किम	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया	हाँ	नहीं	0
35	उत्तराखंड	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया	नहीं	नहीं	0
36	पश्चिम बंगाल	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया	नहीं	नहीं	0

- xqokgkVh esa mÙkj&iwoZ jkT;ksa ds fy, ;wMhvkbZMh gsrq çf'k{k.k

पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के राज्य स्तर के यूडीआईडी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 21.08.2017 को लोकोमोटर दिव्यांगता (दिव्यांगजन), गुवाहाटी के समन्वय द्वारा किया गया था। स्वास्थ्य, राजस्व और सामाजिक कल्याण विभाग के राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए यह बैठक मुख्य रूप से यूडीआईडी परियोजना के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (श्रीमती डॉली चक्रवर्ती) और भाग लेने वाले राज्यों में यूडीआईडी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार आयुक्त, दिव्यांगता, निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण और अधिकारी शामिल थे।

21.08.2017 को गुवाहाटी, असम में आयोजित पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्यों (त्रिपुरा को छोड़कर) के लिए यूडीआईडी परियोजना पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण।

10-10 18&22 flrEcj] 2017 ds nkSjku gukbZ] fo;ruke esa fnO;kax ;qokvksa ds fy, oSf'od vkbZVh pSysat ¼thvkbZVhlh½ 2017 esa Hkkxhnkjh

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) कुरुक्षेत्र के सहयोग से विभाग ने जुलाई 2017 में 13–19 वर्षों के आयु वर्ग के दिव्यांग, श्रवण दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता और बौद्धिक ध् विकास दिव्यांगता वाले युवाओं के लिए द्वितीय राष्ट्रीय स्तर की आईटी प्रतियोगिता आयोजित की। इस राष्ट्रीय आईटी प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर, वियतनाम में आयोजित ग्लोबल आईटी चौलेंज, 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार दिव्यांग युवक (दृश्य, सुनवाई, बौद्धिक और शारीरिक दिव्यांगता की श्रेणी में से प्रत्येक) का चयन किया गया था। भारत ने सितंबर, 2017 में जीआईटीसी में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था।

10-11 fn0;kax 0;fä ;ksa d s fy, jk"Vªh; fuf/k

दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के धारा 86 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय निधि का गठन अधिदेश है। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए तत्कालीन ट्रस्ट में उपलब्ध निधियों और दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय कोष के तहत उपलब्ध धनराशि को राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 फंड के उपयोग और प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में एक शासी निकाय का गठन किया है जो उक्त निधि के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

निधि के शासी निकाय की पहली बैठक 09.01.2018 को हुई थी। अब तक, कुल मिलाकर 294 करोड़ रुपये राष्ट्रीय निधि के तहत उपलब्ध हो सके हैं, जो पहले से ऊपर दिए गए दो निधियों का हिस्सा था। नियामक निकाय ने निधि के जुटाने के तौर पर 250 करोड़ रु निर्धारित करने का निर्णय लिया। केवल निधि के धन पर उत्पन्न आय का उपयोग फंड के तहत उठाए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए के तहत सभी औपचारिकताएं जैसे कि पैन/टीआईएन/पंजीकरण प्राप्त करने के लिए फंड के संचालन के लिए पूरा किया जा रहा है । इसके अलावा एक समिति की स्थापना की जा रही है ताकि उन क्षेत्रों ध् गतिविधियों का सुझाव दिया जा सके जो निधि से समर्थित हो सकें।

10-12 ikp {ks=ksa esa lq çR;sd esa cf/kjksa ds fy, ,d d,yst dh LFkkiuk

इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने और उच्च शिक्षा के माध्यम से रोजगार की योग्यता और बेहतर गुणवत्ता की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए श्रव्य दिव्यांग छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है, जो अभी तक प्रवेश के मामले में छूट और आरक्षण प्रदान करने के बावजूद प्राप्त करना शेष है।

इस योजना में मौजूदा महाविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार, सहायक यंत्र/उपकरण, कार्यालय उपकरण कम्प्यूटर, फर्नीचर और जुड़नार आदि की खरीद के लिए देश के पांच क्षेत्रों में यूजीसी अनुमोदित विश्वविद्यालयों से संबद्ध एक कॉलेज को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। महाविद्यालय के फैकल्टी, स्टाफ और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए वेतन और भत्ते के भुगतान के लिए कॉलेज द्वारा की गई लागत को प्रतिपूर्ति करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

10-13 jkT; ljdkjksa] LFkkuh; fudk;ksa vkSj vU; lsok çnkrkvksa ds dk;Zdrkvksa dk lsok çf'k{k.k vkSj laosnu'khyrk

इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है। स्थानीय निकाय और अन्य सेवा प्रदाता, राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर की कार्यशाला के माध्यम से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में दिव्यांगता क्षेत्र का सामना करने वाले नए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवेदनशील बनाना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य दिव्यांग की क्षमताओं के बारे में कर्मचारियों और पीयर समूहों में जागरूकता बढ़ाने, दिव्यांगता संबंधी कानूनों के बारे में जागरूकता, दिव्यांगजन के लाभ के लिए विकास कार्यक्रम/योजनाएं हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत स्तर/ब्लॉक स्तर के प्रमुख कार्यकर्ताओं और दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित जिला स्तर पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग) के अंतर्गत पुनर्वास परिषद की योजना इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इस योजना के तहत अब तक 3736 प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

foÙkh;@okLrfod çxfr%&

(रुपए करोड़ में)

o"k	foÙkh;@okLrfod ¼n'kkbl xbl bdkbZ½			miyfC/k
	vkjbl	0;;	foÙkh; @ okLrfod y{;	
2015-16	2.00	2.00	वित्त वर्ष 2015–2016 के दौरान पूर्ण बजटीय आवंटन का उपयोग किया गया था	वर्ष 2015–16 के दौरान 3736 मुख्य पदधारी प्रशिक्षित किए गए हैं।
2016-17	2.00	1.26 (आज तक)	रु 1.68 करोड़ की राशि आज तक खर्च किया गया है।	लगभग 2500 मुख्य पदधारी को 2016 में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है
2017-18	2.00	शून्य	शून्य	लगभग 2500 मुख्य पदधारी को 2016 में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है

10-14 lkf[;dh; ly

विभाग में सांख्यिक सेल, विभाग के तहत विभिन्न विभागों और रिपोर्टिंग संगठनों के साथ उपलब्ध डेटा को बढ़ाती है। सांख्यिकी कक्ष का प्राथमिक कार्य विभाग के प्रत्येक योजना के बारे में आंकड़े बनाए रखता है। वर्तमान में विभाग का सांख्यिकीय सेल मौजूदा आंकड़ों के अंतराल की पहचान करने और मंत्रालय में नियोजन, निगरानी और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करने और इन्हें कुशल केन्द्रीयकृत सांख्यिकीय डेटाबेस के विकास और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सलाह देना है। विभाग के विभिन्न प्रभागों और अन्य समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग के सभी योजनाओं से लाभार्थियों द्वारा ह माना जाता है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों पर डेटा का विश्लेषण नीति से संबंधित निर्णयों के लिए निर्देश देगा।

11 अध्याय दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

दिव्यांगजनों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए और दिव्यांजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य में करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस तरह के पुरस्कार संस्थापित करने का उद्देश्य जनभावना का ध्यान ऐसे व्यक्यिं की भलाई के लिए दिलाना है जो कि दिव्यांग है और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये पुरस्कार हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार 14 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं–

i श्रेष्ठ कर्मचारी/स्वरोजगार रत दिव्यांग

ii (क) श्रेष्ठ कर्मचारी एवं (ख) श्रेष्ठ नियोजन अधिकारी अथवा एजेंसी

iii (क) श्रेष्ठ व्यक्ति तथा (ख) श्रेष्ठ संस्थान–दिव्यांगजनों हेतु कार्य करने वाला

iv आदर्श व्यक्तित्व

v दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ श्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास

vi दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में किया गया उत्कृष्ट कार्य

vii पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने वाला सर्वोत्तम जिला

viii राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की श्रेष्ठ राज्य चौनेलाइजिंग एजेंसी

ix श्रेष्ठ सृजनशील व्यस्क दिव्यांगजन

x श्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चा

xi श्रेष्ठ ब्रेल प्रेस

xii सर्वोत्तम ''एक्सेसिबल'' वैबसाइट

xiii दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण संवर्धन में सर्वोत्तम राज्य तथा

xiv सर्वोत्तम दिव्यांग स्पोर्टपर्सन।

वर्ष 2017 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची vu|yXud &15 में उपलब्ध है।

11 फरवरी, 2018 को ग्वालियर में एडिप वितरण शिविर में भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविन्द

29 जून, 2017 को राजकोट में एडिप वितरण शिविर के दौरान लाभार्थी से वार्तालाप करते हुए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी

vuqyXud&1

fn0;kx tu l'kfä dj.k foHkkx dk vkcfVr dk;l

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को आबंटित विषय हैं इस प्रकार हैं:–

1. निम्नलिखितविषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची ।– संविधान की सातवीं अनुसूची के संघ सूची के अन्तर्गत आते हैं:

   दान में दी गई राहत वस्तुओं/आपूर्तियों के कर–मुक्त आयात हेतु भारत–अमेरिका, भारत–यू.के., भारत–जर्मनी, भारत–स्विट्जरलैंड तथा भारत–स्वीडन अनुबंध तथा इस प्रकार की आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

2. निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची ।।। – समवर्ती सूची के अन्तर्गत आते हैं (केवल विधान के संबंध में)

   ''सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर''

3. संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, निम्नलिखित विषय जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची ।।– राज्य सूची अथवा सूची ।।। – समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जहां तक ऐसे क्षेत्रों के संबंध में वे विद्यमान हैं:

   ''विकलांगों और रोजगार हेतु अयोग्य व्यक्तियों को सहायताय सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, किसी अन्य विभाग को आबंटित विषयों को छोड़कर''

4. विकलांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों के संबंध में नोडल विभाग की भांति कार्य करना:

   टिप्पणी: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगजनों से संबंधित कार्यक्रमों की समग्र नीति, आयोजना तथा समन्वय के लिए नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह के संबंध में क्षेत्रीय कार्यक्रमों के समग्र प्रबंधन और निगरानी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय अथवा विभाग अपने क्षेत्र से संबंधित नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

5. दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लक्षित विशेष योजनाएं, जैसे सहायक यंत्रों और उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, कौशल प्रशिक्षण, रियायती ऋण और स्व–रोजगार के लिए सब्सिडी आदि।

6. पुनर्वास व्यावसायिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और करार, जैसे संयुक्त राष्ट्र विकलांग–जन अधिकार सम्मेलन।

8. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता सृजन, अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण।

9. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में धर्मार्थ और धार्मिक अनुदान तथा स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10- vf/kfu;e@fo/kku@uhfr

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34);

(ii) विकलांग–जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1);

(iii) ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)।

11- lkfof/kd fudk;

(i) भारतीय पुनर्वास परिषद।

(ii) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त।

(iii) ऑटिज्म, मानसिक पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहु–विकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास।

12- lkoZtfud {ks= miØe/Lok;Ùk fudk;

(i) राष्ट्रीय विकलांग–जन वित्त एवं विकास निगम–कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत।

(ii) कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर।

13- jk"Vªh; lLFkku

(i) पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग–जन संस्थान, नई दिल्ली।

(ii) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग–जन संस्थान, कोलकाता।

(iii) राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, देहरादून।

(iv) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग–जन संस्थान, सिकन्दराबाद।

(v) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधितार्थ संस्थान, मुम्बई।

(vi) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक।

(vii) राष्ट्रीय बहु–विकलांगता–ग्रस्त जन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई।

(viii) भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।

vuqyXud&2

o"kZ 2011 dh tux.kuk ds vuqlkj fnO;kaxtuksa dh jkT; okj tula[;k

Ø- la-	jkT;	o"kZ 2011 dh tux.kuk ds vuqlkj dqy fnO;kaxtu tula[;k
1	आंध्र प्रदेश	1219785
2	अरुणाचल प्रदेश	26,734
3	असम	4,80,065
4	बिहार	23,31,009
5	छत्तीसगढ़	6,24,937
6	दिल्ली	2,34,882
7	गोवा	33,012
8	गुजरात	10,92,302
9	हरियाणा	5,46,374
10	हिमाचल प्रदेश	1,55,316
11	जम्मू और कश्मीर	3,61,153
12	झारखंड	7,69,980
13	कर्नाटक	13,24,205
14	केरल	7,61,843
15	मध्य प्रदेश	15,51,931
16	महाराष्ट्र	29,63,392
17	मणिपुर	58,547
18	मिजोरम	15,160
19	मेघालय	44,317

Ø- l-	jkT;	o"k 2011 dh tux.kuk d vuqlkj dqy fn0;kx tu tul[;k
20	नगालैंड	29,631
21	ओडिशा	12,44,402
22	पंजाब	6,54,063
23	राजस्थान	15,63,694
24	सिक्किम	18,187
25	तमिलनाडु	11,79,963
26	तेलंगाना	10,46,822
27	त्रिपुरा	64,346
28	उत्तर प्रदेश	41,57,514
29	उत्तराखंड	1,85,272
30	पश्चिम बंगाल	20,17,406
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6,660
32	चंडीगढ़	14,796
33	दमन और दीव	2,196
34	दादर एवं नागर हवेली	3,294
35	लक्षद्वीप	1,615
36	पुडुचेरी	30,189
	dqy	**2,68,14,994**

vxLr] 2017 dh fLFkfr d vuqlkj fn0;kxrk çek.k i= fuxe jkT; okj fLFkfr

Ø-l-	jkT;	jkT; dh dqy fn0;kx tul[;k	fn0;kxrk çek.k i= çkIr fn0;kx tuk dh l[;k	
			dqy	% çfr'kr
1	आंध्र प्रदेश	1103789	938220	85.00
2	अरुणाचल प्रदेश	33315	2907	8.73
3	असम	480065	309587	64.49
4	बिहार	2331009	1235434	53.00
5	छत्तीसगढ़	624900	316853	50.70
6	दिल्ली	234882	147227	62.68
7	गोवा	33012	19202	58.17
8	गुजरात	1092302	551658	50.50
9	हरियाणा	455040	339190	74.54
10	हिमाचल प्रदेश	155316	84317	54.29
11	जम्मू और कश्मीर	361153	179385	49.67
12	झारखंड	769980	433702	56.33
13	कर्नाटक	1324205	965305	72.90
14	केरल	761843	314777	41.32
15	मध्य प्रदेश	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी
16	महाराष्ट्र	2963392	1611628	54.38
17	मणिपुर	54110	19923	36.82
18	मिजोरम	15160	10407	68.65
19	मेघालय	44317	34885	78.72

Ø-l-	jkT;	jkT; dh d;y fn0;kx tul[;k	fn0;kxrk çek.k i= çkIr fn0;kx tuk dh l[;k	
			d;y	% çfr'kr
20	नगालैंड	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी
21	ओडिशा	1244402	842250	67.68
22	पंजाब	654063	382081	58.42
23	राजस्थान	1563694	459458	29.38
24	सिक्किम	18187	8707	47.87
25	तमिलनाडु	1179963	1159021	98.23
26	तेलंगाना	1046822	654403	62.51
27	त्रिपुरा	64346	76831	119.40
28	उत्तर प्रदेश	4157514	2060903	49.57
29	उत्तराखंड	185272	105478	56.93
30	पश्चिम बंगाल	2017406	1187699	58.87
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6660	3346	50.24
32	चंडीगढ़	14796	23635	159.74
33	दमन और दीव	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी
34	दादर एवं नागर हवेली	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी	संसूचित नहीं की गयी
35	लक्षद्वीप	1678	1302	77.59
36	पुडुचेरी	30189	27954	92.60
	d;y	**25022782**	**14507675**	**57.98**

vuqyXud&4

o"kZ 2014&15] 2015&16] 2016&17 vkSj o"kZ 2017&18 ¼fnukad 31-12-2017 dh fLFkfr ds vuqlkj½ ds nkSjku ,fMi ;kstuk ds rgr fofHkUu fØ;kUo;u ,tsfl;ksa }kjk vk;ksftr f'kfojksa] mi;ksx dh xbZ fuf/k;ksa vkSj ykHkkfUor ykHkkfFkZ;ksa dh jkT; okj fooj.k dk lkj

yk[k #i;s esa

Ø-l-	jkT;@dsUæ 'kkflr çns'k dk uke	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18 (as on 31.12.2017)		
		f'kfojksa dh la[;k	mi;ksx dh xbZ fuf/k	ykHkkfFkZ;ksa dh la[;k	f'kfojksa dh la[;k	mi;ksx dh xbZ fuf/k	ykHkkfFkZ;ksa dh la[;k	f'kfojksa dh la[;k	mi;ksx dh xbZ fuf/k	ykHkkfFkZ;ksa dh la[;k	f'kfojksa dh la[;k	mi;ksx dh xbZ fuf/k	ykHkkfFkZ;ksa dh la[;k
1	आंध्र प्रदेश	50	958.17	22157	37	795.56	9623	20	642.12	3180	10	318.93	1974
2	बिहार	55	257.96	3409	5	105.80	1115	15	205.62	2178	47	374.28	4646
3	छत्तीसगढ़	67	449.16	4961	62	425.03	4092	50	297.76	4034	16	76.54	1462
4	गोवा	5	13.01	227	3	8.96	137	3	3.76	166	2	13.91	178
5	गुजरात	39	197.32	5356	31	113.49	1616	19	1731.26	28082	24	1548.16	26435
6	हरियाणा	29	443.06	8272	16	473.02	8991	24	848.49	12453	35	251.03	4267
7	हिमाचल प्रदेश	2	129.06	8552	14	59.61	3655	138	81.01	2306	33	54.08	1132
8	जम्मू और कश्मीर	14	80.09	4529	11	126.54	1770	20	222.59	3154	25	101.49	3001
9	झारखंड	267	372.07	10963	4	22.79	242	3	77.04	806	7	79.69	1602
10	कर्नाटक	24	273.79	4023	20	676.98	5377	28	453.6	6520	18	251.31	2757
11	केरल	24	207.68	3223	8	239.35	2636	9	228.68	3106	29	169.59	3343
12	मध्य प्रदेश	132	816.94	16953	189	2251.79	29999	145	1663.46	16699	42	373.24	4815
13	महाराष्ट्र	108	1015.75	19656	343	1846.86	27325	119	1244.36	18996	87	921.86	11635
14	ओडिशा	88	317.89	8161	179	557.79	15421	167	897.64	13757	81	402.58	7167
15	पंजाब	13	228.92	3491	116	842.46	21936	33	565.25	9882	93	258.25	6933
16	राजस्थान	51	684.16	13457	44	624.94	12568	38	539.81	9754	13	675.88	8000

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18 (as on 31.12.2017)		
		शिविरों की संख्या	उपयोग की गयी निधि	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गयी निधि	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गयी निधि	लाभार्थियों की संख्या	शिविरों की संख्या	उपयोग की गयी निधि	लाभार्थियों की संख्या
17	तमिलनाडु	35	424.41	10330	48	394.68	10047	65	353.32	9538	84	246.34	5582
18	उत्तर प्रदेश	403	3033.76	60309	326	2869.4	45364	185	4072.045	71375	14	664.24	7825
19	उत्तराखंड	20	456.71	15030	34	301.52	7300	33	311.2	8888	19	174.05	6463
20	पश्चिम बंगाल	188	500.25	13085	206	1163.02	13988	129	1149.95	25199	72	667.76	10815
21	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	27.3	450	0	0	0	8	10.64	368	0	0	0
22	चंडीगढ़	1	2.89	91	0	0	0	2	22.61	223	2	0.71	14
23	दादर एवं नागर हवेली	3	12.57	361	1	0.95	58	2	2.13	70	1	1.28	12
24	दमन और दीव	2	4.00	95	1	2.46	35	2	3.08	82	1	0.58	9
25	दिल्ली	26	171.04	4486	19	361.09	7451	56	571.89	8828	11	121.61	1437
26	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11.22	266
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	3	20.11	259	2	7.12	174
28	अरुणाचल प्रदेश	2	5.22	60	1	12.92	354	3	8.45	335	1	1.02	15
29	असम	186	519.31	17597	147	599.27	10136	62	542.96	12876	17	607.27	9404
30	मणिपुर	6	111.33	2908	3	92.31	358	5	563.14	6827	2	49.05	725
31	मेघालय	7	36.67	1015	3	26.26	122	9	98.28	1422	1	5.99	53
32	मिजोरम	8	27.92	415	0	2.84	31	10	38.55	636	1	0.08	3
33	नगालैंड	17	41.41	663	0	17.44	22	3	16.49	432	0	0	0
34	सिक्किम	1	14.66	332	10	23.11	420	0	0	0	0	0	0
35	त्रिपुरा	2	7.77	150	49	61.37	1367	23	235.34	3031	0	0	0
36	तेलंगाना	4	97.61	828	4	377.85	2028	16	335.56	4833	4	236.05	1958
	कुल	**1889**	**11939.86**	**265602**	**1934**	**15477.46**	**245584**	**1447**	**18058.20**	**290295**	**803**	**8665.19**	**134102**

vuqyXud&5

o"kZ 2017&18 ¼fnukad 31-12-2017 rd½ ds nkSjku ,fMi ;kstuk ds vraxZr fofHkUu xfrfof/k;ksa ds fy, ,uvkbZ@lhvkjlh@,fyEdks dks tkjh dh xbZ fuf/k;ka

जारी की गयी निधियां (लाख रुपये में)

Ø l-	jkT;	lsxBu dk uke	f'kfoj xfrfof/k	eq[;ky; xfrfof/k	,fMi ,l,l,	d.kkorZ vkjksi.k	ftu jkT;ksa esa f'kfoj xfrfof/k;ksa ds fy, fuf/k tkjh dh xbZ
1	उत्तराखंड	राष्ट्रीय दृष्टिबाधित (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण संस्थान, देहरादुन 116, राजपुर रोड, देहरादुन –248001	300.00	200.00			संपूर्ण भारत
2	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग जन (दिव्यांगजन) सशक्तीकरण संस्थान, सिंकदराबाद, आंध्रप्रदेश	700.00	100.00			संपूर्ण भारत
4	महाराष्ट्र	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण बाधित (दिव्यांगजन) संस्थान, मुंबई, केसी मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा, मुंबई – 400050	112.50	75.00		187.50	संपूर्ण भारत
6	ओडिशा	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक, ओडिशा	100.00	400.00			संपूर्ण भारत

7	मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय संस्थान (सीआरसी, भोपाल),पुनर्वास भवन, पुराने एसओएस ग्राम, खजुरीकला रोड, डाक पिपलानी, भोपाल –462021		10.00			मध्य प्रदेश में शिविर गतिविधि
12	उत्तर प्रदेश	भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम , (एलिम्को), कानपुर, उत्तर प्रदेश	6390.00	800.00	2600.00	1240.00	संपूर्ण भारत
			571.00	200.00	150.00	100.00	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई)
		d|y	**8193.50**	**1785.00**	**2750.00**	**1527.50**	

vuqyXud&6

ekuuh; lklnk vkj vU; x.kekU; 0;fä ;k l çkIr çLrkok d vk/kkj ij o"k 2017&18 ¼31-12-2017½ d nkjku ,fMi ;kstuk d rgr vk;kftr fo'k"k f'kfojk d fooj.kA

jkT;	Ø- l-	f'kfoj LFkku	ykHkkfFk;k dh l[;k	mi;kx dh x;h jkf'k ¼yk[k #i;s e½
आंध्र प्रदेश	1	कुरनूल	492	91.11
असम	2	शिवसागर	1633	124.47
	3	जोरहाट	1735	125
	4	माजुली	807	68.12
	5	डिब्रूगढ़	179	11.06
	6	बारपेटा	3048	173.83
बिहार	7	सारण	1752	152.95
गुजरात	8	पंचमहल (गोधरा)	4299	320.11
	9	दाहोद	1006	74.99
	10	तापी	1060	62.89
	11	राजकोट	14589	966.00
	12	खेड़ा	1916	172.20
	13	अहमदाबाद	2788	231.31
	14	कच्छ	1074	81.26
हिमाचल प्रदेश	15	बिलासपुर , उना और हमीरपुर	488	29.78
हरियाणा	16	सिरसा	345	22.73
	17	रेवाड़ी	388	45.1
	18	करनाल	208	19.07
झारखंड	19	लोहरदगा	79	6.17
	20	हजारीबाग	408	29.36
	21	कोडरमा	282	22.73
	22	गिरिडीह	240	22.46
जम्मू और कश्मीर	23	अखनूर	87	6.24

jkT;	Ø- l-	f'kfoj LFkku	ykHkkfFk;ksa dh l[;k	mi;ksx dh x;h jkf'k ¼yk[k #i;ksa e½
कर्नाटक	24	बेलगावी	945	90.96
	25	चिक्कोडी	833	81.06
महाराष्ट्र	26	जलगांव	2301	160.25
	27	धुलिया	631	50.50
	28	वर्धा	2121	139.12
	29	बारामती	2359	162.66
मध्य प्रदेश	30	झाबुआ	3392	246.36
	31	कटनी	1887	147.87
	32	शिवपुरी	507	38.06
पंजाब	33	मोगा	130	11.23
राजस्थान	34	नागौर	1023	143.54
	35	झालावाड़	547	38.06
तमिलनाडु	36	थेन्नी	507	38.06
	37	कांचीपुरम	133	11.09
उत्तर प्रदेश	38	सलेमपुर	1014	69.62
	39	बांदा	1363	92.21
	40	मुरादाबाद	1051	77.21
	41	बागपत	1263	91.07
	42	मिर्जापुर	1420	107.96
	43	संत कबीर नगर	382	27.11
उत्तराखंड	44	लोहाघाट, चंपावत	142	9.80
पश्चिम बंगाल	45	रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)	1742	103.21
	46	बागदा	802	52.48
	47	मुर्शिदाबाद	1562	91.24
		कुल	**66960**	**4939.67**

vuqyXud&7

çeq[k 'kh"kZ ^3601^

o"kZ 2017&18 ds nkSjku fl iMk ;kstuk ds rgr ck/kkeqDr ifjos'k ds fy, jkT;@l?k 'kkflr çns'kksa dks tkjh dh x;h vuqnku lgk;rk

Ø- l-	lLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k ¼yk[k #i;s esa½
1.	छत्तीसगढ़ सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत रायपुर स्थित राज्य सरकार के भवनों एवं स्थानों पर बाधा रहित परिवेश का निर्माण	688.59
2.	हरियाणा सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत गुरुग्राम में एससीईआरटी भवन में बाधा रहित परिवेशका निर्माण	22.60
		सुगम्य भारत अभियान के तहत फरीदाबाद मेंराज्य सरकार के भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण	277.51
3.	नागालैंड सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत कोहिमा स्थित राज्य सरकार 4 भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण	78.48
4.	मध्य प्रदेश सरकार	सागर में जिला न्यायाधीश न्यायालय में 2 लिफ्टों की संस्थापना	100.88
		मध्य प्रदेश के उज्जैनमेंमौजूदा विक्रम वाटिका, कोठी रोड में दिव्यंग पार्क	96.37
		सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्य सरकार के 12 भवनों, 12 भोपाल में और 2 इंदौर में,बाधा रहित परिवेशका निर्माण	290.00
		बैतुल , इंदौर, रीवा और नरसिंहपुर जिले में बाधा रहित परिवेशका निर्माण	29.65
		भिंड और जबलपुर जिले में बाधा रहित परिवेश का निर्माण	39.87
5.	मेघालय सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत शिलोंगमेंराज्य सरकार के4भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन	166.39
6.	ओडिशा सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत भुवनेश्वर में ओडिशा राज्य आवास बोर्ड भवन में बाधा रहित पर्यावरण का निर्माण	2.39
		सुगम्य भारत अभियान के तहत बायनिका भवन, भुवनेश्वर में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन	58.23

Ø- l-	lLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k ¼yk[k #i;s esa½
7.	तमिलनाडु सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत कोयम्बटूरमेंराज्य सरकार के 6 भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन में बिल्डिंग	307.50
8.	गुजरात सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्य सरकार के 37 भवनों, गॉधीनगरमें 31 एवं सुरत में 6,में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन	114.37
9.	राजस्थान सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत जयपुरमेंराज्य सरकार के 90 भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन	3813.00
10.	उत्तर प्रदेश सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत कानपुर, लखनऊ, झांसी और आगरा मेंराज्य सरकार के भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन	3013.80
11.	उत्तर प्रदेश सरकार	सुगम्य भारत अभियान के तहत वाराणसी में राज्य सरकार के भवनों में बाधा मुक्त परिवेश का सृजन	59.49
		dqy	**9159.12**

vuqyXud&8

çeq[k 'kh"kZ ^2235^ ¼fnukad 05-01-2018 dh fLFkfr ds vuqlkj½

d- o"kZ 2017&18 ds nkSjku fLdhe ;kstuk ds rgr ck/kk eqä ifjos'k ds l`tu ds fy, laLFkkvksa@laxBuksa dks tkjh vuqnku lgk;rk

Øe- la-	laLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh xbZ dqy jkf'k ¼yk[k # esa½
1	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	गांधीनगर , गुजरात में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में पैरा एथलीटों के लिएराष्ट्रीय स्तर की केंद्र की स्थापना	1000.00
2	क्षेत्रीय स्पाइनल इंज्यूरिज सेंटर (आरएसआईसी), मोहाली, पंजाब	बाधा मुक्त परिवेश का निर्माण (02 लिफ्ट और रैंप)	191.87
		dqy	**1191.87**

[k- o"kZ 2017&18 ds nkSjku fLdhe ;kstuk ds rgr dkS'ky fodkl çf'k{k.k dk;ZØe ds fy, vuqnku lgk;rk

Øe- la-	laLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh xbZ dqy jkf'k ¼yk[k # esa½
1	नोबल एजुकेशनल एम्पावरमेंट सोसाइटी, तेलंगाना	100 पीडब्ल्यूडीके लिए कौशलविकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	2.99
2	एनएचएफडीसी, नई दिल्ली	15111 दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनएचएफडीसी को दूसरी किस्त (जीआईए 2016–17)	842.64
3	आईपीएच, नई दिल्ली	1779 दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आईपीएच को दूसरी किस्त	149.77
4	राष्ट्रीय युवा परियोजना, इटानगर , अरुणाचल प्रदेश	96 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय युवा परियोजना, ईटानगरहेतु 2री किस्त	4.75
5	बंदीपोरा कॉलेज ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी (बीसीआईटी), जम्मू और कश्मीर	220 दिव्यांगजनों के लिए बीसीआईटीको 2री किस्त	16.20
	dqy		**1016.35**

vuqyXud&8 d

x- o"k 2017&18 d nkjku fliMk ;kstuk d rgr dk'ky fodkl çf'k{k.k dk;Øe d fy, vuqnku lgk;rk

yk[k # e

Ø-सं-	lLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k
1.	सीआरसी कोझिकोड, केरल	वर्ष 2017–18 की पहली किस्त	85.00
		सीआरसी कोजिकोड को दूसरी किस्त	45.00
2.	सीआरसी गुवाहाटी, असम	वर्ष 2017–18 की पहली किस्त	90.00
		सीआरसी गुवाहाटी को दूसरी किस्त	60.00
3.	सीआरसी राजनांदगांव, छत्तीसगढ़	वर्ष 2017–18 की पहली किस्त	20.96
		सीआरसी राजनांदगांव को दूसरी किश्त	21.91
4.	सीआरसी भोपाल, मध्य प्रदेश	वर्ष 2017–18 की पहली किस्त	118.00
		सीआरसी भोपाल को दूसरी किश्त	100.00
5.	सीआरसी अहमदाबाद, गुजरात	सीआरसी अहमदाबाद को पहली किस्त	40.00
		सीआरसी अहमदाबाद को दूसरी किस्त	20.00
6.	सीआरसी डावंगेरे , कर्नाटक	सीआरसी डावणेंरे को पहली किस्त	19.15
		सीआरसी डावांजरे को दूसरी किस्त	17.95
		सीआरसी डावंगेरे के लिए तीसरा किस्त	18.95
7.	सीआरसी सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	सीआरसी सुंदरनगर को पहली किश्त	119.50
		सीआरसी सुंदरनगर के लिए दूसरी किश्त	21.15
		सीआरसी सुंदरनगर के लिए तीसरी किश्त	337.75
8.	सीआरसी नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	सीआरसी नेल्लोर को पहली किस्त	22.36
		सीआरसी नेल्लोर को दूसरी किस्त	10.90
		सीआरसी नेल्लोर को तीसरी किस्त	18.41
9.	सीआरसी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	सीआरसी लखनऊ को पहली किस्त	77.00
10.	सीआरसी, त्रिपुरा	सीआरसी त्रिपुरा के लिए पहली किस्त	80.00
11.	सीआरसी, पटना, बिहार	वर्ष 2017–18 की पहली किस्त	50.00
		dqy	1393.99

vuqyXud&8 [k

?k- o"kZ 2017&18 ds nkSjku fliMk ;kstuk ds rgr MhMhvkjlh ifj;kstuk ds fy, vuqnku lgk;rk

yk[k # esa

Ø- l-	laLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh xbZ dqy jkf'k
1.	डीडीआरसी, मेडक, तेलंगाना	डीडीआरसी मेडकको द्वितीय वर्ष जीआईए	2.09
2.	डीडीआरसी बस्ती , उत्तर प्रदेश	तीसरे वर्ष की पहली किस्त	4.11
3.	डीडीआरसी इंफाल वेस्ट, मणिपुर	डीडीआरसी इंफाल वेस्ट को दूसरी किस्त	5.03
		वर्ष 2017–18 के दूसरे वर्ष जीआईए की तीसरी किस्त	0.58
4.	डीडीआरसी उधमसिंहनगर (रुद्रपुर), उत्तराखंड	पूर्ण और अंतिम प्रथमवर्ष अनुदान सहायता	17.20
5.	डीडीआरसी सेहोर, मध्य प्रदेश	वर्ष 2017–18 के दौरान जीआईएके तृतीय वर्ष की पहली किस्त	4.98
6.	डीडीआरसी बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2017–18 के दौरान जीआईएके द्वितीय वर्ष की पहली किस्त	0.22
7.	डीडीआरसी बदायन, उत्तर प्रदेश	वर्ष 2017–18 के दौरान जीआईएके तृतीय वर्ष की पहली किस्त	3.93
8.	डीडीआरसी चित्तौड़गढ़, राजस्थान	वर्ष 2017–18 काप्रथम वर्ष जीआईए	17.20
9.	डीडीआरसी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	2017–18 के तीसरे वर्ष जीआईए की पहली किस्त	3.95
10.	डीडीआरसी सोलापुर, महाराष्ट्र	पूर्ण और अंतिम 1 वर्ष अनुदान सहायता वर्ष 2017–18	16.35
		dqy	**75.64**

vuqyXud&8 x

M- o"kZ 2017&18 ds nkSjku fLiMk ;kstuk ds rgr ;wMhvkbZMh ifj;kstuk ds fy, vuqnku lgk;rk

yk[k # esa

Ø- l-	lLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh xbZ dqy jkf'k
1.	जिला कलेक्टर, तमिलनाडु	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना (18 जिले)	19.75
2.	दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, तमिलनाडु	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
3.	लेखा अधिकारी विकलांगता कल्याण आयुक्त , महाराष्ट्र	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
4.	महाप्रबंधक, एसआईडीआर, ओडिशा	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
5.	केरल सामाजिक सुरक्षा मिशन	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
6.	नियामक समाज सुरक्षा यूडीआईडी	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
7.	दिव्यांगजनों के लिए आयुक्त का कार्यालय, मेघालय	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
8.	दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त, तमिलनाडु	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	32.00
9.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	यूडीआईडी परियोजना के लिए अंतर्गत नियुक्त 2 परामर्शदाताओं का भुगतान	24.11
10.	डीडीआरसी, गंगटोक , सिक्किम	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
11.	झारखंड राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
12.	यूडीआईडी अंडमान और निकोबार	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
13.	कलेक्टर निराश्रित निधि जिला शिवपुर , मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	0.75

Ø- l-	lLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k
14.	कलेक्टर निराश्रित निधी जिला–अशोक, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	0.75
15.	कलेक्टर निराश्रित निधी जिला– कटनी , मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
16.	मैसर्स दीनदयाल अंत्योदय मिशन, मध्य प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
17.	लेखा अधिकारी विकलांगता कल्याण आयुक्त , महाराष्ट्र	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
18.	महाप्रबंधक, एसआईडीआर, ओडिशा	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक समन्वयक की नियुक्ति	3.00
19.	जिला कलेक्टर, मथुरा, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
20.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , एटा , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
21.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , कासगंज , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
22.	अधीक्षक, उच्च शिक्षारत दृष्टिबाधित छात्रों के लिए छात्रावास , लखनऊ	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
23.	यूडीआईडी परियोजना , रायबरेली , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
24.	जिला विकलांग जन विकास अधिकारी , उन्नाव , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
25.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
26.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , हापुर , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
27.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , शामली , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
28.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , बिजनौर , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
29.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , संभल , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25

Ø- l-	lLFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k
30.	विकलांगता परियोजना के लिए सार्वभौमिक आईडी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
31.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , मिर्जापुर , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
32.	विशिष्ट विकलांगता पहचान परियोजना गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
33.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , कुशीनगर , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
34.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , बस्ती , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
35.	दिव्यांगजन जन विकास विभाग , सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
36.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , प्रतापगढ़ , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
37.	स्थानीय स्तर समिति डीएम कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
38.	यूडीआईडी औरैया , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
39.	महाप्रबंधक, एसआईडीआर, ओडिशा	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	29.00
40.	जिला दिव्यांगजन विकास अधिकारी , फैजाबाद , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
41.	जिला दिव्यांगजन विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
42.	जिला दिव्यांगजन विकास अधिकारी , अमेठी , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.00
43.	जिला दिव्यांगजन जन विकास अधिकारी , गोंडा , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
44.	यूनिवर्सल आईडी, बहराइच , उत्तर प्रदेश	दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी परियोजना के लिए	1.25
45.	एसआरसीडीए–यूडीआईडी, शिलांग , मेघालय	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	11.00

Ø- l|-	l|LFkk dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h d|y jkf'k
46.	सहायक निदेशक,सामाजिक न्याय अवाम अधिकारी , दौसा	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
47.	जिला संरक्षण इकाई , कोटा, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
48.	जिला बाल संरक्षण इकाई , प्रतापगढ़ , राजस्थान	इसके लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना यूडीआईडी परियोजना	1.00
49.	सीएमएचओ, सिरोही , राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना केलिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
50.	मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
51.	जिला बाल सुरक्षा यूनिट, करौली , राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
52.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजाति कार्य विभाग, अरुणाचल प्रदेश	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक सह समन्वयक की नियुक्ति	3.00
53.	दिव्यांगजन के राज्य आयुक्त, तमिलनाडु	यूडीआईडी परियोजना के लिए एक सह समन्वयक की नियुक्ति	2.07
54.	जिला स्वास्थ्य सोसायटी, पाली एनयूएचएम लचीले पूल, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
55.	सहायक निदेशक (आईसीपीएस), चुरु , राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
56.	सहायक निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, नागौर , राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
57.	जिला बाल संरक्षण इकाई, अलवर , राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
58.	पीएमओ, डुंगरपुर, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
59.	सीएमएचओ, जालोर, राजस्थान	यूडीआईडी परियोजना के लिए सीएमओ स्तर पर आईटी अवसंरचना	1.00
		d|y	**199.43**

vuqyXud&8 ?k

p- flifMk ;kstuk dk vrxZr o"kZ 2017&18 dk nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk

Ø- l-	laxBu dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k ¼yk[k #- esa½
1.	सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के तहत परामर्शदाता का शुल्क)	सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) के अंतर्गत नियुक्त किए गए 2 परामर्शदाताओं को परामर्शदाता शुल्क का भुगतान	1.67
		दो परामर्शदाताओं के लिए मई माह का भुगतान	0.70
		दो परामर्शदाताओं के लिए जून माह का भुगतान	0.70
		दो परामर्शदाताओं के लिए जुलाई माह का भुगतान	0.70
		दो परामर्शदाताओं के लिए अगस्त माह का भुगतान	0.70
		दो परामर्शदाताओं के लिए सितंबर माह का भुगतान	0.70
		दो परामर्शदाताओं के लिए अक्तूबर माह का भुगतान	0.69
		दो परामर्शदाताओं के लिए नवंबर माह का भुगतान	0.63
2.	आरुषि सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	50 भवनों की सुगम्यता संपरीक्षा आयोजित करने के लिए	15.11
3.	स्वयम, नई दिल्ली	42 भवनों की सुगम्यता संपरीक्षा आयोजित करने के लिए	8.71
4.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	एआईसी के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए जनशक्ति उपापन के लिए भुगतान	32.51
5.	आईआईटी, रूड़की, उत्तराखंड	विज्ञान भवन, नई दिल्ली की सुगम्यता संपरीक्षा के लिए परामर्शदाता सेवाओं के लिए	5.31
6.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	एआईसी के अंतर्गत प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एमआईएस के सृजन के लिए जनशक्ति उपापन	13.17
7.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	एआईसी के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना के लिए जनशक्ति उपापन के लिए 2री किस्त	34.47
		dqy	**115.77**

N- o"k 2017&18 d nkjku fl iMk ;kstuk d vrxr çdh.k xfrfof/k ifj;kstukvk d fy, tkjh dh x;h vunku lgk;rk

Ø-l-	lxBu dk uke	ç;kstu	tkjh dh x;h dqy jkf'k ¼yk[k #- e½
1.	विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली	राष्ट्रीय श्रवणबाधित संघ, दिल्ली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रवणबाधित सप्ताह, 2017 का आयोजन	2.50
2.	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली	कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वेब पोर्टल का सृजन	27.55
3.	कोलेज डिजाइन प्रा. लि., मुंबई	दिव्यांगता केन्द्र की स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भुगतान	15.22
4.	एससीपीडब्ल्यूडी, अरुणाचल प्रदेश	पीडब्ल्यूडी कौशल परिषद को मूल्यांकन और प्रमाणन शुल्क का भुगतान	0.96
5.	सुश्री शिवी पी नारायण, परामर्शदाता	अक्तूबर एवं नवंबर, 2017 माह के लिए पारिश्रमिक	0.58
6.	श्री हर्ष वाजीरानी, परामर्शदाता	अक्तूबर एवं नवंबर, 2017 माह के लिए पारिश्रमिक	0.57
7.	श्री अरुण नागी, परामर्शदाता	अक्तूबर एवं नवंबर, 2017 माह के लिए पारिश्रमिक	0.57
8.	श्री शान्तनु विरेन्द्र, परामर्शदाता	अक्तूबर एवं नवंबर, 2017 माह के लिए पारिश्रमिक	0.40
		dqy	**48.35**

vuqyXud&9

nhun;ky fn0;kxtu iquokZl ;kstuk ¼MhMhvkj,l½ ds varxZr o"kZ 2017&18 ¼fnukad 31-12-2018 dh fLFkfr ds vuqlkj xSj ljdkjh laxBuksa dks tkjh dh x;h vuqnku lgk;rk dk fooj.k½

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
			vka/kz çns'k			
1	आंध्र प्रदेश	आदि आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी	एमआर एंड एमडी के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	617782
2	आंध्र प्रदेश	आदित्य एजुकेशनल सोसाइटी	श्रवणबाधित के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	374722
3	आंध्र प्रदेश	मानसिक रूप से मंद और वृद्धों के लिए अल– शिफा अल्पसंख्यक संस्थान	एमआर बच्चों केलिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	652785
4	आंध्र प्रदेश	मानसिक रूप से मंद और वृद्ध ावस्था के लिए अल– शिफा अल्पसंख्यक संस्थान	एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	543988
5	आंध्र प्रदेश	मानसिक रूप से मंद और वृद्धों के लिए अल– शिफा अल्पसंख्यक संस्थान	एमआर बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	497646
6	आंध्र प्रदेश	अंजली–मानसिक रूप से विकलांग और अन्य दिव्यांगजनों के लिए अनुसंधान और पुनर्वास के संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	879372
7	आंध्र प्रदेश	चौतन्य विकलांग कल्याण सोसाइटी	एमएआर और सीपी के लिएरेस एंड डे केयर ट्रग	1	2016-17	622920
8	आंध्र प्रदेश	चौतन्य विकलांग कल्याण सोसाइटी	एमएआर और सीपी के लिए आवासीय एंड दिवस देखभाल प्रशिक्षण केन्द्र	2री और अंतिम	2016-17	547980
9	आंध्र प्रदेश	चौतन्य शिक्षारत विकलांगके लिए संस्थान	एमआर और श्रवणबाधित के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	832266
10	आंध्र प्रदेश	हेलेन केलर श्रवणबाधित स्कूल	श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र	2री और अंतिम	2015-16	789723

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
11	आंध्र प्रदेश	हेलेन केलर श्रवणबाधित स्कूल	श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल एवं पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	824111
12	आंध्र प्रदेश	हेलेन केलर स्मारक दृष्टिबाधित संघ	दृष्टिबाधित के लिए आवासयी स्कूल सह वीटीसी	2री और अंतिम	2015-16	560000
13	आंध्र प्रदेश	हेलेन केलर स्मारक दृष्टिबाधित संघ	निवासी स्कूल सह वीटीसी फॉर देंल्ड	2री और अंतिम	2015-16	595800
14	आंध्र प्रदेश	इमेकुलेट हर्ट ऑफ मैरी सोसाइटी	श्रवणबाधित के लिए विशेष आवासीय स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	825267
15	आंध्र प्रदेश	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (काकीनाडा)	ओएच लड़कों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	345548
16	आंध्र प्रदेश	जे एंड जे करुणोदय एमआर संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	2री और अंतिम	2016-17	385718
17	आंध्र प्रदेश	जे एंड जे करुणोदय एमआर संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	2री और अंतिम	2016-17	80280
18	आंध्र प्रदेश	कला सामाजिक कल्याण सोसाइटी	दृष्टिबाधित के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	400000
19	आंध्र प्रदेश	कल्याणी ग्रामीण पुनर्वास और शैक्षिक सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	2री और अंतिम	2015-16	127737
20	आंध्र प्रदेश	कल्याणी ग्रामीण पुनर्वास और शैक्षिक सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2016-17	366363
21	आंध्र प्रदेश	क्रांति शिक्षा सोसाइटी	श्रवणबाधित और वाक्बाधित के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	421695
22	आंध्र प्रदेश	क्रांति शिक्षा सोसाइटी	श्रवणबाधित और वाक्बाधित के लिए आवासीय स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	265545
23	आंध्र प्रदेश	क्रांति शिक्षा सोसाइटी	श्रवणबाधित और वाक्बाधित के लिए आवासीय स्कूल	बकाया	2016-17	264150
24	आंध्र प्रदेश	लक्ष्मी महिला मंडली	वीटीसी और पीटी के लिए पुनर्वास	2री और अंतिम	2016-17	424575

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
25	आंध्र प्रदेश	लेबेनशिल्फे	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	2री	2015-16	1370000
26	आंध्र प्रदेश	लेबेनशिल्फे	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	2री और अंतिम	2015-16	1458529
27	आंध्र प्रदेश	लेबेनशिल्फे	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	1	2016-17	1410072
28	आंध्र प्रदेश	लीमा बधिर और मानसिक रूप से विकलांग कल्याण संघ	बधिर और एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र	1	2016-17	822488
29	आंध्र प्रदेश	लीमा बधिर और मानसिक रूप से विकलांग कल्याण संघ	बधिर और एमएच के लिए आवासीय दिवस केंद्र	2री और अंतिम	2016-17	741637
30	आंध्र प्रदेश	महर्षि सांबुमुटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट स्टडीज	पीएच एवं एचएच बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय	2री और अंतिम	2015-16	405383
31	आंध्र प्रदेश	महर्षि सांबुमुटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट स्टडीज	पीएच एवं एचएच गर्ल्स के लिए आवासीय विद्यालय	1	2016-17	416358
32	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केन्द्रम	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2री और अंतिम	2015-16	108375
33	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केन्द्रम	सर्वेक्षण, इडेन, अवार, ईआईएच बीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2री और अंतिम	2015-16	141015
34	आंध्र प्रदेश	मानसिक विकास केन्द्रम	एमआर केंद्र (विजयवाड़ा)	2री और अंतिम	2015-16	106312
35	आंध्र प्रदेश	वीएच के लिए मदर टेरेसा स्कूल	वीएच के लिए स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	253855
36	आंध्र प्रदेश	वीएच के लिए मदर टेरेसा स्कूल	वीएच के लिए स्कूल	पूरी और अंतिम	2016-17	1300035
37	आंध्र प्रदेश	नेहरू युवाजन सेवा संघम	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	1048593
38	आंध्र प्रदेश	परिवर्थम	श्रवण बाधितों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	796486

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"k dk nkjku tkjh vunku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"k	jkf'k
39	आंध्र प्रदेश	परिवर्थम	श्रवण बाधितों के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	796485
40	आंध्र प्रदेश	प्रगति चौरिटीज	एमआर के लिए विशेष स्कूल (आवासीय)	2री और अंतिम	2016-17	944488
41	आंध्र प्रदेश	प्रगति चौरिटीज	एचएच के लिए स्कूल (आवासीय)	2री और अंतिम	2016-17	708385
42	आंध्र प्रदेश	प्रियदर्शिनी सेवा संगठन	दिव्यांगजनों के लिए वीटीसी सह आवासीय विद्यालय	प्रथम	2015-16	1893375
43	आंध्र प्रदेश	प्रियदर्शिनी सेवा संगठन	श्रवणबाधित और वाकबाधित के आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	2311420
44	आंध्र प्रदेश	एसकेआर विद्यार्थी कल्याण समिति	बधिरों के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	762391
45	आंध्र प्रदेश	एसकेआर विद्यार्थी कल्याण समिति	बधिरों के लिए विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2016-17	800946
46	आंध्र प्रदेश	शांतिवर्द्धना मिनिस्ट्रीज	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	611595
47	आंध्र प्रदेश	शांतिवर्द्धना मिनिस्ट्रीज	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	602862
48	आंध्र प्रदेश	सरोजिनी देवी स्मारक सोसाइटी	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	575505
49	आंध्र प्रदेश	सरोजिनी देवी स्मारक सोसाइटी	एचएच के लिए स्लेश स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	459458
50	आंध्र प्रदेश	सरोजिनी देवी स्मारक सोसाइटी	एचएच के लिए स्लेश स्कूल	पूरी और अंतिम	2016-17	889560
51	आंध्र प्रदेश	सत्या समेकित ग्रामीण शिक्षा और आर्थिक विकास सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	623448
52	आंध्र प्रदेश	सत्या समेकित ग्रामीण शिक्षा और आर्थिक विकास सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	657306
53	आंध्र प्रदेश	सत्या समेकित ग्रामीण शिक्षा और आर्थिक विकास सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	657306

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
54	आंध्र प्रदेश	सत्या समेकित ग्रामीण शिक्षा और आर्थिक विकास सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	657306
55	आंध्र प्रदेश	सिरी एज्युकेशनल सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय और दिवस देखभाल केन्द्र	प्रथम	2016-17	1470393
56	आंध्र प्रदेश	सिरी एज्युकेशनल सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय और दिवस देखभाल केन्द्र	2री और अंतिम	2016-17	1470393
57	आंध्र प्रदेश	सिरी एज्युकेशनल सोसाइटी	एमआर के लिए आवासीय और दिवस देखभाल केन्द्र	प्रथम	2017-18	1470393
58	आंध्र प्रदेश	सिरिशा पुनर्वास केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	548478
59	आंध्र प्रदेश	सोफिया श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित शिक्षा सोसायटी	श्रवणबाधित के लिए स्कूल और छात्रावास	प्रथम	2016-17	802333
60	आंध्र प्रदेश	स्पुर्ति कल्याण सोसायटी	एचएच के लिए विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2016-17	1436435
61	आंध्र प्रदेश	श्री विवेकानंद एजुकेशनल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	857961
62	आंध्र प्रदेश	श्री दक्षिण्या भाव समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	305036
63	आंध्र प्रदेश	श्री दक्षिण्या भाव समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	590805
64	आंध्र प्रदेश	श्री दक्षिण्या भाव समिति	प्रारंभिक अंतर्क्षेप केंद्र	प्रथम	2016-17	173271
65	आंध्र प्रदेश	सेंट एन्न सामाजिक सेवा सोसायटी द्वारा संचालित सेंट एन्न मनोविकास केन्द्र	एमआर के लिए आवासीय विद्यालय (कुर्नूल)	प्रथम	2016-17	890685
66	आंध्र प्रदेश	सेंट एन्न सामाजिक सेवा सोसायटी द्वारा संचालित सेंट एन्न मनोविकास केन्द्र	एमआर के लिए एकीकृत विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	1242164
67	आंध्र प्रदेश	सनफ्लावर शैक्षिक चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	53207
68	आंध्र प्रदेश	सनलाइट एजुकेशनल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	118621
69	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (मचेराला)	प्रथम	2016-17	765375

Ø- l¡	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
70	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (मचेराला)	2री और अंतिम	2016-17	866850
71	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (करमपुडी)	प्रथम	2015-16	961274
72	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (करमपुडी)	प्रथम	2016-17	570375
73	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (करमपुडी)	2री और अंतिम	2016-17	570375
74	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (पीदुगुल्लला)	प्रथम	2016-17	386273
75	आंध्र प्रदेश	एमएच के कल्याण के लिए सूर्यकिरण माता–पिता संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल (पीदुगुल्लला)	2री और अंतिम	2016-17	487387
76	आंध्र प्रदेश	स्वर्ण स्वयंमकृषि सोसाइटी	एमएच के लिए विशेष स्कूल और व्यावसायिक केंद्र	2री और अंतिम	2016-17	486683
77	आंध्र प्रदेश	उमा शैक्षिक और तकनीकी सोसायटीजिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआआवासीय)	डीडीआआवासीय, पूर्व गोदावरी	प्रथम	2016-17	423700
78	आंध्र प्रदेश	उमा शैक्षणिक और तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम)	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	733849
79	आंध्र प्रदेश	उमा शैक्षणिक और तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम), (काकिंडा)	एमआर एंड बाल्यकालिक अंतर्क्षेपण के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	863811
80	आंध्र प्रदेश	उमा शैक्षणिक और तकनीकी सोसायटी (उमा मनोविकसा केंद्रम), (काकिंडा)	एमआर एंड बाल्यकालिक अंतर्क्षेपण के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	1402427
81	आंध्र प्रदेश	वाणी एजुकेशनल एकेडमी	मूक–वधिर के लिए विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2015-16	186494
82	आंध्र प्रदेश	वेलुगु	एमएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	2363890
83	आंध्र प्रदेश	वेलुगु	एमएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	1181945

Ø- l	jkT;	x|j ljdkjh l|xBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"k dk nkjku tkjh vu|nku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"k	jkf'k
84	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास सोसायटी स्वैच्छिक संगठन	बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1481418
85	आंध्र प्रदेश	ग्रामीण विकास सोसायटी स्वैच्छिक संगठन	बधिर के लिए नवजीवन विशेष स्कूल	2री और अंतिम	2016-17	1445283
86	आंध्र प्रदेश	वुतुकुरि वेंकट सुब्बम्मा वेलफेयर सोसाइटी	व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र	2री और अंतिम	2016-17	670698
87	आंध्र प्रदेश	महिला और बाल कल्याण केंद्र	स्कूल वीटीसी और एमआर के लिए हॉस्टल	2री और अंतिम	2015-16	1117640
88	आंध्र प्रदेश	जिओन एजुकेशनल सोसाइटी	दृष्टिबाधित और अंगबाधित बच्चों के लिए स्कूल	पूरी और अंतिम	2015-16	636363
		d|y				**65609232**
			vle			
1	असम	आशा पुनर्वास केंद्र (सेना कल्याण समिति)	आशा स्कूल, गुवाहाटी	प्रथम	2015-16	502744
2	असम	गुवाहाटी युवा समाज	हाफ वे होम	पूरी और अंतिम	2016-17	737892
3	असम	कचजुली शारीरिक रूप से विकलांग के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र	मूक एवं बधिर विशेष स्कूल एवं वीटीसी	2री और अंतिम	2015-16	1056366
4	असम	कचजुली शारीरिक रूप से विकलांग के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र	मूक एवं बधिर विशेष स्कूल एवं वीटीसी	प्रथम	2016-17	1141668
5	असम	कचजुली शारीरिक रूप से विकलांग के लिए स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र	समुदाय आधारित पुनर्वास(सीबीआर)	2री और अंतिम	2015-16	19251
6	असम	पूर्वोत्तरग्रामीण विकास स्वयंसेवी संगठन (नेवार्ड)	मूक एवं बधिर विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2016-17	1124167
7	असम	पूर्वोत्तरग्रामीण विकास स्वयंसेवी संगठन (नेवार्ड)	हाफ वे होम	पूरी और अंतिम	2016-17	753053
		d|y				**5335141**

Ø- l:	jkT;	x|j ljdkjh l|xBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
		fcgkj				
1	बिहार	बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय	एचएच बालिका विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	443359
2	बिहार	बाबा गरीब नाथ विकलांगसहजन सेवा संस्थान	एचएच बालिका विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2015-16	1134240
3	बिहार	बाबा गरीब नाथ विकलांगसहजन सेवा संस्थान	एचएच बालिका विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	711225
4	बिहार	बिहार विकलंग कल्याण परिषद	पीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	402053
5	बिहार	बिहार विकलंग कल्याण परिषद	पीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	664170
6	बिहार	ज्ञान सरोवर	ओएच के लिए वीटीसी	पूरी और अंतिम	2015-16	1321299
7	बिहार	ज्ञान सरोवर	ओएच के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	886356
8	बिहार	ज्ञान सरोवर	ओएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2016-17	886356
9	बिहार	कोशी क्षेत्रीय विकलांग,विधवा, वृद्ध कल्याण समिति	पीएच के लिए आवासीय स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2015-16	25271
		dqy				**6474329**
		NÙkhlx<+				
1	छत्तीसगढ़	आकांक्षा लायंस मानसिक रूप से विकलांग के लिए स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2	2015-16	300370
2	छत्तीसगढ़	ज्ञानोदय एसोसिएशन	श्रवणबाधितों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	522606
3	छत्तीसगढ़	लायंस चौरिटेबल ट्रस्ट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	153458
4	छत्तीसगढ़	निशांत जन कल्याण सेवासमिति	अंध और बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	230338
		dqy				**1206772**
		fnYyh				
1	दिल्ली	अक्षय प्रतिष्ठान	विकलांग के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	947089

Ø- lå	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
2	दिल्ली	अक्षय प्रतिष्ठान	विकलांग के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	818229
3	दिल्ली	अमर ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट	एकीकृत स्कूल	प्रथम	2016-17	1412396
4	दिल्ली	अमर ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट	एकीकृत स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	1382632
5	दिल्ली	अमर ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट	एकीकृत स्कूल	प्रथम	2017-18	1397514
6	दिल्ली	सेना की पत्नी कल्याण संघ (सेना कल्याण समिति)	आशा स्कूल, दिल्ली	पूरी और अंतिम	2016-17	864331
7	दिल्ली	चंद्रभूषण सिंह स्मारकमहिला, बाल एवं श्रवणविकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान	एचएच के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	559001
8	दिल्ली	चंद्रभूषण सिंह स्मारकमहिला, बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	590243
9	दिल्ली	दिल्ली श्रवण बाधित महिला प्रतिष्ठान	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	द्वितीय और अंतिम	2016-17	9097
10	दिल्ली	दृष्टिबाधित संस्थान	नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल (पीआर)	प्रथम	2015-16	359765
11	दिल्ली	दृष्टिबाधित संस्थान	नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल (एल एन)	प्रथम	2015-16	303153
12	दिल्ली	जनता आदर्श अंध विद्यालय	वीएच के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	715238
13	दिल्ली	जनता आदर्श अंध विद्यालय	वीएच के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	715238
14	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	ब्रेल और बड़ा प्रिंट का ट्रांसक्रिप्शन	द्वितीय और अंतिम	2015-16	81141
15	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	ब्रेल और बड़ा प्रिंट का ट्रांसक्रिप्शन	प्रथम	2016-17	282293
16	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	ब्रेल और बड़ा प्रिंट का ट्रांसक्रिप्शन	द्वितीय और अंतिम	2016-17	38254
17	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	भवन और परिवहन का रखरखाव	द्वितीय और अंतिम	2015-16	499125
18	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	वीएच के लिए छात्रावास	द्वितीय और अंतिम	2015-16	563165

Ø- l-	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
19	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	वीएच के लिए छात्रावास	द्वितीय और अंतिम	2015-16	379221
20	दिल्ली	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (दिल्ली)	वीएच के लिए छात्रावास	प्रथम	2016-17	512626
21	दिल्ली	संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	321128
22	दिल्ली	संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	374517
23	दिल्ली	संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	371637
		dqy				**13497033**
			xqtjkr			
1	गुजरात	अक्षर ट्रस्ट	श्रवण आधित के लिए विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2015-16	652713
2	गुजरात	अक्षर ट्रस्ट	श्रवण आधित के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	339675
3	गुजरात	अक्षर ट्रस्ट	श्रवण आधित के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	339675
4	गुजरात	अपंग मानव कल्याण केंद्र	व्यावसायिक प्रशिक्षण ाकार्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2015-16	176539
5	गुजरात	अपंग मानव कल्याण केंद्र	व्यावसायिक प्रशिक्षण ाकार्यक्रम	प्रथम	2016-17	406057
6	गुजरात	भारत लोक सेवा हित समिति	एमआर केलिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	101376
7	गुजरात	भारत लोक सेवा हित समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	101376
8	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	महिलाओं के लिए कौशल विकास इकाई	पूरी और अंतिम	2015-16	5550
9	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	महिलाओं के लिए कौशल विकास इकाई	प्रथम	2016-17	137550
10	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	फिज्योथैरेपी स्कूल	प्रथम	2015-16	132525
11	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	फिज्योथैरेपी स्कूल	प्रथम	2016-17	178500

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
12	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	राष्ट्रीय पुनर्वसन इंजीनियरिंग संस्थान	प्रथम	2015-16	146145
13	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	पीएच के लिए बहु श्रेणी प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2015-16	167378
14	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	रोजगार और नियोजनसेवाएं	प्रथम	2015-16	49161
15	गुजरात	नेत्रहीनसंघ	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2015-16	58191
16	गुजरात	मानव विकास और अनुसंधान फाउंडेशन	गृह आधारित एमआर पुनर्वसन कार्यक्रम	द्वितीय	2015-16	160000
17	गुजरात	मानव विकास और अनुसंधान फाउंडेशन	गृह आधारित एमआर पुनर्वसन कार्यक्रम	प्रथम	2016-17	164745
18	गुजरात	खोड़ीयार शिक्षा ट्रस्ट	एमआर और सीपी बच्चों के लिएप्रिस्कूलएंड ईआई	प्रथम	2015-16	141422
19	गुजरात	मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	एमआर बच्चों के विकास के लिए केंद्र	प्रथम	2016-17	257020
		dqy				**3715598**
			gfj;k.kk			
1	हरियाणा	क्षमता विकास और समावेशन के लिए कार्यवाही	समुदाय आधारित पुनर्वास	द्वितीय और अंतिम	2015-16	210000
2	हरियाणा	ऑल इंडिया कॉन्फ्रेश्रेशन ऑफ द ब्लाइंड (गुड़गांव)	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	247780
3	हरियाणा	ऑल इंडिया कॉन्फ्रेश्रेशन ऑफ द ब्लाइंड (गुड़गांव)	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	513028
4	हरियाणा	आशा विद्यालय अंबाला (सेना कल्याण सोसाइटी नई दिल्ली के अधीन)	आशा स्कूल, अंबाला	द्वितीय और अंतिम	2015-16	380000
5	हरियाणा	आशा विद्यालय अंबाला (सेना कल्याण सोसाइटी नई दिल्ली के अधीन)	आशा स्कूल, अंबाला	द्वितीय और अंतिम	2015-16	338505
6	हरियाणा	विकलांगों के कल्याण के लिए एसोसिएशन	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	411923
7	हरियाणा	दिशा	विकलांग के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2016-17	6241

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ dk nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
8	हरियाणा	डॉट आशा केंद्र (सेना कल्याण समिति)	आशा स्कूल, हिसार	प्रथम	2016-17	318855
9	हरियाणा	विकलांग के लिए शैक्षिक सह व्यावसायिक संघ	बधिर, गूंगा, एमआर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	396928
10	हरियाणा	विकलांग के लिए शैक्षिक सह व्यावसायिक संघ	बधिर, गूंगा, एमआर एवं नेत्रहीन बच्चों के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	364800
11	हरियाणा	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (हिसार)	वीएच के लिए आवासीय स्कूल सह वीटीसी	द्वितीय	2015-16	140000
12	हरियाणा	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (हिसार)	एमआर बच्चों के लिए बाल्यकालिक अंतर्क्षेप कार्यक्रम	पूरी और अंतिम	2015-16	204980
13	हरियाणा	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (रोहतक)	एमआर बालगृह एवं वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2015-16	545248
14	हरियाणा	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (रोहतक)	एमआर के लिए विशेष स्कूल(कलानौर)	द्वितीय और अंतिम	2015-16	172907
15	हरियाणा	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (रोहतक)	एमआर के लिए विशेष स्कूल(कलानौर)	प्रथम	2016-17	309033
16	हरियाणा	खुशबू वेलफेयर सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	234544
17	हरियाणा	लोक कल्याण फाउंडेशन	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	397971
18	हरियाणा	लोक कल्याण फाउंडेशन	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2016-17	899892
19	हरियाणा	आधुनिक शिक्षा सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	374904
20	हरियाणा	आधुनिक शिक्षा सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	404245
21	हरियाणा	आधुनिक शिक्षा सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	394074
22	हरियाणा	राष्ट्रीयदिव्यांग एकीकरण और पुनर्वास संघ	एमआर बच्चों के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	425781

Ø- l|	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
23	हरियाणा	बधिर के लिए रोटरी वेलफेयर सोसाइटी	मूकऔर बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	233186
24	हरियाणा	बधिर के लिए रोटरी वेलफेयर सोसाइटी	मूक और बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	233187
25	हरियाणा	सूर्योदय शिक्षा सोसाइटी	एमआर और एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	285000
26	हरियाणा	उम्मीद सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	33038
27	हरियाणा	उम्मीद सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	2020
28	हरियाणा	पश्चिमी कमान सेना वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन (सेना कल्याण समिति)	आशा स्कूल, चंडीमंदिर	प्रथम	2016-17	436133
		d|y				**8914203**
fgekpy çns'k						
1	हिमाचल प्रदेश	आस्था कल्याण समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय	2015-16	200000
2	हिमाचल प्रदेश	आस्था कल्याण समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	248823
3	हिमाचल प्रदेश	आस्था कल्याण समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	166266
4	हिमाचल प्रदेश	चेतना	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	337553
5	हिमाचल प्रदेश	चेतना	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	421917
6	हिमाचल प्रदेश	चेतना	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	51279
7	हिमाचल प्रदेश	चेतना	सीबीआर कार्यक्रम	प्रथम	2017-18	168696
8	हिमाचल प्रदेश	चेतना	सीबीआर कार्यक्रम	द्वितीय और अंतिम	2016-17	168696
9	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय नेत्रहीन कल्याण संघ (कुल्लू)	ब्लाइंड के लिए विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2015-16	322800
		d|y				**2086030**

Ø- l-	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
			dukZVd			
1	कर्नाटक	श्री रामन महर्षि नेत्रहीन एकेडमी	ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी)	द्वितीय और अंतिम	2015-16	525276
2	कर्नाटक	श्री रामन महर्षि नेत्रहीन एकेडमी	ओएच के लिए वीटीसी (टीआरडीसी)	प्रथम	2016-17	573219
3	कर्नाटक	श्री रामन महर्षि नेत्रहीनएकेडमी	वीएच के लिए स्कूल सह वीटीसी (एसआरएमएबी)	द्वितीय और अंतिम	2015-16	994477
4	कर्नाटक	श्री रामन महर्षि नेत्रहीनएकेडमी	वीएच के लिए स्कूल सह वीटीसी (एसआरएमएबी)	प्रथम	2016-17	1129733
5	कर्नाटक	श्री रामन महर्षि नेत्रहीन एकेडमी	डीएसई (प्राथमिक आठ)	प्रथम	2016-17	180750
6	कर्नाटक	विकलांग व्यक्तियों के लिए श्रीरमन महर्षि ट्रस्ट	एलसीपी का पुनर्वास	द्वितीय और अंतिम	2015-16	900789
7	कर्नाटक	श्रीरमन महर्षि विकलांग व्यक्तिय न्यास	एलसीपी का पुनर्वास	प्रथम	2016-17	978098
8	कर्नाटक	स्पस्टिक्स सोसाइटी ऑफ कर्नाटक	स्पस्टिक्स चिल्ड्रेन व वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर	द्वितीय	2015-16	750000
9	कर्नाटक	विश्वधर्ममहिला मट्टू मक्काला शिक्षण सेवाश्रमसमिति	पीएच के लिए आवासीय स्कूल	द्वितीय	2015-16	1200000
		dqy				**7232342**
			dsjy			
1	केरल	अभय	मानसिक रूप से बीमार के लिए पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2015-16	236374
2	केरल	अभय	मानसिक रूप से बीमार के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	250821
3	केरल	अल्फोंस सोशल सेंटर	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	493956
4	केरल	अनुग्रह सदन	बहुविकलांगता ग्रस्त बच्चों के लिए सीपी	प्रथम	2016-17	374634
5	केरल	आशा भवन	पीएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2015-16	328014
6	केरल	आशा भवन	पीएच के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	328014

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ dks nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
7	केरल	आशा भवन	पीएच के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2016-17	328014
8	केरल	मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए आशाकिरण एसोसिएशन	एमआर के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	649635
9	केरल	आशानिलायम	एमआर के लिए स्कूल सह वीटीसी	प्रथम	2015-16	582336
10	केरल	आशानिलायम सोशल सर्विस सेंटर	एमआर के लिए स्कूल(कोट्टायम)	द्वितीय और अंतिम	2015-16	158634
11	केरल	आशानिलायम सोशल सर्विस सेंटर	एमआर के लिए स्कूल (कोट्टायम)	प्रथम	2016-17	267381
12	केरल	बेथोनियाविकलांग पुनर्वास केंद्र	पीएच लड़कियों के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	330158
13	केरल	कालीकट इस्लामी कल्चरल सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2015-16	269100
14	केरल	कालीकट इस्लामी कल्चरल सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए केंद्र	प्रथम	2016-17	314288
15	केरल	विकलांगों के कल्याण के लिए चौरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	428408
16	केरल	विकलांगों के कल्याण के लिए चौरिटेबल सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	428407
17	केरल	मानसिक रूप से मंद के लिएचवरा विशेष स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1053891
18	केरल	डेमियन संस्थान	अतिविकलांग एलसीपी केलिए गृह	प्रथम	2016-17	189149
19	केरल	दीप्ति केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	636215
20	केरल	दीप्ति केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	666513
21	केरल	एम्मास विला	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	845451
22	केरल	एर्नाकुलम महिला एसोसिएशन	एमडी के लिए शिक्षासह वीटीसी	प्रथम	2016-17	234675

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ dh nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
23	केरल	फेथ इंडिया	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	द्वितीय और अंतिम	2015-16	121565
24	केरल	फेथ इंडिया	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	176400
25	केरल	फेथ इंडिया	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	द्वितीय और अंतिम	2016-17	422241
26	केरल	फेथ इंडिया	अपंग के प्रशिक्षण और पुनर्वास (एर्नाकुलम)	प्रथम	2016-17	436428
27	केरल	फेथ इंडिया	एमआर के लिए विशेष स्कूल (पल्लकड)	प्रथम	2017-18	1179972
28	केरल	फेथ इंडिया	एमआर (पल्लकड) के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	1179972
29	केरल	विकलांग पुनर्वास जेसी सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	द्वितीय और अंतिम	2015-16	102379
30	केरल	के.वलयाधन मेमोरियल ट्रस्ट	एमआर के लिए स्कूल	द्वितीय	2015-16	500000
31	केरल	कार्तिका नायर स्मारक समिति	ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2015-16	423525
32	केरल	कार्तिका नायर स्मारक समिति	ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	432614
33	केरल	कार्तिका नायर स्मारक समिति	ओएच के लिए पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2016-17	432615
34	केरल	करुणा चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	500000
35	केरल	करुणा चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	500000
36	केरल	केरल नेत्रहीन संस्थान	वीएच के लिए वीटीसी सह पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2015-16	304516
37	केरल	केरल नेत्रहीन संस्थान	वीएच के लिए वीटीसी सह पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	244754
38	केरल	शारीरिक रूप से प्रभावित के लिए केरल पुनर्वास संस्थान (कृपा प्रोविडेंस होम)	विकलांग के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2015-16	120090

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
39	केरल	शारीरिक रूप से प्रभावित के लिए केरल पुनर्वास संस्थान (कृपा प्रोविडेंस होम)	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	320166
40	केरल	मैडोना चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	432271
41	केरल	मैडोना चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	644190
42	केरल	मनोविकास	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	501534
43	केरल	मनोविकास	मानसिक रूप से विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	551061
44	केरल	मैरियन सर्विस सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	651524
45	केरल	प्रतिक्षा चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	प्रथम	2016-17	446878
46	केरल	प्रतिक्षा चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष विद्यालय सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2016-17	605105
47	केरल	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए प्रतीक्षा भवन स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	887115
48	केरल	मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए प्रतीक्षा भवन स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	882540
49	केरल	विशेष जरुरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए रक्षासोसायटी	एमआर के लिए दिवस देखभाल केन्द्र	प्रथम	2015-16	588255
50	केरल	विशेष जरुरतमंद बच्चों की देखभाल के लिए रक्षासोसायटी	एमआर के लिए दिवस देखभाल केन्द्र	द्वितीय और अंतिम	2015-16	345404
51	केरल	रीच–सोसायटी फॉर रिमेडिअल एजुकेशन एसेसमेंट काउंसिलिंगहैडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	572507
52	केरल	रीच–सोसायटी फॉर रिमेडिअल एजुकेशन एसेसमेंट काउंसिलिंगहैडीकैप्ड	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	588819
53	केरल	पुनर्वसन फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	376216

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
54	केरल	पुनर्वसन फाउंडेशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	355511
55	केरल	विशेष देखभाल जरुरतमंद बच्चों के लिए रोटरी संस्थान	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	1198080
56	केरल	विशेष देखभाल जरुरतमंद बच्चों के लिए रोटरी संस्थान	एमआर के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	830245
57	केरल	संजोस कल्याण केंद्र	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	901827
58	केरल	शांति भवन सामाजिक केंद्र	ओ.एच. बच्चों के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2015-16	253944
59	केरल	शांतिभवन सामाजिक केंद्र	ओ.एच. बच्चों के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	248187
60	केरल	विकलांग बच्चों के लिए शांतिनिलयम	एमआर के लिए स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	762016
61	केरल	विकलांग बच्चों के लिए शांतिनिलयम	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	994716
62	केरल	शांतिमार्गम सोशल वेलफेयर सर्विस सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	324551
63	केरल	शांतिमार्गम सोशल वेलफेयर सर्विस सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	324522
64	केरल	शांतिमार्गम सोशल वेलफेयर सर्विस सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	324551
65	केरल	सेवा निकेतन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	417985
66	केरल	समाज कल्याण केंद्र	एमआर बच्चों के लिए संस्थान	प्रथम	2016-17	1005543
67	केरल	मानसिक रूप से अकुशल बच्चों केपुनर्वास के लिए सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	139125
68	केरल	मानसिक रूप से अकुशल बच्चों केपुनर्वास के लिए सोसायटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	353520
69	केरल	सोसाइटी ऑफ डाउटर्स ऑफ सेंट केमिलस	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल सह प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2015-16	505695

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
70	केरल	सेंट जोसेफ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृह	मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्ति के लिए पुनर्वास (हाफ वे होम)	द्वितीय और अंतिम	2015-16	925789
71	केरल	सेंट जोसेफ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल होम	मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्ति के लिए पुनर्वास (हाफ वे होम)	प्रथम	2016-17	629730
72	केरल	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	139966
73	केरल	सेंट जोसेफ सोशल सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	554463
74	केरल	विकास सोशल सर्विस सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	770481
75	केरल	महिला कल्याण केंद्र	एमआर के लिए आवासीय स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	298587
76	केरल	युवा महिला क्रिश्चियन एसोसिएशन	एमआर के लिए केंद्र	पूरी और अंतिम	2015-16	233241
77	केरल	युवा महिला क्रिश्चियन एसोसिएशन	एमआर के लिए केंद्र	प्रथम	2016-17	175000
		dqy				**37531999**
		e/; çns'k				
1	मध्य प्रदेश	अजय मेमोरियल ट्रस्ट	मानसिक सामाजिक पुनर्वास हाफ वे होम	द्वितीय और अंतिम	2015-16	8200
2	मध्य प्रदेश	अजय मेमोरियल ट्रस्ट	मानसिक सामाजिक पुनर्वास हाफ वे होम	प्रथम	2016-17	202541
3	मध्य प्रदेश	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र	वीएच के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	199864
4	मध्य प्रदेश	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र	वीएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	204744
5	मध्य प्रदेश	अंकुर प्रगतिशील महिला केंद्र	वीएच के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	204744
6	मध्य प्रदेश	आशा अवाकेंद्र (सेना कल्याण सोसाइटी)	आशा स्कूल, जबलपुर	प्रथम	2016-17	142135

क्र.सं.	राज्य	गैर सरकारी संगठन का नाम	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान जारी अनुदान सहायता का विवरण		
				किस्त	वर्ष	राशि
7	मध्य प्रदेश	आशा विद्यालय समिति	आशा स्कूल, ग्वालियर	द्वितीय और अंतिम	2015-16	59721
8	मध्य प्रदेश	आशा विद्यालय समिति	आशा स्कूल, ग्वालियर	प्रथम	2016-17	229860
9	मध्य प्रदेश	दीन दयाल अंत्योदय मिशन, बालाघाट	डीडीआआवासीय, बालाघाट	प्रथम	2016-17	400136
10	मध्य प्रदेश	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रेवा द्वारा संचालितजिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र रीवा	डीडीआआवासीय, रीवा	प्रथम	2016-17	459000
11	मध्य प्रदेश	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, मेन्डसौर	डीडीआआवासीय मेन्डसौर	द्वितीय और अंतिम	2015-16	15811
12	मध्य प्रदेश	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, मेन्डसौर	डीडीआआवासीय मेन्डसौर	प्रथम	2015-16	162445
13	मध्य प्रदेश	अहसास	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	410625
14	मध्य प्रदेश	फेमस महिला कल्याण समिति	मूक एवं वधिर के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	301644
15	मध्य प्रदेश	फेमस महिला कल्याण समिति	मूक एवं वधिर के लिए वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2016-17	344844
16	मध्य प्रदेश	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र	द्वितीय और अंतिम	2016-17	76498
17	मध्य प्रदेश	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, (डीडीआआवासीय)	डीडीआआवासीय, जबलपुर	प्रथम	2016-17	508680
18	मध्य प्रदेश	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ग्वालियर, एमपी	ग्वालियर, डीडीआआवासीय	द्वितीय और अंतिम	2015-16	125349
19	मध्य प्रदेश	जस्टिस तन्खा मेमोरियल रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर स्पास्टिक एंड हेन्डिकैप्डचिल्ड्रेन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय	2015-16	1050000
20	मध्य प्रदेश	एमपी. विकलांग सहायता समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय	2015-16	250103
21	मध्य प्रदेश	एमपी. विकलांग सहायता समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	435980
22	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विकलंग सहायतासमिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	पूरी और अंतिम	2015-16	456137

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
23	मध्य प्रदेश	नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी	बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	545246
24	मध्य प्रदेश	नागदा जेनिथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी	बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	545246
25	मध्य प्रदेश	नव ज्योति विशेष स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	298434
26	मध्य प्रदेश	सेंट थॉमस डाउटर्ससोसाइटी द्वारा संचालित प्रेमसागर विशेष स्कूल	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	275550
27	मध्य प्रदेश	राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति	दीक्षा निकेतन विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2015-16	38955
28	मध्य प्रदेश	राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति	दीक्षा निकेतन विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	286956
29	मध्य प्रदेश	रमन शिक्षा समिति	विशेष स्कूल सह वीटीसी	द्वितीय और अंतिम	2016-17	32706
30	मध्य प्रदेश	सीमा सोशल वेलफेयर सोसायटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	तीसरे और अंतिम	2015-16	79303
31	मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय	2016-17	358998
32	मध्य प्रदेश	श्री श्री उत्कर्ष समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	473408
33	मध्य प्रदेश	वंदन पुनर्वासएवं अनुसन्धान संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	454494
34	मध्य प्रदेश	वंदन पुनर्वासएवं अनुसन्धान संस्थान	एमआर के लिए आवासीय विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	516330
35	मध्य प्रदेश	विकलांग सेवा भारती	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	369945
36	मध्य प्रदेश	विकलांग सेवा भारती	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	द्वितीय और अंतिम	2016-17	384945
37	मध्य प्रदेश	विकलांग सेवा भारती	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	369945
		dqy				**11279522**

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
			egkjk"V			
1	महाराष्ट्र	अहिल्या देवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल	श्रवणबाधित के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	863811
2	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्था	विकलांग छात्रों के लिए व्यावसायिक स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	323106
3	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्था	विकलांग छात्रों के लिए व्यावसायिक स्कूल	प्रथम	2016-17	489488
4	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्था	डीडीआआवासीय, अमरावती	प्रथम	2016-17	446040
5	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्था	डीडीआआवासीय, अमरावती	प्रथम	2017-18	334530
6	महाराष्ट्र	अपंग जीवन विकास संस्था	डीएड कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन	2री एवं अंतिम	2015-16	267792
7	महाराष्ट्र	आशा स्कूल, देवलाली	आशा स्कूल, देवलाली	प्रथम	2015-16	153890
8	महाराष्ट्र	अयोध्या चौरिटेबल ट्रस्ट	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीएसई– एचआई)	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	222625
9	महाराष्ट्र	अयोध्या चौरिटेबल ट्रस्ट	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीएसई– एचआई)	प्रथम	2016-17	132682
10	महाराष्ट्र	अयोध्या चौरिटेबल ट्रस्ट	विकलांग के लिए केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	347730
11	महाराष्ट्र	अयोध्या चौरिटेबल ट्रस्ट	विकलांग के लिए केंद्र	प्रथम	2016-17	427943
12	महाराष्ट्र	ग्राम विकास युवकमडाल बाराहाली	विकलांग पुनर्वास केंद्र (वीटीसी)	3री एवं अंतिम	2015-16	305888
13	महाराष्ट्र	ग्राम विकास युवक मडाल बाराहाली	विकलांग पुनर्वास केंद्र (वीटीसी)	प्रथम	2016-17	365904
14	महाराष्ट्र	हरिसुंदर महिला बहु उद्देश्यीय शिक्षण प्रसारकमंडल	एमआर के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	594837
15	महाराष्ट्र	जन विकास संस्था	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	520448
16	महाराष्ट्र	जन विकास संस्था	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	520447

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
17	महाराष्ट्र	मानव विकास संस्था	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	265151
18	महाराष्ट्र	मानव विकास संस्था	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	471564
19	महाराष्ट्र	मानव विकास संस्था	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	265152
20	महाराष्ट्र	मानव विकास संस्था	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	471564
21	महाराष्ट्र	मनुदेवीशिक्षण प्रसारक मंडल	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	474966
22	महाराष्ट्र	मनुदेवी शिक्षण प्रसारक मंडल	एचएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	474966
23	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	टॉकिंग बूक	प्रथम	2016-17	600000
24	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	टॉकिंग बूक	2री एवं अंतिम	2016-17	200000
25	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	टॉकिंग बूक	प्रथम	2017-18	400000
26	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	प्रथम	2016-17	626000
27	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	2री एवं अंतिम	2015-16	1129809
28	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	2री एवं अंतिम	2016-17	626000
29	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस	प्रथम	2017-18	626000
30	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	नियोजन सेवा	प्रथम	2016-17	105000
31	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	नियोजन सेवा	2री एवं अंतिम	2016-17	35000
32	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	नियोजन सेवा	प्रथम	2017-18	70000
33	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	पुनर्वास विभाग	प्रथम	2016-17	240000
34	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	पुनर्वास विभाग	2री एवं अंतिम	2016-17	240000
35	महाराष्ट्र	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ (बॉम्बे)	पुनर्वास विभाग	प्रथम	2017-18	240000
36	महाराष्ट्र	पाराप्लेजिक पुनर्वास केंद्र	परापैलिक पुनर्वास केंद्र, पुणे, किर्कि	2री एवं अंतिम	2016-17	277750

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
37	महाराष्ट्र	समाज प्रबोधन शिक्षण मंडलसकनूर	श्रवण बाधित	2री एवं अंतिम	2015-16	416358
38	महाराष्ट्र	समाज प्रबोधन शिक्षण मंडलसकनूर	श्रवण बाधित	प्रथम	2016-17	405949
39	महाराष्ट्र	संधि निकेतन शिक्षण संस्था	एमआर के लिए पुनर्वास केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	339341
40	महाराष्ट्र	संधि निकेतन शिक्षण संस्था	एमआर के लिए पुनर्वास केंद्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	706212
41	महाराष्ट्र	संकल्प बहु–उद्देशीय संस्था	डीडीआआवासीय, गोंदिया	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	367782
42	महाराष्ट्र	संकल्प बहु–उद्देशीय संस्था	डीडीआआवासीय, गोंदिया	2री एवं अंतिम	2015-16	319385
43	महाराष्ट्र	एसएवीएएलआई	एमआर और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	31056
44	महाराष्ट्र	एसएवीएएलआई	एमआर और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	292163
45	महाराष्ट्र	श्री एच.बी.पी. शंकरबुवा चौधरी शैक्षणिक संस्था	एमआर के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	462870
46	महाराष्ट्र	श्री हरि सेवा फाउंडेशन	नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेषस्कूल	2री	2015-16	400000
47	महाराष्ट्र	श्री हरि सेवा फाउंडेशन	नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेषस्कूल			
48	महाराष्ट्र	श्री हरि सेवा फाउंडेशन	नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेषस्कूल	3री एवं अंतिम	2015-16	476805
49	महाराष्ट्र	श्री हरि सेवा फाउंडेशन	नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेषस्कूल	प्रथम	2016-17	439415
50	महाराष्ट्र	विदर्भ अपंग विकास संस्था	मूक एवं बधिर के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2015-16	333086
		d|y				**1249306**

Ø- lа	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
			ef.kiqj			
1	मणिपुर	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	2री एवं अंतिम	2015-16	260640
2	मणिपुर	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	प्रथम	2016-17	538117
3	मणिपुर	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	483705
4	मणिपुर	ऑल मणिपुर मेंटली हैंडिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1106883
5	मणिपुर	विकास गतिविधि केंद्र	हाफ वे होम	2री एवं अंतिम	2015-16	465723
6	मणिपुर	विकास गतिविधि केंद्र	हाफ वे होम	प्रथम	2016-17	355446
7	मणिपुर	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल सह वीटीसी	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	1040616
8	मणिपुर	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	एमआर बच्चों का अनुरक्षण	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	464400
9	मणिपुर	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए हाफ वे होम	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	763020
10	मणिपुर	निर्धन व मजदूर विकास परिषद (सीडीपीएल)	पीएच के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	838447
11	मणिपुर	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, चुराचंदपुर	डीडीआआवासीय, चुराचंदपुर	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	676626
12	मणिपुर	शैक्षिक और ग्रामीण विकाससंगठन, थौबाल, मणिपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	1249848
13	मणिपुर	शैक्षिक और ग्रामीण विकाससंगठन, देवपाल, मणिपुर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2री एवं अंतिम	2016-17	1261728
14	मणिपुर	ग्रामीण विकास फाउंडेशन (फोर्ड)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	59054
15	मणिपुर	ग्रामीण विकास फाउंडेशन (फोर्ड)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2री एवं अंतिम	2016-17	855706

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
16	मणिपुर	इंफाल गार्जियन सोसाइटी	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	878148
17	मणिपुर	इंफाल गार्जियन सोसाइटी	प्रि स्कूल और ईआई और प्रशिक्षण केन्द्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	476027
18	मणिपुर	कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक विकास संस्थान	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	195434
19	मणिपुर	कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक विकास संस्थान	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	524470
20	मणिपुर	कंगचुप क्षेत्र आदिवासी महिला समाज	विशेष स्कूल सह वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	481779
21	मणिपुर	मणिपुर मार्गदर्शन केंद्र (एमएजीसी)	एमआर के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	1228356
22	मणिपुर	ओयनाम इबोहाल पॉलिटेक्निक	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	359736
23	मणिपुर	पीपुल एडवांस इन सोशल सर्विसेज (पीएएसएस)	मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	623348
24	मणिपुर	क्षेत्रीय विकलांग व्यक्तिसंस्थान	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	295106
25	मणिपुर	क्षेत्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान	विकलांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	705341
26	मणिपुर	रिवाइवल फाउंडेशन (रिफॉउन्ड)	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	401207
27	मणिपुर	ग्रामीण शैक्षणिक और सामाजिक–आर्थिक विकास संगठन	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	539709
28	मणिपुर	सोशल ह्यूमेन एक्शन फॉर रुरल एम्पावरमेंट	श्रवण बाधित के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	452250
29	मणिपुर	सोशल ह्यूमेन एक्शन फॉर रुरल एम्पावरमेंट	श्रवण बाधित के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	187361
30	मणिपुर	द डेवलपमेंट फॉर वीमेन्स प्रोग्राम सेंटर	व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	912169
31	मणिपुर	द डेवलपमेंट फॉर वीमेन्स प्रोग्राम सेंटर	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	320166

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
32	मणिपुर	महिला आर्थिक विकास सोसाइटी	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	787500
33	मणिपुर	टाइप लेखन संस्थान और ग्रामीण विकास सेवा	विकलांग के लिए व्यावसायिकप्रशिक्षण केंद्र	2री एवं अंतिम	2016-17	673308
34	मणिपुर	टाइप लेखन संस्थान और ग्रामीण विकास सेवा	पीएच (पीएच / एमआर / एचआई / सीपी) के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2016-17	1781260
		dqy				**22242634**
			es?kky;			
1	मेघालय	बेथानी सोसाइटी	विकलांग के लिए छात्रावास	2री एवं अंतिम	2015-16	746300
2	मेघालय	मोंटफोर्ट सेंटर फॉर एजुकेशन	विशेष स्कूल और छात्रावास	2री एवं अंतिम	2015-16	1079889
3	मेघालय	विकलांग के कल्याण के लिए सोसाइटी	मैरी चावल सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन	2री एवं अंतिम	2015-16	387948
4	मिजोरम	समरिटान एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड	नेत्रहीनके लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	154672
		dqy				**2368809**
			vksfM'kk			
1	ओडिशा	अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	371070
2	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन द रूरल एरिया (एएसएचआरए)	सेरेब्रल पाल्सी के लिए स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	295328
3	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्प इन द रूरल एरिया (एएसएचआरए)	सेरेब्रल पाल्सी के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	426560
4	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज	विकलांग के लिए वीटीसी (जगतसिंहपुर)	प्रथम	2016-17	399600
5	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्स्ट्रक्टिव एक्टिविटीज	विकलांग के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	966765

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
6	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर सोशल वर्क एंड सोशल रिसर्च इन उड़ीसा	दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	101719
7	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर वोलंटियरी एक्शन(एवीए)	एलसीपी का पुनर्वास	2री	2015-16	150000
8	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर वोलंटियरी एक्शन (एवीए)	एलसीपी का पुनर्वास	3री एवं अंतिम	2015-16	65770
9	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर वोलंटियरी एक्शन (एवीए)	एलसीपी का पुनर्वास	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	263081
10	ओडिशा	एसोसिएशन फॉर वोलंटियरी एक्शन (एवीए)	सीबीआर	2री एवं अंतिम	2015-16	817000
11	ओडिशा	भैरबी क्लब	ओएच के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	296352
12	ओडिशा	भैरबी क्लब	बहु–विकलांगताग्रस्त के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	623139
13	ओडिशा	भैरबी क्लब	एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र (कुष्ठरोगी के लिए गृह)	2री एवं अंतिम	2015-16	308121
14	ओडिशा	भैरबी क्लब	सीबीआर कार्यक्रम	प्रथम	2016-17	461934
15	ओडिशा	पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केंद्र (सीआरएसआर)	स्पस्टिक्स बच्चों के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	1528074
16	ओडिशा	पुनर्वास सेवा और अनुसंधान केंद्र (सीआरएसआर)	स्पस्टिक्स बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	491760
17	ओडिशा	भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल (सहाय)	प्रथम	2016-17	440318
18	ओडिशा	कबि नरसिंह मठ नेत्रहीन एवं बधिर स्कूल, बाकिलिकाना	नेत्रहीन, बधिर और एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1135914
19	ओडिशा	महाराजा कृष्ण चन्द्र गजपति स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड डीफ	नेत्रहीन एवं बधिरों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	516949
20	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	विकलांग के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	304920
21	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	1254636

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
22	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	278808
23	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	900054
24	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	बधिर और नेत्रहीन के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	2425834
25	ओडिशा	नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान	बधिर और नेत्रहीन के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1578973
26	ओडिशा	ओपन लर्निंग सिस्टम	सीपीएमआर के लिए वीटीसी सह पुनर्वास केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	313793
27	ओडिशा	पतितपावन सेवा संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	565110
28	ओडिशा	पतितपावन सेवा संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	433305
29	ओडिशा	पतितपावन सेवा संघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	549135
30	ओडिशा	ग्रामीण विकास कार्य प्रकोष्ठ (आरडीएसी)	हाफवे होम	2री एवं अंतिम	2015-16	237281
31	ओडिशा	शहदी यूवा संघ	वाक् एवं श्रव्य बाधित के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	1228256
32	ओडिशा	सरस्वती चौरिटेबल फाउंडेशन	एचएच/एमआर/ दृष्टिबाधित के लिए स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	381819
33	ओडिशा	शिशु शाखा संघ	मूक एवं बधिर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	499630
34	ओडिशा	शिशु शाखा संघ	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	732852
35	ओडिशा	सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलियंटरीएक्शन (सेवा)	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1089981
36	ओडिशा	विकलांग सहायता संस्थान	एमएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	509320
37	ओडिशा	उत्कल कल्याण सेवा संघ	बधिर और एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	894393

Ø-l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
38	ओडिशा	विजया	नेत्रहीन एवं बधिर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	643026
39	ओडिशा	ग्रामीण सुधार के लिए स्वैच्छिक संगठन	नेत्रहीन एवं बधिर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	446600
40	ओडिशा	महिला समुदाय प्रबंधन समूह	एलसीपी के लिए पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	701793
		dqy				**25628973**
			iMqpsjh			
1	पुडुचेरी	श्री पटकैपैंन सोसाइटी फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड रिहाबिलिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड	एचएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	716820
2	पुडुचेरी	श्री पटकैपैंन सोसाइटी फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड रिहाबिलिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	760958
		dqy				**1477778**
			iatkc			
1	पंजाब	अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	580311
2	पंजाब	आशा दीप कल्याण सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	729180
3	पंजाब	आशा स्कूल अमृतसर	बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	27901
4	पंजाब	विकलांग बच्चों के लिए चेतक आशा स्कूल, भटिंडा	आशा स्कूल, भटिंडा	प्रथम	2016-17	286394
5	पंजाब	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र	डीडीआआवासीय, भटिंडा	प्रथम	2016-17	747629
6	पंजाब	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र	डीडीआआवासीय, भटिंडा	2री एवं अंतिम	2016-17	31728
7	पंजाब	नवजीविनी स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	839636
8	पंजाब	रेडक्रॉस स्कूल फॉर द डिफ	मूक बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	561473

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
9	पंजाब	विकलांगता के कल्याण के लिए सोसायटी	बधिरों और नेत्रहीन बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	117913
10	पंजाब	व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण केंद्र	नेत्रहीन के लिए शिक्षा, वीटीसी कार्यशाला	प्रथम	2016-17	908490
11	पंजाब	पश्चिमी कमान सेना वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन(सेना कल्याण समिति)	आशा स्कूल, चंडीमंदिर	2री एवं अंतिम	2015-16	300000
12	पंजाब	पश्चिमी कमान सेना वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन(सेना कल्याण समिति)	आशा स्कूल, चंडीमंदिर	2री एवं अंतिम	2015-16	250504
		dqy				**5381159**
			jktLFkku			
1	राजस्थान	बधिर बालकल्याण विकाससमिति	बधिरों के लिएआवासीय स्कूल	2री	2015-16	850000
2	राजस्थान	बाधित बाल विकासकेंद्र	बधिरों के लिए छात्रावास और वीटीसी	प्रथम	2016-17	219180
3	राजस्थान	दिशा – विकलांग के लिए एक संसाधन केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री	2015-16	510000
4	राजस्थान	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, टोंक	डीडीआआवासीय, टोंक	प्रथम	2016-17	284040
5	राजस्थान	भारतीय समाज कल्याण परिषद	विकलांब के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	458360
6	राजस्थान	भारतीय समाज कल्याण परिषद	विकलांब के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	329286
7	राजस्थान	कौशल सेवा संस्थान	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	307314
8	राजस्थान	महिला बाल विकास ग्रामोद्योग शिक्षा समिति	एमआर के लिए स्कूल सह वीटीसी	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	729435
9	राजस्थान	महिला बाल विकासशिक्षा समिति	एमआर के लिए स्कूल सह वीटीसी	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	240095
10	राजस्थान	मरुधरा बाल शिक्षणसंस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	279471
11	राजस्थान	मरुधरा बाल शिक्षणसंस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	370260

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ dk nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
12	राजस्थान	मर्सी रिहैबिलिटेशन सोसाइटी	बहुविकलांगता ग्रस्त के लिए विशेष स्कूल सहविकास केंद्र	प्रथम	2016-17	349803
13	राजस्थान	मर्सी रिहैबिलिटेशन सोसाइटी	बहुविकलांगता ग्रस्त के लिए विशेष स्कूल सहविकास केंद्र	2री एवं अंतिम	2016-17	325264
14	राजस्थान	नारायण सेवासंस्थान	विकलांग के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	183995
15	राजस्थान	नारायण सेवासंस्थान	विकलांग के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	93382
16	राजस्थान	नारायण सेवासंस्थान	विकलांग के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र	2री एवं अंतिम	2016-17	180394
17	राजस्थान	नारायण सेवासंस्थान	सीबीआर कार्यक्रम	2री एवं अंतिम	2015-16	185437
18	राजस्थान	नारायण सेवासंस्थान	सीबीआर कार्यक्रम	प्रथम	2016-17	217350
19	राजस्थान	नारायण सेवासंस्थान	सीबीआर कार्यक्रम	2री एवं अंतिम	2016-17	155726
20	राजस्थान	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिरविद्यालय समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	559755
21	राजस्थान	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिरविद्यालय समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	462229
22	राजस्थान	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिरविद्यालय समिति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	364703
23	राजस्थान	नव चेतना मानसिक एवं मूक बधिरविद्यालय समिति	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	211734
24	राजस्थान	प्रयास संस्था	एमआर के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	649103
25	राजस्थान	प्रयास संस्था	एमआर के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	649102
26	राजस्थान	पं. चित्रामल लता वेल्फेयर सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	123741

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
27	राजस्थान	ऑटिज्म एवममल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए संभव स्कूल	आत्मकेंद्रित और एकाधिक विकलांगता के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	300000
28	राजस्थान	सौर चेतना एवं ऊर्जाविज्ञान शोध संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	342872
29	राजस्थान	सौर चेतना एवं ऊर्जाविज्ञान शोध संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	3री एवं अंतिम	2015-16	86033
30	राजस्थान	सेठ निनुआ राम चौरिटेबल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	152150
31	राजस्थान	मानसिक विकलांगों के कल्याण के लिएशिखर सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	505935
32	राजस्थान	मानसिक रूप से विकलांगों के कल्याण के लिए सोसायटी	निर्मल विवेक स्कूल और छात्रावास	प्रथम	2015-16	244586
33	राजस्थान	तपोवन मनोविकासविद्यालय समिति	एमआर बच्चों के लिए छात्रावास का रखरखाव	प्रथम	2015-16	234110
34	राजस्थान	तपोवन मनोविकासविद्यालय समिति	एमआर बच्चों के लिए छात्रावास का रखरखाव	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	702330
35	राजस्थान	तपोवन मनोविकासविद्यालय समिति	एमआर बच्चों के लिए छात्रावास का रखरखाव	2री एवं अंतिम	2015-16	218960
36	राजस्थान	उमंग	मानसिकरूप से रूग्णके लिए स्कूल और सीपी परियोजना	2री एवं अंतिम	2015-16	230048
37	राजस्थान	उमंग	मानसिकरूप से रूग्ण के लिए स्कूल और सीपी परियोजना	प्रथम	2016-17	232608
38	राजस्थान	उमंग	मानसिकरूप से रूग्ण के लिए स्कूल और सीपी परियोजना	2री एवं अंतिम	2016-17	261888
39	राजस्थान	उमंग	मानसिकरूप से रूग्ण के लिए स्कूल और सीपी परियोजना	प्रथम	2017-18	235395
		dqy				**13036074**

Ø- l	jkT;	xj ljdkjh lxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"k d nkjku tkjh vunku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"k	jkf'k
rfeyukMq						
1	तमिलनाडु	मानसिक रूप से मंद के लिए कार्मेल सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	452413
2	तमिलनाडु	मानसिक रूप से मंद के लिए कार्मेल सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	435555
3	तमिलनाडु	नेत्रहीन क्रिस्टियन फाउंडेशन – भारत	वीएच के लिए ब्रेल प्रेस	2री एवं अंतिम	2015-16	315578
4	तमिलनाडु	नेत्रहीन क्रिस्टियन फाउंडेशन – भारत	वीएच के लिए ब्रेल प्रेस	3री एवं अंतिम	2015-16	263152
5	तमिलनाडु	नेत्रहीन क्रिस्टियन फाउंडेशन – भारत	वीएच के लिए ब्रेल प्रेस	प्रथम	2016-17	436415
6	तमिलनाडु	डेवलपमेंट एजुकेशन सेंटर	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	253182
7	तमिलनाडु	डॉ. डाथु रावमेमोरियल चौरिटेबल ट्रस्ट	पुनर्वास केंद्र और एमआर की शिक्षा	प्रथम	2016-17	518850
8	तमिलनाडु	डॉ. डाथु रावमेमोरियल चौरिटेबल ट्रस्ट	पुनर्वास केंद्र और एमआर की शिक्षा	2री एवं अंतिम	2015-16	512400
9	तमिलनाडु	आई ई एलसी नेत्रहीन स्कूल	छात्रावास सह व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	592786
10	तमिलनाडु	आई ई एलसी नेत्रहीन स्कूल	छात्रावास सह व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	508163
11	तमिलनाडु	भारतीय नेत्रहीन संघ	वीएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	942070
12	तमिलनाडु	भारतीय नेत्रहीन संघ	वीएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	989100
13	तमिलनाडु	भारतीय नेत्रहीन संघ	वीएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	989100
14	तमिलनाडु	भारतीय नेत्रहीन संघ	वीएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	989100
15	तमिलनाडु	भारतीय नेत्रहीन संघ	ब्रेल लाइब्रेरी	2री एवं अंतिम	2016-17	102600
16	तमिलनाडु	कोंगू मानसिक रूप से मंद रहने के लिएआज्ञानायम स्कूल	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	841244

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
17	तमिलनाडु	कोंगू अरिवलयमस्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	841244
18	तमिलनाडु	विकलांग के लिए लाइफ सहायता केंद्र	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	489397
19	तमिलनाडु	एमएस चेल्लमुथूट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन	मानसिक रूप से रूग्ण के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	50820
20	तमिलनाडु	राष्ट्रीय सेवा समिति	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	134649
21	तमिलनाडु	सप्तगृह पुनर्वास ट्रस्ट	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	330318
22	तमिलनाडु	युवा बधिर बाल विद्यालय	श्रवण बाधित स्कूल	प्रथम	2016-17	331425
23	तमिलनाडु	द स्पस्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु	सीपीएमआर के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	51787
24	तमिलनाडु	द स्पस्टिक सोसाइटी ऑफ तमिलनाडु	विकलांग के लिए 3 केंद्र (सीपी)	2री एवं अंतिम	2015-16	1893015
25	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली बहुउद्देशीय सामाजिक सेवा सोसाइटी	फिजियोथैरेपी उपचार इकाई	प्रथम	2015-16	100500
26	तमिलनाडु	वेला इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल एक्शन एंड डेवलपमेंट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	912330
27	तमिलनाडु	वेला इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल एक्शन एंड डेवलपमेंट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	594545
28	तमिलनाडु	वेला इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल एक्शन एंड डेवलपमेंट	एचएच के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	912330
		dqy				**15784068**
			rsyaxkuk			
1	तेलंगना	आत्मीय मानसिक विकास केन्द्रम	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	905243
2	तेलंगना	आत्मीय मानसिक विकास केन्द्रम	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2016-17	928043
3	तेलंगना	आंध्र प्रदेश राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गके लिए मंच	एमआर के लिए विशेष आवासीयस्कूल	प्रथम	2016-17	590948
4	तेलंगना	अनुराग मानव सेवा	एमटी के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	210450

Ø- l|	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
5	तेलंगना	अनुराग मानव सेवा	एमआर के लिए आवासीय एवं दिवस देखभाल केन्द्र	प्रथम	2016-17	878595
6	तेलंगना	विकलांगों के लिए आशा ज्योथी कल्याण संघ	मानसिक और बहु विकलांगताग्रस्त के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	257231
7	तेलंगना	विकलांगों के लिए आशा ज्योथी कल्याण संघ	मानसिक और बहु विकलांगताग्रस्त के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	615465
8	तेलंगना	आश्रय आकृति	श्रवण और वाक बाधित के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1239304
9	तेलंगना	बीआईएसएच भाद्रचलम ग्रामीण विकास एजेंसी और दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास और शिक्षा सोसायटी	एचआई, एमआर एंड वीटीसी के आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	1035675
10	तेलंगना	नेत्रहीनविकास और कल्याण संघ	वीएच के लिए छात्रावास और विशेषस्कूल	प्रथम	2016-17	1007575
11	तेलंगना	देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड	नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	2832217
12	तेलंगना	देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड	नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	2824636
13	तेलंगना	दुर्गाबाई देशमुखव्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वसन केंद्र (आंध्रमहिला सभा), हैदराबाद	विकलांगों के लिए प्रशिक्षु/पुनर्वास केंद्र	प्रथम	2016-17	588428
14	तेलंगना	दुर्गाबाई देशमुखव्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वसन केंद्र (आंध्रमहिला सभा), हैदराबाद	एमआर/एचएच के लिए विशेष शिक्षा केंद्र	प्रथम	2016-17	1153748
15	तेलंगना	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन	बधिर एवं एमआर बच्चों के लिए दिवस सह आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	852975
16	तेलंगना	मानव संसाधन विकास सोसाइटी	पीएच के लिए वीटीसी और पुनर्वास केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	418313
17	तेलंगना	जीयार एजुकेशनल ट्रस्ट	वीएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1000

Ø- l	jkT;	x|j ljdkjh l|xBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
18	तेलंगना	लक्ष्य मानसिक विकलांगसाधना सोसायटी	एमआर के लिए आवासीय स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2016-17	578550
19	तेलंगना	मनोचेतना	एमआर व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	668145
20	तेलंगना	मनोचेतना	एमआर व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	825303
21	तेलंगना	न्यू डॉन बोस्कोएजुकेशनल सोसाइटी	एमआर के लिए विशेष स्कूल	3री एवं अंतिम	2015-16	501416
22	तेलंगना	पीएएमईएनसीएपी (सिकंदराबाद)	एमआर के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	315835
23	तेलंगना	पीएएमईएनसीएपी (सिकंदराबाद)	एमआर के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	927299
24	तेलंगना	ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए माता पिता एसोसिएशन (पीएएसी)	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	650000
25	तेलंगना	एजी कार्यालय कर्मचारी के माता पिता एसोसिएशन	एमटी के लिए वीटीसी सह पुनर्वास केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	257065
26	तेलंगना	पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी	वीटी और शेल्टर्ड वर्कशॉप (मनोचेतना)	प्रथम	2016-17	635415
27	तेलंगना	पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी	एमआर के लिए विशेष प्रशिक्षण एंव पुनर्वास केन्द्र (मनोकृसी)	2री एवं अंतिम	2015-16	681831
28	तेलंगना	पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी	एमआर के लिए विशेष शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र एवं पुनर्वासकेन्द्र (मनोकृसी)	प्रथम	2016-17	1361295
29	तेलंगना	राधा इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	284963
30	तेलंगना	नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल	नेत्रहीनों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	1044917
31	तेलंगना	सबिथा एजुकेशनल सोसाइटी	मानसिक रूप से विकलांग के लिए विशेष शिक्षा सह व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	2री एवं अंतिम	2015-16	393063
32	तेलंगना	सबिथा एजुकेशनल सोसाइटी	मानसिक रूप से विकलांग के लिए विशेष शिक्षा सह व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	425636

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
33	तेलंगना	मानसिक रूप से विकलांगों के लिएसाधना सोसायटी	नलगोंडा में एमआर के लिए विशेष आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	1069650
34	तेलंगना	शांतिनिकेतन	मानसिक विकलांग के लिए आवासीय संस्था	प्रथम	2016-17	1175633
35	तेलंगना	शांतिनिकेतन	मनोवैज्ञानिक सामाजिक पुनर्वास एवं उपचार कि लिए हाफ वे होम	प्रथम	2016-17	495088
36	तेलंगना	शकीना फाउंडेशन	विकलांग के लिए आवासीय स्कूल सह वीटीसी	प्रथम	2016-17	669075
37	तेलंगना	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1267043
38	तेलंगना	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	1267042
39	तेलंगना	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन	विकलांगों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	682493
40	तेलंगना	दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा एवं पुनर्वास सोसाइटी	सीबीआर कार्यक्रम	2री एवं अंतिम	2015-16	471696
41	तेलंगना	विशेष बच्चों केलिए श्री विद्या केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	492670
42	तेलंगना	विशेष बच्चों केलिए श्री विद्या केंद्र	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1069866
43	तेलंगना	एमएचके कल्याण के लिए सूर्य किरणमाता–पिता एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल(नलगोंडा)	2री एवं अंतिम	2015-16	167685
44	तेलंगना	एमएचके कल्याण के लिए सूर्य किरणमाता–पिता एसोसिएशन	एमआर के लिए विशेष स्कूल(नलगोंडा)	प्रथम	2016-17	454260
45	तेलंगना	स्वयमकृषि	एमआर के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	841053
46	तेलंगना	स्वयमकृषि	एमआर के लिए आवासीय स्कूल एवं वीटीसी	प्रथम	2016-17	1025513
47	तेलंगना	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	851168

Ø- l	jkT;	x|j ljdkjh l|xBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ d| nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
48	तेलंगना	स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज	बधिरों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1803683
49	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	सर्वे इंडेंटिफिकेशन	प्रथम	2016-17	97650
50	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	1104889
51	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	1083312
52	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	सीपी बच्चों के लिए परियोजना	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	564300
53	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	गृह आधारित पुनर्वास	प्रथम	2016-17	192690
54	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	डीएसई(एमआर)	2री एवं अंतिम	2015-16	168111
55	तेलंगना	एमएच के लिए ठाकुर हरि प्रसाद अनुसंधान और पुनर्वास संस्थान	सीबीआर	प्रथम	2016-17	354420
56	तेलंगना	करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानियों का ट्रस्ट	एमआर के लिए स्कूल सह वीटीसी	प्रथम	2015-16	850853
57	तेलंगना	उशोदय एजुकेशनल सोसाइटी	पीएच के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	638430
58	तेलंगना	वीजेसाना फाउंडेशन	पीएच के लिए स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	1045647
		d|y				**45794499**
		f=i|jk				
1	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा मूक एवं बधिर स्कूल	एचएच के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	141879
		d|y				**141879**

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
			mRrj çns'k			
1	उत्तर प्रदेश	आदर्श मूक बधिर विद्यालय	एचएच के लिए विशेषविद्यालय	प्रथम	2016-17	375075
2	उत्तर प्रदेश	अखिल भारतीय विकलांगकल्याण समिति	शिक्षा सह व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रथम	2016-17	1019423
3	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर शिक्षा समिति	विकलांगों के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2016-17	402766
4	उत्तर प्रदेश	आनंद प्रशिक्षण चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	686762
5	उत्तर प्रदेश	आनंद प्रशिक्षण चौरिटेबल सोसाइटी	एमआर बच्चों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	प्रथम	2016-17	741863
6	उत्तर प्रदेश	आर्य सुगंध संस्थान(पूर्व में अपंग असहाय जन विकास संस्थान)	दिव्यांगजनों के लिएआवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	619370
7	उत्तर प्रदेश	आशा केंद्र, मेरठ द्वारा संचालित आशा स्कूल, मेरठ (सेना कल्याण सोसाइटी)	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	161691
8	उत्तर प्रदेश	आशा विद्यालय समिति (सेना कल्याण समिति के अंतर्गतविस्तार शाखा बबिना सहित)	आशा स्कूल, झाॅसी औरबाबीना	प्रथम	2015-16	229673
9	उत्तर प्रदेश	बीबीसी बधिरस्कूल	एचआईके लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	276604
10	उत्तर प्रदेश	बीबीसी बधिरस्कूल	एचआईके लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	773055
11	उत्तर प्रदेश	बाधित बाल विकास समिति	मूक और बधिर आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	623692
12	उत्तर प्रदेश	भगीरथ सेवा संस्थान	विकलांग के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	521434
13	उत्तर प्रदेश	भारतीय चौहान समिति	विकलांग के लिए शिक्षा और वीटीसी	प्रथम	2016-17	653680
14	उत्तर प्रदेश	भारतीय चौहान समिति	विकलांग के लिए शिक्षा और वीटीसी	प्रथम	2017-18	627930
15	उत्तर प्रदेश	भारतीय चौहान समिति	एडु और वीटीसी विकलांग के लिए	2री एवं अंतिम	2016-17	657080

Ø- l	jkT;	xj ljdkjh lxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ dh nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
16	उत्तर प्रदेश	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान,	विकलांग के लिए शिक्षा और वीटीसी	प्रथम	2015-16	488429
17	उत्तर प्रदेश	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान,	विकलांग के लिए शिक्षा और वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	162810
18	उत्तर प्रदेश	भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान,	विकलांग के लिए शिक्षा और वीटीसी	प्रथम	2016-17	369171
19	उत्तर प्रदेश	चेतना	एचएच के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	491875
20	उत्तर प्रदेश	चेतना	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	441745
21	उत्तर प्रदेश	चेतना	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2015-16	1040063
22	उत्तर प्रदेश	चेतना	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	654606
23	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी, मुरादाबाद	डीडीआरसी, मुरादाबाद	2री एवं अंतिम	2015-16	366064
24	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी, मुरादाबाद	डीडीआरसी, मुरादाबाद	प्रथम	2016-17	268812
25	उत्तर प्रदेश	डीडीआरसी, मुरादाबाद	डीडीआरसी, मुरादाबाद	प्रथम	2017-18	342792
26	उत्तर प्रदेश	दिशा समिति, बरेली	पीएच के लिए शिक्षा और वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	520000
27	उत्तर प्रदेश	दिशा समिति, बरेली	पीएच के लिशिक्षा और ए वीटीसी	प्रथम	2016-17	401576
28	उत्तर प्रदेश	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, पीलीभीत	2री एवं अंतिम	2015-16	61744
29	उत्तर प्रदेश	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, पीलीभीत	2री	2016-17	24835
30	उत्तर प्रदेश	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र	डीडीआरसी, पीलीभीत	3री एवं अंतिम	2016-17	100332
31	उत्तर प्रदेश	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र (गोरखपुर)	जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र, गोरखपुर	प्रथम	2016-17	537873
32	उत्तर प्रदेश	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	डीडीआरसी, गोंडा	प्रथम	2017-18	136800

Ø-la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ dks nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
33	उत्तर प्रदेश	फ्रैंड्स ऑफ हैंडिकैप्ड इंडिया	बधिर और एमआर के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	1006319
34	उत्तर प्रदेश	ग्रामोदय जन सेवा संस्थान	एचआईके लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	727326
35	उत्तर प्रदेश	ग्रामोदय जन सेवा संस्थान	एचआईके लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	727326
36	उत्तर प्रदेश	ग्रामोदय जन सेवा संस्थान	HI के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2017-18	727326
37	उत्तर प्रदेश	विकलांग विकास परिषद	एमआर के लिए स्कूल	3री एवं अंतिम	2015-16	802710
38	उत्तर प्रदेश	विकलांग विकास परिषद	एमआर के लिए स्कूल	प्रथम	2016-17	896833
39	उत्तर प्रदेश	विकलांग के लिए एकीकृत संस्थान	विकलांग छात्रों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	696915
40	उत्तर प्रदेश	जॉन्सन शैक्षणिक संस्थान	अस्पताल में भर्ती बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	520490
41	उत्तर प्रदेश	केएसजे हाई स्कूल	विकलांग छात्रों के लिए आवासीय स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	1145619
42	उत्तर प्रदेश	कल्याणम करोति	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	391986
43	उत्तर प्रदेश	मंगलम	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2015-16	189645
44	उत्तर प्रदेश	मनीष सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल(ग्रामीण परियोजना)	2री	2015-16	300000
45	उत्तर प्रदेश	मेरठ बाल कल्याण ट्रस्ट	एमएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	3री एवं अंतिम	2015-16	142274
46	उत्तर प्रदेश	रचना (विकलांग एकीकृत संस्थान की शाखा)	एमआर और मल्टीपल हैंडीकैप के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	717728
47	उत्तर प्रदेश	रावत शिक्षा समिति	एचआई औरवीआई के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	978341
48	उत्तर प्रदेश	रावत शिक्षा समिति	एचआई औरवीआई के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	403345

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
49	उत्तर प्रदेश	रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखारायबरेली	डीडीआरसी, रायबरेली	प्रथम	2016-17	245192
50	उत्तर प्रदेश	समर्पण संस्थान	एमआर और एचएच के लिए विशेष स्कूल	2री	2015-16	770000
51	उत्तर प्रदेश	संचित विकास संस्थान	प्रिस्कूल और बाल्यकालिकअंतर्क्षेप केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	240000
52	उत्तर प्रदेश	संचित विकास संस्थान	प्रि स्कूल और बाल्यकालिकअंतर्क्षेप केंद्र	3री एवं अंतिम	2015-16	81685
53	उत्तर प्रदेश	संचित विकास संस्थान	प्रि स्कूल और बाल्यकालिक अंतर्क्षेप केंद्र	प्रथम	2016-17	72351
54	उत्तर प्रदेश	संचित विकास संस्थान	डीडीआरसी, बस्ती	प्रथम	2017-18	328320
55	उत्तर प्रदेश	सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी	एचएच के लिए विशेष स्कूल और दिव्यांगजनों के लिए वीटीसी	3री एवं अंतिम	2015-16	230235
56	उत्तर प्रदेश	सरस्वती एजुकेशनल सोसाइटी	एचएच के लिए विशेष स्कूल दिव्यांगजनके लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	777051
57	उत्तर प्रदेश	सर्वहारा उत्थान समिति	एचएचके लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	354265
58	उत्तर प्रदेश	सीमा सेवा संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	567473
59	उत्तर प्रदेश	श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर	एमआर और एचएच के लिए विशेष स्कूल	2री	2015-16	350000
60	उत्तर प्रदेश	श्री कृष्ण आदर्श विद्या मंदिर	एमआर और एचएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	479892
61	उत्तर प्रदेश	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और अंधविद्यालय	वीएच के लिए आवासीय विद्यालय	प्रथम	2016-17	1185090
62	उत्तर प्रदेश	सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर हिअरिंग इंपेयर्ड	मूक एवं बधिर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	439487

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
63	उत्तर प्रदेश	सुमित्रा स्मारक शिक्षण सेवासमिति	एचआई एंड एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	407025
64	उत्तर प्रदेश	द सोसाइटी ऑफ क्रिस्ट ज्योति	श्रवण बाधित के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	1851237
65	उत्तर प्रदेश	मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों के कल्याण के लिएउत्तर प्रदेश माता–पितासंघ	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी	प्रथम	2015-16	312939
66	उत्तर प्रदेश	उपासनाजन कल्याण सेवासमिति	डीडीआरसी, रामपुर	2री एवं अंतिम	2016-17	115794
67	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश मूक बधिरविद्यालय	बधिरों के लिए आवासीय स्कूल	प्रथम	2016-17	1558605
		dqy				**35520449**
			mRrjkapy			
1	उत्तरांचल	हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन	डीडीआरसी,हरिद्वार	प्रथम	2015-16	448200
2	उत्तरांचल	हैप्पी फैमिली हैल्थ केयर एंड रिसर्च एसोसिएशन	डीडीआरसी,हरिद्वार	2री एवं अंतिम	2015-16	149400
3	उत्तरांचल	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एमआर के लिए वीटीसी–सह– छात्रावास और दिवस देखभाल केन्द्र	प्रथम	2016-17	646290
4	उत्तरांचल	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एमआर के लिए वीटीसी–सह–छात्रावास और दिवस देखभाल केन्द्र	2री एवं अंतिम	2015-16	606202
5	उत्तरांचल	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	मानसिक मंदता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	2री एवं अंतिम	2015-16	134000
6	उत्तरांचल	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	मानसिक मंदता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	प्रथम	2016-17	120750
7	उत्तरांचल	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एलसीपी केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	199942

Ø- la	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
8	उत्तरांचल	राफेल राइडर चेशायर इंटरनेशनल सेंटर	एलसीपी केंद्र	प्रथम	2016-17	189419
9	उत्तरांचल	विकलांग मंदबुद्धि कल्याण समिति	एमएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	158250
		dqy				**2652453**
			i- caxky			
1	प. बंगाल	अलकेंदू बोध निकेतन आवासीय	एमआर के लिए विशेष स्कूल और वीटीसी (मुख्य एकक)	2री एवं अंतिम	2015-16	389680
2	प. बंगाल	अलकेंदू बोध निकेतन आवासीय	मैन पावर डेवलपमेंट शिक्षक प्रशिक्षण	2री एवं अंतिम	2015-16	60779
3	प. बंगाल	आनंदा भवन	एचएच के लिए विशेष शिक्षासह वीटीसी	प्रथम	2015-16	182051
4	प. बंगाल	आनंदा भवन	एचएच के लिए विशेष शिक्षासह वीटीसी	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	597178
5	प. बंगाल	आनंदा भवन	एचएच के लिए विशेष शिक्षा सहवीटीसी	प्रथम	2015-16	90411
6	प. बंगाल	बारजोरा अशार आलो	एमआर बाल विशेष स्कूल एवं चिकित्सा पाठ्यक्रम	2री एवं अंतिम	2015-16	206974
7	प. बंगाल	बारजोरा अशार आलो	एमआर बाल विशेष स्कूल एवं चिकित्सा पाठ्यक्रम	प्रथम	2016-17	462585
8	प. बंगाल	बिकाश भारती वेलफेयर सोसाइटी	पीएच के लिए उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र (झारग्राम)	2री एवं अंतिम	2015-16	113911
9	प. बंगाल	ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, कोलकाता	वीएच बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	291667
10	प. बंगाल	चित्तरंजन स्मृतिप्रतिबंधीसेवा केन्द्र	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	174270
11	प. बंगाल	डॉ. सैलेन्द्र नाथ मुखर्जी मुकदृ बधिर विद्यालय	मुक बधिर के लिए शैक्षणिक संस्थान	2री एवं अंतिम	2015-16	203475

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkSjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
12	प. बंगाल	डम डम दीप बधिर और मूक स्कूल क्रीश	श्रवण बाधित के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	213329
13	प. बंगाल	पूर्वी कमांड आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन	आशा स्कूल, कलकत्ता (सेना कल्याण सोसाइटी)	पूरी एवं अंतिम	2015-16	430502
14	प. बंगाल	होप	एमएच के लिए वीटीसी घटक के साथ विशेष स्कूल	प्रथम	2015-16	764129
15	प. बंगाल	भारतीय मानसिक पक्षाघात संस्थान	प्री–स्कूल और बाल्यकालिक अंतर्क्षेप	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	205660
16	प. बंगाल	भारतीय मानसिक पक्षाघात संस्थान	सीपी बच्चे	संपूर्ण एवं अंतिम	2015-16	1722824
17	प. बंगाल	भारतीय मानसिक पक्षाघात संस्थान	सीपी बच्चे	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	2551686
18	प. बंगाल	विकलांग और पिछड़े लोगों के लिए संस्थान	विकलांग लोगों के लिए विशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	1530360
19	प. बंगाल	जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन	एमआर/एचएच/वीआईके लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	549705
20	प. बंगाल	जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन	एमआर/एचएच/वीआई के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	575445
21	प. बंगाल	कोरक प्रतिबंधी कल्याणकेंद्र	एमएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	1778
22	प. बंगाल	कोरक प्रतिबंधी कल्याणकेंद्र	एमएच के लिए विशेष स्कूल	3री एवं अंतिम	2015-16	234772
23	प. बंगाल	मनोविकास केंद्र विकलांग पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल (6 इकाइयां)	2री एवं अंतिम	2015-16	351597
24	प. बंगाल	मनोविकास केंद्र विकलांग पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल (6 इकाइयां)	2री एवं अंतिम	2015-16	211755
25	प. बंगाल	मनोविकास केंद्र विकलांग पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल (6 इकाइयां)	2री एवं अंतिम	2015-16	409128

Ø- l	jkT;	xSj ljdkjh laxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"kZ ds nkjku tkjh vuqnku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"kZ	jkf'k
26	प. बंगाल	मनोविकास केंद्र विकलांग पुनर्वास और अनुसंधान संस्थान	एमआर के लिए विशेष स्कूल (6 इकाइयां)	प्रथम	2016-17	201848
27	प. बंगाल	मोयोना रामकृष्णनएसोसिएशन	एचएच के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	199505
28	प. बंगाल	निमतौरीतामलुक उन्नयनसमिति	विकलांग के लिए वीटीसी	प्रथम	2016-17	356756
29	प. बंगाल	निमतौरी तामलुक उन्नयनसमिति	विकलांग के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2015-16	272421
30	प. बंगाल	निमतौरी तामलुक उन्नयनसमिति	विकलांग के लिए वीटीसी	2री एवं अंतिम	2016-17	161174
31	प. बंगाल	निमतौरी तामलुक उन्नयनसमिति	एचएच के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	270633
32	प. बंगाल	उत्तर बंगाल विकलांग पुनर्विकास सोसाइटी	एमआर और एचएच के लिएविशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	446832
33	प. बंगाल	उत्तर बंगाल विकलांग पुनर्विकास सोसाइटी	एमआर और एचएच के लिएविशेष स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	2048926
34	प. बंगाल	बधिर बच्चों के लिए अभिभावकों के स्वयं के क्लिनिक	बधिर बच्चों के लिए स्कूल	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	365499
35	प. बंगाल	परिपूर्णता हाफ वे होम	हाफ वे होम	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	108656
36	प. बंगाल	परिपर्णाता हाफ वे होम	हाफ वे होम	प्रथम	2017-18	54328
37	प. बंगाल	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज अकादमी, नरेन्द्रपुर	ब्रेल प्रेस अनुरक्षण	प्रथम	2016-17	1439983
38	प. बंगाल	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंडबॉयज अकादमी, नरेन्द्रपुर	ब्रेल प्रेस अनुरक्षण	2री एवं अंतिम	2016-17	2245640
39	प. बंगाल	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज अकादमी, नरेन्द्रपुर	ब्रेल प्रेस अनुरक्षण	प्रथम	2017-18	1842812
40	प. बंगाल	रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज अकादमी, नरेन्द्रपुर	कृषि और तकनीकी प्रशिक्षण	प्रथम	2016-17	342270
41	प. बंगाल	रीच	विशेष बाल विकास केंद्र	2री एवं अंतिम	2015-16	306300

Ø- l	jkT;	xj ljdkjh lxBu dk uke	ifj;kstuk dk uke	o"k d nkjku tkjh vunku lgk;rk dk fooj.k		
				fdLr	o"k	jkf'k
42	प. बंगाल	रीच	विशेष बाल विकास केंद्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	603450
43	प. बंगाल	सेवायतन कल्याण केंद्र	बधिर, मूक और एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	202974
44	प. बंगाल	सेवायतन कल्याण केंद्र	बधिर, मूक और एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2015-16	217601
45	प. बंगाल	सेवायतन कल्याण केंद्र	बधिर, मूक और एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	457994
46	प. बंगाल	आश्रय	एमआर के लिए विशेष स्कूल	प्रथम	2016-17	413430
47	प. बंगाल	आश्रय	एमआर के लिए विशेष स्कूल	2री एवं अंतिम	2016-17	550190
48	प. बंगाल	सोसायटी फॉर मेंटल हैल्थ केयर	एमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	2री	2015-16	59490
49	प. बंगाल	सोसायटी फॉर मेंटल हैल्थ केयर	डीएसआर (एमआर) टीचर ट्रेनिंग कोर्स	2री	2015-16	216005
50	प. बंगाल	यूबा उन्नयन सेबा समिति	सीपीएमआर बच्चों के लिए विशेष स्कूल और पुनर्वसनकेंद्र	संपूर्ण एवं अंतिम	2016-17	602784
		dy				**26513152**

vuqyXud&10

MhMhvkj,l dk rgr fiNys rhu o"kksa vkSj pkyw o"kZ 2017 – 18 ¼fnukad 31-12- 2017 dh fLFkfr dk vuqlkj½ dk nkjku tkjh vuqnku lgk;rk] ykHkkfFk;ksa dh la[;k vkSj lefFkZr laxBuksa dk jkT;k okj C;kjk

Øe la-	jkT;@la?k {ks=	vuqer jkf'k lLoh—r@tkjh dh x;h ¼yk[k #i;s esa½				ykHkkfFk;ksa dh la[;k				lefFkZr laxBu			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	937.24	826.83	763.14	680.61	4935	5645	5284		71	68	73	57
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	6.74	9.64	0.00	67	67	0		0	2	1	0
4	असम	156.81	88.92	94.01	45.82	564	341	206		24	16	15	4
5	बिहार	55.20	62.03	25.16	64.74	323	413	521		4	7	6	5
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0		0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	32.88	47.49	17.51	12.06	360	281	372		6	7	6	4
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0		0	0	0	0
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0		0	0	0	0
10	दिल्ली	77.62	197.81	82.16	142.33	632	1444	811		12	21	14	9
11	गोवा	10.09	8.87	4.89	0.00	95	138	86		1	1	1	0
12	गुजरात	63.45	47.24	32.2	37.15	852	672	456		24	19	17	7
13	हरियाणा	121.77	117.94	116.24	86.05	716	642	824		19	17	18	18
14	हिमाचल प्रदेश	8.79	20.53	24.16	20.86	30	68	49		3	4	6	3
15	जम्मू और कश्मीर	19.46	9.58	3.25	0.00	180	0	58		3	2	1	0
16	झारखंड	7.30	2.45	0.94	0.00	86	58	70		2	2	1	0
17	कर्नाटक	102.82	77.52	96.73	72.32	594	684	518		14	8	9	4

Ø- l-	jkT;@l?k {k=	vuqer jkf'k lLoh—r@tkjh dh x;h ¼yk[k #i;s e½				ykHkkfFk;ksa dh l[;k				lefFkr lxBu			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
18	केरल	567.05	362.25	446.16	375.31	4121	2829	3302		54	41	56	44
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0		0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	135.14	132.69	99.75	112.79	1250	1075	1016		21	31	23	24
21	महाराष्ट्र	250.45	141.47	221.47	191.46	1458	874	845		40	28	29	18
22	मणिपुर	225.11	284.38	270.91	210.27	1646	1329	1287		43	30	37	19
23	मेघालय	36.61	45.86	65.16	22.14	294	492	462		6	6	7	3
24	मिजोरम	23.93	11.25	7.38	10.54	222	215	221		2	2	2	1
25	नगालैंड	0.00	0.41	0	0.00	0	29	0		0	1	0	0
26	ओडिशा	363.29	445.10	329.31	280.50	2320	2462	2183		47	48	49	23
27	पुडुचेरी	7.18	14.83	7.16	14.77	111	117	108		1	1	4	1
28	पंजाब	119.00	46.23	68.95	53.81	964	416	976		12	6	11	10
29	राजस्थान	101.66	139.18	136.12	130.36	870	1030	1051		29	30	27	21
30	सिक्किम	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0		0	0	0	0
31	तमिलनाडु	68.89	234.29	98.77	157.84	797	1528	959		27	28	22	15
32	तेलंगाना	850.13	750.13	700.88	445.55	6719	5334	5524		79	61	62	25
33	त्रिपुरा	8.44	1.00	12.09	1.41	112	30	140		2	1	4	1
34	उत्तर प्रदेश	463.42	550.16	376.19	356.01	3952	4130	4284		62	51	52	43
35	उत्तराखंड	50.88	41.47	28.01	26.52	503	474	319		9	9	2	2
36	पश्चिम बंगाल	143.43	304.34	361.66	236.19	1453	2711	366		23	41	37	25
	dy	**5008.04**	**5018.99**	**4500.00**	**3787.41**	**36226**	**35528**	**32298**		**640**	**589**	**592**	**386**

vuqyXud&11

nhun;ky fodykax iquokZl ;kstuk ds rgr o"kZ 2017&18 ds nkjku ¼fnukad 31-12-2017 dh fLFkfr ds vuqlkj½ xSj ljdkjh laxBuksa dks tkjh vuqnku lgk;rk jkT;&okj fooj.kk dk lkj

Ø-la-	jkT; dk uke	tkjh dh xbZ jkf'k ¼yk[k #- esa½	lgk;rk çnRr xSj ljdkjh laxBu	lgk;rk çkIr ifj;kstuk	ykHkkfFk;ksa dh la-
1	आंध्र प्रदेश	680.61	57	88	4772
2	बिहार	64.74	5	9	356
3	छत्तीसगढ़	12.06	4	4	158
4	गोवा	0.00	0	0	0
5	गुजरात	37.15	7	19	826
6	हरियाणा	86.05	18	28	755
7	हिमाचल प्रदेश	20.86	3	9	67
8	जम्मू औरक.	0.00	0	0	0
9	झारखंड	0.00	0	0	0
10	कर्नाटक	72.32	4	9	527
11	केरल	375.31	44	77	3596
12	मध्य प्रदेश	112.79	24	37	1170
13	महाराष्ट्र	191.46	18	50	1105
14	ओडिशा	280.50	23	40	2197
15	पंजाब	53.81	10	12	578
16	राजस्थान	130.36	21	39	1172
17	तमिलनाडु	157.84	15	28	1094
18	तेलंगाना	445.55	25	58	3313
18	उत्तर प्रदेश	356.01	43	67	2713
19	उत्तराखंड	26.52	2	9	326
20	पश्चिम बंगाल	236.19	25	50	1771

Ø- l-	jkT; dk uke	tkjh dh x;h jkf'k ¼yk[k #- esa½	lgk;rk çnRr xSj ljdkjh laxBu	lgk;rk çkIr ifj;kstuk	ykHkkfFk;ksa dh la-
		iwokZRrj jkT;			
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0	0
2	असम	45.82	4	7	565
3	मणिपुर	210.27	19	34	1504
4	मेघालय	22.14	3	3	285
5	मिजोरम	10.54	1	1	42
6	नगालैंड	0.00	0	0	0
7	सिक्किम	0.00	0	0	0
8	त्रिपुरा	1.41	1	1	70
		dsaæ 'kkflr çns'k			
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0	0	0
2	चंडीगढ़	0.00	0	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	0.00	0	0	0
4	दमन और दीव	0.00	0	0	0
5	दिल्ली	142.33	9	23	739
6	लक्षद्वीप	0.00	0	0	0
7	पुडुचेरी	14.77	1	2	106
	dqy	**3787.41**	**386**	**704**	**29807**

vuqyXud&12

o"kZ 2017&18 ds nkSjku ,lvkbZihMh,@MhMhvkj,l ds rgr MhMhvkjlh ds fy, tkjh vuqnku

¼tSlk fd 19-01-2018 rd½

,l ugh	MhMhvkjlh dk uke	jkT;@dUæ 'kkflr çns'k	;kstuk	tkjh jkf'k ¼#½
1	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	268812
2	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	366064
3	मंदसौर	मध्य प्रदेश	डीडीआर	15811
4	मंडसौर	मध्य प्रदेश	डीडीआर	162445
5	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	537873
6	अमरावती	महाराष्ट्र	डीडीआर	446040
7	राय बरेली	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	245192
8	पूर्व गोदावरी	आंध्र प्रदेश	डीडीआर	423700
9	बालाघाट	मध्य प्रदेश	डीडीआर	400136
10	रीवा	मध्य प्रदेश	डीडीआर	459000
11	हरिद्वार	उत्तराखंड	डीडीआर	448200
12	टोंक	राजस्थान	डीडीआर	284040
13	मेडक	तेलंगाना	सिपडा	209326
14	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	डीडीआर	125349
15	बस्ती	उत्तर प्रदेश	सिपडा	410600
16	चुराचंदपुर	मणिपुर	डीडीआर	676626
17	इंफाल वेस्ट	मणिपुर	सिपडा	503000
18	भटिंडा	पंजाब	डीडीआर	747629
19	उधम सिंह नगर	उत्तराखंड	सिपडा	1720000
20	गोंदिया	महाराष्ट्र	डीडीआर	319385
21	गोंदिया	महाराष्ट्र	डीडीआर	367782
22	जबलपुर	मध्य प्रदेश	डीडीआर	508680
23	सीहोर	मध्य प्रदेश	सिपडा	498000

, l ugh	MhMhvkjlh dk uke	jkT;@dsUæ 'kkflr çns'k	;kstuk	tkjh jkf'k ¼#½
24	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	61744
25	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	24835
26	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	सिपडा	22441
27	शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश	सिपडा	392627
28	इंफाल वेस्ट	मणिपुर	सिपडा	57600
29	झाबुआ	मध्य प्रदेश	डीडीआर	76498
30	भटिंडा	पंजाब	डीडीआर	31728
31	हरिद्वार	उत्तराखंड	डीडीआर	149400
32	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	100332
33	रामपुर	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	115794
34	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	सिपडा	1720000
35	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	सिपडा	395475
36	शोलापुर	महाराष्ट्र	सिपडा	1635000
37	अमरावती	महाराष्ट्र	डीडीआर	334530
38	लखीमपुर	असम	सिपडा	333660
39	लखीमपुर	असम	सिपडा	434040
40	गोलाघाट	असम	सिपडा	591000
41	बस्ती	उत्तर प्रदेश	डीडीआर	328320
42	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	सिपडा	1720000
			d|y	**18668714**

vuqyXud & 13

jk"Vªh; lLFkkuksa@lefdr {ks=h; dsUæ }kjk lapkfyr nh?kZ vof/k ikBîØeksa ¼,d ;k ,d o"kZ ls vf/kd½ dk fooj.k

1- iafMr nhun;ky mik/;k; 'kkjhfjd fodykax lLFkku] ¼ihMh;wvkbZih,p½] ubZ fnYyh

ihMh;wvkbZih,p] ubZ fnYyh esa ikBîØe

Ø-la-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVksa dh la[;k
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी	4 ½ वर्ष	54
2.	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी	4 ½ वर्ष	54
3.	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक	4 ½ वर्ष	31

2- Lokeh foosdkuan jk"Vªh; iquokZl çf'k{k.k ,oa vuqla/kku] ¼,loh,uvkbZvkjVh,vkj½] dVd] vksfM'kk

Ø-la-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVksa dh la[;k
1	बैचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4 ½ वर्ष	62
2	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4 ½ वर्ष	62
3	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिस्ट (बीपीओ)	4 ½ वर्ष	46
4	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	02 वर्ष	15
5	मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (एमओटी)	02 वर्ष	15
6.	मास्टर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स (एमपीओ)	02 वर्ष	10
6	डिप्लोमेट इन फिजीकल मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन	02 वर्ष	04

3- jk"Vh; ykdkekVj fodykxrk lLFkku ¼,uvkbl,yMh½] dkydkrk

,uvkbZvk,p] dkydkrk e: ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
1.	मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी)	2 वर्ष	06
2.	मास्टर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी (एमओटी)	2 वर्ष	06
3.	मास्टर इन साइंस प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थाटिक्स	2 वर्ष	06
4.	डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबीलिटेशन डीएनबी (पीएमआर)	3/2 वर्ष	06 (3+3)
5.	पोस्ट ग्रुजेएट डिप्लोमा इन डिस्एबीलिटी रिहैबीलिटेशन एंड मैनेजमेंट (पीजीडीडीआरएम)	1 वर्ष	15
6.	एम.एससी. रिहैब नर्सिंग (आर्थोरिहैबीलिटेशन)	2 वर्ष	10
7.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी)	4 & ½ वर्ष	52
8.	बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी (बीओटी)	4 & ½ वर्ष	51
9.	बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (बीपीओ)	4 & ½ वर्ष	34

{k=h; dæ] vkbtky e: ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
1	डी. एड. स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25

4- jk"Vh; –f"V ckf/kr 0;fä ; l'kDrhdj.k lLFkku ¼,uvkbbihohMh½] ngjknu

,uvkbbihohMh] ngjknu e: ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
,pvkjMh çf'k{k.k dk;Øe			
1.	एम.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	20
2	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	150
3	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	550
4.	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकलॉजी	1 वर्ष	15
5.	केयर गिवर्स के लिए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	3 माह	20

dk'ky fodkl çf'k{k.k dk;Øe			
1.	कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग एसिस्टेंट	1 वर्ष	21
2.	प्रैक्टिशनर कोर्स इन जैपनीज मेडिकल मैनुअल थेरेपी	2 वर्ष	30
3.	ब्रेल शॉर्टहैंड (हिंदी)	1 वर्ष	16

[k- {k=h; dUæ&pUubl

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVka dh la[;k
,pvkjMh çf'k{k.k dk;Øe			
1	बी.एड स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	40
2	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (विजुअल इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	50
dk'ky fodkl çf'k{k.k dk;Øe			
1	एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी–सिप फार द ब्लाइंड	1 वर्ष	15

5- vyh ;koj tax jk"Vªh; Jo.k fodykax lLFkku] ¼,okbl tS,uvkbl,l,pMh½] eqcbl

,okbl tS,uvkbl,l,pMh] eqcbl eas ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVkas dh la[;k
1.	पीएच० डी०(स्पीच और हियरिंग)	3 + वर्ष	20
2.	पीएच० डी०(स्पेशल एजुकेशन)	3 + वर्ष	20
3.	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	19
4.	मास्टर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड)	1 वर्ष	23
5.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	43
6.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड)		39
7.	साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा	1 वर्ष	15

b/vkj lh] dksydkrk esa ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVksa dh la[;k
1.	मास्टर ऑफ ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी	2 वर्ष	15
2.	मास्टर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	10
3.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	31
4.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड)		23
5.	बैचलरऑफएजुकेशन (श्रवण निःशक्त) डिस्टेंस मोड	2 वर्ष	40
6.	डिप्लोमा इन एजुकेशन (स्पेशल एजुकेशन–डीएचएच)		31
7.	साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा	1 वर्ष	15
8.	कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स		20

,l vkj lh] fldanjkckn esa ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVksa dh la[;k
1.	मास्टर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी)	2 वर्ष	15
2.	बैचलर ऑफ साइंस (ऑडियोलॉजी, स्पीच – लेंग्वेज पैथोलॉजी)	4 वर्ष	31
3.	बैचलर ऑफ एजुकेशन (हियरिंग इम्पेयर्ड)	2 वर्ष	31
4.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	31
5.	एम.एड. (एचआइ)	2 वर्ष	10

,uvkj lh] uks,Mk esa ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVksa dh la[;k
1.	बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और स्पीच–लेंग्वेज पैथोलॉजी	4 वर्ष	21
2.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	30
3.	डिप्लोमा इन हियरिंग, लेंग्वेज एंड स्पीच	1 वर्ष	30
4.	साइन लेंग्वेज इंटरप्रेटर कोर्स में डिप्लोमा	1 वर्ष	15
5.	श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर एप्लिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स	1 वर्ष	20

VhlhVhMh] tuyk] vkfMlk e ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
1.	डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन (डीएचएच)	2 वर्ष	31
2.	डिप्लोमा इन साइनलेंग्वेज इंटरप्रिटर पाठ्यक्रम	1 वर्ष	30
3.	बैचलर ऑफ एजुकेशन दृ विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता)	2 वर्ष	30

6- jk"Vh; ekufld fodykx lLFkku ¼,uvkbZihvkbZMh½] fldnjkckn

,uvkbZihvkbZMh ,pD;] fldnjkckn e ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
1.	एम.फिल इन रिहैबीलिटेशन साइकलॉजी (एमआर)	2 वर्ष	14
2.	एम.एड इन स्पेशन एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25
3.	पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अर्ली इंटरवेंशन	1 वर्ष	20
4.	बी.एड. इन स्पेशन एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25
5.	डिप्लोमा इन अर्ली चाइडहुड स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	1 वर्ष	25
6.	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमआर)	2 वर्ष	25
7.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

,uvkbZihvkbZMh {ks=h; dsæ] uks,Mk e ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन(एमआर)	2 वर्ष	25
2.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन(एमआर)	2 वर्ष	30

,uvkbZihvkbZMh {ks=h; dsæ] uoh eqcbZ e ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVk dh l[;k
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन(एमआर)	2 वर्ष	25
2.	डिप्लोमा इन वोकशनल रिहैबीलिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

,uvkbbihvkbMh {k=h; dæ] dkydkrk e ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVka dh la[;k
1.	बी.एड इन स्पेशल एजुकेशन(एमआर)	2 वर्ष	30
2.	डी.एड इन स्पेशल एजुकेशन(एमआर)	2 वर्ष	25
3.	डिप्लोमा इन वोकेशनल रिहैबिलिटेशन (एमआर)	1 वर्ष	25

7- jk"Vªh; cgqfn0;kax tu vf/kdkfjrk laLFkku ¼,uvkbbih,eMh½] psUubZ

,uvkbbih,eMh] psUubZ e ikBîØe

Ø-l-	ikBîØe dk uke	ikBîØe dh vof/k	lhVka dh la[;k
1	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एएसडी)	2 वर्ष	25
2	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (सीपी)	2 वर्ष	25
3	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (डीबी)	2 वर्ष	25
4	डी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमडी)	2 वर्ष	25
5	बी.पी.टी.'	4 ½ वर्ष	25
6	बी.ओ.टी.'	4 ½ वर्ष	25
7	बी. एएसएलपीच'	4 वर्ष	20
8	बी. एड. स्पेशल एजुकेशन (एएसडी)	2 वर्ष	30
7	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (डीबी)	2 वर्ष	30
8	बी.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमडी)	2 वर्ष	30
9	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (एएसडी)	2 वर्ष	20
10	एम.एड. स्पेशल एजुकेशन (एमडी)	2 वर्ष	20
11	एम.फिल (क्लिनिकल फिजोलॉजी)	2 वर्ष	12
12	पीजीडीडीटी (एमडीःपी एंड एन)	1 ¼ वर्ष	25
13	पीजीडीईआई	1 वर्ष	25

* वर्ष 2017 – 18 के दौरान पाठ्यक्रम फिर से शुरु किए गए

vuqyXud&14

cszy çsl dh LFkkiuk@vk/kqfudhdj.k@{kerk on~/ku ds fy, lgk;rk ;kstuk ds vUrxZr tkjh fuf/k;ksa ds fooj.k

o"kZ 2017&18 ¼fnukad 04-01-2018 rd½ ds nkSjku tkjh fd, x, vuqnku

Ø- l-	ljdkjh lLFkku /lxBudk uke	jkT;	tkjh vuqnku xSj vkorhZ	tkjh vuqnku vkorhZ
	u, cszy çsl dh LFkkiuk ds fy,			
1	शुबम ट्रस्ट, मुजफ्फरपुर	बिहार	रु. 79,61,000	–
2.	जगद्गुरु रामभ्राचार्यविश्वविद्यालय, चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	रु.56,35,000	–
3.	डॉ शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय,लखनऊ	उत्तर प्रदेश	रु.1,12,75,000	–
4.	सीआरसी सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश	–	रु.9,95,428
	cszy çsl dh {kerk esa of) ds fy,			
	cszy çsl ds vk/kqfudhdj.k ds fy,			
4.	एनआईईपीवीडी क्षेत्रीय केंद्र, चेन्नई	तमिलनाडु	–	रु.41,97,234
5.	नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड	दिल्ली	रु.81,48,481	रु.24,61,707
6.	ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड	दिल्ली	रु.71,67,141	रु.15,88,503
	cszy çsl ds vk/kqfudhdj.k ds fy,			
7.	सेंट्रल ब्रेल प्रेस, देहरादून	उत्तराखंड	–	रु.51,97,183
8.	राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ , जयपुर	राजस्थान	–	रु.9,71,376
9.	रामकृष्ण मिशन क्षेत्रीय ब्रेल प्रेस, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	–	रु.12,06,995
10.	मित्रा ज्योति चौरिटेबल ट्रस्ट, बैंगलोर	कर्नाटक	–	रु.13,96,194
11.	समाज कल्याण निदेशालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	छत्तीसगढ़	–	रु.18,38,682
12.	टीवीसीसी, हैदराबाद	तेलंगाना	–	रु.13,14,297
13.	नैशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, अहमदाबाद	गुजरात	रु.2,50,367	रु.7,50,064
14.	नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मुंबई	महाराष्ट्र	–	रु.12,79,542
			रु.4,11,36,989	रु.2,22,26,022

vuqyXud&15

o"k 2017 d jk"Vh; ijLdkj fo trkvk dh lph

सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/स्वनियोजित दिव्यांग			
सं.	पुरस्कारों की उप श्रेणी एवं संख्या	नाम	पता
1.	दृष्टिबाधिता	श्री एन के चोकालिंगम	चेन्नई, तमिलनाडु
		डॉ. श्रुति होरा	चंडीगढ़, पंजाब
2.	कम दृष्टि	श्री आर. बीजुमोन	इडुक्की , केरल
		–	–
3.	कुष्ठ उपचारित	श्री ए अरोकिया रोयान	चेन्नई, तमिलनाडु
		–	–
4.	श्रवण बाधिता	श्री राकेश अग्रवाल	फरीदाबाद, हरियाणा
		सुश्री प्रियांका	चंडीगढ़, पंजाब
5.	लोकोमोटर दिव्यांगता	श्री विजय कुमार राजसनी	चित्तौड़गढ़ , राजस्थान
		श्री समीर सुरेन्द्र कुमार कक्कड़	अहमदाबाद, गुजरात
		सुश्री चुम्की दता	भुवनेश्वर, उड़ीसा
6.	मानसिक पक्षाघात	श्री रोहित जैन	जयपुर, राजस्थान
		-	---
7.	मानसिक मंदता	श्री चठराजु साई कृशणन	करीमनगर , आंध्र प्रदेश
		-	---
8.	मानसिक रूग्णता	-	---
		-	---
9.	ऑटिज्म	-	---
		-	---
10.	बहु विकलांगता	-	---
		सुश्री केवी सिरिशा	चित्तूर , आंध्र प्रदेश
		सुश्री यास्मीन मानसुरी	नई दिल्ली
II	loJ"B fu;ksäk vkj fu;ktu vf/kdkjh@, tsl d fy, ijLdkj		
l-		mi J.kh	

1.	Best Employer	(i) सरकारी संगठन	-
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /स्वायत्त / स्थानीय सरकारी निकाय	-
		(iii) निजी /गैर सरकारी संगठन	1.आईबीएम इंडिया प्रा. लि., बंगलोर – कर्नाटक 2. अपना स्वीट्स, इंदौर, मध्यप्रदेश
	Best Placement Officer/ Agency	स्वायत्त सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	-
		निजी/गैर सरकारी संगठन/कार्यालय	1.यूथ फॉर जॉब फाउंडेशन, हैदराबाद, तेलंगना 2. देवनार फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड, सिकंदराबाद, तेलंगना
III.	fn0;kx tuk dh lok e dk;jr lo"B 0;fä ,o lLFkku		
l-		mi J.kh	uke
1.	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	पेशेवर	डॉ टीएस चंद्रशेखर, चेन्नई, तमिलनाडु
		गैर पेशेवर	1.सुश्री सुकेशी बारूई, हावड़ा, पश्चिम बंगाल 2. डॉ. राम किशन गुप्ता, घाटमपुर, उत्तर प्रदेश
2.	सर्वश्रेष्ठ संस्थान	दिव्यांग जनों को व्यापक तरीके से समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला संगठन	1. दिव्यांग जनों के लिए 'ईटीसी' शिक्षा, प्रशिक्षण और सेवा केंद्र, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 2. दिव्यांगजन सामर्थनम ट्रस्ट, बेंगलोर, कर्नाटक 3. सिक्किम दिव्यांग सहायता समिति, गंगटोक, सिक्किम। 4. कॉर्ड (चिन्मय ग्रामीण विकास संगठन), जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
		दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन	दिव्यांगजन कल्याण सोसायटी, मेंगलोर, कर्नाटक

IV	vu|dj.kh; 0;fä i|jLdkj			
सं.	उप श्रेणी		नाम	पता या टेलिफोन नं./ई – मेल
1.	Blindness/ low vision	पुरुष	श्री एस. के. पॉल कुमार	बेंगलुरु, कर्नाटक
		महिला	सुश्री टिफनी ब्रार	तिरुवनंतपुरम, केरल
		महिला	डॉ. ज्योत्सना फेनिजा बोल्ला	नई दिल्ली
2.	Leprosy cured	पुरुष	-	---
3.	Hearing impairment	पुरुष	श्री अपूर्व ओम	नई दिल्ली
			श्री के. शेशगिरी राव	सिकंदराबाद , आंध्र प्रदेश
		महिला	सुश्री स्वेता कुलकर्णी	तिरुवनम्यूर , चेन्नई, तमिलनाडु
			सुश्री रचना दुशीअंत कुमार शाह	अहमदाबाद, गुजरात
4.	लोकोमोटर दिव्यांगता/ मानसिक पक्षाघात	पुरुष	श्री भवानी शंकर रविंद्र	बेंगलुरु, कर्नाटक
		महिला	डॉ राजलक्ष्मी एसजे	बेंगलुरु, कर्नाटक
5.	मानसिक मंद/मानसिक रूग्णता/ऑटिज्म	पुरुष	श्री प्रणय पुरुषोत्तम बुर्दे	मुंबई, महाराष्ट्र
			श्री अकुला रोहित	राम रेड्डी, अदिलाबाद, तेलंगना

V	fn0;kxtuk d thou e l/kkj yku d mís'; l loJ"B ,IykbM fjlp / buko'ku / ç,MDV MoyieV d fy, i|jLdkj	
l-	mi J.kh	i|jLdkj fotrk
1.	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ एप्लाइड रिसर्च/इनोवेशन/प्रॉडक्ट डेवलपमेंट	बालाजी, पुडुचेरी
2.	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से विनिर्माण के लिए नया किफायती उत्पाद का विकास	विश्वजीत रॉय एवंआशा दास , सिकंदराबाद, तेलंगाना विजय कुमार अलीशा, हैदराबाद, तेलंगाना

VI.	fn0;kxtuk d fy, ck/kk jfgr ifjo'k d fuek.k e mR—"V dk;l d fy, iqjLdkj		
l-	mi Js.kh	iqjLdkj fotrk	
1.	सरकारी विभाग/कार्यालय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय	1. जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश 2.जिला परियोजनाकार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, श्रीकाकुलम , एपी	
2.	स्थानीय निकाय	महाकालेश्वर मंदिर समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश।	
3.	निजी क्षेत्र/गैर सरकारी संगठन	-	
VII.	iquokl lok çnku djus e lokJ"B ftyk d fy, iqjLdkj	मदुरै, तमिलनाडु	
VIII.	राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की सर्वश्रेष्ठ राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी।	-	
IX	mR—"V ljpukRedfn0;kx tu	पुरुष	गोपाल चंद्र पाल, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल
		महिला	सुनिता थ्रिप्पनिक्कारा नुरम, जिला कन्नूर, केरल
X	mR—"V ljpukRed fn0;kx ckyd@ckfydk	बालक	ओम जिग्नेश व्यास , अहमदाबाद, गुजरात
		बालिका	अभिरामिर आर, अंथपिल्लिल, कोचिन, केरल
XI	lokJ"B czy çl	राष्ट्रीय नेत्रहीन संघ, मुंबई, महाराष्ट्र	
XII	**loZJs"B lqxE; osclkbV**		
l-	mi Js.kh		
1.	सरकारी	-	
2.	पीएसयू/एलबी	-	
3.	निजी क्षेत्र/गैर सरकारी	द जलगॉव पीपल्स कॉपरेटिव बैंक लि., जलगॉव, महाराष्ट्र	
XIII	fn0;kxtu l'kDrhdj.k lon/ku djus okyk lokJ"B jkT;	छत्तीसगढ़	
XIV	lokJ"B fn0;kx f[kykMh	पुरुष	शेखान नायक, बेंगलुरु, कर्नाटक
		महिला	पटेल सोनाबेन मनुभाई, अहमदाबाद, गुजरात

fu/kkfjr in 2013 d fy, ç;Dr lf{kIrk{kj

एस	बैठना
एसटी	खड़ा होना
डब्ल्यू	चलना
बीएन	झुकना
सीआरएल	रेंगना
सीएल	चढ़ना
जेयू	कूदना
एल	उठाना
केसी	घुटना
आरडब्ल्यू	पढ़ना और लिखना
एमएफ	उंगलियों की सहायता से समझाना
पीपी	खींचना और गिरना
एसई	देखना
सी	बातचीत करना
एच	सुनना
ओए	एक भुजा
वीए	दोनों भुजा
ओएल	एक भुजा और एक पैर
बीएलए	दोनों पैर और भुजा
बीएलओए	दोनों पैर और एक भुजा
ओएल	एक पैर
बीएल	दोनों पैर
सीपी	प्रमिस्तष्कघात
एलसी	कुष्ठ उपचारित
ओएच	अस्थि विकलांग
वीएच	दृष्टिबाधित
बी	दृष्टिहीन
एलवी	कम दृष्टि
एचएच	श्रवणबाधित

fn0;kx tuk d lkFk cgrj lokn gr ekxnf'kdk

जब आप किसी दिव्यांगजन को देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? क्या आप सोचते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते बल्कि यह सोचने के बजाय वह क्या कर सकते हैं। क्या विकलांग मनुष्य भगवान के अभागे बच्चे हैं? तो क्यों हम उन्हें भिन्न मानते हैं?

अगली बार जब आप किसी दिव्यांगजन से मिलें तो उनसे समानता का भाव रखें। इसके कुछ तरीके यहां दिए गए हैं रू

- यदि आप नहीं जानते कि चुप्पी कैसे तोड़नी है और बातचीत कैसे शुरू करनी है, तो शांत रहें और दिव्यांगजन को यह कार्य करने दें।
- विकलांगों के लिए सकारात्मक सोच रखें। उनसे आपसी ताल–मेल बढ़ाएं। आप अवश्य ही कुछ रोचक व्यक्तित्व पाएंगे।
- यदि सहायता की आवश्यकता हो तो ही प्रदान करें, पर अति–उत्साही नहीं बनना चाहिए। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उस व्यक्ति का सम्मान करें।
- व्यक्ति द्वारा दुपहिया कुर्सी (व्हील चेयर) बिना मांगें प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए।
- व्यक्ति को व्हील चेयर या बैसाखी या अन्य प्रकार की सहायता बिना मांगे नहीं दें।
- विकलांगता के बारे में चर्चा की शुरूआत ना करें पर स्वतः ही चर्चा हो जाए तो विचार बांट सकते हैं।
- पूर्ण सहयोग करें। दिव्यांगजन को बात करने के लिए ज्यादा समय या स्थान की आवश्यकता हो सकती है।
- दिव्यांगजन जो कार्य कर सकता है, उसकी प्रशंसा करें। उन कष्टों को याद रखें जो व्यक्ति को उसकी विकलांगता से अधिक समाज के व्यवहार के कारण उसके सामने उत्पन्न हो सकते हैं।
- विकलांगता के ऊपर उस व्यक्ति से सीधी बात करें। बातचीत करने के लिए किसी मध्य व्यक्ति की सहायता न लें।
- किसी दिव्यांगजन से बात करते समय उसकी बात पर पूरा ध्यान दें। उनके दृष्टिकोण को सम्मान दें। दिव्यांगजन से बात करते समय आपका रवैया उनके दृष्टिकोण में सुधार करने की अपेक्षा उनको प्रोत्साहित करने का होना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति को जिसे बोलने में कठिनाई हो, उससे ऐसे प्रश्न करें जिनके जवाब छोटे रूप में या हाव–भाव के संकेत से दिए जा सकते हैं।
- सुनने की कठिनाई वाले व्यक्ति से आराम से, धीरे और स्पष्ट शब्दों में बात करें।
- दिव्यांगजन के साथ भोजन करते समय, जरूरत होने पर या अनुमति मांगे जाने पर ही भोजन करने में उनकी मदद करें। अनुमति लेना ज्यादा आरामदेय हो सकता है यदि व्यक्ति अपना भोजन स्वयं ही रसोई में करना चाहता है। यदि आप नेत्रहीन व्यक्ति के साथ भोजन कर रहे हैं तो उसे टेबल पर रखें बर्तनों और पकवानों की स्थिति के बारे में बताएं।